



# भाषा एवं हिंदी भाषा

डॉ० सतीशकुमार रोहरा

माध्यमक—भाषाविज्ञान  
काशी हिंदू विश्वविद्यालय



हिंदी प्रचारक संस्थान

पिशाचमोचन, वाराणसी

Hindi Exam Hindi Bhasha

By

Dr Satish Kumar Rohra

©

डॉ० सतीशकुमार रोहरा

प्रथम संस्करण  
३३०० प्रतिया  
सितंबर १९७२

प्रकाशक

विजय प्रकाश बरो

हिंदी प्रचारक संस्थान

( व्यवस्था कृष्णचंद्र बेरी ऐड सस )

पो० बा० न० १०६ पिशाचमोचन वाराणसी-१

मूल्य—  
छह रुपये

मुद्रक—

स्वस्तिक मुद्रणालय

गोलघर, वाराणसी-१

बोलते ती अनेक प्राणी ह और उनका बालियों में भय और आनंद जैसे मोटे मोटे भावों की अभिव्यक्ति भी हुआ करती ह, पर मनुष्य का विधाता की आर से जो वाणी दी गई ह, वह अत्यंत दुर्लभ ह। वह मनुष्य के अन्तरतम के भाव राशि को बारीकी से अभिव्यक्ति देती ह और केवल अभिव्यक्ति ही नहीं देती, भावा के उपगूहन में भी उतनी ही समथ ह। माधारण अर्थ में भावों को अभिव्यक्ति देने वाले यह मानव वाणी ही भाषा कही जाती ह। कसे इसका आरम्भ हुआ ? किस प्रकार वह आदिम संगीतारमक स्थिति से विविक्त वर्ण भाषा के रूप में प्रकट हुई, तथा किम प्रकार इन विविक्त वर्णों को यथातथ रूप में लिपिबद्ध किया गया, कसे वह एक भाषा से दूसरी में बदलती गई, इतिहास और भूगोल के विशाल परिसर में यह किस प्रकार अभिव्यक्ति का माध्यम बनती रही, ये कहानी बहुत ही रोचक ह। विद्वानों ने उपलब्ध प्रमाणों का आधार पर इस अत्यद्भुत विकास की कहानी कही ह। भाषा का विकास मानव समाज के विकास की कहानी ह। भाषा का इतिहास हमें बताता ह कि किस प्रकार मनुष्य का एक वा दूसरे के संपर्क में आया ह, जुड़ा ह, लड़ा ह और फिर किम प्रकार मिलन की प्रस्तावत भूमि तैयार हू ह। हमारा यह देश इस दृष्टि से बहुत ही समृद्ध रहा है। केवल भाषा के प्राचीनतम नमूने ही यहां उपलब्ध नहा होते, उसक विदलेपण और संगठन के सूत्र भी यहां भरे पडे ह। व्याकरण और निरुक्त का धारावाहिक इतिहास यहां सुलभ ह। आज के दानानिक युग में भाषा के अध्ययन न नई माड ली ह। आज हमारे के दूर-दूर स्थित भू भागों के निवासियों की भाषा के सूक्ष्म अध्ययन का मुदाग मिला ह। कई भिन्न

प्रकृति की भागाभी व, जानकारा कि म् म भागा व श्वाक अस्पदा  
वा एगा अरगर पद् वभा न्ना विगा । आज भागा विरमर जावहारी  
बहुत मुनिमोजिन व्वा ५, प्रदाग म माई जा रही है ।

माई गनीन कुमार राहा भागा की आयुनिव अस्पदा वदति व  
ममज है । म्मोन व्वा दुग्द - न हागे व विग निगी है जो भागा  
अस्पदा की आयुनिव वदति व विगागु है । व्वा प्रारभिक दुग्द है  
पर डॉ० रोहगा म म्म जावहारीका वा सरल भागा में विग देने में  
कोई बगर नहीं रहो है । व ध र पीर अपिच जटिल प्रानों को हमी  
प्रवार की सहा मादा में प्रानु नगा की क्का रतते है ।

मुझ भागा है कि डॉ० राहुरा का व्वा प्रदाग छाया एव हम विरम  
के जिगागुभा वा लाभप्र हागा । भागा व सामान्य विभाग के साथ  
साथ व हिना भागा व विीग विभाग वम की बहागा भी आगानी के  
मवानतम वदति म जाव सवेंग । दुग्द की साथका हमी में है ।

वारागगा

—द्वाराप्रसार दिवदी

१२ अगस्त ७२

## पुरोवाक्

आज भाषाविज्ञान का काम और पद्धति बहुत बदल गई है। भारत वष में प्राचीनकाल से ही भाषा के अध्ययन को वरीयता दी जाती रही है। पाणिनि इस दृष्टि से भारत के ही नहीं विश्व के सवप्रथम भाषा वानिक कहे जा सकते ह। जब हमारे पूर्वजो ने पाणिनि को भगवान् या ऋषि कहा तो वे प्रकारांतर से भाषाशास्त्र की महत्ता को आप समयन दे रहे थे। पतञ्जलि का यह कहना यथाथ ह कि “शोमना खलु पाणिनिना सूत्रस्यकृति [ २।३।६६ ]। गुलेरी जो ने भारतीय भाषा शास्त्र की परंपरा में पाणिनि का स्थान निर्धारित करते हुए लिखा है—“उसे पाणिनि अपने पहले के सब सस्वृत वयाकरणो का सघात है वसे हा यह अपने पिछले सभी वयाकरणा का उद्गम ह।” पाणिनि की श्रेष्ठता में किसे सदेह हा सकता है पर इस बात में किसी को सदेह नहीं हो सकता कि भाषा की धारा वयाकरणों को छोडकर सदा आगे निकल जाती ह, इसी कारण पाणिनि का विकसित करने के लिए पतञ्जलि को आना पडता ह, और एक के बाद एक नये भाषाशास्त्रीय इस निरंतर विकासमान धारा का धाहने के लिए एक के बाद एक प्रयत्न करते जाते ह। हर प्रयत्न इसीलिए आगामी प्रयत्न के लिए न्यास बन जाता है। यही भाषाशास्त्र या किसी भी शास्त्र के अध्ययन की सारस्वत परम्परा का मूल स्वरूप ह।

नव्य ज्ञान की नव्य आधुनिक शाखाआ की तरह ही भाषाविज्ञान का नया रूप भी पश्चिम की देन ह। पिछले दो सौ वर्षों स योरोप में भाषा विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ ह। १०वीं शती में जब विलियम जोस ने अभिज्ञान शाकृतल का अनुवाद किया सस्वृत पर पश्चिमी पडिता की-

दृष्टि पड़ी। ग्रीक, लटिन और संस्कृत की कुछ ध्वनियों और वाक्यों में अद्भुत समता देखकर लोगो की दृष्टि तुलनात्मक अध्ययन की ओर मुड़ी। तब से आज तक इस विज्ञान में कई चरण पार किये हैं और यह धीरे धीरे बानानिक उपकरणों और पद्धतियों के द्वारा अपने को विश्व की भाषाओं के अध्ययन के लिए निरंतर सक्षम बनाता जा रहा है। अब यह सही अब में विज्ञान की भूमिका में उतर आया है।

डा० रोहरा इस विकास प्रक्रिया से भली भाँति परिचित हैं। डा० सतीश कुमार रोहरा आधुनिक पीढ़ी के भारतीय भाषा-बानानिकों में अपना स्थान बना चुके हैं। उन्होंने अपनी इस छोटी किंतु महत्वपूर्ण पुस्तक के द्वारा भाषाध्ययन के सामान्य सिद्धान्त और हिन्दी भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस विषय पर अब तक डेरो पुस्तकें लिखी गई हैं, नाना आकार प्रकार की, किंतु मुझे यह देखकर प्रीतिकर जाश्चय हुआ कि डा० रोहरा ने सीमित दायरे में रहते हुए भी इस पुस्तक में एक ऐसी नूतन और सरल साथ ही बानानिक पद्धति का अनुसरण किया है कि विषय स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त बोधगम्य हो गया है। उनकी समास 'ल' में गागर में सागर उतारने का सफल प्रयत्न है। उन्होंने एक ओर बी० ए० स्तर के विद्यार्थियों के लिए जहाँ आवश्यक सामग्री को सम्पक ढंग से प्रस्तुत किया है वहीं गहराई से देखने से मालूम होगा कि उनके द्वारा अपनाई गई पद्धति स्नातकोत्तर छात्रों को विषय के अध्ययन की ओर भी विकसित और पुष्ट बनाने के लिए सही भाग और दिशा का समुचित निर्देश करती है। मैं उनकी इस पुस्तक के लिए उन्हें बधाई देना अपना कर्तव्य मानता हूँ।

१४ सितम्बर ७२

हिन्दी विभाग

शिवप्रसाद सिंह

रीडर हिन्दी विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वाराणसी-५

## अनुवाक

आज कल भारत में भाषाविज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। बहुत से विश्वविद्यालयों में इस विषय के स्वतंत्र अध्ययन की व्यवस्था है, और प्रायः समस्त विश्वविद्यालयों में भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा का अध्ययन स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है।

अपने अध्यापन कार्य के अनुभव से मैं यह जान पाया हूँ कि यह विषय अब भी विद्यार्थियों के लिए 'हीवा' बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस विषय पर हिंदी में लिखी हुई पुस्तकों में उस वनानिबद्ध दृष्टि का प्रायः अभाव है जो इस विषय के विश्लेषण में अपेक्षित है। इसीसे विद्यार्थी इस विषय को भी साहित्य के समान भाषा-शैली की उन रेगमी डोरिया में घाघने का प्रयत्न करता है जो इस विषय का भार सभाल नहीं पाती। परिणामस्वरूप विषय विद्यार्थी के लिए भार बनकर रह जाता है।

एक बात धीरे भी है। भारतीय विश्वविद्यालया—विशेषकर हिंदी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों—में इस विषय का नियत पाठ्यक्रम बहुत पुराना एवं सुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसका कुछ उत्तरदायित्व इस विषय पर हिंदी में लिखी हुई निम्नस्तरीय पुस्तकों पर भी है क्योंकि पाठ्यक्रम एवं तत्संबंधी पुस्तकों में काय कारण संभव रहता है। उन्नत पाठ्यक्रम उच्चस्तरीय पुस्तकों के प्रणयन की प्रेरणा देता है तथा उन्नत पुस्तकों पाठ्यक्रम का स्तर उचा करने में सहायता प्रदान करती हैं।

अतः इस पुस्तक लिखने का इहारा उद्देश्य रहा है। एक तो सरल, सुवाच्य एवं सटीक शैली में इस विषय का विश्लेषण प्रस्तुत कर, विद्यार्थियों



में इस विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, दूसरा, पाठ्यक्रम न घरे को छोड़ा और विस्तृत करने का प्रयत्न करना। इसीसे न केवल भाषा संबंधी सहायक विश्लेषण में वरन् हिंदी के व्यावहारिक विषयों में भी विकारक स्तम्भ, क्रियावच आदि जैसे नये विषयों की चर्चा हो गयी है। पुस्तक मुख्य रूप से स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखी गयी है किन्तु वह स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

कृतज्ञता पापन मनुष्य धर्म का एक अंग है।

श्रेष्ठ हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की भुक्त पर सदैव कृपा रही है 'मुवाक' इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

मित्रवर डॉ० शिवप्रसाद सिंह के लिए 'आभार' शब्द का प्रयोग कर मैं उनके सहज स्नेह को औपचारिक नहीं बनाना चाहता। पुस्तक लिखने की प्रेरणा से लेकर 'पुरोवाक' तक की इस प्रक्रिया में मुझे सदैव उनसे बौद्धिक प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा है।

इस पुस्तक की रचना में मैंने अनेक विशेषज्ञ ( विशेषकर—हावेट, रोजसन बंका टगर कराल, शावरिया जयपसन ) एवं भारतीय ( विशेषकर—सुनीतिकुमार चटर्जी, धीरद्र वर्मा बाबूराम सक्सेना उदय नारायण तिवारी, भालानाथ तिवारी, हरेश्वर वाहरी ) विद्वानों की मान राशि से लाभ उठाया है। मैं इन समस्त विद्वानों का आभारी हूँ।

श्री कृष्णचंद्र बेरी ( हिंदी प्रचारक ) ने जिस सहजता से इस पुस्तक के प्रकाशन, तथा श्री सन्तशरण शर्मा ने जिस तत्परता से इस पुस्तक के मुद्रण में सहयोग दिया है उसके लिए वे निःसंदेह बधाई के पात्र हैं।

अपने 'साध्य' का उल्लेख मैंने 'अनुवाक' में कर दिया है। 'सिद्धि' के उल्लेख के लिए उत्तरवाक्य की प्रतीक्षा रहेगी।

वाराणसी

—सतीशकुमार रोहरा

१५ सितंबर १९७२

भाषा [ १—४३ ]

भाषा-व्यक्ति, समाज और सभ्यता [ ३ ], भाषा प्रयोग, साधन एवं साध्य [ २ ], भाषा की परिभाषा [ ४ ], भाषा के पक्ष एवं भाषा की संरचना [ ७ ], भाषा के अंग [ ९ ] भाषा के तत्व [ १० ] भाषा की विशेषताएँ [ ११ ] भाषा की उत्पत्ति [ २७ ] भाषा में परिवर्तन [ ३३ ] ।

भाषाविज्ञान [ ४५—७४ ]

भाषाविज्ञान का अर्थ [ ४७ ] भाषाविज्ञान का नाम [ ४७ ] भाषा विज्ञान का स्वरूप [ ४८ ], भाषाविज्ञान के विभाग [ ५९ ], भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ [ ५२ ] भाषाविज्ञान एवं अन्य शास्त्र [ ५४ ] भाषाविज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता [ ६० ] भाषावैज्ञानिक अध्ययन का इतिहास [ ६३ ] ।

भाषाओं का वर्गीकरण एवं संसार के भाषा-परिवार [ ७५—१०३ ]

भाषाओं का वर्गीकरण [ ७७ ] वर्गीकरण के आधार [ ७७ ] आकृतिमूक वर्गीकरण [ ७८ ], पारिवारिक वर्गीकरण [ ८३ ] परिवारों की रचना [ ८५ ] पारिवारिक वर्गीकरण के सिद्धांत [ ८७ ] संसार के भाषा परिवार [ ९१ ] ।

भारोपीय परिवार एवं आय भाषाएँ [ १०६—१४५ ]

भारोपीय परिवार का महत्व [ १०७ ] भारोपीय परिवार के नाम की समस्या [ १०७ ] मूल भारोपीय भाषा एवं उनकी श्रेणियाँ [ १०८ ] भारोपीय भाषा की संरचना [ ११९ ] भारोपीय परिवार का विभाजन [ १११ ] आय उप-परिवार [ १११ ] भारतीय भाषाएँ [ ११८ ] आधुनिक आय भाषाओं का वर्गीकरण [ ११९ ] आधुनिक आय भाषाओं का परिचय [ १३८ ] ।

५ हिंदी एवं हिंदी भाषा-मडल [ १४७—१७७ ]

‘हिंदी नाम [ १४९ ] हिंदी का क्षेत्र [ १५० ] हिंदी की उत्पत्ति एवं विकास [ १५० ], हिंदी भाषा मडल [ १४ ] हिंदी भाषा मडल की भाषाएँ [ १५१ ] पश्चिमी हिंदी की बालिया [ १६२ ] पूर्वी हिंदी की बालिया [ १६६ ] भाजपुरी की स्थिति [ १६८ ], शब्दावली [ १६९ ]

६ हिंदी की ध्वन्यात्मक संरचना-वर्णन एवं विकास [ १७०—२१५ ]

हिंदी की संरचना [ १८१ ] हिंदी की ध्वन्यात्मक संरचना [ १८१ ], हिंदी की सङ्गीत ध्वनिया [ १८१ ] हिंदी की सङ्गीत ध्वनिया [ १९१ ] हिंदी ध्वनिया का विकास [ १९३ ] हिंदी स्वरों का विकास [ १९४ ] हिंदी यजना का विकास [ १९८ ], सङ्गीत ध्वनिया का विकास [ २१ ] ।

७ हिंदी की व्याकरणात्मक संरचना वर्णन एवं विकास [ २१७—२६० ]

हिंदी की व्याकरणात्मक संरचना [ २१९ ] हिंदी की रूपात्मक संरचना [ २१९ ] हिंदी म ग ङ निर्माण का पद्धतिया [ २१९ ] हिंदी में शब्द रूपांतर [ २२१ ] सज्ञा का रूपांतर एवं विकास [ २२५ ] सर्वनाम का रूपांतर एवं विकास [ २३२ ] विशेषण का रूपांतर एवं विकास [ २३८ ] क्रिया का रूपांतर एवं विकास [ २४४ ], अव्यय [ २५० ] वाक्यात्मक संरचना [ २५६ ] ।

८ लिपि एवं देवनागरी लिपि [ २६१—२८० ]

लिपि [ २६३ ] भाषा एवं लिपि का संबंध [ २६३ ] लिपि की उत्पत्ति [ २६५ ], लिपि का विकास का अवस्थाएँ [ २६६ ] ध्वन्यात्मक लिपि के भेद [ २६८ ] ससार का प्रमुख लिपिया [ २७९ ] भारत की प्राचीन लिपिया [ २७१ ] देवनागरी लिपि [ २७४ ] ।

## 9 भाषा



- भाषा—व्यक्ति, समाज एवं सभ्यता
- भाषा—प्रयोग, साधन एवं साध्य
- भाषा की परिभाषा
- भाषा के पक्ष एवं भाषा की संरचना
- भाषा के अंग
- भाषा के तत्व
- भाषा की विशेषताएँ
  - रचनागत विशेषताएँ
  - स्वभावगत विशेषताएँ
- भाषा की उत्पत्ति
- भाषा में परिवर्तन ( विकास )





## ११ भाषा व्यक्ति, समाज और सम्यता

भाषा मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति के जीवन में भाषा के उपयोग की इतनी अधिकता है कि सास लेने के पश्चात् भाषा के प्रयोग की ही गणना की जा सकती है।

मनुष्य, मूलरूप से सामाजिक प्राणी है। समाज के अभाव में उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास असंभव है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन का मुख्य आधार भाषा है। भाषा के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना संभव नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में विकसित सामाजिक जीवन के अभाव का मुख्य कारण यही है कि उनमें वाणी की वह शक्ति नहीं जो मनुष्य में है।

मानव-सम्यता का विकास मूलरूप से अनुभवा के आदान प्रदान पर निर्भर करता है। अनुभवा का यह विनिमय दो प्रकार से हो सकता है—एक तो अनुकरण के द्वारा और दूसरा भाषा के माध्यम से। अनुकरण केवल स्थूल क्रियाओं (यथा—बनाना, पहनना आदि) का ही हो सकता है। सूक्ष्म बातों (यथा—इच्छाओं, विचारों, विश्वासों आदि) का अनुकरण नहीं किया जा सकता। ये बातें भाषा के माध्यम से ही साखी और सिलवाई जा सकती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सूक्ष्म बातें ही मानव-सम्यता का प्राण अथवा आत्मा हैं। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि मानव-सम्यता का वर्तमान स्वरूप मुख्यरूप में मनुष्य की भाषा शक्ति का ही परिणाम है।

## १२ भाषा प्रयोग, साधन और साध्य

अपनी भाषा का प्रयोग व्यक्ति के लिए इतना सहज और स्वाभाविक है कि वह उसकी संरचना (Structure) एवं क्रियाविधि की ओर ध्यान ही नहीं देता। साधारण व्यक्ति को तो बात ही क्या, विद्वान् लोग भी 'स्वभाषा'\* की संरचना संबंधी जानकारी देने में प्रायः असमर्थ रहते हैं। इसका कारण यह है कि व्यक्ति का संबंध भाषा के 'प्रयोग' से रहता है, 'भाषा संबंधी जानकारी'

\* 'स्वभाषा' (Native Language) अर्थात् वह भाषा, जिसे व्यक्ति जन्म से ही संरक्षित और बोधता है। इसे ही प्रायः 'मातृभाषा', कहा जाता है। 'स्वभाषा' का विरोधात् शब्द 'अन्यभाषा' (Foreign Language) है, जिससे तात्पर्य उस भाषा से है जो व्यक्ति की स्वभाषा नहीं है।

से नहीं। इस कारण वह भाषा सबधी जानकारी के प्रति एक प्रकार से उदासीन रहता है।

कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए भाषा सबधी जानकारी, भाषा प्रयोग के समान ही अथवा उससे भी अधिक उपयोगी होती है। ये लोग ऐसे क्षेत्रों से संबंध रखते हैं जिन क्षेत्रों में भाषा सबधी जानकारी सहायक मिश्र होती है। अर्थात् ये लोग, अपने कार्य के लिए, साधन रूप में भाषा-सबधी जानकारी का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में अध्यापक (विशेषकर इतरभाषा शिक्षक) लेखक, मनोवैज्ञानिकों समाजशास्त्रियों, इतिहासकारों, कम्प्यूनीकेशन इंजीनियरों आदि की गणना की जा सकती है।

इन लोगों के अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए भाषा का अध्ययन साधन न होकर साध्य होता है। ये लोग भाषा का अध्ययन किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि स्वयं भाषा की 'आंतरिक संरचना को समझने के लिए ही करते हैं। ऐसे लोगों का ही 'भाषा वैज्ञानिक अथवा भाषा विज्ञानी (Linguists) कहा जाता है, और भाषा वैज्ञानिकों द्वारा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गयी भाषा (सामान्य) अथवा विशेष भाषा सबधी जानकारी को ही 'भाषा विज्ञान' (Linguistics) कहा जाता है।

भाषा का सामान्य रूप में अध्ययन करने के कारण ही भाषाविज्ञान, ज्ञान की अलग-एव स्वतंत्र शाखा है और अपनी इसी विशेषता के कारण वह ज्ञान को उन शाखाओं से भिन्न है जिनमें भाषा का अध्ययन साधन रूप में किया जाता है।

## १.३ भाषा की परिभाषा

भाषा क्या है? इस प्रश्न का सामान्य-एव प्रचलित उत्तर यही है कि 'भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एक-दूसरे से विचार-विनिमय करते हैं अथवा अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा की यह परिभाषा अनिश्चित-एव अस्पष्ट तो है ही त्रुटिपूर्ण भी है। यह ऐसा ही है जैसे कहा जाय कि अगूर एक फल है। अगूर एक फल है यह सत्य है किंतु फल तो आम-अनार-अमरूद भी हैं। तो क्या अगूर, आम, अनार और अमरूद सब एक ही चीज हैं? वैसे ही भाषा-विचार-विनिमय का साधन अवश्य है किंतु वह विचार-विनिमय का एकमात्र साधन नहीं है। मनुष्य इतना अधिक विधियों में विचारों को अभिव्यक्ति करता है कि उनका गणना कर सकना ही संभव नहीं है।

बाल, हाथ और सिर के सकेतो से ही नहीं, पाव को पटककर, गाल अथवा नयुने का पुलाकर, दात अथवा जीभ दिखाकर भी भाषा की अभिव्यक्ति का जा सकती है। प्रिय के किसा मधुर बोल पर प्रेयसी के कपाला पर फल जाने वाली लालिमा क्या कोई भाव अभिव्यक्त नहीं करती? गाड़ की चडियाँ, तार बाबू की मशीन पर टिक टिक, फक्टा का बजनेवाला भोपू, युद्ध के आक्रमण की सूचना देनेवाला सायरन, दिगा निदेश करनेवाली चीराहे पर लगी हुई बत्तियाँ अथवा सिपाही के गिरते उठते हाथ, सभी भाव अभिव्यक्ति के साधन हैं। १८५७ की क्रांति में कमल के फूल एवं रोटी द्वारा क्रांति का सदाग पहुँचाया गया था। भाषा-आन्दोलन के समय उत्तर भारत के एक विश्वविद्यालय के छात्रा ने, दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों का चूडिया का उपहार भेजकर आन्दोलन के लिए ललकारा था।

अब यदि गाड़ की चडी, तार बाबू की टिक टिक और प्रेयसी के कपाला की लालिमा सबको भाषा मानकर उसका विश्लेषण किया जाय तो वह विश्लेषण कसा हागा? वह विश्लेषण और चाहे कसा भी हा, उसका स्वरूपा विज्ञान के अनुकूल नहीं हा सकता। किसी भी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन तभी सम्भव है जब कि उसका क्षेत्र निश्चित हा, और क्षेत्र तभी निश्चित हो सकता है जबकि उसका सीमाए निर्धारित हा। अत भाषा का असीम नहीं समीम बनाकर ही उसका विशिष्ट एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है।

किसी भी विषय की सीमाए दो बातों से निर्धारित हाती है। एक तो उस विषय के अध्ययन का उद्देश्य और दूसरा, उस विषय के अध्ययन की पद्धति। भाषा विज्ञान का दृष्टि से भाषा के अध्ययन का उद्देश्य है भाषा की आन्तरिक रचना को समझना तथा उस व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना। भाषाविज्ञान में भाषा के अध्ययन के लिए जिस पद्धति का अनुसरण किया जाता है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इस निश्चित उद्देश्य एवं निश्चित पद्धति के कारण भाषा विज्ञान में भाषा की दो सीमाए निर्धारित की गई है। ये सीमाए हैं—मानवीयता और कथ्यता। पहली सीमा के कारण भाषा विज्ञान में केवल मनुष्या की भाषा का अध्ययन होता है और दूसरी सीमा के कारण भाषा विज्ञान में विचार विनिमय की केवल उस पद्धति का भाषा माना जाता है जिसमें कथन की क्रिया हा। किसी क्रिया को 'कथन' तब कहा जाता है जब उसमें उच्चारण-अवयवों द्वारा ध्वनिया का हेतु पूर्वक उच्चारण किया गया हो। अत उच्चरित ध्वनिया और उन ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्त हेतु ही वे तत्व हैं जो किसी क्रिया को



कथन का स्वरूप प्रदान करते हैं ।

यह दाना सीमाओं के लिए शक्य उठाई जा सकती है । यह पूछा जा सकता है कि भाषा विज्ञान में कबल मनुष्यों की ही भाषा का अध्ययन क्या किया जाता है, अन्य प्राणियों की भाषा का भी अध्ययन क्या नहीं किया जाता ? यह भी प्रश्न उठ सकता है कि भाषाविज्ञान में विचार संचार के कथ्य रूप की ही भाषा क्या माना जाता है ? विचार संचार की अन्य पद्धतियों ( यथा हाथ, जाल, बडिया, सीटिया, बिना द्वारा विचार-संचार ) को भाषा क्या नहीं माना जाता ?

पहले प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भाषा एक सामाजिक व्यवहार है । समाजशास्त्र के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सही अर्थों में मनुष्य ही केवल सामाजिक प्राणी है । अतः सामाजिक व्यवहार के रूप में भाषा का व्यवहार मान मनुष्य ही कर सकता है । नवान गोर्धों के द्वारा यह तथ्य भी प्रकट हो चुका है कि मनुष्य के सिवाय अन्य बहुत से प्राणियों में भाषा की शक्ति है ही नहीं । कुछ थोड़े से प्राणियों में वह शक्ति है अवश्य किंतु मनुष्य की भाषा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति इतनी सीमित है कि उस सही अर्थों में भाषा नहीं माना जा सकता ।

एक ध्यान और भी है । आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है । सुनिश्चितता ( Precision ), वक्तव्यता को पहली शर्त है । अपेक्षाकृत नवीन विज्ञान होने के कारण, सुनिश्चितता का बनाए रखने के लिए, आधुनिक भाषा विज्ञान ने अपने विषय क्षेत्र का मानवीय भाषा तक ही सीमित रखा है । नियमों के सुदृढ़ हो जाने के पश्चात् यह संभव है कि भाषा विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को मनुष्यतर प्राणियों की भाषा तक विस्तृत किया जाय ।

दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि भाषा का वास्तविक रूप उसका कथ्य रूप ही है । विचार संचार की अन्य पद्धतियाँ भाषा के कथ्य रूप का ही स्वरूप हैं । इस कारण आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा के कथ्य रूप का ही भाषा का वास्तविक रूप स्वीकार किया गया है ।

इस प्रकार भाषा विचार संचार का वह मानवाय माध्यम है जो मूल रूप से कथ्य होता है । अन्य माध्यमों में यों कहा जा सकता है कि भाषा मनुष्यों द्वारा उच्चरित उन ध्वनि संकेतों का व्यवस्था का कहते हैं जिन्हें द्वारा क्रिया विनाश समुदाय के लोग विचारामक स्तर पर परस्पर सम्पर्क स्थापित करते हैं ।

## १४ भाषा के पक्ष एवं भाषा की संरचना

भाषा की परिभाषा में यह बताया जा चुका है कि भाषा एक व्यवस्था अथवा पद्धति है। प्रत्येक पद्धति का अपना एक ढांचा होता है, जिसे उसका संरचना कहा जाता है। भाषा-व्यवस्था का भी एक निश्चित ढांचा है जिसे भाषा की संरचना कहा जाता है।

हम जानते हैं कि भाषा ध्वनियाँ की व्यवस्था है। ध्वनियों का परिचय ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है, इस कारण ध्वनियों को स्थूल कहा जाएगा। ध्वनियों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। ध्वनियाँ से अभिव्यक्त अर्थ अथवा भाव बौद्धिक अनुभूति का विषय है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा अर्थ का परिचय नहीं किया जा सकता, इस कारण अर्थ को सूक्ष्म कहेंगे। स्थूल ध्वनियाँ भाषा की भौतिकता प्रदान करती हैं, अतः ध्वनियाँ का भाषा का भौतिक पक्ष कहा जाएगा। सूक्ष्म भाव भाषा की बौद्धिकता प्रदान करता है, इस कारण भाव अथवा अर्थ को भाषा का बौद्धिक पक्ष कहा जाएगा, अर्थात् भाषा के दो पक्ष हैं—भौतिक पक्ष एवं बौद्धिक अथवा मानसिक पक्ष। प्रत्येक पक्ष की अपनी अलग संरचना है। भाषा की संरचना इन दोनों पक्षों की संरचनाओं का योग है।


भाषा में ध्वनियाँ के माध्यम से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, अतः ध्वनियाँ भाषा का 'अभिव्यक्ति पक्ष' हैं। ध्वनियाँ द्वारा अभिव्यक्त अर्थ को अनुभूति पक्ष' कहा जा सकता है। इस प्रकार 'अभिव्यक्ति' एवं 'अनुभूति' की मिश्रित संरचना ही भाषा-संरचना कहलाती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ 'अभिव्यक्ति' एवं 'अनुभूति' शब्दों का वह अर्थ नहीं है जो अर्थ उनका साहित्य में है। यहाँ 'अभिव्यक्ति' से तात्पर्य ध्वन्यात्मकता से है और 'अनुभूति' का अर्थ ध्वनियाँ से प्रकट किसी भी प्रकार के आशय से है।

अभिव्यक्ति पक्ष का विश्लेषण करने पर यह बात विदित हो जाती है कि उसकी संरचना एक प्रकार की यौगिक संरचना है जो 'ध्वन्यात्मक संरचना' एवं 'वाक्यरणात्मक संरचना' के भाग से बनी है। 'ध्वन्यात्मक संरचना', 'ध्वनि-संरचना' और ध्वनिग्रामिक संरचना' का मिश्रित रूप है। सुविधा के लिए 'वाक्यरणात्मक संरचना' को 'रूपात्मक संरचना' और 'वाक्यात्मक संरचना' में विभाजित किया जा सकता है। अभिव्यक्ति पक्ष में एक अर्थ संरचना का योग भी दिखाई पड़ता है। यह संरचना, रूपात्मक एवं ध्वन्यात्मक संरचनाओं

के मध्य संपर्क स्थापित करती है इसे 'रूप ध्वनिप्राप्तिक संरचना' कहा जाता है। संपूर्ण अनुभूति पक्ष को 'अर्थ संरचना' का नाम दिया जाता है।

भाषा में एक अर्थ घटक का भी प्रयोग होता है वह है शब्दावली। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि भाषा और शब्द दो भिन्न वस्तुएँ हैं। भाषा एक प्रकार का ढाँचा अथवा व्यवस्था है, उस व्यवस्था के नियमानुसार शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार शब्द भाषाई नियमों के प्रयोग का साधन है।

निम्नांकित रेखा—चित्र में भाषा-संरचना को दर्शाया गया है।



ऊपर जिन संरचनाओं का उल्लेख किया गया है उनमें से कुछ संरचनाएँ मुख्य तथा कुछ अमुख्य अथवा गौण हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान ध्वनि-संरचना तथा अर्थ-संरचना को अमुख्य तथा शेष संरचनाओं (ध्वनिप्राप्तिक संरचना, रूपात्मक और वाक्यात्मक संरचना) को मुख्य मानता है।

अर्थ-संरचना का अमुख्य मानने का कारण यह है कि अर्थ अर्थात् 'अनुभूति' बसल भाषा-विज्ञान के अध्ययनों का ही विषय नहीं है। वह उन समस्त शास्त्रों के अध्ययन का विषय भी है जो मनुष्य के शैक्षिक अथवा मानसिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अनुभूति, दार्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि के अध्ययन का विषय है। फिर मूर्ख होने के कारण 'अनुभूति' का वैज्ञानिक अध्ययन कर पाना यदि असंभव नहीं तो असंभव कठिन अवश्य है।

ध्वनि-संरचना का अमुख्य मानने का एक कारण यह है कि ध्वनि भी बसल

भाषा के अतगत नहीं आती। भौतिक विज्ञान में ध्वनि का अध्ययन विश्लेषण होता है। इसके अतिरिक्त मानव मुख अगणित ध्वनियों का उच्चारण कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वे समस्त ध्वनियाँ भाषाई दृष्टि से महत्वपूर्ण हों।

( भाषा विज्ञान के अध्याय में उपयुक्त सरचनाओं का अधिक विवेचन किया गया है। )

## १५ भाषा के अंग

भाषा एक व्यवस्था अथवा पद्धति है। किसी भी व्यवस्था अथवा पद्धति का यह अनिवार्य गुण होता है कि उसमें एक से अधिक अंग होते हैं और वे परस्पर संबद्ध होकर किसी एक ही कार्य को संपन्न करते हैं। भाषा व्यवस्था में भी एक से अधिक अंग हैं जो परस्पर संबद्ध होकर विचार-संचार का कार्य संपादित करते हैं।

भाषा ध्वनियों की व्यवस्था है। अतः भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। किंतु कोई भी ध्वनि भाषा का कार्य संपादित नहीं कर सकती, क्योंकि अकेली ध्वनि निरर्थक होती है, उसके द्वारा किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। इस कारण उससे विचार-संचार का कार्य हो नहीं सकता। उदाहरणार्थ हिंदी की 'प', 'म', 'द' आदि ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति नहीं करती।

निरर्थक ध्वनियाँ ऐसे माध्यम क्रम में आती हैं ( प्रत्येक भाषा के अपने माध्यम क्रम होते हैं ) जिनमें अर्थवत्ता आ जाती है। अर्थ शब्दों में या कहा जा सकता है कि ध्वनियाँ ऐसे महत्वपूर्ण भाग बनाती हैं जिनसे अर्थ ध्वनित होता है। ध्वनियाँ के ऐसे महत्वपूर्ण भागों को सामान्य रूप से 'शब्द' कहा जाता है। ( या ये महत्वपूर्ण योग रूप, शब्द, पद आदि हो सकते हैं। )

साथक ध्वनि योगों से अर्थ बोध तो होता है किंतु विचार-संचार नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि विचार एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है। जब तक शब्दों में एक क्रमबद्धता उत्पन्न नहीं होती तब तक विचार-संचार नहीं हो सकता। शब्दों में क्रमबद्धता अर्थात् संबन्ध स्थापित करने के लिए शब्दों का माध्यम क्रम में रखकर उनके शब्द-योग बनाए जाते हैं जिन्हें सामान्य रूप से 'वाक्य' कहा जाता है। ( या शब्द-योग वाक्यांश आदि भी हो सकते

६ : ) शब्दों का महत्वपूर्ण भाग अर्थात् वाक्य बनाने में विषय प्रत्यय भाषा में भिन्न भिन्न होते हैं। वाक्य से एक एक अर्थ का अभिव्यक्ति हानी है जो विचार गणना में सहायक होता है। वाक्य से ही विचार गणना होता है। जब भाषा का वाक्य वाक्य के स्तर पर ही सम्मानित होता है। इस प्रकार 'वाक्य ही महा अर्थों में भाषाई इकाई है। ध्वनि और वाक्य के मध्य एक एक 'शब्द' का स्थान है। इस प्रकार ध्वनि, रूप शब्द, वाक्य एक अर्थ य भाषा के चार अंग हैं जिनके सम्मिलित रूप का नाम भाषा' है।

## १६ भाषा के तत्व

भाषा के अंग एक तत्वा के बीच अंतर करना सामान्य रूप से कठिन होता है। इसका कारण यह है कि भाषा के कुछ तत्व एके भी हैं जो भाषा के अंग भी हैं। फिर भी भाषा के अंगों एक तत्वा के बीच की भिन्नता का समस्त स्तर आवश्यक है। उदाहरणार्थ शरीर के अंग कहने से हाथ पांव, आंख, कान आदि का बोध होता है किंतु शरीर के तत्व कहने से रक्त मांस हड्डियों आदि एक पदार्थों पर ध्यान जाना है जिन से शरीर के समस्त अंगों की रचना हुई है। वैसे ही भाषा के तत्व अर्थात् वह सामग्री जिससे भाषा के समस्त अंगों की रचना हुई है। भाषा के दो तत्व हैं ध्वन्यात्मकता ( Sound Element ) एक अर्थवत्ता ( Meaning Element )। इन दोनों तत्वा के मिश्रण से भाषा के समस्त अंगों की रचना होती है। भाषा की लघुतम इकाई अर्थात् छोटे-से छोटा अंग ध्वनि है। भाषा की बृहत्तम इकाई या बड़े-से-बड़ा अंग वाक्य है। वाक्य का भाषा का लघुतम रूप भी कह सकते हैं। इन दोनों के मध्य रूप, शब्द, पद वाक्यांश आदि कई इकाइयाँ अथवा अंग हैं।

ध्वनि के अंगों की रचना तो सीधे ध्वनि तत्व से ही होती है, भाषा के अंग अंगों की रचना ध्वनि तत्व एक अर्थ तत्व के मिलने से होती है। ध्वनि एक अर्थ मिलकर रूप की रचना करते हैं। ध्वनि एक अर्थ के योग से ही शब्द एक अर्थ बनते हैं। अर्थ ( सही अर्थों में पदों ) के योग से वाक्य बनते हैं। इन्हीं में भी कह सकते हैं कि ध्वनि एक अर्थ मिलकर भाषा के लघुतम रूप अर्थात् वाक्य की रचना करते हैं। वाक्य को पदों अर्थ, रूपों एक ध्वनियों में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार ध्वनितत्त्व एक अर्थतत्व ही वे तत्व हैं जिनसे भाषा के समस्त अंगों का निर्माण होता है।

## १ ७ भाषा की विशेषताएँ

भाषा को सीमाबद्ध करने एवं उसकी संचारात्मक प्रकृति को समझने के पश्चात् अब भाषा की मुख्य विशेषताओं का समझा जा सकता है।

भाषा की विशेषताओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में भाषा की रचनागत विशेषताएँ आ जाती हैं एवं दूसरी श्रेणी में उसकी प्रकृतिगत अथवा स्वभावगत विशेषताओं की गणना की जा सकती है।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि रचना को विशेषताएँ स्वभाव की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य की रचनागत विशेषताओं में उसके शरीर की गठन का उल्लेख होगा, जिसमें मुख्य रूप से रक्त, अस्थियाँ, मांसपेशियों आदि का वर्णन होगा किन्तु उसकी स्वभावगत विशेषताओं में उसकी बौद्धिकता, तबशीलता, सामाजिकता, स्नेह, सहानुभूति आदि का वर्णन होगा। इसी प्रकार भाषा की रचनागत विशेषताओं में उन बातों का उल्लेख होता है, जिनमें भाषा की गठन का समझा जा सकता है और उसकी स्वभावगत विशेषताओं में उन बातों का वर्णन होता है जिनसे उसकी प्रकृति एवं व्यवहार को समझने में सुविधा होती है।

## १ ७ १ भाषा की रचनागत विशेषताएँ

### (क) उच्चरित ध्वनियाँ

भाषा विचार संचार की ध्वयात्मक प्रणाली है अर्थात् इस प्रणाली में विचार-संचार ध्वनियाँ के माध्यम से होता है। ये ध्वनियाँ अनिवाय रूप से उच्चरित हानी चाहिए। उच्चरित ध्वनियाँ से तात्पर्य ऐसी ध्वनियाँ से है जो उच्चारण-अथवा (मुख, जिह्वा आदि) के हतुपूर्वक प्रयोग से उत्पन्न की जाती हैं।

भाषा की इस विशेषता के कारण विचार-संचार की मूल क्रियाओं (यथा-हाय, आँख, झड़ो आदि से सचेत करना) तथा अनुच्चरित ध्वनियाँ (यथा-चुटकी बजाने, दरवाजा खटखटाने आदि की ध्वनियाँ) का भाषा में समावेश नहीं किया जाता।

### (ख) प्रतीकात्मकता

प्रतीक, उग चिह्न विशेष का कहते हैं, जो ऐसे वाशय को अभिव्यक्त करता है जो वाशय अनिवाय रूप से उसमें निहित न हो। उदाहरणार्थ कमल को

पवित्रता का प्रतीक कहा जा सकता है किन्तु वफ को ठडक का प्रतीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पवित्रता कमल का अनिवाय गुण नहीं है जब कि ठडक वफ का अनिवाय गुण है। प्रतीक मूल नहीं होता, वह किसी अन्य पदार्थ ( भाव आदि ) के लिए प्रयुक्त होता है। प्रतीक में मूल पदार्थ का अनुभव कराने की शक्ति होती है। प्रतीक पद्धति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के मध्य एक ऐसा ज्ञान्तरिक समझौता रहता है जिसके कारण एक व्यक्ति जिस आशय से किसी प्रतीक का प्रयोग करता है दूसरे व्यक्ति उस प्रतीक से वही आशय ग्रहण करते हैं।

भाषाई ध्वनियाँ, ध्वन्यात्मक प्रतीक ( Vocal Symbols ) हैं, जो अपन द्वारा किसी दूसरे आशय को अभिव्यक्त करत हैं।

यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि वास्तविक आशय ( वस्तु, भाव, इच्छा आदि ) और उस आशय के लिए प्रयुक्त होनेवाला शब्द ( ध्वनि समूह ) ये दो भिन्न वस्तुएँ हैं। आशय वास्तविक होता है किन्तु उस आशय के लिए प्रयुक्त शब्द उस आशय का कथन मात्र होता है। भूख शब्द वास्तविक भूख नहीं है वह भूख का कथन मात्र है। उसमें यह शक्ति है कि वह 'भूख' आशय को अभिव्यक्त करता है। यही प्रतीक का गुण एव कार्य होता है।

ध्वनि की इस प्रतीकात्मकता को ही ध्वनि की सायकता कहा जाता है। भाषाई ध्वनि तभी सायक कही जा सकती है, जब कि उसमें पथकत्व ( Aloofness ) का गुण हो। पथकत्व से तात्पर्य है ध्वनि का आशय की स्थिति से अनिवाय संबन्ध न हो। उदाहरणार्थ भूख शब्द का भूख की वास्तविक स्थिति से कोई अनिवाय संबन्ध नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि भूख शब्द का प्रयोग तभी किया जाय जब सचमुच भूख लगी हो। एक भिक्षारी मागते समय जब कहता है कि 'मैं भूखा हूँ' तब यह आवश्यक नहीं है कि वह उस समय भूखा ही हो। इस प्रकार 'भूख' आशय की स्थिति के अभाव में भी भूख ध्वनि से वही आशय ग्रहण किया जाता है।

भाषा की इस विशेषता के कारण ही तासा ( उद्देश्य हीन ) जम्हाई आदि में उदात्त ध्वनियाँ का भाषा में नहीं गिना जाता। इन ध्वनियों में प्रतीकात्मकता नहीं होती क्योंकि ये ध्वनियाँ अपने से परे अर्थ निर्मा आशय का अभिव्यक्त नहीं करती। ये ध्वनियाँ सही अर्थों में उच्चारित भी नहीं कही जा सकती क्योंकि इन ध्वनियों की अभिव्यक्ति उच्चारण अर्थों के हेतुत्वक प्रयोग में नहीं होती।

इस सदभ में 'चुवन' का विवेचन अनुचित न होगा ।

कुछ भाषा वैज्ञानिका का विचार है कि 'चुवन' एक उच्चरित ध्वनि है तथा अथ किसी भी भाषाई ध्वनि से अधिक सायक है, क्योंकि इसका अर्थ ता विद्व का प्रत्येक व्यक्ति समझ लेता है । इन लोगों के विचार से इस ध्वनि का भाषाई ध्वनि न मानने का कारण यह है कि आधुनिक भाषा विज्ञान में इस ध्वनि का अर्थयन विद्वलेपण करने की कोई युक्ति नहीं है ।

आधुनिक भाषाविज्ञान अपेक्षाकृत नवीन विज्ञान है, इस कारण वह पूणता का दावा तो नहीं कर सकता किन्तु 'चुवन' का भाषाई ध्वनि न मानने का कारण आधुनिक भाषाविज्ञान की यूनता नहीं बल्कि स्वयं 'चुवन' में भाषाई गुणों का यूनता है ।

सबसे पहली बात तो यह है कि 'चुवन' एक क्रिया है, ध्वनि नहीं है । यदि उसमें से किसी ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है ( जो कि अनिवाय नहीं है क्योंकि बिना ध्वनि उत्पन्न किए भी चुवन हो सकता है ) तो वह उस क्रिया से उत्पन्न महज ध्वनि है, हेतुपूर्वक उत्पन्न की गई ध्वनि नहीं है । इस दृष्टि से 'चुवन' से उत्पन्न ध्वनि उस ध्वनि के ही समान है, जो किसी को जोर से चाटा मारने पर उत्पन्न हो सकती है ।

भाषाई ध्वनि की दूसरी विशेषता है प्रतीकात्मकता । यह पहले ही बताया जा चुका है कि ध्वनि की प्रतीकात्मकता उसकी पथकता से ही सिद्ध होती है । 'चुवन' की ध्वनि में यह गुण भी नहीं है ।

तथ्य यह है कि चुवन क्रिया से चाहे जो भी आशय अभिव्यक्त होता हो, 'चुवन' से उत्पन्न ध्वनि से कोई आशय अभिव्यक्त नहीं होता, फिर भी यदि किसी सुननेवाले को इस ध्वनि से किसी आशय ( स्नेह आदि ) की अनुभूति होती भी है तो उसमें पथकत्व का गुण नहीं है । 'चुवन' से उत्पन्न ध्वनि का 'चुवन' क्रिया से अनिवाय संबन्ध है । 'चुवन' क्रिया के अभाव में या तो इस ध्वनि की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती या फिर उससे स्नेह आदि आशय की अनुभूति नहीं होती । इस प्रकार इस ध्वनि में प्रतीकात्मकता नहीं है, और इसलिए इस ध्वनि को सायक ध्वनि नहीं कहा जायगा । सही अर्थों में इसे मात्र ऊपर से सुनी हुई ( Overheard ) ध्वनि समझना चाहिए । वस्तुस्थिति यह है कि भावों ( सुख, दुःख आदि ) की तीव्रता के कारण कुछ ध्वनियाँ अनायास ( हेतुपूर्वक नहीं ) ही प्रस्फुटित हो जाती हैं । ये ध्वनियाँ सबद्ध क्रियाओं और भावों से अनिवाय रूप से जुड़ी रहती हैं और उन क्रियाओं और भावों की स्थिति के अभाव में कोई अर्थ नहीं



दती। अतः इन ध्वनियाँ में प्रतीकार्थकता नहीं होती, इस कारण ऐसी ध्वनियों का भाषाई ध्वनियाँ नहीं कहा जायगा। 'चुवन' से उत्पन्न ध्वनि को भी अधिक स अधिक चुम्बन क्रिया और स्नेह आदि भाव का जग माना जा सकता है भाषाई ध्वनि नहीं और जब यह ध्वनि भाषाई नहीं है तब भाषा विज्ञान में उसके अध्ययन का प्रश्न ही नहीं उठता।

### ( ग ) ऐच्छिकता

पूव परिच्छेद में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि प्रत्येक भाषाई ध्वनि एक प्रकार का प्रतीक है जो कि सा विनियोग आशय ( पदार्थ भाव इच्छा आदि ) के लिए प्रयुक्त होती है। अब प्रश्न यह है कि एक ध्वनि प्रतीक एवं उसके आशय में जो संबंध है वह किस प्रकार का है? ऐच्छिकता इस प्रश्न का उत्तर देता है।

ऐच्छिकता (Arbitrariness) से तात्पर्य है कि ध्वनि प्रतीक ( शब्द रूप स शब्द ) एवं तत्संबंधी आशय में कोई तार्थिक अथवा तार्किक संबंध नहीं है। अर्थात् ध्वनि प्रतीक ऐच्छिक ( Arbitrary ) है। उदाहरणार्थ एक प्राणी विनियोग है जिस हिंदी भाषा में 'घोड़ा' शब्द ( ध्वनि प्रतीक ) से अभिव्यक्त किया जाता है। उस वास्तविक प्राणी एवं 'घोड़ा' शब्द में कोई सहजात अथवा तार्किक संबंध नहीं है, अर्थात् यह अनिवार्य नहीं है कि इस प्राणी के लिए कबल इस शब्द विनियोग का ही प्रयोग हो। अन्य किसी भी शब्द का इस प्राणी के लिए प्रयोग किया जा सकता था। यह मात्र एक ऐतिहासिक घटना है कि एक विशेष समुदाय के व्यक्ति इस प्राणी विनियोग के लिए इस शब्द विनियोग का प्रयोग करते हैं। यदि ध्वनि प्रतीक ( शब्द ) एवं उससे अभिव्यक्त आशय ( पदार्थ ) में कोई सहजात अथवा तार्किक संबंध होता तो प्रत्येक पदार्थ के लिए सब भाषाओं में समान ध्वनिप्रतीक अर्थात् शब्द का प्रयोग होता किंतु ऐसा है नहीं। हम जानते हैं कि एक ही पदार्थ का विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ जिस प्राणी को हिन्दी में घोड़ा कहा जाता है उसी का अंग्रेजी में हॉर्स संस्कृत में अश्व कहा जाता है।

ध्वनि प्रतीक एवं उससे संबंध आशय का संबंध पद्ध अथवा परंपरागत ( Traditional ) होता है। किसी विनियोग ध्वनि प्रतीक ( शब्द ) से एक विनियोग अथ ग्रहण करने की परंपरा चल पड़ती है और इस प्रकार उसका अर्थ रूढ़ हो जाता है।

कुछ लोग अनुकरणार्थक शब्दों ( यथा— का का ध्वनि का अनुकरण पर 'काका' शब्द का निर्माण ), सिंगुलर शब्दों ( यथा—मा मा, पा पा आदि )

तथा भाषाभिध्यक्त शब्दों ( यथा—आह, ओह आदि ) के आधार पर शब्दों की ऐच्छिकता के प्रति शका प्रकट करते हैं। उन लोगों के कथनानुसार ऐसे शब्दों में ध्वनि प्रतीक एव उनसे अभिव्यक्त आशय में एक प्रकार का सहजात सबध होता है।

तथ्य यह है कि इस प्रकार की शका प्राचीन भाषावैज्ञानिका द्वारा कभी उठाई गई थी किन्तु आज यह शका ऐसी निराधार समझी जाती है कि कोई भाषावैज्ञानिक, इसे उठाने का विचार नहीं करता। कारण यह है कि स्वयं ऐसे शब्द किसी भी भाषा में इतने घाटे हैं कि उन छोटे से शब्दों के आधार पर भाषा की इस मूलभूत विशेषता को नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि स्वयं ऐसे शब्दों में ध्वनि आशय का सबध सहजात न हाकर आकस्मिक है। यदि यह सबध सहजात अथवा तार्किक होता तो फिर ससार की सब भाषाओं में कम से कम ये शब्द समान होते किन्तु ऐसा नहीं है। कौवे ता हर स्थान पर 'का का' करते होंगे लेकिन ससार की सभी भाषाओं में उसे 'कागा' नहीं कहा जाता। अतः ध्वनि प्रतीकों की ऐच्छिकता निर्विवाद है।

जब ध्वनि प्रतीक एव आशय के बीच में कोई तार्किक अथवा सहजात सबध ही नहीं है तब इस भ्रम के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता कि अमुक आशय के लिए अमुक ध्वनि प्रतीक ( शब्द ) उचित है और अमुक उचित नहीं है।

भाषा की इस विशेषता के कारण ही ससार में अनेक भाषाएँ हैं। यदि प्रतीका में ऐच्छिकता का गुण न होता—अर्थात् एक विशेष आशय एव ही विशेष ध्वनि प्रतीक से अभिव्यक्त होता—तो ससार में मात्र एक ही भाषा होती, किन्तु ससार में एक नहीं अनेक भाषाएँ हैं।

### (घ) क्रमबद्धता

भाषा का कार्य है विचार-विनिमय और उस विचार विनिमय का भौतिक माध्यम है ध्वनियाँ। ध्वनियों में विचार अभिव्यक्त करने या विचार ग्रहण कराने का सामर्थ्य होता है। ध्वनियों के इसी गुण को ध्वनियों की सार्थकता कहा जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि यह विचार अभिव्यक्त करने की शक्ति 'ध्वनियों' में है, 'ध्वनि' में नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भाषावादी ध्वनि अपने आप में सार्थक नहीं होती, ध्वनियों के समूह अथवा योग ( जिन्हें भाट रूप से शब्द कहा जाता है ) का सार्थक होना है। जब एक या

एक से अधिक ध्वनियाँ 'विशिष्ट याग' ( Significant Combination ) अथवा 'समष्टि' बनाती हैं सभी उनसे विचार अथवा अर्थ की अभिव्यक्ति हासिल है। उदाहरणार्थ हिन्दी की ई ध्वनि का कोई अर्थ नहीं है वैसे ही हिन्दी का 'ग' ध्वनि भी निरर्थक ही है किन्तु इनका याग 'ईग' से एक विशिष्ट अर्थ का अभिव्यक्ति होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक स्वतन्त्र ध्वनि का अर्थ हासिल होता है, यथा हिन्दी की 'आ' ध्वनि जिसका अर्थ है 'आया'। ऐसा स्थिति में एक स्वतन्त्र ध्वनि, ध्वनि योग का-सा कार्य करती है। प्रश्न यह है कि 'निरर्थक ध्वनियाँ क्या याग में साधकता कहाँ से आती हैं ? इस साधकता का कारण है उनका एक विशेष क्रम से आना। यह 'विशिष्ट क्रमबद्धता' ( Particular Order ) है उनमें साधकता का गुण उत्पन्न कर उन्हें प्रतीक बनाता है। उदाहरणार्थ 'ई' और 'ग' ध्वनियाँ के याग में सभी साधकता उत्पन्न हुई है जब 'ई' के पश्चात् 'ग' ध्वनि आती है। यदि इन ध्वनियों का क्रम बदल दिया जाय अर्थात् 'गई' \* कर दिया जाय तो यह योग हिन्दी भाषा में ऐसा ही निरर्थक समझा जायगा जसा कि 'ई और ग' की स्वतन्त्र ध्वनियों में समझा जाता है।

यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि ध्वनियों का क्रमबद्धता वं सबध में प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। एक भाषा में जो क्रम भाग्य है वह दूसरी भाषा में अभाग्य हो सकता है। उदाहरणार्थ हिन्दी में 'क' एवं 'ल' का योग 'कल' तो भाग्य है किन्तु इसका विपरीत योग 'लक' भाग्य नहीं है, जब कि यह योग अंग्रेजी में भाग्य है एवं उसका अर्थ है 'भाग्य' ( Luck )।

भाषा की इस विशेषता के कारण ही क्रम रहित अथवा अभाग्य क्रम में प्रयुक्त ध्वनियों भाषा का रूप नहीं धारण करती।

इससे पूर्व के परिच्छेदों में ध्वनियों की जिस प्रतीकात्मकता तथा ऐच्छिकता का वर्णन किया गया है, वे गुण विशिष्ट ध्वनि-योगों के हैं किसी स्वतन्त्र ध्वनि के नहीं।

### (इ) व्यवस्था

एक भाषा में सलग्न विभिन्न अंगों के पारस्परिक सबध की ही व्यवस्था ( System ) कहा जाता है। इस प्रकार किसी भी व्यवस्था में एक से अधिक अंग होते हैं एवं उनका एक दूसरे से निश्चित सबध रहता है।

\* इससे चिह्नित शब्द बाल्पनिक है, वास्तविक नहीं।

इस दृष्टि से भाषा एक व्यवस्था है। भाषा व्यवस्था के विभिन्न अंग हैं—  
ध्वनियाँ, शब्द, वाक्य अर्थ, और इन विभिन्न अंगों का एक दूसरे से मुनिश्चित  
एवं नियमित संबंध है।

भाषा की व्यवस्था के दो स्पष्ट प्रमाण हैं। एक तो यह कि भाषा यदि  
व्यवस्थित न होती तो उसका एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग सम्भव न  
होता। दूसरा, यदि भाषा में व्यवस्था न होती तो भाषा का वानिक पद्धति से  
अध्ययन सम्भव न होता। भाषा की निश्चित व्यवस्था ने ही भाषा का मशीनी  
अध्ययन ( विभिन्न यंत्रों की सहायता से किया जाने वाला अध्ययन ) सम्भव  
बनाया है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक भाषा की अपनी निजा  
व्यवस्था होती है जो दूसरी भाषा की व्यवस्था से भिन्न होती है।

### (च) संपर्क

भाषा एक प्रकार की विचार-संचार प्रणाली है। इसके द्वारा एक समुदाय  
के व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। यहाँ संपर्क से तात्पर्य है कि  
एक भाषा समुदाय का व्यक्ति जो 'आशय' 'अभिव्यक्त' करता है, उस समुदाय  
का दूसरा कोई भी व्यक्ति उस आशय को ग्रहण कर सकता है।

साकेतिक प्रणाली की यह एक अनिवाय विशेषता होती है कि उस प्रणाली  
का प्रयोग केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो उस प्रणाली के संकेतों के अर्थ  
को ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरणार्थ स्काउट झडिया की एक साकेतिक प्रणाली  
का प्रयोग कर एक दूसरे का संदेश भेजते हैं। अब इस प्रणाली का प्रयोग केवल  
वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो झडिया के उन संकेतों के अर्थ को जानते हैं।  
यही बात भाषा की है। एक भाषा का प्रयोग एक विशेष मनुष्य समुदाय ही  
कर पाता है दूसरा नहीं। इसी से विभिन्न समुदायों की विभिन्न भाषाएँ होती  
हैं और प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न होती है।

## १७२ भाषा की स्वभावगत विशेषताएँ

### (क) अर्जित व्यवहार

'भाषा की परिभाषा का विवेचन करते हुए यह बात स्पष्ट कर दी गई है  
कि भाषा एक प्रकार का मानवीय व्यवहार है।

मनुष्यों के समस्त व्यवहारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता  
है। एक श्रेणी में उसके वे व्यवहार आते हैं जिनके संपादन में उसके प्राकृतिक  
ज्ञान का प्रभाव रहता है। इन व्यवहारों को सीखने की आवश्यकता नहीं

पड़ती है। हाँ, यदि उन व्यवहारों की गिना दी जाती है तो कम समय में एव अधिक सुगम ढंग से उनका संपादन किया जा सकता है। तान पाने, चलने, बटने, रोने गाने चिल्लाने आदि के व्यवहार इनके उदाहरण हैं। ऐसे व्यवहारों को 'प्राकृतिक' अथवा 'प्रवृत्त्यारम्भ व्यवहार' (Instinctive Behaviour) कहा जाता है। ये व्यवहार प्रायः समस्त प्राणियों में समान होते हैं। इस कारण ऐसे व्यवहारों को 'प्राणी-व्यवहार' (Animal Behaviour) भी कहा जाता है।

मनुष्य के दूसरे व्यवहार ऐसे हैं जिन्हें सीखना पड़ता है बिना सीखे उन व्यवहारों का संपादन नहीं हो सकता। इस कारण इन व्यवहारों को अज्ञित व्यवहार (Learned or Acquired Behaviour) कहा जाता है। उदाहरणार्थ बाजा बजाना मनुष्य को तभी आ सकता है जब वह उस सीख ले। साधारणतः मनुष्य के इन विविध व्यवहारों को ही मानवीय व्यवहार (Human Behaviour) की संज्ञा दी जाती है।

भाषा की गणना दूसरे प्रकार के व्यवहारों में की जाती है अर्थात् भाषा मनुष्य द्वारा संपादित गया व्यवहार है जो अज्ञित अथवा सीखा हुआ है।

एक समय था जब ऐसा सोचा जाता था कि भाषा प्राकृतिक है। जिस प्रकृति ने मुख, जिह्वा आदि उच्चारण अवयव दिए हैं उसी ने उन अवयवों का प्रयोग करना भी सिखा दिया है। अपनी घात को पुष्ट करने के लिए इस प्रकार से साबने वाले, यह तक दिया करते थे कि मनुष्येतर प्राणी बिना सिखाए ही बोल लेते हैं तब मनुष्य—जो सब प्राणियों में श्रेष्ठ है—का ही भाषा सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? ऐसे लोग यह भी कहते थे कि बालक को कोई भाषा नहीं सिखाता फिर भी बालक भाषा बोलने लगता है अर्थात् भाषा प्राकृतिक है।

अब इस प्रकार से सोचना हास्यास्पद सा लगता है। आधुनिक भाषा विज्ञान के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गई है कि मुख, जिह्वा आदि तथाकथित उच्चारण अवयवों का प्रथम (Primary) एव अनिर्वाय काय उच्चारण करना नहीं है। यह उनका गौण (Secondary) एव वकल्पिक (Optional) काय है। मनुष्य ने अपने शरीर के अनेक अंगों को ऐसे कई काय सिखा लिए हैं जो उनके प्रथम अर्थात् मुख्य काय नहीं हैं। उदाहरणार्थ पंखों को नृत्य करने का एव हाथों को बाजा बजाने का काय मनुष्य ने सिखाया है। या इन अंगों को प्रथम काय नहीं है। वैसे ही मुख का मुख्य काय भोज्य पदार्थ को चबाना है जिह्वा इस काय में उसकी सहायता करती है। उच्चारण क्रिया, इन

अवयवों की वकल्पित एक अर्जित क्रिया है। यह काय मनुष्य ने इन अवयवों का सौंपा है, प्रकृति ने नहीं। वास्तविकता यह है कि प्रकृति ने मनुष्य को उच्चारण अवयव नहीं दिए हैं। मनुष्य ने कुछ अंगों का (जो अंग यह काय कर सकते थे) उच्चारण का काय सिखा दिया और वे जग 'उच्चारण अवयव' कहलाने लगे।

यह बात उतनी तकपूण है नहीं जितनी तकपूण लगती है कि जब अंग प्राणी बिना सिखाए ही बोल लेते हैं तब मनुष्य बिना सिखाए क्यों नहीं बोल पाएगा ?

वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता इस बात पर आधारित नहीं है कि वह अंग प्राणियों के सौंपे हुए अंगों का उपयोग कर पाता है अथवा नहीं। घोड़े और गाय का बच्चा बिना सिखाए ही पैर चला सकता है किन्तु बिना सीखे बच्चा तो क्या बसक एक प्रौढ़ मनुष्य भी नहीं कर सकता। बिना सीखे पैर न चलाने की यह अयोग्यता मनुष्य को गाय और घोड़े से हीन सिद्ध नहीं करती। प्राणी होने के बावजूद भी मनुष्य एक भिन्न जाति का प्राणी है इसलिए यह स्वाभाविक एक संभव है कि यह ऐसे कई व्यवहार न कर सके जो अंग प्राणी कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ उपाधिधारी यह जोब न तो चिड़िया के समान उड़ पाना है और न ही बतख के समान पानी के ऊपर तैर सकता है।

यह साचना भी सही नहीं है कि समस्त प्राणी 'भाषा' बोलते हैं। यह सत्य है कि प्रत्येक प्राणी 'कुछ' बोलता है—बोल सकता है—किन्तु हर प्राणी का वह 'कुछ' भाषा नहीं है। भाषा की जो रचनागत विशेषताएँ हैं वे मनुष्येतर प्राणियों की बाली में प्रायः नहीं मिलती। अतः समस्त प्राणियों में भाषा की शक्ति तो है किन्तु भाषा की शक्ति मनुष्य में है।

यहाँ 'व्यवहार' और 'व्यवहार की शक्ति' के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। पग उठाने की तथा बूढ़ने की शक्ति मनुष्य में प्राकृतिक है किन्तु नंग (जो पग उठाने की एक व्यवस्था है) एक अर्जित व्यवहार है। मनुष्य अपने प्राकृतिक अंगों से पग उठा सकता है, बूढ़ सकता है किन्तु बिना सीखे वह नृत्य नहीं कर सकता। अतः यह कहा जा सकता है कि नृत्य (पग उठाने) की शक्ति मनुष्य में प्राकृतिक है किन्तु (नृत्य पग उठाने की व्यवस्था) एक अर्जित व्यवहार है। इसी प्रकार बालने अथवा बाणी की शक्ति तो प्राकृतिक है किन्तु भाषा, जो उस शक्ति द्वारा संपादित क्रिया है एक अर्जित व्यवहार है।

इस बात को ध्यान में रखकर बिना सीखे बोलने की। इस संबंध में किए गए अनेक

प्रयोगों से यह निश्चय हो चुका है कि बालक भी गीगने के पश्चात् ही बोलता है। हाँ, उसका यह गीगना बेतन्त्रा पूर्वक (Consciously) नहीं होता।

उत्तर में यों कहा जा सकता है कि भाषा प्रकृति प्राप्त अथवा जन्मजात वस्तु नहीं है, यह समाज में रहकर सीखी एवं प्राप्त का ही फल है।

### ( ए ) अनुकृत व्यवहार

एक परिष्कृत में यह बताया जा चुका है कि भाषा एक मात्र व्यवहार है। मनुष्य इस व्यवहार को दूसरों से सीखता है।

जिसी व्यवहार को सीखने की अनेक विधियाँ हैं अनुकरण की विधि उनमें से एक है। इस विधि में 'किस प्रकार के व्यवहार करें' की समस्या नहीं रहती। समस्या रहती है 'कैसे उम जैसा व्यवहार करें'। इस विधि में दूसरों के व्यवहार को ज्यों का त्यों करने का प्रयत्न किया जाता है इस कारण इस विधि का अनुकरण की विधि कहते हैं। अनुकरण से किए गए व्यवहार का 'अनुकृत व्यवहार' अनुकरण करने वाले को अनुकारक (अनुकरणकर्ता) एवं जिसका अनुकरण किया जाए उसे अनुकरणात्मक कहा जाएगा।

अनुकरण दो प्रकार में किया जा सकता है। एक सायास (Consciously) और दूसरा अनायास (Unconsciously)। सायास अनुकरण वह है जिसमें अनुकारक इच्छापूर्वक अनुकरणात्मक के व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है। यथा, किसी एक व्यक्ति का चित्र बनाता हुआ दूसरे दूसरा व्यक्ति यथा हाँ चित्र बनाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार के अनुकरण में अनुकारक को पता रहता है कि वह अनुकरण कर रहा है। अनायास अनुकरण वह है जिसमें अनुकारक को प्रत्यक्षरूप से यह अनुभव नहीं होता कि वह किसी के व्यवहार का अनुकरण कर रहा है। उदाहरणार्थ—बालक को यह अनुभव ही नहीं होता कि उसका लिखावट का रूप गुरुजी की लिखावट के समान होता जा रहा है।

भाषा अनुकृत व्यवहार है। यह अनुकरण से सीखी जाती है। बालक के आसपास लोग भाषा बोलते हैं। कभी-कभी वे बालक से भी बोलते हैं। बालक उनके इस व्यवहार को देखता निरखता रहता है एवं वसा ही व्यवहार करने (भाषा बोलने) का प्रयत्न करता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब उम अपने प्रयत्न में पूर्ण सफलता मिलती है। अतः वह उस भाषा को बोलने लगता है। अनुकरण से सीखी का सबसे सुन्दर उदाहरण है प्रत्यक्ष भाषा की 'शिशु शब्दावली' (Nursery words)। ये शब्द प्रायः माता पिता, भाई आदि निकट संबंधियों को सूचित करते हैं। ऐसे शब्दों का विश्लेषण करने से यह

मान हुआ है कि ऐसे शब्दों में प्रायः ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनियों ( प, ब, म ) तथा दंत्य ध्वनियाँ ( त, द, न ) का उदासीन स्वर ( अ आ, जिन स्वरों में होठों को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता ) के साथ प्रयोग हुआ है। यथा, अंग्रेजी के शब्द पापा ( Papa ), मामा ( Mamma ), संस्कृत—माता पिता, भ्राता, जमन—महो, फारसी—मादर, अल्बानियन—अम, हिब्रू—एम, हिंदी—बाबा, दादा, नाना तुर्की—बाबा इटालियन—बाबो, बास्क—अम आदि।

ऐसे शब्दों के संबंध में भाषा वैज्ञानिकों का विचार है कि बच्चा माता, पिता आदि निकट रहने वाले लोगों को बाल्यकाल में ही हिलाते हुए देखता है। उनकी इस क्रिया का अनुकरण करता हुआ वह हीठ हिलाने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप इन शब्दों का अनायास निर्माण हो जाता है। वास्तव में बच्चे के लिए इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, बच्चे के निकट संबंधी उन शब्दों को अपने से संबंधित कर लेते हैं और अनुमान करने लगते हैं कि बच्चा उन्हें संबोधित करते हुए इन शब्दों का उच्चारण कर रहा है।

कुछ भाषावैज्ञानिकों का यह कहना सही नहीं है कि मातृभाषा अनुकरण से सीखी जाती है एवं अन्य भाषाएँ बौद्धिक प्रयत्न से। वास्तव में समस्त भाषाओं के सीखने की प्रक्रिया समान होती है। मातृ भाषा ही अथवा इतर भाषा ( Other Language ), सीखी वह अनुकरण से ही जाती है। दोनों के सीखने में अंतर केवल इतना ही है कि मातृभाषा अनायास अनुकरण से एवं अन्य भाषाएँ सायाम अनुकरण से सीखी जाती हैं। मातृ भाषा बाल्यकाल में सीखते समय—बालक का यह मान नहीं रहता कि वह दूसरों के समान बोलने का प्रयत्न कर रहा है किंतु अन्य भाषा सीखते समय, सीखने वाले को यह ध्यान रहता है कि 'इस प्रकार से बोलना है।

भाषा की इस विशेषता से अपरिचित होने ( अथवा उसकी उपेक्षा करने ) के कारण हम जब मातृभाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा सीखते हैं तब संबोधित भाषा भाषियों के बोलने का अनुकरण करने की अपेक्षा उस भाषा की व्याकरणगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसका अनिवाय परिणाम यह निकलता है कि व्याकरणात्मक नियमों के पर्याप्त ज्ञान होने के बावजूद हम संबोधित भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं जो संबोधित भाषा भाषियों को बड़ा ही विचित्र लगता है। कभी कभी तो वे ऐसा भी अनुभव करने लगते हैं कि हम उनकी भाषा ही नहीं बोल रहे हैं। इस संबंध में अंग्रेजी का उदाहरण दिया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई एक विचार गोष्ठी में बोलते हुए एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड एब्रहाम्बे ने कहा "भारत में बोलती



जाने वाली अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बोधगम्य नहीं है"।\* इसका तात्पर्य यह है कि भारतवासी ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं जो अंग्रेजी भाषा भाषियों का समझ में ही नहीं आती। कहना न होगा कि इसका मुख्य कारण अनुकरण की कमी ही है।

इस अवधि में दा मत नहीं हो सकते कि भाषा एक अनुकृत व्यवहार है। मातृ भाषा है अथवा इतर भाषा दोनों का सीला अनुकरण में ही होता है।

### (ग) सामाजिक व्यवहार एव सामाजिक संस्था

भाषा एक सीला हुआ व्यवहार है। यह व्यवहार समाज में रहकर मात्रा जाता है तथा समाज में रहकर बिया जाता है। समाज क अभाव में भाषा का अस्तित्व संभव नहीं है। भाषा क लिए समाज की इन अनिवार्यता क कारण ही भाषा को सामाजिक व्यवहार कहा जाता है।

भाषा न केवल एक सामाजिक व्यवहार है अपितु वह एक सामाजिक संस्था (Social Institute) भी है। सामाजिक संस्था उस सामाजिक व्यवस्था को कहते हैं जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं।

सामाजिक संस्था अमूर्त होती है। उसकी प्रकृति स्थाई होती है। सामाजिक संस्था का निर्माण नहीं होता, उसका मात्र विकास होता है। प्रत्येक सामाजिक संस्था का एक निश्चित ढांचा होता है तथा उसकी सदस्यता ऐं छक नहीं जाती।

उपरोक्त संस्त लक्षण भाषा में विद्यमान है। भाषा अमूर्त एव स्थायी होती है। अर्थात् न ता भाषा को प्रत्यक्ष रूप से दया जा सकता है और न ही ऐसी समाज की कल्पना की जा सकती है जो भाषाविहीन हो। स्वाभाविक भाषा का निर्माण नहीं उसका मात्र विकास ही होता है। प्रत्येक भाषा का एक अपना ढांचा होता है तथा एक भाषा समुदाय क प्रत्येक सदस्य को अनिवार्य रूप से संबंधित भाषा का प्रयोग करना पता है।

कुछ भाषा बान्तिका ने भाषा को सामाजिक कृत के साथ-साथ उसकी असामाजिक अथवा व्यक्तिपरक स्थिति का भी वर्णन किया है। एक के कथनानुसार जब "यक्ति अकेले में सोचता है तब वहा समाज का अस्तित्व नहीं रहता।

\* 'English Spoken in India was not very intelligible internationally'

(Prof. David Abercrombie)

From Hindustan Times of India 18 2 69

दूसर ने भाषा के 'व्यक्तिपरक' व्यवहारों में वचने का निरर्थक जल्पना, 'व्यक्ति का एकान्त में गाना, सोचते समय बोलना, गणना करते समय मध्याह्निक को जार-जोर से कहना, इंजीनीयर का नक्शा देखकर मकान की रचना के सवध में अपने से ही बात करना आदि व्यवहारों का उल्लेख किया है। इस लेखक ने 'व्यक्ति का 'व्यक्ति से' व्यवहार को भी 'व्यक्ति का समाज से' व्यवहार से भिन्न माना है।

उपरोक्त उदाहरणों का विश्लेषण करना जरूरी है, जिससे पता चल सके कि भाषा सामाजिक के साथ साथ 'असामाजिक' अथवा व्यक्तिपरक भी हो सकती है।

यह बात सत्य है कि भाव और भाषा का आपस में घनिष्ठ संबंध है फिर भी भाव एवं भाषा दो भिन्न वस्तुएँ हैं। भाषा का अस्तित्व तभी संभव बनता है जब भाव ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। जब कोई व्यक्ति (स्वयं एवं साधारण) अकेला बैठा सोचता है तब वह ध्वनियाँ का उच्चारण नहीं करता। ध्वनियों के अभाव में भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती और जब भाषा ही नहीं तब उसकी असामाजिकता—सामाजिकता का प्रश्न ही कहा जाता है ?

अब उदाहरणों की चर्चा करने से पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भाषा में संपर्क स्थापित करने की क्षमता होती है, विचार विनिमय उसका अनिवार्य फल नहीं है। एक वक्ता जब भाषण करता है तब श्रोता मात्र बड़े सुनते हैं। इस स्थिति में वक्ता एवं श्रोताओं के मध्य मात्र संपर्क स्थापित होता है। किसी प्रकार का विचार विनिमय नहीं होता।

ऊपर कहा गया है कि भाषा में संपर्क स्थापित करने की शक्ति होती है। हमसे तात्पर्य यह है कि भाषा से संपर्क स्थापित हो सकता है अर्थात् ऐसा व्यवहार जिसमें कोई तात्कालिक एवं प्रत्यक्ष संपर्क न भी स्थापित होता है लेकिन जिस व्यवहार में संपर्क स्थापित करने की क्षमता है उसे 'व्यवहार को भाषा ही कहा जायगा। यहाँ 'संपर्क' का अर्थ एक से अधिक 'व्यक्तियों के मध्य 'बौद्धिक संबंध से है, और 'एक से अधिक संबंधित व्यक्ति' समाज कहलाने हैं। अतः संपर्क सदैव सामाजिक स्थिति का घटक है।

अब नयावधि असामाजिक स्थितियों को लीजिए।

वक्ता यदि निरर्थक ध्वनियाँ (अर्थात् ध्वनि समूह) का उच्चारण करता रहता है तो यह स्थिति असामाजिक नहीं, अभाषाई है। (जल्पना का

साधारण अथ निरर्थक वक्तृता ही होता है।) यदि वह साथक ध्वनि समूहों ( शब्द, वाक्य आदि ) का उच्चारण करता रहता है तो भाषा के रूप में उसका यह व्यवहार भी सामाजिक है क्योंकि यदि कोई वक्त्र के उस जल्पने को सुनेगा तो वह वक्त्र द्वारा उच्चरित ध्वनि समूहों से अथ ग्रहण कर लगे, और ऐसी स्थिति में वक्त्र एव उस श्रोता के मध्य एक धौंडिक संबंध स्थापित हो जायेगा। यही नियम गणना करते समय अथवा सोचते समय बोलने तथा एकांत में गाने पर लागू होता है। एक उदाहरण से इस बात को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। एक गायक साउण्ड स्ट्यूडियो में ग्रामोफोन रिकार्ड भरवाने के लिए एक गीत गाता है। जिस समय वह गीत गाता है उस समय उसका गीत कोई नहीं सुनता ( अपवाद, स्ट्यूडियो ओपरेटर ), किंतु इससे उसका यह भाषाई व्यवहार ( गीत गाना ) असामाजिक अथवा व्यक्तिगत नहीं बन जाता। बात यह है कि गीत गाते समय चाहे गायक का किसी से संपर्क स्थापित नहीं होता, उसके गीत में संपर्क की शक्ति निहित है। जहाँ वही और जब कभी, वह रिकार्ड बजाया जायगा श्रोता ( जो उस भाषा को जानते हैं ) उसके अर्थ का ग्रहण कर लेंगे और तब गायक और श्रोता के मध्य संपर्क स्थापित हो जायगा। अतः एकांत में गाया हुआ गीत अथवा स्वगत कथन व्यक्तिगत नहीं बरन् सामाजिक है। फिर 'व्यक्ति का व्यक्ति से व्यवहार ता निःसंदेह सामाजिक है। व्यक्ति जब व्यक्ति से व्यवहार करता है तब उस स्थिति में एक से अधिक व्यक्ति ( दो ) हो गए। ज्योंही एक से अधिक व्यक्ति ( परस्पर संबंध रखने वाले ) हुए त्योंही समाज का निर्माण हुआ। दो व्यक्ति भी समाज का निर्माण करते हैं। पति-पत्नी ( जिनका सत्तान न हो ) दो ही व्यक्ति हैं, किंतु उनके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनका संबंध असामाजिक अथवा व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध है।

इस प्रकार कथन का वह प्रत्यक्ष क्रिया भाषा के क्षेत्र में जा जाती है जिसमें संपर्क स्थापित करने की शक्ति है और क्योंकि संपर्क सदैव सामाजिक स्थिति का परिचायक है इस कारण प्रत्यक्ष भाषाई व्यवहार सामाजिक व्यवहार है।

### (घ) अवैयक्तिकता

भाषा अवैयक्तिक है अर्थात् न तो कोई एक व्यक्ति भाषा का निर्माण कर सकता है और न ही उसका विनाश। इसका अर्थ यह न समझना चाहिए कि व्यक्ति भाषा का निर्माण नहीं करता इसलिए प्रकृति उसका निर्माण करती है।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि भाषा प्रकृति प्रदत्त नहीं है, मनुष्य भाषा को अर्जित करता है—सीखता है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म से ही एक सांस्कृतिक परंपरा प्राप्त होती है। भाषा सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। अतः भाषा मनुष्य को परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि 'वश परंपरा' एवं 'सांस्कृतिक परंपरा' दो भिन्न बातें हैं। वश परंपरा से जा चीजें प्राप्त होती हैं, उनके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे वश परंपरा के शरीर की रचना, रंग आदि प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत सांस्कृतिक परंपरा से मिलने वाली वस्तुओं के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। वे अर्जित करनी पड़ती—सीखनी पड़ती हैं। भाषा, वश-परंपरा से मिलने वाली वस्तु नहीं है, वह सांस्कृतिक परंपरा से मिलने वाली वस्तु है।

### ( ड ) अनिर्वायता एवं व्यापकता

भाषा परंपरागत होने के कारण अनिर्वाय है अर्थात् यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है कि वह भाषा ले अथवा न ले। जैसे जन्म के साथ ही व्यक्ति का एक विशेष देश की नागरिकता, एक विशेष धर्म की सदस्यता प्राप्त हो जाती है वैसे ही जन्म के साथ ही व्यक्ति को एक भाषा विशेष भी प्राप्त हो जाती है। निणय करने लायक होने पर वह नागरिकता एवं धर्म में परिवर्तन कर सकता है वैसे ही वह भाषा भी परिवर्तित कर सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि व्यक्ति एक भाषा छोड़ कर दूसरी भाषा ग्रहण कर सकता है (यह भी अपवाद स्वरूप ही हो सकता है) किंतु भाषा विहीन नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई भाषा अपनानी ही पड़ती है और यहाँ भाषा का अनिर्वायता है।

इस अनिर्वायता में ही भाषा की व्यापकता भी समाई हुई है। जहाँ पर कोई व्यक्ति है, वही पर भाषा है। अथवा दो में यो कहा जा सकता है कि जहाँ तक मानव जाति का विस्तार है वहाँ तक भाषा की सीमा है।

### ( च ) विविधता

यद्यपि भाषा अव्यक्तिक अर्थात् परंपरागत है और कोई व्यक्ति उसका निमाण अथवा विनाश नहीं कर सकता किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं रहती। वस्तु तथ्य है यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा (किसी न किसी रूप में) दूसरे व्यक्ति का भाषा से भिन्न होती है। इस कारण भाषा में विविधता विद्यमान रहती है। जैसे परंपरागत होने पर भी

संस्कृति का रूप समस्त संबंधित व्यक्तियों में समान नहीं होता वैसे ही भाषा का रूप भी समस्त व्यक्तियों में समान नहीं होता। इसी विविधता के कारण एक ही भाषा के अंतर्गत उप-भाषाएँ बोलियाँ, उप-बोलियाँ आदि विविध रूप बनते हैं।

### ( छ ) संप्रहित

भाषा की रचना किसी एक समय का नहीं, विभिन्न समयों का संप्रहित रूप होती है। किसी भी भाषा की संरचना का विवचन विरलेपण करने पर यह स्पष्ट हो जाती है। उदाहरणार्थ संस्कृत के पूर्व की भारतीय भाषा में मूधन्व ध्वनियाँ ( ट, ठ आदि ) नहीं थीं। संस्कृत ( एवं परवर्ती आर्य भाषाएँ ) में ये ध्वनियाँ हैं। वैसे ही मध्ययुगीन हिंदी ( ब्रज, अवधि ) में न का आदि परसर्गों का प्रयोग नहीं था किंतु आधुनिक हिंदी ( खड़ी ) में इन परसर्गों का प्रयोग होता है। वास्तव में भाषा के इस संप्रहित रूप ( कि उसमें कौन सा तत्व कम आया है ) का अध्ययन ही भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन कहलाता है।

### ( ज ) परिवर्तनशीलता

भाषा परिवर्तनशील है। भाषा का संरचना ही ऐसी है कि उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है। भाषा की संरचना ध्वनित्व एवं अथतत्त्व के मिलन से होती है। प्रत्येक ध्वनि का ध्वनि यंत्र दूसरे ध्वनि के ध्वनि यंत्र से भिन्न होता है इसलिए उच्चारण की भिन्नता अनिवार्य है। अथ का संबंध व्यक्तियों की सांस्कृतिक एवं मानसिक अवस्था से होता है और प्रत्येक व्यक्तियों की सांस्कृतिक एवं मानसिक अवस्था दूसरे से भिन्न होती है इसलिए अथ में परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है। फिर भाषा अनुकरण से सीखी जाती है और यह मानो हुई बात है कि अनुकरण चाहे जितना पूरा हो उसकी मूल से एक रूपता नहीं हो सकती। अतः परिवर्तन भाषा की प्रकृति में समाया हुआ है।

परिवर्तन का अधिक विस्तृत विवचन आगामी परिच्छेद में किया जा रहा है।

### ( झ ) नियमनशीलता

भाषा का स्वाभाविक प्रवृत्ति अनियमित से नियमित होने की है। इसका अर्थ यह है कि आरंभ में प्रत्येक भाषा अधिक अनियमित होती है। उसमें जिाने नियम होते हैं उतने ही उनके अपवाद भी होते हैं किंतु जैसे जैसे समय गुजरता जाता है भाषा के अनियमित रूप कम होने जाते हैं। वदिक भाषा एवं संस्कृत

भाषा की तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। वदिक भाषा में जितने अधिक अनियमित रूप थे सस्कृत में नहीं रहे।

### ( ज ) सरलतागामी

अनियमित रूपों के कम होने के साथ साथ भाषा में नियम कम होते जाते ह। इससे भाषा अपेक्षाकृत सरल बन जाती ह। इसी से भाषा की इस प्रवृत्ति को सरलतागामी प्रवृत्ति कहते ह। सस्रन में एक शब्द के २४ रूप बनते थे ( ८ कारक × ३ वचन ), हिंदी तक पहुचते पहुचते रूपों की संख्या इतनी कम हा गयी है कि आज किसी भी शब्द के ६ ( ३ कारक × २ वचन ) से अधिक रूप नहीं बनते। कुछ हिंदी शब्दों के ता २ ही रूप बनते हैं।

### १ ८ भाषा की उत्पत्ति

भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न बड़ा ही आकषक किंतु बड़ा ही उल्टा हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न आकषण का केन्द्र इसलिए रहा है क्योंकि इसके उत्तर में अनुमान ( Presumption ) एवं अटकल ( Speculation ) की गुंजाइश ह, और इसी कारण भाषा उत्पत्ति संबंधी अनेक मतों का प्रतिपादन हुआ है। फिर जैसे-जैसे भाषा के अध्ययन की प्रवृत्ति वैज्ञानिक होती गई, इस प्रश्न का महत्त्व भाषा विज्ञान की दृष्टि से घटता चला गया। आज स्थिति यह है कि इस विषय को भाषा विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही नहीं माना जाता।

इस विषय को भाषा विज्ञान के क्षेत्र से बहिष्कृत करने के दो मुख्य कारण ह।

एक तो यह कि भाषाविज्ञान की अपेक्षा-नृशास्त्र, दशन शास्त्र, मनो-विज्ञान एवं समाज शास्त्र से इस विषय का घनिष्ठ संबंध ह। दूसरा यह कि भाषा की उत्पत्ति संबंधी जानकारी से भाषा-संरचना को समझने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती।

उपरोक्त दोनों कारणों का स्पष्टीकरण अपेक्षित ह। भाषा, विचार का बाह्य-रूप ह। मनुष्य ने कब एवं कस भाषा सीखी, इस प्रश्न का समुचित उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक यह बात न हा जाय कि मनुष्य ने कब एवं कैसे विचार करना सीखा, और इस उत्तर का संबंध नशास्त्र, दशन शास्त्र एवं भाषाविज्ञान को देना है। ये शास्त्र यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में विचारशील प्राणी कब एवं कस बना तथा मनुष्य में यह मानसिक प्रक्रिया कब

एव कैसे उत्पन्न हुई जिसने फलस्वरूप मनुष्य सूक्ष्म विचार का स्थूल ध्वनिर्मा से सबद्ध कर पाया। फिर भाषा समाज सापेक्ष वस्तु है। समाज के अभाव में भाषा के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस स्थिति में यह समाज शास्त्र का विषय हो जाता है कि वह बताए कि मनुष्य—समाज का निर्माण कब एवं कैसे हुआ।

उपयुक्त प्रश्नों के समुचित एवं सतोपजनक उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं और इसी से भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न भी एक प्रकार से ज्या का त्यों पड़ा है।

एक बात दूसरी भी है। मान लीजिए कि यह निर्विवाद रूप से पात हो जाता है कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो इससे भाषा संरचना समझने में विशेष क्या सहायता मिलेगी? उदाहरणार्थ एक डाक्टर के लिए यह जानकारी कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखती कि मनुष्य को पूछ थी वह घिस गई है एवं उसका अवशेष रीढ़ की अंतिम अस्थियाँ हैं। उसका सवध तो वर्तमान मानवीय रीढ़ की रचना से है। अगर किसी डाक्टर को यह जानकारी हो जाय कि आरंभ में बदर व समान ही मनुष्य के हाथ पर परस्पर जुड़े रहते थे, तो इस जानकारी से वर्तमान मनुष्य के हाथ-पाव का उपचार करने में उसे कोई सहायता नहीं मिलेगी।

इसी प्रकार से भाषा की उत्पत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करने से एक भाषा विद्वानों को भाषा की संरचना समझने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी।

यद्यपि आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी भाषा-उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों की सक्षिप्त जानकारी से इस विषय के विकास का दिशा-निर्देश हो जायगा। इससे भाषा-उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों का यहाँ सक्षिप्त परिचय दे दिया जाता है।

भाषा उत्पत्ति संबंधी मतों अथवा सिद्धांतों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है —

- ( क ) थ्रैडापर पर आधारित मत ।
- ( ख ) पूरणरूप से अनुमानित मत ।
- ( ग ) आंगिक अनुमानित मत ।
- ( घ ) विकासवादी मत ।

## श्रद्धापर आधारित मत

इस वग में ईश्वरीय सिद्धांत एवं धार्मिक सिद्धांत की चर्चा की जा सकती है।

ईश्वरीय सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ने जैसे सृष्टि के अग्र पदार्थों की रचना की वैसे ही उन्होंने भाषा का सृजन भी किया अर्थात् भाषा प्रकृति प्रदत्त है। मनुष्य जन्म में ही भाषा जानता है।

धार्मिक सिद्धांत ईश्वरीय सिद्धांत से मिलता जुलता सिद्धांत है। इस मत के मानने वाला का विश्वास है कि उनका धर्म ही आदि धर्म है उनका धर्मग्रन्थ ही आदि धर्मग्रन्थ है एवं उनके धर्मग्रन्थ की भाषा ही आदि भाषा है जिससे अग्र भाषायाका विकास हुआ है। इस विश्वास के कारण ही वेदों को आदिग्रन्थ मानते वाले वैदिक-संस्कृत को आदि भाषा मानते हैं बाइबिल को आदिग्रन्थ मानने वाले हिब्रू को आदि भाषा मानते हैं तो कुरान को आदिग्रन्थ मानने वाले अरबी का आदि भाषा स्वीकार करते हैं।

उपरोक्त मतों का आधार श्रद्धा अथवा विश्वास है, तब नहीं इसी से आज-कल प्रायः कोई विद्वान इन मतों की चर्चा नहीं करता। यह सब विदित एवं प्रयोगों से सिद्ध तथ्य है कि बच्चा कोई भाषा सीखकर नहीं आता, ईश्वर किसी को कोई भाषा सिखा कर नहीं भेजता। विधिवत किए गए अध्ययन से आज यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि ससार की समस्त भाषाएँ एक ही भाषा से उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा कोई धर्मग्रन्थ 'आदि' (अर्थात् सृष्टि के आरम्भ से विद्यमान) नहीं है।

## पूणरूप से अनुमानित मत

इस वग के अंतर्गत 'संकेत सिद्धांत' डिगडाग अथवा धातु सिद्धांत, संकेत-सिद्धान्त तथा 'संगीत सिद्धांत का समावेश किया जा सकता है।

### (क) संकेत सिद्धांत

इस मत के अनुसार आरम्भ में मनुष्य संकेतों से परस्पर संपर्क रखते थे। फिर जब उनकी आवश्यकताएँ बढ़ीं उन्होंने एक साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों क्रियाओं आदि के लिए ध्वनि संकेत निर्धारित कर लिए।

यह मत निरयत्न है क्योंकि यह पूणरूप से अनुमान पर आधारित है। अर्थात् यह जानी मानी बात है कि भाषा के अभाव में यह संभव ही नहीं हो सकता कि पदार्थों के नाम निर्धारित किए जायें। जब भाषा ही नहीं है तब विचार विमर्श



कम होगा ? जब किसी शब्द का गान ही नहीं है तब किंगी पगध व लिए कोई व वगे निश्चित किया जायगा ?

### ( ए ) डिगडाग अथवा धातु सिद्धात

'डिग डाग अथवा 'धातु' सिद्धात के अनुसार प्रत्येक वस्तु से एक विंगप प्रकार की ध्वनि प्रकट होती है ( यथा-किसी वस्तु पर घाट करने से एक प्रकार का आवाज निषलती है ) । आदिम मनुष्य में एक प्राकृतिक शक्ति था कि वह किसी वस्तु के सपक में आने पर एक विंगप प्रकार की ध्वनि करता था । उन सहज अभिव्यक्त ध्वनियों एवं उनसे संबंधित पगधों के मध्य एक अगात संबंध स्थापित था । इस सिद्धात के मानन वाला ने इन अनायास रूप से अभि व्यक्त ध्वनियों का 'धातु' की सगा दी है । उनके कथनानुसार इन्ही धातुओं में से भाषा का विकास हुआ ।

उपयुक्त कल्पना मात्र अटकल ( Speculation ) है । आदि मानव में एसी प्राकृतिक शक्ति की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है । फिर धातुओं में से समस्त शब्दों एवं पूरी भाषा का विकास की कल्पना, भारतीय परिवार से तो चाहे मेल खा जाय, ससार की समस्त भाषाओं से उसका ताल मल बिटाना संभव नहीं है ।

### ( ग ) सगीत सिद्धात

इस सिद्धात के अनुसार आदिम मनुष्य खाली समय में मन बहलाव के लिए उच्चारण अगों को चलाकर गुनगुनाता होगा । गुनगुनाने की उन निरथक ध्वनियों से ही भाषा की उत्पत्ति हुई है ।

वास्तव में यह भी मात्र अनुमान ही है । गुनगुनाहट की निरथक ध्वनियों से साथक प्रतीक बन गयी, इस गका का कोई समुचित समाधान नहीं है ।

### आशिक अनुमानित मत

इस वग के अतगत उन सिद्धातों की गणना की जा सकती है जिनमें साड से गाना के निर्माण के लिए अनुमान का सहारा लिया गया है । इस वग में अनुकरण सिद्धात भावाभिव्यक्ति सिद्धात एवं 'श्रमनिवारण सिद्धात का रखा जा सकता है ।

### ( च ) अनुकरण सिद्धात

अनुकरण सिद्धात के अनुसार मनुष्य ने अपने इन् गिद हाने वाली पगध-शिक्षा

अथवा प्राकृतिक पत्राणों की ध्वनियों का अनुकरण करके भाषा सीखी। इसके प्रमाण में हरेक भाषा के कुछ अनुकरणारम्भक शब्दों का उल्लेख किया जाता है। जय 'का का' के आधार रखा हुआ हिन्दी नाम 'कागा' अथवा 'भ्याऊ ध्वनि के आधार पर बिल्ली के लिए चीनी भाषा में प्रयुक्त 'मिआऊ अथवा हिन्दी 'भ्याऊ आदि। या फिर, पेड़ से कुछ गिरने से आवाज हुई 'पत', और 'पत' का जय हो गया 'गिरना' और गिरने वाला पदार्थ कहलामा 'पता।

### ( छ ) भावाभिव्यक्ति-सिद्धात

इस सिद्धात के अनुसार भावा की तीव्रता के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से अनायास ही कुछ ध्वनिया निकल पडी होगी। भावाभिव्यक्ति की इन ध्वनियों से उस भाव विशेष का सपक हो गया होगा एव आगे चलकर इन्ही ध्वनियों से भाषा का विकास हुआ होगा। अपनी बात की पुष्टि के लिए ये लोग विभिन्न भाषाओं के कुछ विस्मयादि बोधक शब्दों का उल्लेख करते हैं यथा—हिन्दी का आह ! अग्रजी का ओह ! ( Oh ! ) आदि।

### ( ज ) श्रम निवारण सिद्धात

इस सिद्धात के माननेवालों का विचार है कि श्रम की थकान को दूर करने हेतु कुछ ध्वनियों का स्वाभाविक रूप से ही उच्चारण करना पड़ता है। यथा घोड़ी लाग बपडे घोने समय कुछ ध्वनिया का उच्चारण करते रहते हैं अथवा भारी-बारा उठाते समय मजदूर लोग एक साथ आवाज करते हैं। इसी प्रकार आदि मानव भी अपने श्रम निवारण हेतु कुछ ध्वनियों का उच्चारण करता रहा होगा, और इन्ही ध्वनियों से भाषा का विकास हुआ होगा।

उपयुक्त तीनों मतों के विरुद्ध प्रायः समान तक है। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी भाषा में इस प्रकार से निमित्त शब्द बहुत ही कम हैं। इन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति संभव हो नही दिखती। फिर ये शब्द समस्त भाषाओं में समान नही हैं। न तो कौए का सब भाषाओं में 'कागा' कहा जाता और न ही बिल्ली को सब भाषाओं में 'भ्याऊ' कहते हैं। भावाभिव्यक्ति एव श्रम निवारण वाले शब्द भी समस्त भाषाओं में समान नही हैं। भावाभिव्यक्ति एव श्रम निवारण हेतु अभिव्यक्त शब्द तो वाक्या में प्रयुक्त ही नही हाने ( यथा—हाय ! वह मर गया। यहा हाय ! वाक्य से अलग है )। अनुकरणारम्भक मत के विरोध में यह भी कहा जा सकता है कि यदि प्रकृति के अन्य पदार्थों ( पशु-पक्षिया आदि ) का ध्वनि करने की शक्ति थी तो ऐसा

बयोकर माना जाय कि मनुष्य उस शक्ति से वचित था ।

## विकासवादो सिद्धात

इस वग में वे मत आते हैं, जो भाषा की उत्पत्ति की अपेक्षा भाषा की विकास प्रक्रिया पर अधिक बल देते हैं एव भाषा को किसी एक समय में उत्पन्न मानने की अपेक्षा विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम मानते हैं । भाषा उत्पत्ति सबधी ये मत अधिक तथ्यात्मक हैं । इस वग के अंतर्गत 'इगित सिद्धात' 'सपक सिद्धात' एव मिश्रित सिद्धात को रखा जा सकता है ।

### ( ट ) इगित सिद्धात

इस सिद्धात के अनुसार भाषा के विकास के चार सोपान मान जाते हैं । पहले सोपान में—हृष शोक आदि भाव व्यञ्जक ध्वनियों का निर्माण हुआ । दूसरे सोपान में अनुकरणात्मक ध्वनियों की रचना हुई । तीसरे सोपान में जीभ आदि उच्चारण अंगों द्वारा शरीर की विभिन्न क्रियाओं शारीरिक संवेतों की अनुकरणात्मक ध्वनिया का निर्माण हुआ । ( उदाहरणार्थ मनुष्य दौड़ता तो उसका अनुकरण करती हुई, जीभ मुख में दौड़ती और इसी से 'गति सूचक बहुत से शब्द 'र' से आरंभ होते हैं क्योंकि 'र' के उच्चारण में जीभ को बहुत बार मुख के उपरी भाग को छूना पड़ता है । ) और चौथे सोपान पर सूक्ष्म भाषा का अभिव्यक्ति के शब्द बने होंगे ।

इस मत के अनुसार भाषा की आरंभिक स्थिति का तो बोध हो जाता है किन्तु तीसरी अवस्था जीभ द्वारा शरीर के अर्थ अंगों का अनुकरण करने वाली बात इतनी सहजता से गले से नहीं उतरती । फिर समस्त भाषाओं में गति सूचक शब्द 'र' से आरंभ नहीं होते एव न ही 'म' से आरंभ होने वाले समस्त शब्द 'शास्ति' का अर्थ देते हैं ।

### ( ठ ) सपक सिद्धात

सपक सिद्धात का मुख्य आधार मतावैज्ञानिक विश्लेषण है । इस सिद्धात के अनुसार मनुष्य में सपक स्थापित करने की सहज प्रवृत्ति है । आरंभ में चिल्लाना, पुकारना आदि जैसी सामान्य ध्वनियों के द्वारा मनुष्य संवद स्थापित करता होगा । ज्या-ज्या उसके सपक की आवश्यकता बढ़ती गई उसके अनुरूप ध्वनिया का विकास होता गया । ध्वनिया एव स्थितियों में संवद स्थापित होता गया एव

आगे चलकर किसी विशेष ध्वनि से उस स्थाित का बोध होने लगा । इन तरह ध्वनियों में अक्षर का समावेश हो गया । आरम्भ में छोटे छोटे कथन ( एक शब्द जैसे ) रहे होंगे, जिनसे प्रायः क्रिया का भाव ही अभिव्यक्त होता था ।

यह सिद्धांत मानव मन की स्वाभाविक प्रकृति एवं उसकी विकास प्रक्रिया पर आधारित होने के कारण अधिक तर्कसंगत है, किंतु इस सिद्धांत के द्वारा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विशिष्ट एवं भाषा वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त नहीं होती ।

### (ड) मिश्रित सिद्धांत

यह सिद्धांत उपयुक्त बहुत से सिद्धांतों का मिश्रित रूप है ।

इस सिद्धांत के अनुसार भाषा आरम्भ में इंगित एवं ध्वनि दोनों पर आधारित थी । विभिन्न ध्वनि-समूहों से ही आगे चलकर भाषा का विकास हुआ । इस सिद्धांत के अनुसार आरम्भ में शब्द अनुकरणात्मक, भाव व्यञ्जन एवं प्रतीकार्थक थे । तीसरे प्रकार के शब्दों का भाषा के विकास में महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है । उदाहरणार्थ, बच्चा माँ बाप के होठों की गति का अनुकरण करता हुआ अपने हाँठ चलाने का प्रयत्न करता है, जिससे अनायास ही कुछ ओष्ठ्य ध्वनियों की अभिव्यक्ति हो जाती है और उनके परिवार वाले समझते हैं कि वह उन्हें पुकार रहा है । यथा, बच्चा सहज भाव से पा पा, माँ माँ अमा आदि ध्वनियों ( ध्वनिसमूहों ) का उच्चारण करता है । लोग समझते हैं कि वह 'माँ' अथवा 'बाप' को पुकार रहा है । इस प्रकार ध्वनियों में अर्थ निहित हो जाता है एवं प्रतीकार्थक शब्दों का निर्माण हो जाता है । इसके अतिरिक्त बहुत से शब्द सादृश्य के आधार पर बने होंगे ।

उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भाषा की उत्पत्ति संबंधी विषय अब उतना उलझा हुआ नहीं है जितना कि वह आरम्भ में था किंतु ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि भाषा उत्पत्ति की समस्या पूर्णरूप से सुलझ गयी है । एक बात अवश्य निश्चित है, और वह यह कि भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न नहीं है ।

### १९ भाषा में परिवर्तन ( विकास )

भाषा की प्रकृति का विवेचन करते समय यह बतला दिया गया है कि परिवर्तन भाषा की प्रकृति का अनिवार्य अंग है । जो भाषा जीवित है ( व्यवहार में लायी

जाती ह ) उसमें परिवर्तन होगा ही ।

### १ ९ १ भाषा-परिवर्तन का अर्थ

भाषा-परिवर्तन का सीधा एव सरल अर्थ यह है कि एक समय में जो किसी भाषा का रूप होता है, दूसरे समय में वही रूप नहीं रहता अर्थात् जैसे जैसे समय व्यतीत होता है भाषा में परिवर्तन आता जाता है । इस परिवर्तन को ही भाषा का विकास कहा जाता है ।

प्रायः लोग ऐसा समझते हैं कि भाषा परिवर्तन का अर्थ है नये-नये शब्दों, विशेषकर दूसरी भाषा से लिए हुए शब्दों का प्रयोग । भाषा-परिवर्तन के लिए यह धारणा भ्रामक है । शब्दावली को भाषा की अमूल्य अथवा गौण संरचना माना जाता है अतः शब्दों के परिवर्तन को मूल रूप से भाषा का परिवर्तन नहीं माना जा सकता । भाषा का परिवर्तन तो तभी माना जा सकता है जबकि भाषा की संरचना ( ध्वन्यात्मक व्याकरणात्मक एव अर्थ संरचना ) में किसी प्रकार का परिवर्तन उपस्थित हो ।

### १ ९ २ परिवर्तन एव स्थिरीकरण

संज्ञात्मक दृष्टि से देखा जाय तो जैसे नदी में लगायी हुई दो डुबकियाँ का पानी समान नहीं रहता उसी तरह एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही शब्द का दो बार किया गया उच्चारण भी एकदम समान नहीं होता । ऐसी स्थिति में प्रत्येक भाषा के अतगत परिवर्तन की बहुत अधिक गुंजाइश है क्योंकि प्रत्येक भाषा के लाखों-करोड़ों बोलने वाले होते हैं ( अपवादस्वरूप कुछ भाषाओं को छोड़कर जिनके बोलने वाले की संख्या केवल सऊदा-हजारी में होती है ) तथा प्रत्येक व्यक्ति दिन का बहुत बड़ा भाग बोलता रहता है । उच्चारण के समान ही अर्थ भिन्नता का क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत है । अर्थ का सबंध व्यक्ति की मानसिक अवस्था से है और न केवल दो व्यक्तियों की मानसिक अवस्थाएँ कभी समान नहीं होती वरन् एक ही व्यक्ति की प्रत्येक क्षण में मानसिक अवस्था बदलती रहती है ।

इस प्रकार विचार करने पर, भाषा में जितने अधिक परिवर्तन की संख्या की जा सकती है वास्तव में उतना परिवर्तन भाषा में होता नहीं है । इसका मुख्य कारण यह है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु एव विचार विनिमय अथवा विचार-संपर्क का साधन है । विचार-संपर्क के इस

बचन के कारण ही भाषा में इतना परिवर्तन नहीं आना कि एक ही भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति एक दूसरे की समझ न सके तथा उनके मध्य विचार संपर्क टूट जाय।

इस प्रकार भाषा में एक साथ दो विरोधी शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। परिवर्तन का शक्ति भाषा को बदलने का प्रयास करती रहती है या स्थिरता की शक्ति उस समान बनाय रखने का प्रयत्न करता है। इन दो विरोधी प्रवृत्तियों के मध्य भाषा का संतुलन बना रहता है अर्थात् भाषा परिवर्तित ता हानी रहती है किन्तु इतनी धीमी गति से कि समय के एक बिंदु अथवा दो पाठियों के मध्य हुए भाषाई परिवर्तन की अनुभूति नहीं होती।

### १ ९ ३ परिवर्तन की गति के नियामक तत्व

ऊपर के विवेचन से यह भाव ग्रहण नहीं करना चाहिए कि भाषा-परिवर्तन की गति सर्व समान रहती है। भाषा के परिवर्तन का आधार, भाषा की आंतरिक संरचना के साथ बाह्य परिस्थितियों पर भी है। इन परिस्थितियों के कारण भाषा परिवर्तन की गति मंद अथवा तीव्र हो सकती है। उदाहरणार्थ यदि किसी भाषा के बोलने वालों की संख्या घटती है, भौगोलिक दृष्टि से वे संलग्न हैं उनका परस्पर संबंध जुटा हुआ है तथा अन्य भाषा भाषियों से उनका संबंध नहीं है अथवा बहुत कम है तो उनकी भाषा में परिवर्तन की गति मंद होगी तथा उस भाषा में हुए परिवर्तनों की अनुभूति शताब्दी या उससे भी अधिक समय गुजरने पर ही हो सकेगी। इसके विपरीत यदि किसी भाषा के बोलने वाला की संख्या अधिक है भौगोलिक दृष्टि से वे इस प्रकार बिखरे हुए हैं कि उनके लिए परस्पर संबंध स्थापित करना सरल न हो तथा अन्य भाषा भाषियों के साथ उनका निबट संबंध हो तो उनकी भाषा में परिवर्तन की गति तीव्र होगी तथा भाषा में आये हुए परिवर्तनों का बोध कुछ दशकों के भीतर ही हो सकता है। स्वाभाविक रूप से परिवर्तन, विदेशी आक्रमण सांस्कृतिक धार्मिक जागृति आदि कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिनके कारण भाषा में परिवर्तन की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है तथा उसका अनुभव १०-२० वर्षों के अंदर ही किया जा सकता है। इस संबंध में सिंधी भाषा का उल्लेख किया जा सकता है। भारत विभाजन के पश्चात्, भारत में आये गये सिंधियों की भाषा इन २०-२५ वर्षों में ही इतना बदल गयी है कि उसके इस बदलाव की अनुभूति सरलता से की जा सकती है।

## १ ९ ४ भाषा-परिवर्तन का स्वरूप ( प्रकार )

जब हम यह कहते हैं कि भाषा में परिवर्तन होता है तब हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा की संपूर्ण रचना अर्थात् उसके समस्त अंगों में परिवर्तन होता है। भाषा के अंग हैं—ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य एवं अर्थ। इसी आधार पर भाषा परिवर्तन के प्रकार होंगे

ध्वनि परिवर्तन, रूप परिवर्तन, शब्द परिवर्तन, वाक्य-परिवर्तन एवं अर्थ परिवर्तन।

### ध्वनि-परिवर्तन

ध्वनि-परिवर्तन का संबंध ध्वनियों से है। इसमें मुख्य रूप से चार प्रकार के परिवर्तन होते हैं

(१) ध्वनियों का ह्रास (जैसे संस्कृत की मूढ या 'प' का उच्चारण अब हिंदी में नहीं रहा है)।

(२) ध्वनिया का विकास (जैसे फारसी अरबी शब्दों के प्रभाव से ग, ज आदि नयी ध्वनिया हिन्दी में विकसित हो रही हैं)।

(३) ध्वनियों के उच्चारण में अंतर (जैसे बर्दिक संस्कृत में ए आ समुक्त स्वरा का उच्चारण क्रमशः आइ आउ जसा था जबकि हिंदी में इन स्वराओं का उच्चारण क्रमशः अइ अउ जसा हो गया है)।

(४) ध्वनियों के वितरण अर्थात् प्रयोग भी स्थितियाँ में परिवर्तन (जैसे अपभ्रंश में 'ण' ध्वनि शब्द के आरंभ में प्रयुक्त हो सकता था यथा, णाच किंतु हिंदी में शब्द के आरंभ में 'ण' ध्वनि का प्रयोग नहीं होता है)।

### रूप-परिवर्तन

रूप परिवर्तन से भाषा की रूप रचना में अंतर आ जाता है। उदाहरणार्थ संस्कृत में शब्दों के रूप तीन वचनों एवं आठ कारका में बदलते थे किंतु हिंदी में शब्दों के रूप दो वचना एवं दो अथवा तीन कारका में बदलते हैं।

### शब्द-परिवर्तन

इस परिवर्तन के कारण कितने ही पुराने शब्दों का प्रयोग समाप्त हो जाता है तथा कितने ही नये शब्द भाषा में प्रयुक्त होने लगते हैं। उदाहरणार्थ कभी पाई आना, दुआँगी आदि शब्दों का प्रयोग होता था। मुद्रा प्रणाली के बदलने

से इन शब्दों का चलन अब समाप्त हो रहा है। नयी प्रणालियों के फलस्वरूप, ग्राम, लिटर, किलो जैसे शब्द चल पड़े हैं।

### वाक्य-परिवर्तन

वाक्य-परिवर्तन के अंतर्गत, वाक्य रचना में होने वाले परिवर्तन को गिना जाता है। जैसे अंग्रेजों के प्रभाव से हिंदी वाक्यों में विभिन्न प्रकार के विराम चिह्न का प्रयोग किया जाने लगा है जिससे वाक्य साधारण की अपेक्षा अधिक बड़े हो जाते हैं।

### अर्थ-परिवर्तन

अर्थ परिवर्तन में शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे कभी 'मृग' शब्द का अर्थ था 'पशु' (जैसे मृगराज अर्थात् पशुओं का राजा) लेकिन आज 'मृग' का अर्थ हो गया है 'हिरण'। -

## १ ९ ५ भाषा-परिवर्तन के कारण

भाषा परिवर्तन के कारणों का तर्कपूर्ण विवेचन करना कठिन है। उसका मुख्य कारण यह है कि भाषा एक सश्लिष्ट संरचना है जिसमें एक से अधिक संरचनाएँ जुड़ी हुई हैं। उदाहरणार्थ ध्वनि-परिवर्तन का संबंध उच्चारण-श्रम से है तो अर्थ परिवर्तन का मानसिक अवस्था से। फिर शब्दावली के परिवर्तन का कारण मुख्य रूप से सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। प्रायः ऐसा होता है कि एक ही परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं। इसलिए यह कहना सरल नहीं है कि अमुक परिवर्तन का अमुक कारण है।

अध्ययन की सुविधा के लिए कारणों का विवेचन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इन कारणों को दो वर्गों में विभाजित करना होगा। एक वर्ग में आंतरिक कारण एवं दूसरे वर्ग में बाह्य कारण रखे जायेंगे।

### (क) आंतरिक कारण

इस वर्ग में वे कारण आते हैं जिनका संबंध भाषा की रचना एवं उसके प्रयोग से है। ये कारण हैं—

- (१) ध्वनि यंत्र की मिश्रता
- (२) मानसिक अवस्था में अंतर
- (३) अनुकरण की अपूर्णता
- (४) मूल-भ्रम



यह पहले ही बताया जा चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति का ध्वनि-मन दूसरे व्यक्ति के ध्वनि-मन से भिन्न होता है। इसलिए उच्चारण में अंतर आ जाना स्वाभाविक है।

अप्य का परिवर्तन भी अनियमित है क्योंकि अप्य का मध्य व्यक्ति की मानसिक अवस्था से है और एक व्यक्ति की मानसिक अवस्था, दूसरे व्यक्ति की मानसिक अवस्था से भिन्न होती है।

अनुकरण की अनूणता, यह तीसरा कारण है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण कितना ही ध्यानपूर्वक क्या न किया जाय वह मूल से समान नहीं हो सकता। अनुकरण की अनूणता के भी अनेक कारण होते हैं : जिनमें मुख्य हैं—अज्ञान, अशिक्षा, आलस्य तथा शारीरिक अथवा मानसिक रोग।

आंतरिक कारणों में सबसे प्रभावशाली कारण माना जाता है मुख-मुख। मुख-मुख का सबसे उच्चारण से है। मनुष्य के स्वभाव की यह सामान्य प्रवृत्ति है कि वह कम श्रम करके अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है। उसकी यही प्रवृत्ति भाषा में भी कार्य करती है। मुख-मुख के कारण ही 'स्त्री' का उच्चारण 'इस्त्री' हो जाता है तथा इसी मुख-मुख के फलस्वरूप 'अनाज' बदल कर 'नाज' हो जाता है।

### (ख) बाह्य कारण

इस वर्ग में वे कारण गिन जाते हैं जिनका सम्बन्ध परिस्थितियों से है। ये परिस्थितियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, यथा राजनतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि।

इन परिस्थितियों में राजनतिक परिस्थितियाँ सबसे प्रभावशाली होती हैं। मुसलमानी शासन के कारण हजारों फारसी-अरबी शब्द हिन्दी में आ गये हैं, और अब इन शब्दों के कारण ग, ज, फ जसी ध्वनियाँ हिन्दी में विकसित हो रही हैं। अंग्रेजी शासन के कारण अंग्रेजी का कितना प्रभाव हिन्दी पर पड़ा है यह किसी से छिपा नहीं है।

धार्मिक परिस्थितियाँ भी भाषा के विकास में बहुत अधिक योगदान करती हैं। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति के प्रभाव के कारण ही ब्रजभाषा का प्रभाव ब्रजभूमि से लेकर बंगाल तक की भाषाओं में पामा जाता है।

व्यक्तियों के समान ही संस्कृतियाँ भी एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। वे एक-दूसरे से बहुत कुछ लेती और देती हैं। इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान का

मायम होती ह भाषा । उदाहरणाय आय एव द्रविड सस्कृतिया के मिलने का परिणाम यह हुआ कि द्रविड भाषाएँ सस्कृत से प्रभावित हुई तथा सस्कृत में भी यहुन-सी द्रविड भाषाओं की विशेषताएँ आ गयी ।

## १ ९ ६ भाषा परिवर्तन की क्रियाविधिया ( Mechanisms )

भाषा-परिवर्तन के कारणों का विवेचन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भाषा परिवर्तन के कारणों का तकसगत विश्लेषण कर सकना कठिन ह । इस कारण आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक कारणों की अपेक्षा उन क्रियाविधिया का विवेचन करना अधिक उचित समझता है जिनके द्वारा भाषा में परिवर्तन घटित हाता ह ।

भाषा-परिवर्तन की मुख्य क्रियाविधिया तीन हैं

( १ ) ध्वनि-परिवर्तन ( Sound change )

( २ ) आदान ( Borrowing )

( ३ ) सादृश्य ( Analogy )

### १ ९ ६ १ ध्वनि-परिवर्तन एक क्रियाविधि

ध्वनि-परिवर्तन एक प्रकार का परिवर्तन तो ह ही, वह एक प्रकार की क्रियाविधि भी ह, जिसके द्वारा अ-य परिवर्तन घटित होते हैं । उदाहरणाय मध्यकालीन आय भाषाओं ( पालि, प्राकृत, अपभ्रंश ) में एक ध्वनि-परिवर्तन यह हुआ कि अंतिम 'यजन लोप हो गया । एक ध्वनि-परिवर्तन यह भी हुआ कि स्वर—मध्य-यग अधोप व्यजन घोप व्यजन बन गये ( ट > ढ ) । इन ध्वनि परिवर्तनों के फलस्वरूप प्राचीन शब्द 'घोटक' बदल कर 'घोडअ' हो गया । यही 'घोडअ' आधुनिक आय भाषा हिंदी में 'घोडा' बन गया । इन ध्वनि परिवर्तनों के कारण न केवल शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया वरन् उसकी 'याकरण'रत्मक स्थिति में भी अंतर आ गया । आकारात हो जाने के कारण 'घोडा का त्रियक रूप तथा बहुवचन रूप 'घोडे' बना ( त्रियक रूप—घोड से, घोडे का आदि, तथा बहुवचन रूप—बहुत से घोडे ) । इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन एक क्रियाविधि का कार्य करता ह ।

### १ ९ ६ २ आदान

'आदान' से तात्पर्य उस क्रियाविधि से है जिसके अंतगत एक भाषा के कुछ शब्द दूसरी भाषा में ले लिए जाते हैं । इसको आगम अथवा भाषाई उधार भी कहत ह ।

यह आदान केवल दो भाषाओं में ही नहीं होता, एक ही भाषा की दो आधुनिक बोलियाँ के मध्य भी हो सकता है। आधुनिक उपयोगिता के माध्यम से आज कितने ही शब्द विभिन्न बोलियों से साहित्यिक हिंदी में आ गये हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भाषा अपने पूर्ववर्ती रूप से बहुत-सी चीजें फिर से ग्रहण करने लगती है। जैसे आज हिंदी में फिर से अनेक संस्कृत शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। यह एक ही भाषा के दो भिन्न सामयिक रूपों के मध्य आदान है।

आदान मुख्य रूप से शब्दों का होता है किंतु शब्दों के माध्यम से दूसरे भाषाई परिवर्तन भी घटित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ हिंदी ने फारसी-अरबी के अनेक शब्द ले लिए हैं। इन शब्दों में ग, ज, फ, खसी ध्वनियाँ भी हैं (जैसे बग़ाचा, हज़ार, फकीर) जिनका हिंदी में अभाव है। इन शब्दों के कारण अब ये ध्वनियाँ भी हिंदी में विकसित हो रही हैं। इन शब्दों के कारण कुछ व्याकरण-आत्मक परिवर्तन भी आये हैं। जैसे हिंदी में—आत लगाकर बहुवचन बनाने की प्रवृत्ति नहीं है किंतु अब 'कागज' का बहुवचन 'कागजात' चलने लगा है।

### १ ९ ६ ३ सादृश्य

सादृश्य का अर्थ है किसी प्रस्तुत भाषाई आकृति (शब्द, वाक्य आदि) की समानता पर नई भाषाई आकृति का निर्माण। आज-कल जो अनेक नये शब्द हिंदी में बन रहे हैं उनमें से अधिकांश का आधार सादृश्य ही है। ईकारात स्त्रीलिंग शब्दों से संबंधित पुल्लिंग शब्द आकारात होते ही हैं जैसे लड़की लड़का। इसी के आधार पर तितली से तितला बन गया। 'उठाना चलना' के ताल पर हाँ फिलमाना, मचाना आदि बन गये हैं। अंग्रेजी वाक्यों के सादृश्य पर हिंदी वाक्य रचना में भी अंतर आ गया है। आज-कल ऐसे अनेक वाक्य पढ़ने का मिल जाते हैं जिनमें अंग्रेजी के सादृश्य पर क्रिया वाक्य के मध्यम प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे, 'मैं करता कुछ नहीं, खाता हूँ गम और पीता हूँ आम'।

### १ ९ ६ ४ अन्य क्रियाविधियाँ

उपयुक्त मुख्य विधियों के अतिरिक्त कुछ अन्य साधारण क्रियाविधियाँ भी हैं जो उपयुक्त क्रियाविधियों से मिलकर अथवा स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इन क्रियाविधियों के द्वारा मुख्य रूप से ध्वनि संबंधी परिवर्तन ही उपस्थित होते हैं। इनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है।

### समिध्रण अथवा समोच्चारण

दो शब्द जो प्राय एक ही स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनमें उच्चारण-समानता उत्पन्न हो जाती है। जैसे 'द्वादश' के साथ प्रयुक्त होने के कारण 'एकदा' बदल कर 'एकादा' हो गया है।

### विषय

इस क्रियाविधि में एक या एक से अधिक ध्वनिया अपना स्थान बदल देती हैं। 'अमरुद' 'अरमूद', तथा 'लखनऊ' का 'नखलऊ' विषय के ही उदाहरण हैं।

### समीकरण

समीकरण में एक ध्वनि दूसरी भिन्न ध्वनि को अपने समान बना लेती है। जैसे, प्राचीन शब्द 'चक्र' मध्यकाल में 'चक्क' बन गया। यहाँ 'क' ने अपने प्रभाव से 'र' को भी 'क' बना दिया।

### विपरीकरण

विपरीकरण की क्रियाविधि, समीकरण से विपरीत दिशा में काय करती है। समीकरण में भिन्न ध्वनि समान बन जाती है पर विपरीकरण में समान ध्वनि भिन्न बन जाती है। जैसे 'दरिद्र' बदलकर 'दलिद्र' होने लगा है। यहाँ 'र' ध्वनि बदल कर 'ल' बन गयी है।

## स्मरण-सकेत

- १ १ समाज की रचना एवं सभ्यता के विकास का मुख्य आधार भाषा है ।
- १ २ सामान्य व्यक्ति का संबन्ध भाषा के प्रयोग से है । कुछ व्यक्ति ( शिक्षक, समाजशास्त्री आदि ) भाषा का अध्ययन साधन रूप में करते हैं । भाषा वैज्ञानिक के लिए भाषा का अध्ययन साध्य अथवा उद्देश्य है ।
- १ ३ भाषा ध्वनि सकेतों का एसी व्यवस्था है जिसके द्वारा विचार संपर्क स्थापित किया जाता है ।
- १ ४ भाषा के दो पक्ष हैं भौतिक ( ध्वनियाँ ) एवं धार्मिक (अर्थ) । भाषा एक मिश्रित संरचना है जिसमें सम्मिलित हैं—ध्वनि संरचना, ध्वनि-ग्रामिक संरचना, रूपात्मक संरचना, वाक्यात्मक संरचना, अर्थ संरचना, रूप ध्वनिग्रामिक संरचना एवं शब्द संरचना, ।
- १ ५ भाषा के अंग हैं ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य एवं अर्थ ।
- १ ६ ध्वनितत्त्व एवं अर्थतत्त्व भाषा के वे तत्त्व हैं जिनसे समस्त भाषा की रचना होता है ।
- १ ७ भाषा का रचनागत विशेषताएँ हैं —  
उच्चरित ध्वनियाँ, प्रतीकात्मकता, ऐच्छिकता, क्रमबद्धता, व्यवस्था एवं संपर्क ।
- भाषा की स्वभावगत विशेषताएँ हैं —  
अज्ञित अनुकूल, सामाजिक, अवैयक्तिक, अनिवार्य एवं व्यापक, विविध, समृद्धित, परिवर्तनशील, नियमनशील तथा सरलतागामा ।
- १ ८ भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न भाषाविज्ञान के साथ प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान तथा दर्शनशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है । आधुनिक भाषा वैज्ञानिक इस प्रश्न को महत्वपूर्ण नहीं समझते । भाषा का उत्पत्ति संबंधी अनेक मत हैं । जिनमें से कुछ श्रद्धा पर आधारित हैं, कुछ अनुमान पर एवं कुछ विकासवाद के सिद्धांत पर ।

१९ माया सदैव परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तन एव स्थिरीकरण की शक्तियां माया का सतुलन बनाए रखती हैं। माया परिवर्तन की मदद अथवा तीव्रगति का आधार बाह्य परिस्थितियों पर है। परिवर्तन माया के समस्त अंगों—ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य, अर्थ—में होता है। माया परिवर्तन के अनेक कारण हैं जिन्हें आंतरिक एव बाह्य घटकों में विभाजित किया जाता है। माया परिवर्तन की मुख्य क्रियाविधियां हैं : ध्वनि-परिवर्तन, आदान एव साट्टय। इनके अतिरिक्त कुछ दूसरी साधारण क्रियाविधियां भी हैं।





## २ भाषाविज्ञान



- भाषाविज्ञान का अर्थ
- भाषाविज्ञान का नाम
- भाषाविज्ञान का स्वरूप
- भाषाविज्ञान के विभाग
- भाषाविज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ
- भाषाविज्ञान एवं अन्य शास्त्रों का सम्बन्ध
- भाषाविज्ञान की उपयोगिता
- भाषाविज्ञान के अध्ययन का इतिहास







## २१ भाषाविज्ञान का अर्थ

भाषाविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है 'भाषा का विज्ञान'। भाषा का विवेचन पूर्व-परिच्छेदों में किया गया है, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है।

'विज्ञान का सामान्य अर्थ ऐसे विशुद्ध ज्ञान से लिया जाता है जो देश एवं काल की दृष्टि से अपरिवर्तनशील हो। परन्तु विज्ञान का वास्तविक अर्थ है किसी भी विषय का 'व्यवस्थित ज्ञान'। 'व्यवस्थित ज्ञान' से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो सामग्री (data) के विश्लेषण से प्राप्त होता है। यह विश्लेषण काल-कारण संबंध पर आधारित होता है तथा इस विश्लेषण से कुछ सामान्य नियमों का निर्धारण होता है।

इस दृष्टि से भाषाविज्ञान, भाषा का 'व्यवस्थित ज्ञान' है। भाषा (सामान्य अथवा विशेष) का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन करना एवं उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना ही भाषाविज्ञान का कार्य है। भाषाविज्ञान भाषा-सामग्री का विश्लेषण करता है तथा भाषा की रचना तथा उसके प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियमों की रचना करता है।

## २२ नाम

आज कल भाषाविज्ञान का प्रयोग, अंग्रेजी शब्द, लिङ्ग्विस्टिक्स (Linguistics) के अर्थ में होता है। यों इसी अर्थ के शीतल अन्य कई नाम प्रचलित हैं यथा, भाषाशास्त्र, तुलनात्मक भाषाशास्त्र, भाषिकी, भाषालोचन, भाषा-सत्त्व, भाषाविचार आदि। तार्किक दृष्टि से इन नामों में कोई अंतर नहीं है। यह सोचना भ्रामक होगा कि 'शास्त्र' शब्द से इस विषय के कलात्मक अथवा अज्ञानिक होने का बोध होता है एवं 'विज्ञान' शब्द जोड़ने में भाषा-संबंधी अध्ययन अथवा प्राकृतिक विज्ञानों (यथा भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि) के समान हो जाता है। 'रसायन-शास्त्र' कहने पर भी रसायन संबंधी अध्ययन का यह विशुद्ध विज्ञान है तथा 'मानव-विज्ञान' कहने पर भी मानव मन का यह अध्ययन भौतिक विज्ञान के समान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। इस विषय का 'भाषाविज्ञान' नाम प्रयोग की दृष्टि से इतना ग्राह्य हो चुका है कि अब उस शब्द का प्रयुक्त अर्थ है। यों यह नाम निश्चित रूप से सायब भी है।

## २३ भाषाविज्ञान का स्वरूप

स्वरूप अर्थात् 'प्रकृति' के सबध में मुख्य प्रश्न यह उठाया जाता है कि सबधित विषय 'विज्ञान' है अथवा कला । भाषाविज्ञान की प्रकृति का निर्णय करने से पूर्व विज्ञान एव कला के अन्तर की समझ लेना आवश्यक है । विज्ञान सामग्री प्रधान' होता है जबकि कला 'रुचि प्रधान' होती है । इसलिये जहाँ वैज्ञानिक अध्ययन में समान सामग्री से समान निर्णय निकलना आवश्यक है वहाँ एक ही विषय से सबधित विभिन्न रुचियोंवाले कलाकारों द्वारा विभिन्न रचनाएँ सम्भव हैं । उदाहरणार्थ—एक पौधे का एक से अधिक ब्रह्मणिक समान विवरण प्रस्तुत करेंगे किन्तु एक ही पौधे को अलग अलग चित्रकार अलग-अलग ढंग से चित्रित कर सकते हैं । विज्ञान एव कला में दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य मात्र उत्कृष्टता की तृप्ति करना होता है किन्तु कला के पीछे एक निश्चित ध्येय अथवा उपयोगिता होती है । इस दृष्टि से विज्ञान के लिये विषय साध्य होता है किन्तु कला के लिये साधन' । उदाहरणार्थ—रेखाओं का अध्ययन यदि साध्य रूप में किया जाता है तो उसे रेखागणित विज्ञान के अन्तर्गत गिना जाता है किन्तु उन्हीं रेखाओं का साधन रूप में अध्ययन करने से चित्रकला का निर्माण होता है । फिर विज्ञान अपवाद अथवा वकल्प रहित होता है किन्तु कला विकल्प को लेकर चलती है ।

जहाँ तक भाषाविज्ञान का सबध है वह मुख्य रूप से विज्ञान है । भाषा विज्ञान के अध्ययन की सामग्री भाषा है अतः यह सामग्री प्रधान विषय है । "यत्किं रुचि वा इममें महत्त्व नहीं । भाषा का अध्ययन, भाषाविज्ञान का साध्य है । यह और किसी विषय के अध्ययन का साधन नहीं है । भाषा रचना सबधी निमित्त नियम तात्त्विक दृष्टि से अपवाद रहित होता है । इतना होने पर भी भाषाविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों ( Natural Sciences ) के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । इसका मुख्य कारण यह है कि प्राकृतिक विज्ञान जड़ एव विचार रहित पदार्थों का अध्ययन करते हैं जबकि भाषाविज्ञान भाषा का अध्ययन करता है, जिसका प्रयोग मनुष्य करता है जो कि चेतन एव विचारशील प्राणी है । इस दृष्टि से भाषाविज्ञान को अत्यन्त सामाजिक विज्ञान अथवा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि के समान ही समझना चाहिए । फिर भाषाविज्ञान के द्वारा प्रस्तुत भाषा सबधी सामग्री का बहुत कुछ उपयोग भी होता है । यह उपयोगिता उसे कला की ओर खींच ले आती है । अतः भाषाविज्ञान की वैज्ञानिक कला अथवा कलात्मक विज्ञान का कहना अधिक उपयुक्त होगा ।

## २४ भाषाविज्ञान के विभाग

प्रत्येक विषय, अपने आप में पूरा एवं संपूर्ण होता है। उसे विभाजित करने का कोई तार्किक एवं तात्विक कारण नहीं होता। अतः किसी भी विषय का विभाजन केवल अध्ययन की सुविधा के लिए ही किया जाता है। इसी सुविधा का विचार करते हुए भाषा के विभिन्न अंगों का विवेचन किया गया है और इसी सुविधा को उद्देश्य बनाकर भाषाविज्ञान के विभिन्न विभाग किये गये हैं।

भाषाविज्ञान के विभागों का आधार है भाषा के अंग। जितने भाषा के अंग हैं उतने ही भाषाविज्ञान के मुख्य विभाग हैं।

भाषा के अध्याय में यह बताया जा चुका है कि भाषा के दो पक्ष होते हैं अनुसूति पक्ष एवं अभिव्यक्ति पक्ष। अनुसूति पक्ष में अर्थ की गणना की जाती है। भाषाविज्ञान का वह भाग जो अर्थ का अध्ययन करता है 'अर्थ विज्ञान' कहलाता है।

अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत भाषा की पूरा इकाई है 'वाक्य'। भाषाविज्ञान का वह भाग जो वाक्य का अध्ययन करता है 'वाक्य विज्ञान' कहलाता है।


वाक्य एक विभाज्य इकाई है। वाक्य जिन साधक लघुतम इकाइयों में विभाजित हो सकता है उन्हें 'रूप' कहते हैं। भाषाविज्ञान का वह भाग जो रूपों का अध्ययन करता है, उसे 'रूप विज्ञान' कहते हैं।

रूपों की रचना ध्वनियों से होती है। 'ध्वनि' भाषा की अंतिम लघुतम इकाई है। 'ध्वनि विज्ञान' भाषाविज्ञान का वह भाग है जो ध्वनियों का अध्ययन करता है।

भाषाविज्ञान का एक और भाग है—रूप ध्वनिप्राप्त विज्ञान'। इसके अंतर्गत रूपों में होनेवाले ध्वनिप्राप्त परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है।

कुछ लोग शब्दों के अध्ययन का एक अलग विभाग 'शब्द विज्ञान' अथवा शब्दावली-विज्ञान' मानते हैं। यों 'रूप विज्ञान' के अंतर्गत ही शब्दों का अध्ययन भी होता है।

नीचे की तालिका में भाषा के अंगों एवं भाषाविज्ञान के विभागों का परस्पर संबंध दर्शाया गया है।



आगामी परिच्छेदों में भाषाविज्ञान के उपयुक्त विभागों का गति परिचय दिया जा रहा है।

### अथ विज्ञान

अथ विज्ञान, भाषाविज्ञान का वह भाग है जो भाषा के अथ-सत्त्व का अध्ययन करता है। अथ विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि एवं अथ के परस्पर संबंध का विवेचन होता है। इसमें अथ की संरचना, उसकी विभिन्न स्थितियाँ अथ परिवर्तन के कारणों, दिशाओं एवं परिणामों का अध्ययन विस्तृत होता है। अथ विज्ञान के अंतर्गत किसी भाषा विशेष की अथ-व्यवस्था का वर्णन भी होता है। उदाहरणार्थ यह बतलाना अथ विज्ञान का कार्य है कि 'मृग राष्ट्र का अथ कस संकुचित होकर 'प्रत्येक प्राणी' के स्थान पर एक विशेष प्राणी (हिरण) हो गया है। यह भी अथ विज्ञान ही बतलाएगा कि तिल 'गन्ध' का अथ कैसे विकसित होकर 'तिल से निकला हुआ तरल पदार्थ' के स्थान पर 'बिसी भी पदार्थ से निकला हुआ चिकना-तरल पदार्थ' हो गया।

### वाक्य विज्ञान

वाक्य विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है वाक्य। वाक्य विज्ञान में वाक्य की रचना अथवा गठन का विवेचन विदलेपन किया जाता है। यह अध्ययन सैद्धांतिक भी हो सकता है तो किसी भाषा विशेष का भी। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य का सीमांका वाक्य के विभिन्न भागों वाक्य के संचालक तत्त्वों आदि का अध्ययन होता है। वाक्य के विभिन्न प्रकारों एवं उनकी समानता भिन्नता का वर्णन भी 'वाक्य विज्ञान' के अंतर्गत ही आता है। उदाहरणार्थ 'अच्छा घोड़ा अच्छा चलता है' इस वाक्य में 'अच्छा' शब्द दो बार आया है किंतु दोनों बार उसकी स्थिति समान नहीं है। वाक्य विज्ञान की सहायता से हमें पता होता

है कि प्रथम बार आया हुआ 'जुछा' शब्द 'घोडा' शब्द से संबंधित होने का कारण विभोपण और दूसरी बार आया हुआ 'अच्छा' शब्द 'चलता' क्रिया से संबंधित होने के कारण क्रिया विभोपण है।

### रूप विज्ञान

'रूप विज्ञान' रूपा के अध्ययन का नाम है। 'रूप' भाषा की सायक लघुतम इकाई है। यदि किसी वाक्य की सायक इकाया में विभाजित करते जाय तो जो अंतिम अविभाजित सायक इकाया प्राप्त होगी वे 'रूप' कहलाएगी। रूप विज्ञान के अंतर्गत की रचना रूपा के प्रकार रूपात्मक प्रक्रिया, अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व आदि का विवेचन होता है। रूप विज्ञान में ही शब्दों के निर्माण (किसी शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर दूसरे शब्द बनाना, यथा, 'कम' शब्द से मुकम, कुकम, कुकर्म आदि) एवं शब्दों के रूपांतर (विभक्ति आदि के द्वारा किसी शब्द के विभिन्न विकारी रूप बनाना, यथा 'लडका' से लडके का विवेचन होता है। विभिन्न व्याकरणात्मक शब्दों (सना, सवनाम आदि) का विवेचन भी रूप विज्ञान का विषय है।

### ध्वनि विज्ञान

'ध्वनि विज्ञान', का संबंध 'ध्वनि' के अध्ययन से है। उच्चारण अंगों की रचना, ध्वनियों का निर्माण, ध्वनिया का बहना एवं श्रवण, ध्वनियों का वर्गीकरण ध्वनि योगों की रचना आदि विषयों का विवेचन ध्वनि विज्ञान के क्षेत्र में आता है। किसी भाषा विशेष के क्षेत्र में आता है। किसी भाषा विशेष की ध्वनि संरचना का वर्णन विश्लेषण भी ध्वनि विज्ञान का विषय है। ध्वनि के अध्ययन की अनेक पद्धतियाँ हैं। यदि ध्वनि का अध्ययन उच्चारण अंगों के सदर्भ में किया जाता है तो यह 'उच्चारणात्मक पद्धति' कहलाती है। उच्चारण के पश्चात् ध्वनि वायु तरंगों पर प्रवाहित होती है। इस स्थिति में यदि ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है तो उसे 'तरंगात्मक पद्धति' कहते हैं। ध्वनि श्रवण का विषय है। यदि श्रवण का आधार बनाकर ध्वनियों का अध्ययन किया जाय तो यह 'श्रवणात्मक पद्धति' कहलाएगी। विभिन्न यंत्रों की सहायता से किया गया ध्वनियों का अध्ययन 'प्रायोगिक पद्धति' के अंतर्गत आता है।

ध्वनि विज्ञान के मुख्य रूप से दो भाग किये जाते हैं। एक है ध्वनि विज्ञान (Phonetics) एवं दूसरा है ध्वनिप्राम विज्ञान (Phonemics)। ध्वनि विज्ञान समस्त ध्वनियों का अध्ययन करता है जबकि ध्वनिप्राम विज्ञान विशिष्ट ध्वनियों (Significant Sounds) का अध्ययन करता है।

## रूप ध्वनिग्राम विज्ञान

रूप ध्वनिग्रामविज्ञान व अतगत रूपा में होनेवाले ध्वनिग्रामिक परिवर्तनों का विवचन होता है। कभी-कभी एक ही रूप के एक से अधिक ध्वन्यात्मक आकार होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अनेक रूप न मानकर एक ही रूप माना जाता है। यह रूपध्वनिग्रामिक नियम न ही सम्भव होता है। उदाहरणार्थ चार, चौबीस चौतीस इन तीन संख्याओं में ४ संख्या मूषक निम्नलिखित रूप है

चार

चौ—( चौ + बीस = चौबीस )

चौं—( चौ + तीस = चौतीस )

रूप ध्वनिग्रामिक नियमों के द्वारा ही यह पाठ है सबेगा कि चार, चौ—चौं—, तीन भिन्न रूप न होकर एक ही रूप की तीन भिन्न ध्वन्यात्मक आकृतियाँ हैं।

## शब्द विज्ञान

शब्दों के अध्ययन को ही 'शब्द विज्ञान' कहा जाता है। इसके अनेक शास्त्रों के प्रकार शब्दों की रचना शब्दों का आगम आदि विषयों का विवचन होता है। शब्दों का निर्माण का संबंध शब्द विज्ञान से ही है। सामान्य रूप से रूप विज्ञान व अतगत ही शब्दों का अध्ययन भी होना है किन्तु प्रत्येक विषय में विनिष्टता ( Specialization ) के कारण शब्द विज्ञान अपने आप में अध्ययन को एक अलग शाखा बन गया है।

## २५ भाषाविज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ

भाषा एक ऐसी महत्वपूर्ण एवं सरिल्लिष्ट व्यवस्था है कि इसका अध्ययन अनेक दृष्टियों से किया जा सकता है। भाषा अध्ययन की ये विभिन्न दृष्टियाँ हैं भाषा के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियाँ कहलाती हैं।

भाषा के अध्ययन का मुख्य पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| (क) वणनात्मक पद्धति   | ( अर्थात् वणनात्मक भाषाविज्ञान )   |
| (ख) ऐतिहासिक पद्धति   | ( अर्थात् ऐतिहासिक भाषाविज्ञान )   |
| (ग) तुलनात्मक पद्धति  | ( अर्थात् तुलनात्मक भाषाविज्ञान )  |
| (घ) व्यावहारिक पद्धति | ( अर्थात् व्यावहारिक भाषाविज्ञान ) |

## २५१ वर्णनात्मक पद्धति

इस पद्धति के अंतर्गत उन सिद्धांतों का उल्लेख होता है जिनकी सहायता से किसी एक समय की, किसी एक भाषा की रचनात्मक विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है। इस प्रकार इस पद्धति के दो पहलू हैं। एक पहलू है सद्भाषिक और दूसरा पहलू है भाषा-संबद्ध। सद्भाषिक पक्ष में उन सिद्धांतों का विवेचन होता है जिनके आधार पर किसी भाषा विशेष का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। किसी भाषा का रचनागत विवेचन प्रस्तुत करना ही इस पद्धति का भाषा-संबद्ध पहलू है। इस पद्धति का एक कालिक (Synchronic) भी कहा जाता है क्योंकि इस पद्धति का संबंध किसी एक विशेष काल की भाषा से रहता है।

इसी पद्धति का विकसित रूप संरचनात्मक पद्धति (Structural Method) कहलाता है।

## २५२ ऐतिहासिक पद्धति

भाषा के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति में भाषा के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में एक ही भाषा के दो भिन्न समयों के मध्य हुए परिवर्तनों का अध्ययन कर उन परिवर्तनों से संबंधित नियमों की रचना की जाती है। उदाहरणार्थ यदि मध्यकालीन हिंदी एक आधुनिक हिंदी के मध्य हुए परिवर्तनों का अध्ययन विनिर्माण किया जाय एवं यह निश्चित किया जाय कि वे किन नियमों के आधार पर हुए हैं, तो यह हिंदी का ऐतिहासिक अध्ययन ही होगा।

यह अध्ययन संबंधी दो समयों या समयों के दो बिंदुओं के मध्य में किया जाता है इस कारण इसे 'द्विकालिक पद्धति' (Diachronic Method) भी कहते हैं। वर्णनात्मक पद्धति से जहाँ भाषा के 'वर्ण' का बोध होता है, वहाँ ऐतिहासिक पद्धति से भाषा के 'कर्म' का बोध होता है अर्थात् किसी भाषा का क्या रूप है यह वर्णनात्मक पद्धति से ही होगा। इसी अध्ययन के आधार पर किसी भाषा से संबंधित ध्वनि नियम (Phonetic Laws) का रचना होती है। इस पद्धति के भी सद्भाषिक एवं भाषा-संबद्ध दो पहलू हैं।

## २५३ तुलनात्मक पद्धति

तुलनात्मक पद्धति में एक से अधिक भाषाओं की तुलना की जाती है। उदाहरणार्थ यदि हिंदी, गुजराती, मराठी आदि की भाषागत विशेषताओं की



तुलना की जाय तो यह तुलनात्मक पद्धति कहलाएगी। यह तुलना भाषाओं के किसी भी समय की हो सकती है। आधुनिक हिंदी एवं आधुनिक मराठा की भी हो सकती है तो आज से एक हजार वर्ष पूर्व की हिंदी एवं उसी समय की मराठा का तुलना भी हो सकती है। तुलना केवल निकटवर्ती भाषाओं की ही नहीं होती, किन्हीं भी भाषाओं की हो सकता है। उदाहरणार्थ हिंदी एवं उर्दू अथवा हिंदी एवं अरबी का भी तुलना का जा सकता है।

इस अध्ययन के आधार पर ही भाषाशास्त्र का वर्गीकरण किया जाता है तथा विभिन्न भाषा-परिवार बनाये जाते हैं।

## २५ व्यावहारिक पद्धति

जिस पद्धति में भाषा संबंधी जानकारी का प्रयोग, अन्य विषयों में किया जाता है उस पद्धति को व्यावहारिक पद्धति अथवा व्यावहारिक भाषाविज्ञान ( Applied Linguistics ) कहते हैं। इस दृष्टि से व्यावहारिक पद्धति, भाषा के अध्ययन की कई पद्धतियाँ नहीं हैं, यह तो भाषा संबंधी जानकारी के प्रयोग का पद्धति है। उदाहरणार्थ विभिन्न पद्धतियों द्वारा भाषा संबंधी प्राप्त जानकारी का प्रयोग विदेशी भाषा सिखाने किसी जाति अथवा जन-जाति की संस्कृति का विवरण करने, किसी व्यक्ति अथवा समूह की मानसिक अवस्था को समझने के लिये किया जा सकता है। आजकल तो भाषा संबंधी जानकारी का प्रयोग बालकों की गणित ( तुलनाहट आदि ) को दूर करने के लिए भी किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों की रचना व्याकरण निर्माण, नवान लिपि की रचना आदि कार्यों में तो भाषा संबंधी जानकारी की अनिवार्यता निर्विवाद है। भाषाविज्ञान के इस व्यावहारिक पक्ष की तुलना इंजीनियरिंग एवं डाक्टरों की विज्ञान से की जा सकता है। गणित एक विज्ञान है। गणित संबंधी जानकारी का प्रयोग इंजीनियरिंग में किया जाता है अतः इंजीनियरिंग का व्यावहारिक गणित कहा जायगा। वैसे ही डाक्टरों की विज्ञान का व्यावहारिक रसायन शास्त्र कहा जा सकता है।

## २६ भाषाविज्ञान एवं अन्य शास्त्र

भाषाविज्ञान, भाषा का अध्ययन करता है। भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। प्रायः प्रत्येक शास्त्र ( किन्हीं भाषा प्रकार के ज्ञान ) का भाषा का उपयोग करना ही पड़ता है। इस कारण भाषाविज्ञान का संबंध प्रायः समस्त शास्त्रों से है। समस्त शास्त्रों के दाँव में लिए जाते हैं। एक क्षण में

भौतिक शास्त्र ( Natural Sciences ) एवं दूसरे वग में मानविक शास्त्र ( Humanities ) रखे जाते हैं। उनमें से कुछ शास्त्रों के साथ भाषाविज्ञान का पर्याप्त संबंध है और कुछ के साथ उसका थोड़ा सा संबंध है। जिन शास्त्रों के साथ उसका निकट का संबंध है, वे हैं साहित्य, व्याकरण इतिहास, मनो-विज्ञान, समाजशास्त्र, प्रजातीय शास्त्र एवं गणितशास्त्र। जिन शास्त्रों में उसका थोड़ा संबंध है, वे हैं, शरीरशास्त्र, पदार्थशास्त्र, भूशास्त्र (भूगोल), संचारशास्त्र (Communication Engineering) एवं दशनशास्त्र।

### भाषाविज्ञान एवं साहित्य

साहित्य एवं भाषाविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। अपनी प्रकृति में साहित्य एक प्रकार का कला है जबकि भाषाविज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है। दोनों का मध्य संबंध का मुख्य कारण है भाषा। भाषाविज्ञान के लिए भाषा अध्ययन का साधन है। साहित्य के लिए भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। साहित्य मुख्य रूप से भाषाविज्ञान के लिये सामग्री जुटाने का काम करता है। किसी भी भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन उस भाषा की उसका साहित्यिक सामग्री के प्रयोग में ही हो सकता है। प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में भी सर्वप्रथम भाषाओं के साहित्य में ही सामग्री प्राप्त की जाती है। उदाहरणार्थ हिंदी के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना है तो उसका पुरानी रचनाओं का आधार पर ही किया जा सकता है। संस्कृत, लैटिन ग्रीक आदि प्राचीन भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी उन भाषाओं के साहित्य की सहायता से ही किया जा सकता है।

जीवित भाषाओं का अध्ययन में भी साहित्य से भाषाविज्ञान की सहायता मिलती है। साहित्यिक भाषा सामान्य भाषा से कुछ भिन्न है। भाषावैज्ञानिक के लिए यह अध्ययन का विषय है कि एक ही समुदाय में प्रचलित साहित्यिक भाषा सामान्य भाषा से किन बातों में भिन्न है तथा उस भिन्नता की क्या सामान्य विशेषताएँ हैं।

एक बार यदि साहित्य के द्वारा भाषाविज्ञान के अध्ययन में सहायता मिलती है तो दूसरा बार भाषा का व्यवस्थित जानकारी से कई साहित्यिक समस्याओं का मुलाने में सहायता मिलती है। साहित्यिक रचनाओं की प्राचीनता, प्रामाणिकता एवं गुणवत्ता के निश्चय में भाषाविज्ञान में बहुत सहायता मिलती है। उदाहरणार्थ हिंदी साहित्य के बीरगाथा-काल की रचनाओं की

प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का निणय मुख्य रूप से भाषा के आधार पर ही किया गया है ।

### भाषाविज्ञान एव व्याकरण

एक समय था जब व्याकरण एव भाषाविज्ञान को एक ही विषय समझा जाता था । आज एसा नहीं समझा जाता ।

व्याकरण किसी विशेष समय की किसी विशेष भाषा के शुद्ध प्रयोग सबंधों नियमों का समूह है । भाषाविज्ञान की वणनात्मक पद्धति द्वारा किसी भी भाषा की समस्त संरचनात्मक विशेषताओं का वणन प्रस्तुत किया जाता है । व्याकरण भाषाविज्ञान द्वारा प्रस्तुत उस सामग्री का प्रयोग करते हुए ऐसे नियमों का निर्माण करता है, जिनसे भाषा का शुद्ध प्रयोग ( अर्थात् भाषा का ऐसा प्रयोग जो शिष्ट जना का स्वीकृत हो ) किया जा सके ।

ऐतिहासिक व्याकरण का आधार ऐतिहासिक भाषाविज्ञान पर है एव एक से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण, तुलनात्मक भाषाविज्ञान का सहायता से ही तयार किया जा सकता है ।

भाषाविज्ञान यथाशक्ती है क्याकि वह भाषा में प्रचलित समस्त प्रयोगों का स्वीकार करता है किंतु व्याकरण आश्रयवादी है क्याकि व्याकरण में उही प्रयोगों को स्वीकार किया जाता है जो शिष्ट जना द्वारा स्वीकृत हों । पाणिनि भाषावैज्ञानिक एव व्याकरण दाना थे । भाषावैज्ञानिक के रूप में उन्होंने उस समय में प्रचलित समस्त संस्कृत रूपों का विवचन किया है । व्याकरण के रूप में उन्होंने उन रूपों में से कुछ रूपों का स्वीकार किया है एव अन्य रूपों का या तो अस्वीकार किया है या तो उन्हें अपवाक के रूप में रखा है ।

### भाषाविज्ञान एव इतिहास

संस्कृतियों एव देशों के समान भाषाओं का भी इतिहास होता है । भाषाओं का इतिहास दो प्रकार का होता है—आन्तरी इतिहास एव बाहरी इतिहास । भाषा के बाहरी इतिहास का संबंध भाषा की बाह्य परिस्थितियों से है । यही पर भाषा एव इतिहास का संबंध जुड़ता है । इतिहास एसी घटनाओं ( वास्तव में परिस्थितियों ) का चिट्ठा है जिन घटनाओं ने समाज का भाषा संरूपन में भाग लिया है । भाषा समाज से संबद्ध होने के कारण इन बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होती है । यह पहले ही बतल दिया गया है कि किस

इस्लामी एवं अंग्रेजी शासन ने हिंदी को प्रभावित किया तथा भक्ति-आंदोलन ने ब्रजभाषा के विकास में सहायता प्रदान की। जब स्वतंत्र भारत का नया इतिहास लिखा जायगा तब भाषा पर आधारित प्रात रचना, भाषाई झगड़े राजभाषा एवं सपक भाषा की समस्या तथा उसका प्रभाव आदि विषयों के विवेचन में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का विवेचन होगा ही। हिंदी के वर्तमान स्वरूप का तभी सही अर्थों में समझा जा सकता है जब उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा जाय।

इतिहास के अनेक तथ्यों को समझने में भाषागत सामग्री बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। भाषा के प्रकाश में ही अर्थों के इतिहास के अनेक तथ्य स्पष्ट हो सकते हैं।

### भाषाविज्ञान एवं मनोविज्ञान

विचार एवं भाषा में निकट सम्बन्ध है। विचार को अर्थपूर्ण भाषा तथा भाषा का अर्थपूर्ण विचार कहा जाता है।

विचार का अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है। विचार अमूर्त होता है। उसका अर्थपूर्ण तभी किया जा सकता है जब वह मूर्त रूप धारण करे। भाषा, विचार का मूर्त रूप है। अतः विचार के अध्ययन में भाषा का अध्ययन (भाषाविज्ञान) सहायक सिद्ध होता है। इसी से आज-कल मानसिक रोगियों की मानसिक स्थिति को समझने तथा उनका उपचार करने में भाषाविज्ञान से सहायता ली जाती है।

भाषा के अध्ययन में भी मनोवैज्ञानिक जानकारी का उपयोग किया जा सकता है। भाषा के दार्शनिक अर्थ अर्थात् अर्थ का सव्य विचार से है। इसलिए भाषा के अर्थ निर्धारण अर्थ भिन्नता, अर्थ परिवर्तन जैसे विषयों के विवेचन में मनोविज्ञान की सहायता ली जा सकती है।

ऐसा अध्ययन जिसमें मनोविज्ञान एवं भाषाविज्ञान एक-दूसरे के सहायक हों मानववैज्ञानिक भाषाविज्ञान (Psycho linguistics) कहलाता है।

### भाषाविज्ञान एवं समाजशास्त्र

भाषाविज्ञान का समाजशास्त्र से सम्बन्ध है। समाजशास्त्र मनुष्य का सामाजिक परिवर्तन में अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में उन समस्त सामाजिक रूपों परिलक्षितियों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य की जीवन

पद्धति को प्रभावित करती है। भाषा एक सामाजिक संस्था है जो मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन का आधार है। इसलिए समाजशास्त्र के लिए भाषा के अध्ययन की बहुत अधिक उपयोगिता है। बहुत से सामाजिक संस्था का पता भाषा के द्वारा ही रखा जाता है। उदाहरणार्थ आर्यों के सामाजिक जीवन संस्था बहुत से जानकारी आर्यों को भाषा से ही प्राप्त हुई है।

जैसे समाज के अध्ययन में भाषा संस्था जानकारी उपयोगी सिद्ध होती है वैसे ही भाषा के अध्ययन में समाजशास्त्रीय अध्ययन से सहायता प्राप्त होती है। किसी भी जाति की सामाजिक रचना एवं संस्कृति का समझ बिना, उस जाति को भाषा का पूरा अध्ययन नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ प्रेम का जो अर्थ भारतीय समाज में है, अंग्रेजों का एव (love) का उक्त अर्थ का पूरा रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। भारतीय संस्कृति का समझ बिना प्रेम, श्रद्धा, भक्ति जैसे शब्दों के अर्थ का पूरा रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता।

### भाषाविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र

शिक्षा, विशेषकर भाषा की शिक्षा के भाषाविज्ञान का निकट संबंध है। यह निर्णय करना भाषाविज्ञानिक का ही काम है कि भाषा में क्या क्या सिखाया जाय। भाषा की पाठ्य एवं सहायक पुस्तकों की रचना, व्याकरण का निर्माण, बतना का निर्धारण, लिपि का निर्माण एवं सुधार आदि शिक्षा के कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें भाषा विज्ञान के अनिवार्य रूप से सहायता की जानी चाहिए। किस अवस्था में कितनी और कौन से भाषाएँ सिखलाई जाय, इसका निर्णय भी राजनीतियों को नहीं, भाषा विज्ञानियों को करना चाहिए।

मातृभाषा के सिवाय अन्य भाषाओं के सिखलाने में तो भाषा वैज्ञानिक जानकारी और भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भाषा वैज्ञानिक जानकारी एवं यंत्रों की सहायता से बड़े बड़े समय में बहुत उत्तम ढंग से विदेशी भाषा की शिक्षा दी जा सकती है।

इस प्रकार भाषा की शिक्षा में भाषा विज्ञान सहायक सिद्ध होता है।

### भाषाविज्ञान एवं अन्य शास्त्र

उपरोक्त विज्ञानों एवं शास्त्रों के अतिरिक्त भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों एवं शास्त्रों से संबंध है।

ध्वनियों का सबद्ध उच्चारण अगो एवं श्रवण अर्गों से है। इसलिए ध्वनियों के अध्ययन में 'शरीर विज्ञान' से भी सहायता लेनी पड़ती है। वस ही उच्चारण की त्रुटियाँ ( Speech defects ) को समझने एवं सुधारने में भाषा विज्ञान से सहायता ली जा सकती है। उच्चारण उपचार' ( Speech Therapy ) अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा विज्ञान एवं शरीर विज्ञान के अध्ययन-क्षेत्र मिलते हैं।

उच्चारण के पश्चात् ध्वनियाँ वायु तरंगों की सहायता से प्रसारित होकर दूसरे व्यक्ति के कान तक पहुँचती हैं। वायु-तरंगों एवं ध्वनि के परस्पर प्रभाव का अध्ययन 'पदाय विज्ञान' के अंतर्गत होता है। ध्वनियों के तरंगत्मक ( Acoustic ) एवं प्रायोगिक ( Experimental ) अध्ययन में भाषा विज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का सबद्ध पदाय विज्ञान से भी है।

भूगोल तथा भूशास्त्र से भी भाषा विज्ञान का अच्छा संबंध है। भाषा विज्ञान के अध्ययन का एक विषय 'भाषा भूगोल' भी है। अध्ययन में भाषा के भौगोलिक वितरण, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हुए भाषाई परिवर्तन किसी भाषा की बोलियों में विभाजन तथा उन बोलियों का परस्पर भौगोलिक संबंध आदि विषयों का विवेचन होता है। इन विषयों के अध्ययन में भाषाविज्ञान भूशास्त्र से सहायता लेता है। ऐसे ही भाषा में प्रातः शब्दों के द्वारा कितने ही भौगोलिक तथ्यों का पता लगता है। 'पंजाब' शब्द से ही ता यह भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है कि इस स्थान पर पाँच नदियाँ स्थित हैं।

भाषा का संबंध 'प्रजातीय विज्ञान' ( Ethnology ) से भी पड़ता है। प्रजातीय विज्ञान का सबद्ध मनुष्य के सामाजिक विकास से है। जातियाँ एवं जन जातियों के अध्ययन में भाषा विज्ञान एवं प्रजातीय विज्ञान एक दूसरे के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। इन दोनों के सम्मिलित अध्ययन का नाम प्रजातीय भाषा विज्ञान ( Ethno-linguistics ) है।

'संचार विज्ञान' अथवा 'संचार प्राविधि' ( Communication Engineering ) भाषा के संचार अर्थात् प्रसार का विज्ञान है। भाषा विज्ञान द्वारा जो भाषा की व्यवस्थित जानकारी प्राप्त होती है उसका प्रयोग संचार विज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान एवं संचार विज्ञान का आपस में संबंध है।

भाषाविज्ञान का सवष्य दानशास्त्र से भी है। दानशास्त्र में विचार का अध्ययन किया जाता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि भाषा एक प्रकार का व्यक्त विचार है, इसलिए भाषाविज्ञान एवं दानशास्त्र में निरुद्ध का सवष्य है। भाषा में धीरे-धीरे सवष्य अथवा सवष्य विचार से है। सवष्य विचरन में दानशास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। यह ही भाषा विज्ञान द्वारा प्रस्तुत सवष्य सवष्य जानकारी का प्रयोग दानशास्त्र में किया जाता है।

इस प्रकार में दया जाय ता भाषाविज्ञान का सवष्य प्रायः ज्ञान की समता साधना से है।

## २७ भाषाविज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता अथवा लाभ

सामान्य रूप से कला का उद्देश्य मनुष्य की भावात्मक सुखा एवं विज्ञान का उद्देश्य उसकी पानात्मक उत्कृष्टता की सुत करना है। इसलिए प्रत्येक विज्ञान का मुख्य हेतु केवल मनुष्य की विज्ञान की सुत करना होता है। उसके अन्त ममस्त हेतु अथवा लाभ उससे प्राप्त जानकारी का उपयोग करन से ही प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ गणित विज्ञान का उद्देश्य मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि करना है। आज गणित विज्ञान से प्राप्त जानकारी का प्रयोग कर अनक लाभ उठाए जा रहे हैं।

उसी प्रकार भाषाविज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की भाषा सवष्य उत्कृष्टता की सुत करना है। यों भाषाविज्ञान द्वारा प्रस्तुत भाषा सवष्य व्यवस्थित जानकारी का विभिन्न क्षत्रों में प्रयोग कर उससे अनक लाभ उठाए जा रहे हैं। इन ही भाषाविज्ञान के लाभ अथवा उसकी उपयोगिता कहा जा सकता है। इस प्रकार भाषाविज्ञान के अध्ययन से कई लाभ होते हैं जिनमें से कुछ का यहाँ बणन किया जाता है।

( १ ) भाषा मनुष्य के दैनिक व्यवहार की वस्तु है किंतु वह अत्यन्त चकित करनेवाला वस्तु है। भाषा की व्यवस्थित जानकारी से मनुष्य का भाषा सवष्य जिज्ञासा गत होती है।

( २ ) भाषा की वज्ञानिक जानकारी से प्राचीन इतिहास पर जोर पड़ता है। जस भारोपीय भाषा की जानकारी से आर्यों के प्राचीन इतिहास की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है।

( ३ ) भाषा की वज्ञानिक जानकारी से किसी जाति की सस्कृति की समझने में सहायता मिलती है। आर्यों की प्राचीन सस्कृति की बहुत सी जानकारी आर्यों की भाषा के माध्यम से ही प्राप्त हुई है।

( ४ ) भाषाविज्ञान का कई मानवीय एवं भौतिक विज्ञानों से संबंध है । भाषाविज्ञान के अध्ययन से उन विज्ञानों का समझने में सहायता मिलती है । विशेषकर मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास आदि का तो भाषा विज्ञान में निकट का संबंध है । यों शरीर विज्ञान, संचार प्राविधि ( Communication Engineering ) से भी उसका संबंध है । इसलिए आजकल जन-जातियों के अध्ययन, मानसिक रोगियों के परीक्षण, उच्चारणगत दोषों के निवारण आदि में भाषाविज्ञानिका से सहायता ली जाती है । भाषा पर आधारित राज्य गठन ने भाषावैज्ञानिक को राजनीति से भी जोड़ दिया है । भाषागत मोमा विवादों को निपटाने के लिए आजकल भाषावैज्ञानिका की सहायता ली जा रही है । राष्ट्रभाषा, संघ भाषा या राज्य भाषा अथवा शिक्षा के माध्यम की भाषा जैसे प्रश्न राजनीति के प्रश्न होने पर भी भाषाविज्ञान से जुड़े हुए हैं । ऐसी कई राजनैतिक समस्याएँ भाषाविज्ञान की सहायता से सुलझाई जा सकती हैं ।

( ५ ) विदेशी भाषाओं को सीखने में भाषावैज्ञानिक से बहुत अधिक सहायता मिलती है । विदेशी भाषा सीखना कितना धर्मसाध्य है, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि स्कूल में १०-१२ वर्ष अंग्रेजी का अध्ययन करने पर भी माचारणतया भारतीय बालक में इतनी योग्यता नहीं होती कि वह अंग्रेजी के चार वाक्य सुद्ध लिख सके अथवा बोल सके । भाषा वैज्ञानिक पद्धति से, प्रयोगशाला की सहायता से यदि विदेशी भाषा सिखाई जाय तो ६ सप्ताहों के अभ्यास से विद्यार्थी इतनी योग्यता प्राप्त कर सकता है कि वह उम विदेशी भाषा में बड़ी सरलता एवं सहजता से बातचीत कर सके ।

( ६ ) भाषावैज्ञानिक जानकारी का एक लाभ शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है । इस जानकारी के आधार पर भाषा संबंधी पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने में बड़ी सहायता मिलती है । उदाहरणार्थ विद्यालयों में पहले दिन से 'क ख' आदि वर्णों के लिखने से पढ़ाई आरंभ होती है । भाषाविज्ञान का यह माना हुआ तथ्य है कि सीखने की चार अवस्थाएँ क्रम से सुनना, 'बोलना', 'पढ़ना' एवं लिखना है अर्थात् 'लिखना' अंतिम अवस्था है उसी से भाषा सीखने का आरंभ किया जाता है । फिर यह भी एक तथ्य है कि कठ से निकलनेवाला ध्वनियों ( प फ आदि ) से अधिक धर्मसाध्य होती है इसलिए भाषा सिखाते समय आरंभ प फ से करना चाहिए न कि क ख से ।



(७) प्राचीन साहित्य व समाज एव उसकी प्रामाणिकता का परमन में भाषावैज्ञानिक जानकारी उपपन्न होती है। जब यह जान हा गया कि प्राचीन का- का मू-य ध्वनि 'व' का उच्चारण मध्यकाल तक प-धन पु-धने की स्थितिया में ल हा गया तब क-व-र आदि मध्यकालीन कवियों में लिखित व का 'ल' उच्चारण कर उदा- मही पाठ समाज में सुविधा प्राप्त हुई। धने हा पृथ्वीराज रामा आदि रचनाओं का प्रामाणिकता में सबसे ब-य स-ह भाषा का आधार पर उत्पन्न हुआ है। इन रचनाओं की भाषा रचना, उस का- की भाषा का अनुरूप दिखाई नहीं पड़ती।

(८) आज का युग यत्र-युग है। जीवन व अनेक धर्मों में यत्रा का प्रसार हा रहा है। इनमें से कई यत्रों का मूल्य भाषा स है। एमे यत्रों के निर्माण व भाषावैज्ञानिक जानकारी स सहायता प्राप्त होती है। ट-य यत्र अनुवाद की म-गो-त तथा सचार के अ-य यत्रों व निर्माण में भाषाविज्ञान की सहायता आवश्यक है।

(९) ऐसी भाषाएँ जिनकी कोई लिपि नहीं है, उनकी लिपि का निर्माण करने के लिए उस भाषा की वैज्ञानिक जानकारी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है। वस ही भाषा की वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लिपि में आवश्यक सुधार संभव होता है। उदाहरणार्थ देवनागरी लिपि में आज यदि सुधार करने का विचार किया जाय तो वह हिंदी भाषा की सरलतात्मक जानकारी के आधार पर ही किया जा सकता है।

(१०) भाषा की वैज्ञानिक जानकारी से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि भाषा सबकी अह भाव नहीं रहता। भाषाविज्ञान के अध्ययन से यह बान स्पष्ट हो जाती है कि न तो कोई भाषा देववाणी है और न ही कोई दत्यवाणी न कोई भाषा ऊँच है और न कोई नीच न तो कोई भाषा मधुर होती है न कोई कट्टा। प्रत्येक भाषा अपने आप में ऐसी सामर्थ्य रखती है कि उसने बालनेवाले उसके माध्यम से अनेक विचार सरलतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं। भाषाविज्ञान व अध्ययन से भाषा सबकी अनेक पूर्वाग्रह एव दुराग्रह समाप्त हो जाते हैं। कहना न होगा कि आज भारत में भाषाविज्ञान के अध्ययन की ब-नहु अधिक आवश्यकता है। भाषाविज्ञान का अध्ययन न केवल भाषाई कटुता को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, वरन उससे राष्ट्र की भावात्मक एकता में भी सहायता मिल सकती है।

## २८ भाषावैज्ञानिक अध्ययन का इतिहास

मनुष्य एक विचारशील एवं तकशील प्राणी है। अपने आसपास के समस्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने की उसमें बलवती इच्छा रहती है। भाषा के अध्ययन के पीछे भी उसकी यही उत्कठा विद्यमान है।

भाषा के अध्ययन का इतिहास बहुत पुराना है। भाषा का अध्ययन एक अकारण जातियाँ एवं देशों के सांस्कृतिक विकास से जुड़ा हुआ है। जिन देशों की भाषाएँ विकसित साहित्य समृद्ध एवं संस्कृति उच्च रहा है, उन देशों में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भी अधिक हुआ है। यों तो चीन, जापान, अरबस्तान आदि देशों में भी भाषावैज्ञानिक कार्य हुआ है किन्तु भारत एवं योरोप इस अध्ययन के केंद्र रहे हैं। यहाँ भारत एवं यूरोप में हुए भाषावैज्ञानिक अध्ययन का सभिस विवरण दिया जा रहा है।

### २८१ भारत में भाषावैज्ञानिक अध्ययन

भाषावैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से भारत का स्थान सभार के समस्त देशों में प्रमुख है। भारत में हुए इस अध्ययन की प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण है वैदिक साहित्य ( जो सभार का प्राचीनतम साहित्य है ) में ऐसा उल्लेख है कि देवताओं ने इन्द्र से यह निवेदन किया कि वे उनको वाणियों को खड़ा में विभाजित कर दें। वैदिक साहित्य का समय ई० पू० १५वीं शताब्दी से भी पहले का माना जाता है।

भारत में हुए भाषावैज्ञानिक अध्ययन की दो कालों—प्राचीनकाल एवं आधुनिककाल—से विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन अध्ययन मुख्य रूप से व्याकरणिक है तथा आधुनिक काल के अध्ययन का आधार आधुनिक भाषा विज्ञान है। प्राचीन काल का अध्ययन मुख्य रूप से प्राचीन एवं मध्यकालीन आयभाषाओं के अध्ययन तक सीमित है। आधुनिक काल का अध्ययन प्रयुक्त भाषा में विस्तृत है। उसमें न केवल प्राचीन एवं तरकालीन भाषाओं का अध्ययन हुआ है वरन् भाषा में सबद्ध अर्थ विषयों का विवेचन हुआ है।

#### प्राचीन अध्ययन

अध्ययन की सुविधा के लिए इस अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है प्राचीन भाषाओं का अध्ययन एवं मध्यकालीन भाषाओं का अध्ययन।

## प्राचीन भाषाओं का अध्ययन

प्राचीन भाषाओं के अध्ययन को तीन काल-खंडों में विभाजित किया जा सकता है।

- (क) पाणिनि से पूर्व का अध्ययन।
- (ख) पाणिनिकालीन अध्ययन।
- (ग) पाणिनि के पश्चात् का अध्ययन।

### (क) पाणिनि से पूर्व का अध्ययन

पाणिनि से पूर्व का अध्ययन ब्राह्मण ग्रंथों से आरंभ होता है। ये ग्रंथ वेदों के पश्चात् रचे गए थे। ऐतरेय ब्राह्मण इस दृष्टि में मुख्य है। इन ग्रंथों में भाषा को खंडों में विभाजित करने तथा शब्दों के अर्थ समझाने का प्रयत्न किया गया है।

ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात् 'पदपाठ' की पद्धति आरंभ हुई। इस पद्धति में वेद-वाक्य, पदों में विभाजित किये गए। इस विभाजन में संधि, समास, स्वराघात आदि पर ध्यान दिया गया।

भाषा का अधिक भाषावैज्ञानिक अध्ययन प्रातिशाख्यों एवं शिक्षाग्रंथों में मिलता है। प्रातिशाख्यों में वदिक साहित्यों के उच्चारण का सुरक्षित रखन का प्रयत्न किया गया है। इस कारण इनमें उच्चारण से संबंधित विषयों यथा ध्वनिया का वर्गीकरण, उच्चारण, मात्र, स्वराघात आदि की चर्चा है। इसके साथ ही प्रातिशाख्यों में शब्द-भेद (नाम आख्यात उपसर्ग आदि) की भी चर्चा है। शिक्षाग्रंथों का संबंध भी मुख्य रूप से ध्वनि विवेचन से है।

वदिक साहित्यों को सुरक्षित रखने के लिए उनका संग्रह किया गया जिन्हें निघण्टु कहते हैं। निघण्टु वदिक शब्दों का कोष है।

पाणिनि पूर्व के भाषा अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में रचित निरुक्त। निरुक्त का आधार निघण्टु है। निघण्टु में केवल शब्दों का संग्रह है उतने अर्थ का विवेचन नहीं है। निरुक्त में, निघण्टु के शब्दों का अर्थ का विवेचन किया गया है। वदिक साहित्य से प्रयोग के उदाहरण देकर उनका अर्थ को स्पष्ट किया गया है। निरुक्त संभवतः विश्व का ऐसा सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें अर्थ का ऐसा सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचन है। अर्थ विवेचन के अतिरिक्त निरुक्तकार ने भाषा का उत्पत्ति रचना शब्द एवं अर्थ का संबंध शब्द-भेद आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला है। पाणिनि ने जिस धातु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था,

उसका संकेत यास्क ने ही किया था। याता पाणिनि से पूर्व के कुछ अन्य व्याकरणों यथा आशुलि, काशकृष्ण, इद्र आदि का उल्लेख भी मिलता है किन्तु वे इतने प्रसिद्ध नहीं हुए।

### (ख) पाणिनि कालीन अध्ययन

इसके पश्चात् पाणिनि का आविर्भाव होता है। जिन्होंने संस्कृत भाषा का विवेचन करते हुए 'अष्टाध्यायी' की विस्मयकारी रचना की।

पाणिनि का जन्म भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश, गांधार के शांगतुर नामक स्थान पर हुआ था। उनका समय ई० पू० ५वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है।

पाणिनि निस्संदेह विश्व के सर्वश्रेष्ठ भाषावैज्ञानिक थे, जिन्होंने संस्कृत जैसी जटिल भाषा का वैज्ञानिक पद्धति से, सूत्र रूप में वर्णन किया है। यह वर्णन इतना पूर्ण सक्षिप्त एवं तत्त्वपूर्ण है कि आधुनिक भाषावैज्ञानिक भी इसका लोहा मानते हैं।

अष्टाध्यायी में आठ अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में चार पाद और प्रत्येक पाद में कई सूत्र हैं। कुल सूत्रों की संख्या चार हजार के लगभग है। इन चार हजार सूत्रों का आधार चौदह मुख्य सूत्र हैं, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। मात्र चौदह सूत्रों में संस्कृत जैसी भाषा का संपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करना सही अर्थों में बुद्धि के चमत्कार का ज्वलंत उदाहरण है। अष्टाध्यायी की मुख्य विशेषताएं हैं— ध्वनियों के निर्माण एवं वर्गीकरण का वर्णन, शब्दों का सुवर्त एवं तिङ्शत वर्गों में विभाजन, समस्त शब्दों को मूल धातु से जोड़ना, मूल इकाई के रूप में वाक्य की मायता।

पाणिनि काल में ही कात्यायन एवं पतञ्जलि की भी गणना की जानी चाहिए। यों उनका समय पाणिनि के कुछ बाद का है किन्तु इनके काय का आधार पाणिनि की अष्टाध्यायी ही है।

कात्यायन का समय ई० पू० २-३ शताब्दी माना जाता है। कात्यायन ने 'वार्तिक' में पाणिनि के सूत्रों की विवेचना की एवं उनके दोष दिखलाने का प्रयत्न किया।

पतञ्जलि ने, जिसका समय ई० पू० १५० के आसपास माना जाता है, 'महामाध्य' की रचना की। महामाध्य का उद्देश्य कात्यायन के इस विचार

का राइन करना या कि पाणिनि के सूत्रों में कोई दोष है। पतञ्जलि ने कात्यायन की उठाई हुई शक्तियों का उत्तर देने में साय-साय पाणिनि के कठिन सूत्रों की व्याख्या भी प्रस्तुत की।

पाणिनि कात्यायन एवं पतञ्जलि को 'मुनित्रय' कहा जाता है। इन तीनों महान व्याकरणों ने संस्कृत भाषा में अध्ययन की पूर्णता प्रदान की है।

### ( ग ) पाणिनि के पश्चात् का अध्ययन

प्राचीन भाषा संस्कृत के अध्ययन की परंपरा यद्यपि पाणिनि काल के पश्चात् भी बराबर चलती रही किंतु पाणिनि काल के पश्चात् किसी मौलिक व्याकरण का प्रायः अभाव-सा रहा। परवर्ती व्याकरण मुख्य रूप से टीकाकारों के, जिनका कार्य अष्टाध्यायी की टीका तथा ही सीमित है। इन टीकाकारों में मुख्य से काणिकाकार, जयादित्य एवं धामन तथा वाक्य-परीयकार भट्टहरि। टीकाकारों में अतिरिक्त अष्टाध्यायी के स्पष्टीकरण के लिए कौमुदियों की रचना भी हुई। कौमुदीकारों में प्रसिद्ध हैं— ह्रस्वमाला के लेखक विमल सरस्वती तथा सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजि दीक्षित।

### मध्यकालीन भाषाओं का अध्ययन

#### ( य ) पालि का अध्ययन

मध्यकालीन भाषाओं के रूप में पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है।

पालि के अध्ययन से सबद तीन व्याकरण प्रसिद्ध हैं— य हैं—कच्चायन, भोग्गलायन, अग्गवस। कच्चायन की रचना 'कच्चायन व्याकरण' है। विमलवुद्धि द्वारा की गई कच्चायन की टीका बहुत प्रसिद्ध है। कच्चायन का समय ई० की ८वीं, ९वीं, शताब्दी के आसपास माना जाता है।

भोग्गलायन का समय १२वीं शताब्दी के निकट का है। इनका प्रसिद्ध रचना 'भोग्गलायन व्याकरण' है। भोग्गलायन ने स्वयं भी उस व्याकरण की टीका लिखी थी। इसके सिवाय कुछ दूसरी टीकाएँ भी इस ग्रंथ पर लिखी गई हैं।

अग्गवस का समय भी १२ शताब्दी माना जाता है। उनकी रचना है 'सिद्धनीति'। यह रचना भारत की अपेक्षा श्रीलंका में अधिक प्रचलित है।

## ( र ) प्राकृत एवं अपभ्रंश का अध्ययन

प्राकृत भाषाओं के अध्ययन से सबद्ध प्राचीनतम रचना वररश्चि द्वारा रचित 'प्राकृत प्रकाश' है। वररश्चि का समय ५वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। प्राकृत प्रकाश में विभिन्न प्राकृत भाषाओं का वर्णन है। महाराष्ट्री प्राकृत का वर्णन अधिक विस्तार से किया गया है।

प्राकृत पर लिखी अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—हेमचन्द्र द्वारा रचित 'सिद्ध हेमचन्द्र ( १२वीं शताब्दी ) त्रिविक्रम द्वारा लिखित 'प्राकृत व्याकरण ( १३वीं शताब्दी ), एवं मारकण्डेय द्वारा रचित 'प्राकृत सप्तशतक ( १७वीं शताब्दी )। इनमें से हेमचन्द्र की रचना में प्राकृत भाषाओं के साथ अपभ्रंश का भी विवेचन मिलता है। अपभ्रंश पर लिखी स्वतंत्र रचना का अभाव है। अपभ्रंश का विवेचन प्रायः प्राकृत भाषाओं के साथ ही मिलता है। अपभ्रंश का सबसे विस्तृत वर्णन हेमचन्द्र की रचना 'सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन में, मिलता है।

## ( ल ) अन्य

उपरोक्त व्याकरणों के अतिरिक्त साहित्याचार्यों, मोमासका एवं नैयायिकों ने अपनी रचनाओं में ध्वनि, शब्द-शक्ति आदि का विवेचन किया है। इस सन्दर्भ में ध्वन्यालोक, साहित्य-दण्ड, काव्य प्रकाश, शब्द शक्ति प्रकाशिका आदि ग्रन्थों का नाम लिया जा सकता है।

## आधुनिक अध्ययन

जैसे साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों का श्रेय यूरोप एवं यूरोपीय संस्कृत के संपर्क को दिया जाता है, वैसे ही आधुनिक भाषावैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय भी यूरोपीय विद्वानों को है। इन विद्वानों ने आधुनिक भाषाविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक ( आय एवं आर्सेतर ) भाषाओं का अध्ययन किया है। आधुनिक अध्ययन का आरंभ १९वीं शताब्दी से आरंभ होता है। इन यूरोपीय विद्वानों में से प्रसिद्ध विद्वानों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

विशेषकर, जिन्होंने १८५६ में 'द्विविध भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण' प्रस्तुत किया।

जान बोमस, जिन्होंने १८७२-१८७५ में अपनी प्रसिद्ध रचना 'भारतीय आय भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण' प्रकाशित की।

१८७२ में द्रष्टव्य न सिधी व्याकरण का रचना का ।

कलाग की रचना 'हिन्दी भाषा का व्याकरण १८७९ में प्रकाशित हुई ।

हानली का पूर्वी भाषाओं एव हिन्दी का तुलनात्मक अध्ययन १८८० ई० में प्रकाशित हुआ ।

प्रियमन का नाम भारतीय भाषाशा का अध्ययन करनेवाले विद्वानों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है । या तो विहारा भाषा पत्राची भाषा एव कमीरी भाषा पर प्रकाशित इनकी रचनाएँ भी प्रसिद्ध हैं, किन्तु भाषावैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में इनकी अमर रचना है 'भारतीय भाषाशा का सर्वेक्षण । यह महान एव विनाल गुण ११ सहा में है तथा इसमें भारत का भाषाशा एव उनकी बालिया की व्यावसायिक सरचना का विनाद विवेचन है ।

टनर का 'नेपाली कोश भी एक अद्वितीय रचना है, जिसमें नेपाली भाषा की व्युत्पत्ति देने के साथ साथ भारत का मुख्य भाषाशा के तुलनात्मक कार्य भी दिए गए हैं । टनर की विधी गुजराती एव मराठी पर भी महत्वपूर्ण रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं ।

जूल ब्लाण की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, 'मराठी की रचना एव भारतीय वाय भाषाएँ' ।

आधुनिक भाषाविज्ञान के प्रकाशन में अनेक भारतीय विद्वानों ने भी कार्य किया है । इन विद्वानों में से कुछ प्रसिद्ध विद्वान हैं डॉ० ताराशेरवाला, डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी डॉ० सुकुमार सेन डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा, बाबू स्वामसुन्दर दास डॉ० बाबुराम सवसेना डॉ० धीरेंद्र वर्मा डा० एस एम कत्रे, डॉ० ए एम घाटने डा० पी डी पंडित डॉ० मेहदले, डॉ० उदयनारायण तिवारी, डॉ० पटनायक डॉ० बेलकर डा० भ० कृष्णामूर्ति, हरदेव बाहरी, अगास्तिर्लिंगमपिल्लई आदि ।

वास्तविकता यह है कि भारत में आधुनिक भाषाविज्ञान का अध्ययन प्रघापन बहुत तेजी से बढ़ रहा है । कई विश्वविद्यालयों में भाषाविज्ञान के अलग विभाग स्थापित किए गए हैं । पूना एव अन्नामलाई में भाषाविज्ञान के विशेष केंद्र हैं । मैसूर में भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान स्थापित किया गया है । आगरा में भी के एम इन्स्टीट्यूट काम कर रहा है । आज भारत की विभिन्न भारतीय भाषाओं पर अनेक विद्वान् कार्य कर रहे हैं, जिनका विवेचन स्थान सापेक्ष है, जिसकी यहाँ गुणाईश नहीं है ।

## २८२ यूरोप में भाषावैज्ञानिक अध्ययन

यूरोप में हुए भाषावैज्ञानिक अध्ययन का काल क्रम से दो कालों में विभाजित किया जा सकता है। सुविधा के लिए इन्हें प्राचीन काल एवं आधुनिक काल नाम दिए गए हैं। १९वीं शताब्दी से पूर्व के संपूर्ण अध्ययन को प्राचीन काल के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस प्रकार से १९ वीं शताब्दी एवं उसके पश्चात् का अध्ययन ही आधुनिक काल में आता है।

### प्राचीन काल

यूनानी दार्शनिकों ने जीवन से संबद्ध अनेक विषयों की खोज की थी। भाषा के विवेचन का आरंभ भी मुख्य रूप से उन्हीं से होता है। इस दृष्टि से यूरोप में हुए भाषावैज्ञानिक अध्ययन का आरंभ सुकरात से मानना चाहिए।

सुकरात ने ध्वनि प्रतीक (अर्थात् 'ग'द) एवं उससे अभिन्न अर्थ के मध्य ऐच्छिक संबंध की स्थिति को स्वीकार किया था।

प्लेटो ने ध्वनियाँ के वर्गीकरण एवं वाक्य को विभाजित करने का प्रयत्न किया था।

अरस्तू ने इस दिशा में सबसे अधिक कार्य किया। उन्होंने ध्वनियाँ के वर्गीकरण का अधिक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। अरस्तू ने शब्द भेदा (समा क्रिया आदि), व्याकरणिक कृतियाँ (लिंग, वचन आदि) तथा वाक्य के विभागों का भी विवेचन किया।

उपरोक्त समस्त विद्वान् ईसा से पूर्व हुए।

भाषावैज्ञानिक दृष्टि से विभिन्न लिखा गया प्रथम व्याकरण थ्यूक्स द्वारा रचित 'ग्रीक भाषा का व्याकरण' है जो ईसा की दूसरी शताब्दी के आसपास लिखा गया था।

ग्रीस (जहाँ का मुख्य भाषा ग्रीक थी) एवं रोम (जहाँ की मुख्य भाषा लैटिन थी) में संपन्न था। इनके फलस्वरूप ग्रीक के साथ लैटिन भाषा के अध्ययन की रचि भी बढ़ी। १५ वाँ शताब्दी के आसपास कार्रस नामक विद्वान् लैटिन भाषा का एक सुंदर व्याकरण लिखा।

इसाई धर्म के प्रसार से वाइसिल की भाषा, हिब्रू का भी अध्ययन होने लगा, साथ ही ग्रीक, लैटिन एवं हिब्रू के तुलनात्मक अध्ययन की नींव पड़ी।

इस प्रकार दसवाँ शताब्दी के अंत तक, यूरोप में हुए भाषावैज्ञानिक अध्ययन में बड़ा विस्तार, गंभीरता एवं वैज्ञानिकता नहीं है।



जो ईसा से ५ शताब्दिया पूर्व के भारतीय वयाकरण पाणिनि एव पाणिनि स भी पूर्व के भारतीय वयाकरणों में मिलती ह ।

### आधुनिक काल

यूरोप न हुए भाषाव्याप्तिक अध्ययन का आधुनिक काल १९वा शताब्द के आसपास आरभ होता ह । यह कहना अनुचित न हागा कि यूरोप में आधुनिक काल का आरभ संस्कृत के अध्ययन एव विवचन से आरभ हाता ह ।

अध्ययन का प्रवृत्तिया एव उसका प्रकृति का ध्यान म रखकर आधुनिक काल का तीन चरणा में विभाजित किया जा सकता ह ।

### ( क ) प्रथम चरण

प्रथम चरण का आरभ १९वा शताब्दी के आरभ से मानना चाहिए । इसका विस्तार मोटे रूप से १९ शताब्दी के मध्य तक ह ।

इस समय का आरभ सरविलियम जोन्स से होता ह जि हांने कल्कत्ता में संस्कृत सीखने के पश्चात यह घोषणा की कि संस्कृत, ग्रीक, लटिन आदि प्राचीन भाषाओं में बहुत अधिक समानता ह । जोन्स की इस घोषणा से यूरोप के अ्य विद्वाना का इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ तथा इस दिशा में अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण काय किया ।

इस समय के अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान ह श्लेगल, रास्क ग्रिम वाप आदि ।

श्लेगल ने भारतीय भाषा एव बुद्धिमत्ता पुस्तक लिखकर, यूरोप में संस्कृत एव भारतीय ज्ञान की महत्ता का स्थापित किया । श्लेगल ने ही तुलनात्मक याकरण, ध्वनि-परिवर्तन की नियमितता, भाषाओं की समानता एव भिन्नता ( वर्गीकरण ) आदि विषया का चर्चा की ।

रास्क ने आइसलैंडिक भाषाओं का याकरण लिखा जा उस समय का आरभ वयाकरण समझा जाता था । रास्क न भाषाओं के वर्गीकरण का अतिक विवचन किया तथा संस्कृत एव द्रविड भाषाओं की पूर्ण भिन्नता पर प्रकाश डाला ।

ग्रिम, जर्मन विद्वान थे । जर्मन भाषा का लिखा हुआ उनका व्याकरण अत्यंत प्रसिद्ध ह । ग्रिम न ही जर्मन भाषा में हुए ध्वनि-परिवर्तना का विवचन किया जिन्हें आगे चलकर ग्रिम नियम का सना दी गई ।

फ्रांस वॉप उस समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान ह । वाप को तुलनात्मक भाषाविज्ञान का पिता माना जाता ह । वॉप न संस्कृत, लटिन, ग्रीक

आदि प्राचीन भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण प्रस्तुत किया। वाप ने भाषाओं के वर्गीकरण को नया रूप प्रदान किया।

इस समय व भाषाविज्ञानिक अध्ययन की निम्नलिखित सामान्य प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं

इस युग में संस्कृत भाषा के अध्ययन का विशेष महत्व रहा। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य प्राचीन भाषाओं—लटिन, ग्रीक आदि का भी अध्ययन हुआ। तुलनात्मक अध्ययन का आरम्भ हुआ। तुलनात्मक अध्ययन का फलस्वरूप भाषाओं के वर्गीकरण का काय अधिक प्रवर्धित रूप में हुआ। भाषा परिवर्तन, विशेष कर ध्वनि परिवर्तन का दिशा निर्देश किया गया।

### (ख) द्वितीय चरण

द्वितीय चरण का आरम्भ १९वीं शताब्दी के मध्य में होता है। १९वीं शताब्दी के अंत तक इसका विस्तार माना जा सकता है।

इस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे रैप, इलाइखर मैक्समूलर, ग्रासमन, वनर अस्फाली आदि।

रैप ने ध्वनियाँ का विस्तृत विवेचन किया। उन्होंने प्राचीन भाषाओं के साथ ही तत्कालीन अर्थात् जीवित भाषाओं के अध्ययन की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। ध्वनि एवं लिपि के संबंध के आधार पर रैप ने ध्वन्यात्मक अनुलेखन (जसा उच्चारण वसा लेखन) का प्रयोग किया।

इलाइखर ने या ही अनेक भाषाओं विशेषकर सिलैविक, लिथुआनियन भाषाओं का विवेचन किया किंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण काय था भारतीय भाषा का पुनर्निर्माण करना।

मैक्समूलर का भाषाविज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काय है, भाषाविज्ञान का लोकप्रिय बनाना तथा उसे विज्ञान के रूप में स्थापित करना। या तो मैक्समूलर ने भाषा से संबंध विभिन्न विषयों की चर्चा की है किंतु उनका अर्थ विवेचन महत्वपूर्ण है। मैक्समूलर भारत एवं भारतीय ज्ञान के प्रेमी थे। उन्होंने संस्कृत भाषा एवं नागरी लिपि की महत्ता का प्रतिपादन किया।

ग्रासमन एवं वनर ने ही जर्मन विद्वान थे। इन दोनों विद्वानों ने जर्मन भाषा में हुए ध्वनि परिवर्तन संबंधी ग्रिम नियम के अपवादों को दूर करने के लिए नियम सुझाए जो आगे चलकर 'ग्रासमन नियम' एवं 'वनर नियम' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

अस्कोली प्रथम विद्वान् थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि भारोपीय भाषा की समस्त विशेषताएँ संस्कृत में सुरक्षित नहीं हैं। अस्कोली ने ही विद्वान्ना का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि भारोपीय भाषा की 'क' ध्वनि, उसकी कुछ शाखाओं में तो 'ब' रही किंतु कुछ शाखाओं में स, श क रूप में विकसित हो गई। अस्कोली की इसी धारणा पर आगे चल भारोपीय परिवार में केंतुम एव सतम समुदायों की स्थापना हुई।

उपयुक्त विवेचन से इस समय की निम्नलिखित सामान्य प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं।

इस समय में संस्कृत क महत्त्व में अपक्षान्त कमी आई। प्राचीन के साथ जीवित भाषाओं के अध्ययन की प्रवृत्ति जागृत हुई। भाषाविज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। भाषा एव संस्कृति तथा भाषाविज्ञान एव अन्य विज्ञानों के संबंध का विवेचन हुआ।

### ( ग ) तृतीय चरण

इस चरण का आरंभ २०वीं शताब्दी के आरंभ से मानना चाहिए। युगमैन को इस चरण का प्रथम भाषावैज्ञानिक माना जा सकता है क्योंकि आगे चलकर भाषावैज्ञानिक अध्ययन में जिन नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ, उनका मूलमात युगमैन में मिलता है। युगमैन ने भारोपीय भाषा के ऐसे विस्तृत व्याकरण की रचना की जो आधुनिक भाषाविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। उनका वाक्य विवेचन भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

इस समय के प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिकों की एक सूची दी है। इन विद्वानों में से कुछ के नाम हैं जेसपरसन, स्वीट, समूर, सपार, ब्लूमफील्ड, हरिण, हाकट, नाइका ग्लासन, पार्सक फय, उन्मन डेयल जास, माकावगन, वाड्रिय, स्ट्रूबा, हनिगससवाल, चामस्का आदि।

इस युग में भाषाविज्ञान के अध्ययन का बहुत विस्तार हुआ है। इस समय में अनक नई विचार धाराएँ एव नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ है। इस समय की कुछ मुख्य प्रवृत्तियाँ ये हैं।

इस समय में वर्णनात्मक भाषाविज्ञान का प्रचार रूढ़ यज्ञा है। प्राचीन भाषाओं के अध्ययन की प्रथम श्रिया जा रहा है। ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ—भाषा के समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। ध्वनियों के अध्ययन में विभिन्न मतों का उपयोग होन लगा है। भाषाविज्ञान के अध्ययन में अन्य विज्ञानों

( यथा मनाविज्ञान, गणित, पदाथविज्ञान आदि ) से सहायता ली जाने लगी है तथा भाषावैज्ञानिक जानकारी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने लगा है । भाषा के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन को अधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक बनाया गया है । भाषाविज्ञान के अध्ययन से संबद्ध विभिन्न विचार-धाराओं—यथा, लंडन स्कूल, अमेरिकन स्कूल, प्राग स्कूल—का उदय हुआ है । आज भाषाविज्ञान को एक विशिष्ट विज्ञान का स्थान प्राप्त हो चुका है तथा उसका अध्ययन अत्यंत उपयोगी एवं महत्पूर्ण समझा जाने लगा है ।





## ३ भाषाओं का वर्गीकरण एवं संसार के भाषा-परिवार

- 
- भाषाओं का वर्गीकरण
- वर्गीकरण के आधार
  - रचनागत समानता
  - ऐतिहासिक सबंध
- आकृतिमूलक वर्गीकरण
  - अयोगात्मक भाषाएँ
  - योगात्मक भाषाएँ ( अदिलष्ट, दिलष्ट, प्रदिलष्ट )
- पारिवारिक वर्गीकरण
  - भाषागत समानता
  - परिवारों की रचना
  - वर्गीकरण के आधार
- संसार के भाषा-परिवार
  - भारोपीय, द्रविड, सामी, हामी, बाटू, चीनी-तिब्बती, यूरोप-अलताई, मलय-पालिनेशो, काकेशी, आस्ट्रिक, जापानी-कोरियाई, अमेरिकी
- भारत के भाषा-परिवार



## ३ १ भाषाओं का वर्गीकरण

भाषा-अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत यह बताया जा चुका है कि इस पद्धति में एक से अधिक भाषाओं की परस्पर तुलना की जाती है। इस तुलना से यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सी भाषाएँ एक-दूसरे से समानता रखती हैं तथा कौन-सी भाषाएँ एक-दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न हैं। इस जानकारी के आधार पर समानता रखनेवाली भाषाओं को एक ही समूह अथवा वर्ग में रखा जाता है। इस प्रकार समानता के आधार पर भाषाओं को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की पद्धति को भाषाओं का 'वर्गीकरण' कहते हैं।

## ३ २ वर्गीकरण के आधार

भाषाओं में जो समानताएँ प्राप्त होती हैं वे मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं। एक प्रकार की समानता को बाह्य अथवा रचना की समानता एवं दूसरे प्रकार की समानता का आन्तरिक अथवा प्रकृति की समानता कहते हैं।

जब भाषाओं को उनकी आकृति अर्थात् बाह्य समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है तब उसे आकृति मूलक वर्गीकरण' कहते हैं। इस वर्गीकरण को 'रचनात्मक वर्गीकरण', 'रूपात्मक वर्गीकरण' अथवा 'वाक्यात्मक वर्गीकरण' भी कहा जाता है। जब भाषाओं को उनकी आन्तरिक समानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बाँटा जाता है तब इस प्रकार के वर्गीकरण को 'पारिवारिक' अथवा 'ऐतिहासिक वर्गीकरण' कहते हैं। भाषाओं में भीतरी समानता तभी संभव है जबकि उनका मूल अर्थात् वंश एक ही हो। समानता रखनेवाली भाषाओं को एक ही परिवार का समझा जाता है। इस कारण इस प्रकार के वर्गीकरण को 'पारिवारिक' वर्गीकरण कहते हैं। इसे ऐतिहासिक वर्गीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पद्धति के अनुसार उन भाषाओं को एक ही वर्ग में रखा जाता है जिन भाषाओं में ऐतिहासिक संबंध रहता है।

कुछ लोग देश, घम, महाद्वीप आदि के आधार पर भी भाषाओं को वर्गीकृत करने का प्रयत्न करते हैं किंतु ऐसे वर्गीकरणों से स्वयं भाषा की विशेषताओं का कुछ भी बोध नहीं होता। इस कारण ऐसे वर्गीकरणों की बहुत कम उपयोगिता है। उपयोगिता की दृष्टि से आज आकृतिमूलक वर्गीकरण का महत्व



भी घट गया है। इसका कारण यह है कि रचना की समानता के आधार पर जिन भाषाओं का एक ही समूह अथवा वर्ग में रखा जाता है उन भाषाओं के मध्य कोई नाता रिश्ता नहीं होता। इस कारण इस वर्गीकरण से यह जानकारी प्राप्त नहीं होती कि कौन सी भाषाएँ सहायकों में एक-दूसरे से निकट संबंध रखती हैं और कौन सी भाषाएँ एक-दूसरे से भिन्न हैं। किसी भी वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना होता है कि भाषाओं के परस्पर संबंध को जाना जा सके। यदि किसी वर्गीकरण से यह जानकारी प्राप्त नहीं होती तो उस वर्गीकरण की उपयोगिता कम हो जाती है।

### ३३ आकृति मूलक वर्गीकरण

यह पहले ही कहा जा चुका है कि आकृतिमूलक वर्गीकरण का आधार भाषाओं की रचनागत समानता है। यह समानता मुख्य रूप से उन भाषाओं का पद प्रक्रिया में ही देखी जाती है। 'पद प्रक्रिया' के अन्तर्गत दो प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं एक तो शब्द से पद बनाने की प्रक्रिया, दूसरी वाक्यों में पदों के परस्पर संबंध प्रकट करने की प्रक्रिया। रचनागत समानता के आधार पर भाषाओं का अलग-अलग वर्गों में विभाजित करने के लिए प्रकृति तत्व या अर्थ तत्व (अथवा विचार अभिव्यक्त करनेवाला तत्व) एवं संबंध तत्व (एक वाक्य के समस्त प्रकृति तत्वों का परस्पर संबंध बतलानेवाला तत्व) के परस्पर संबंध का विचार किया जाता है। इस विचार से भाषाओं को पहले दो वर्गों में विभाजित किया जाता है अयोगात्मक भाषाओं का वर्ग एवं योगात्मक भाषाओं का वर्ग 'योग से जोड़ने का भाव अभिव्यक्त होता है। कुछ भाषाएँ ऐसी होती हैं जिनमें संबंध बतलाने के लिए प्रकृति तत्व में कुछ जोड़ना नहीं पड़ता। कोई भी शब्द वाक्य में जिस विशेष स्थान पर प्रयुक्त होता है उसके अनुसार ही संबंध अभिव्यक्त करता है अर्थात् वाक्य में स्थान विशेष ही शब्द को पद की योग्यता प्रदान करता है ऐसी भाषाओं को अयोगात्मक भाषाएँ कहते हैं। इसके विपरीत कुछ भाषाएँ ऐसी होती हैं जिनमें धारणात्मक तत्वा का परस्पर संबंध दिखाने के लिए उन धारणात्मक अर्थात् अर्थ तत्वा के साथ कुछ संबंध तत्व जोड़े जाते हैं। ऐसी भाषाओं को योगात्मक भाषाएँ कहते हैं। ये संबंध तत्व कई प्रकार के होते हैं, यथा-उपसर्ग प्रत्यय या परसर्ग, विभक्ति शब्द-ध्वनि परिवर्तन आदि।

### ३ ३ १ अयोगात्मक भाषाए

अयोगात्मक भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन भाषाओं में सना, विशेषण आदि जसी व्याकरणिक कोटिया ( classes ) नहीं होती। एक शब्द कहीं पर सना, कहीं पर विशेषण, तो कहीं पर क्रिया बन जाता है। अर्थात् इन भाषाओं में वाक्य में शब्द का स्थान ही उसके सवध को अभिव्यक्त करता है। चीनी अयोगात्मक भाषाओं का उत्तम उदाहरण है। उदाहरणाय चीनी भाषा में 'ब ब ब ब' का उच्चारण बलाघात के स्थान परिवर्तन से इस प्रकार किया जा सकता है कि इसके चार भिन्न अर्थ, 'स्त्री', 'राजा', 'खुशामदी' और 'बान उमठना' हो सकते हैं। प्रकृतया अंग्रेजी एवं हिंदी अयोगात्मक भाषाए नहीं हैं किंतु समझने के लिए उनसे भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। यथा अंग्रेजी का fish ( फिश ) 'मछली' शब्द तीन भिन्न स्थितियों में मात्र स्थान के आधार पर सजा, विशेषण एवं क्रिया के तीन भिन्न अर्थ दे सकता है।

(१) This is a golden fish 'यह सुनहली मछली है।'

( यहा fish सजा का अर्थ देता है । )

(२) I fish in the pond 'मैं तालाब में मछली मारता हूँ।'

( यहा fish क्रिया का अर्थ देता है । )

(३) He is a fishman 'वह एक मछली मारनेवाला ( मछुआ ) आदमी है।'

( यहा fish विशेषण का अर्थ देता है । )

यहा एक उदाहरण हिंदी का भी दिया जा सकता है।

(१) शेर जंगल का राजा है।

(२) मैंने जंगल में शेर देखा।

पहले वाक्य में शेर कर्ता का अर्थ देता है और दूसरे वाक्य में शेर का अर्थ अर्थ को यह भिन्नता प्रत्यक्ष रूप से स्थान परिवर्तन के कारण ही है।

ऐसी भाषाओं में सवध अभिव्यक्ति का दूसरा साधन होता है 'रागात्मक प्रभाव' ( Prosodic Effect ) रागात्मक प्रभाव के अंतर्गत 'आघात' ( स्वरघात बलाघात ) का समावेश होता है। आघात के परिवर्तन से वाक्य में शब्दों की स्थिति बदल जाती है। उदाहरणाय अंग्रेजी शब्द Present में यदि आघात प्रथम-r-पर होगा तो शब्द Present सना का अर्थ देगा ( अर्थ-उपहार ) और यदि आघात -s- पर होगा तो शब्द Pres'ent क्रिया का अर्थ ( प्रस्तुत करना ) देगा।

## ३ ३ २ योगात्मक भाषाएँ

योगात्मक भाषाओं में प्रकृति तत्व एवं सबध तत्व का परस्पर योग होता है। यह योग भी कई तरह का हो सकता है। प्रकृति तत्व एवं सबध तत्व का योग के आधार पर योगात्मक भाषाओं को निम्नलिखित तीन मुख्य उपवर्गों विभाजित किया जाता है

( क ) अश्लिष्ट ( Agglutinative ) ( ख ) श्लिष्ट ( Inflectional ) ( ग ) प्रश्लिष्ट ( Incorporating ) । 'श्लिष्ट' शब्द 'चिपकने' के भाव का अभिव्यक्त करता है। इस दृष्टि से इन भाषाओं का अर्थ होगा—अश्लिष्ट अर्थात् चिपका हुआ श्लिष्ट = चिपका हुआ और प्रश्लिष्ट = अच्छी तरह से चिपका हुआ।

## अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएँ

अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएँ उन भाषाओं को कहते हैं, जिनमें सबध तत्व प्रकृति तत्व से चिपका हुआ न हो। यहाँ चिपकने का अर्थ है 'विकृत' अथवा 'परिवर्तित' होना। जब यह कहा जाता है कि अश्लिष्ट भाषाओं में सबध तत्व प्रकृति तत्व से नहीं चिपकता, तब उनका तात्पर्य यह है कि प्रकृति तत्व एवं सबध तत्व के योग होने पर भी दोनों को स्वतंत्र सत्ता स्पष्ट रूप से दर्शा रही है तथा न तो प्रकृति तत्व में कोई विकार अथवा परिवर्तन होता है और न ही सबध तत्व में कोई विकार उत्पन्न होता है। एक उदाहरण लीजिए।

( क ) साप ने फुफ्फूरा।

( ख ) मैंने साप को मारा।

'साप' शब्द के साथ (क) वाक्य में 'ने' और (ख) वाक्य में 'को' सबध तत्व जुड़ा हुआ है। सबध तत्व के जुड़ने के बावजूद प्रकृति तत्व 'साप' एवं सबध तत्व 'ने' अथवा 'को' स्पष्ट रूप से अलग दिखाई पड़ते हैं साप ही न तो 'साप' के रूप में और न ही 'ने' अथवा 'को' के रूप में कोई विकार अर्थात् परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। अतः ये वाक्य अश्लिष्टत्व को प्रकृति तत्व अभिव्यक्त करते हैं।

अश्लिष्ट भाषाएँ प्रायः प्रत्यय प्रधान होती हैं अर्थात् सबध बताने के लिए प्रायः प्रकृति तत्व में प्रत्यय ( Affix ) जोड़ा जाता है। प्रत्यय यदि प्रकृति तत्व के आगे अर्थात् पूर्व जोड़ा जाता है तो भाषाएँ पूर्वयोगी, प्रत्यय यदि प्रकृति तत्व के मध्य में जोड़ा जाता है तो भाषाएँ 'मध्ययोगी' एवं प्रत्यय यदि

प्रकृति के अंत में जाड़ा जाता है तो भाषाएँ 'अतयोगी' बही जाती हैं। अफ्रीका की बाटू भाषाएँ पूव्यांगी भाषाएँ हैं। यद्यपि सस्त्रुत अदिल्ट भाषा नही ह तथापि इसमें घातु में पूवयोग का उदाहरण मिल जाता है। सस्त्रुत में घातु व पूव प्रत्यय 'अ' जोडने से भूत काल का बोध होता है। यथा, पठ = पढना और अपठत = पग।

मुडा परिवार की भाषाएँ मध्ययोगी भाषाएँ हं। मुडा परिवार की सयान्नी भाषा में 'दल का अर्थ है 'भारता' एव 'दपल' शब्द का अर्थ ह 'परस्पर मारना'। कहता न होगा कि 'दपल' शब्द के मध्य पडा हुआ—प—प्रत्यय ही 'परस्पर' का सबध बनाता है। मध्ययोग के उदाहरण हिंदी में भी मिल जाते ह। उदाहरणार्थ दौटना का अर्थ है 'खुद दौडना किंतु 'दौडाना' का अर्थ ह दूसरे स दौडने का साथ करवाना। 'दौडना' के मध्य आया हुआ—आ—प्रत्यय ही क्रिया को प्रेरणायक बनाता ह।

हिंदी तथा अन्य भारतीय अन्य भाषाएँ मुख्य रूप से अतयोगी हैं। हिंदी में लिंग, वचन, कारक, काल, अर्थ आदि अर्थों को अभिप्रेक करने के लिए अत प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। यथा 'राम' में 'ने' अत प्रत्यय जोडने स 'रामने' रूप बनता है। यहा 'ने' प्रत्यय से 'कता' का अर्थ जात होता है।

### दिल्ट योगात्मक भाषाएँ

यह पहल ही कहा जा चुका ह कि शिल्ट का अर्थ ह 'चिपका हुआ'। दिल्ट भाषाओं में सबध तत्व प्रकृति तत्व से चिपका रहता ह, अर्थात् सबध तत्व के जुडने स प्रकृति तत्व अथवा सबध तत्व अथवा दोनों तत्वों में विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन फिर भी दाना तत्वों की स्पष्ट अनुमति होता ह। उदाहरणार्थ हिन्दी में—इक' एक प्रत्यय है। 'धम' में—इक जोडने पर 'धामिक' बनता ह। मूलरूप शब्द 'धम' में—इक जोडने पर 'धम' स विकार आ गया ह और 'धम' का 'धाम' बन गया है। 'धम' एव 'धामिक' शब्दों स यह स्पष्ट मालूम पडता ह कि 'धम' में—इक प्रत्यय जुडा हुआ ह। इस प्रकार यह उदाहरण भाषा की दिल्ट प्रकृति का द्योतक ह। दिल्ट भाषाओं की विभक्ति-प्रधान भाषाएँ भी कहने हैं क्योंकि ऐसी भाषाओं में सबध बतलाने का मुख्य काम विभक्तियों द्वारा होता है।

दिल्ट भाषाएँ भी दो प्रकार की होती ह। एक ऐसी भाषाएँ होती ह जिनमें सबध तत्व प्राय अत में लगते ह। ऐसी भाषाओं को 'बहिमुख' कहत हैं। सस्त्रुत, हिन्दी, ऐसी ही भाषाएँ हैं। दूसरे प्रकार की दिल्ट भाषाओं में

सबध तत्व मध्य में बही भी जुड जाता है। ऐसी भाषाओं का 'अनमुख बहते ह। अरबी भाषा अतमुख भाषा है। अरबी में तीन व्यजन ध्वनियों के मध्य स्वरो के माध्यम स सबध तत्व की अभिव्यक्ति की जाती ह। जम क त ब' तीन-व्यजनी धातु में से 'किताब = 'लिखित रचना', कातिब' = 'लिपिनेवाला अर्थात् विद्यार्थी', मकतब' = 'जहा लिखन का काम सिखाया जाय अर्थात् 'स्कूल' आदि विभिन्न अथ विभिन्न स्वरो के माध्यम स अभिव्यक्ति किए जा सकते हैं।

### प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाए

तीसरे प्रकार की योगात्मक भाषाओं को प्रश्लिष्ट भाषाए कहते हैं। इन भाषाओं में सबध तत्व प्रकृति से ऐसे चिपक जाता ह कि दोना को एक-दूमरे से अलग कर पाना कठिन होता ह। ऐसी भाषाओं म अनेक शब्द परस्पर चिपककर एक शब्द का सा रूप धारण कर लेते ह। इस प्रकार की भाषाओं को समास प्रधान भाषाए भी कहा जाता ह क्योंकि समास क द्वारा एक से अधिक शब्द एक-दूसरे से मिलकर सबधा भिन्न शब्द का निर्माण कर लेते ह। सस्कृत मुख्य रूप से प्रश्लिष्ट भाषा ही ह। सस्कृत का एक उदाहरण देविए 'सृज' + 'क्तिन्' = 'सृष्टि' में से 'सृज्-' धातु और '-ति' सबध तत्व को अलग कर पाना कठिन ह। प्रश्लिष्टता का एक अच्छा उदाहरण सिंधी का भी लिया जा सकता ह। सिंधी में मू हुनखे मार्यो। 'मैने उसका मारा। यह पूरा वाक्य प्रश्लिष्ट होकर मार्योमासि बन सकता ह जिसका अर्थ भी ठीक यही ह 'मैने उसे मारा'। मार्योमासि में मार्यो- क्रिया क पीछे -मा एव '-सि' प्रत्यय जोडे गए ह जो क्रमश मू एव हुनखे' रूपा का प्रतिनिधित्व करते ह।

आवश्यकता पडने पर उपयुक्त उपबर्गों के और अधिक भेद उपभेद किए जा सकते ह।

भाषाओं की सामान्य प्रवृत्ति प्रश्लिष्ट स अश्लिष्ट हान की ह। सस्कृत प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा थी। प्राकृत एव अपभ्रंश भाषाए मुख्य रूप से श्लिष्ट थी हिंदी एव अन्य आधुनिक आय भाषाए श्लिष्ट से अश्लिष्ट की ओर बढ़ रहा ह, अथात् हिंदी में कुछ विनेपताए श्लिष्ट भाषाओं जसी ह एव बहुत सी विनेपताए अश्लिष्ट भाषाओं जसी ह। किसी भी भाषा में अश्लिष्टता श्लिष्टता तथा प्रश्लिष्टता के उदाहरण मिल सकते ह किन्तु उसकी मुख्य प्रवृत्ति के अनुसार ही उसका वर्ग निर्धारित किया जाता ह।

## ४ पारिवारिक वर्गीकरण

दूसरे प्रकार का वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार भाषाओं के मध्य पाया जाने वाला ऐतिहासिक संबंध है।

प्रत्येक भाषा किसी एक विशेष मानव समुदाय द्वारा प्रयुक्त हाता है। इस कारण स्वाभाविक यही है कि एक मानव समुदाय को भाषा का दूसरे समुदाय से भाषा से कोई समानता न हो किंतु अनेक बार ऐसा देखने का मिलता है कि कोई भाषाएँ एक-दूसरे से बहुत अधिक समानता दिखाती हैं ऐसी स्थिति में यह उचित पडता है कि उनमें हम प्रकार को समानता बयो है। विभिन्न भाषाओं में समानता निर्मालिखित कारणों से समभव है।

(ब) आकस्मिक

(ख) शिगु शब्दावली

(ग) अनुकरणात्मक शब्दावली

(घ) भाषाभिव्यजक शब्दावली

(ङ) भाषाई आगत

(च) समान उद्गम आगत

### (क) आकस्मिक समानता

संसार में हजारों भाषाएँ हैं तथा प्रत्येक भाषा में हजारों लाख शब्द हैं। ऐसी स्थिति में कभी-कभी परस्पर भिन्न भाषाओं के कुछ शब्दों में उच्चारणगत एक अथगत समानता दिखाई पड जाती है। उदाहरणार्थ अमेरीका की एक जन जाति की भाषा 'हाटनटाट' में 'दिशि' शब्द का अर्थ है 'दस'। इस 'दिशि' शब्द की उच्चारण अथवा अर्थ को देखि से हिंदी के 'दस' अथवा संस्कृत के 'दश' से समानता दिखाई पडती है। यह समानता आकस्मिक है। आकस्मिक समानता का प्रमाण यह हाता है कि वह बहुत ही थोड एव असंबधित शब्दों में दिखाई पडती है। उदाहरण के लिए हाटनटाट के 'दिशि' एव हिंदी के 'दस' में समानता दिखाई देती है किंतु हाटनटाट एव हिंदी की अन्य शब्दाओं में कोई समानता दिखाई नहीं पडेगी।

### (ख) शिगु शब्दावली में समानता

प्रत्येक भाषा में ऐसे कुछ शब्द हाते हैं जिनका प्रयोग शिगुओं द्वारा अपने अपने संबंधियों को संबधित करने के लिए होता है। विभिन्न भाषाओं में ऐसे

कुछ शिगु शब्द मिल ही जाते हैं जिनमें उच्चारण एवं अर्थ की समानता दृष्टि-गोचर होती है। ऐसा देखा गया है कि अम्मा, मा मम्मा, बा, आपा, अबा, बाबा पापा मामा जने शब्द बहुत सी भाषाओं में हैं। समानता रखने वाले ऐसे शब्दों की संख्या किन्हीं भी दो असंबन्धित भाषाओं में बहुत थोड़ी होती है और ये शब्द शिगु शब्दावली तक ही सीमित रहते हैं।

### (ग) अनुकरणात्मक शब्दों के कारण समानता

अनुकरण ( पशु-पक्षियों का बोलने के आधार पर बने शब्द ) के आधार पर बने शब्द बिल्लू-सी भाषाओं में समानता रहते हैं। उदाहरणार्थ चीनी भाषा में बिल्ली को म्याऊ कहा जाता है। शिगु शब्दावली के समान ही किन्हीं भी दो असंबन्धित भाषाओं में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम होती है।

### (घ) भावाभिव्यञ्जक शब्दावली में समानता

असंबन्धित भाषाओं में भी कुछ ऐसे समान शब्द मिल जाते हैं जिनमें तात्पर्य भावों की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरणार्थ आह ! आह !, जैसे भावाभिव्यञ्जक शब्द हिन्दी अंग्रेजी तथा अन्य कई भाषाओं में मिल जाते हैं। ऐसे शब्दों की संख्या बड़ी सीमित होती है।

### (ङ) भाषाई आगत के कारण समानता

विभिन्न भाषाओं में सबसे अधिक समानता आगत या उधार लिए हुए शब्दों के कारण होती है। भाषाओं में आदान प्रदान का गुण होता ही है। जब भी दो भाषाएँ एक-दूसरे के संपर्क में आती हैं, एक दूसरे का अवश्य प्रभावित करती हैं। इस प्रभाव का आवश्यक परिणाम होता है एक दूसरे से शब्द ग्रहण करना। ऐसे ग्रहण किए हुए शब्दों को ही आगत कहा जाता है। उदाहरणार्थ अंग्रेजी के संपर्क के कारण अंग्रेजी के अनेक शब्द हिन्दी में आ गए हैं जिससे अंग्रेजी एवं हिन्दी के कई शब्दों में समानता दिखाई पाने सकती है।

आगत शब्द प्रायः सांस्कृतिक शब्दावली में स्थान पाते हैं। भाषा की मूल शब्दावली ( सामान्य व्यक्ति द्वारा जीवन निवाह हेतु प्रयोग में लाए जानेवाले शब्द ) में सामान्य रूप से आगत शब्दों का समावेश नहीं होता।

### (च) समान उद्गम स्रोत

उपरोक्त समस्त समानताओं को अलग करने पर भी यदि भाषाओं में प्रभावशाली समानता दिखाई पड़े और वह समानता कुछ सांस्कृतिक शब्दों तक

ही सीमित न हो अर्थात् वह उन भाषाओं की मूल शब्दावली के बहुत बड़े अंश में दिखाई पड़ने के अनिश्चित भाषाशास्त्री के व्याकरण-मूलक एवं ध्वन्यात्मक संरचनाशास्त्री में भी दृष्टिगोचर है, तब ऐसी समानता केवल उत्पत्ति का एक स्रोत होने के कारण ही संभव है। इस संभावना ( कि भिन्न भाषाएँ संभव हैं एक ही मूल से उत्पन्न हुई हैं ) पर ही पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है।

### ३५ परिवारो की रचना

भाषाशास्त्री की पारिवारिक धारणा के पश्चात् यह जान लेना आवश्यक है कि भाषाओं के परिवार किस प्रकार बनते हैं।

सांत्विक दृष्टि से कि-ही भी दो व्यक्तियों की भाषा समान नहीं होती, पर भाषा क्या कि सामाजिक वस्तु एवं विचार संपर्क का माध्यम है, इस कारण भिन्नता के बावजूद एक संबद्ध समुदाय के समस्त व्यक्ति एक दूसरे की भाषा समझते हैं। यह इसलिए संभव होता है क्योंकि समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्ति शैली की विविधताओं का संरक्षण करने की अपेक्षा, सबको सामान्य विविधताओं का संरक्षण करने का अनायास प्रयत्न करता है। जबतक कोई समुदाय भौगोलिक दृष्टि से संबद्ध, सामाजिक दृष्टि से संगठित एवं सभ्यता की दृष्टि से सीमित रहता है तब तक उसकी भाषा में कम परिवर्तन आता है एवं उस समुदाय की भाषा एक ही बनी रहती है किंतु जब वह अमबद्ध विघटित एवं विस्तृत होने लगता है तब उसकी भाषा में भेदक तत्व बढ़ने लगते हैं एवं एक समय ऐसा आता है जब एक समुदाय अनेक समुदायों में विभाजित हो जाता है। तब प्रत्येक समुदाय अपने आप में संबद्ध हो जाता है तथा एक समुदाय की भाषा दूसरे समुदाय की भाषा से भिन्न होने लगती है। इन विभिन्न समुदायों के मध्य यदि संपर्क के साधन सुलभ एवं पर्याप्त हैं तो भिन्नता के बावजूद उन समुदायों के लिए एक दूसरे की भाषा का बिना सिखाए भी समझ लेंगे। यह ऐसी स्थिति है जब एक भाषा की अनेक उपभाषाएँ अथवा बोलियाँ बन जाती हैं। कालांतर में एक समुदाय का दूसरे समुदाय से संपर्क छूट जाना है। तब एक समुदाय जिस भाषा का प्रयोग करता है वह दूसरे समुदाय के लोगो का समझ में नहीं आती। इस प्रकार एक के स्थान पर अनेक भाषाएँ बन जाती हैं। समयान्तर में प्रत्येक समुदाय का विस्तार एवं विघटन होता है तथा प्रत्येक समुदाय की भाषा की अनेक उपभाषाएँ अर्थात् बोलियाँ बन जाती हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है और सैकड़ों-हजारों




वर्षों के पचास एक ही भाषा से अनेक भाषाएँ बन जाती हैं। यह भाषाएँ भिन्न होकर भी गठविन गमती जाती हैं तथा उन गमती भाषाओं का एक ही परिवार भदथा वन का मातृकर उनका एक ही परिवार भ रना जाता है।


भाषा व विन में भाषा-परिवार वन का प्रविन का प्रविन रना है—



चित्र—१



चित्र—२



चित्र—३

चित्र—१ एक समुदाय को इगित करता है जिसकी भाषा क है। चित्र—२ उस स्थिति को इगित करता है जिसमें एक समुदाय विभिन्न उप-समुदायों में विभक्त हो गया और इस प्रकार क भाषा की क<sub>१</sub>, क<sub>२</sub>, ... आदि उपभाषाएँ बन गई हैं। चित्र—३ उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक समुदाय विभिन्न समुदायों में विभाजित हो गया है और इस कारण 'क' की विभिन्न उपभाषाएँ स्वतंत्र भाषाएँ बन जाती हैं। स्वतंत्र हो जाने पर भी वे भाषाएँ संबंधित होने के कारण परस्पर जुड़ी रहती हैं।

### भाषा वन वृक्ष

भाषा परिवार की तुलना एक वृक्ष से की जा सकती है। जैसे किसी वृक्ष के एक ही तन से अनेक शाखाएँ विकसित होती हैं वैसे ही एक ही मूल भाषा से अनेक भाषाएँ उद्भूत होती हैं। इसी से परस्पर संबंधित भाषाओं का वृक्ष के रूप में दिखाया जाता है जिसे 'भाषा वन वृक्ष' कहते हैं।

### ३ ६ पारिवारिक वर्गीकरण के सिद्धांत

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि परस्पर भिन्न लगनेवाली भापाआ को किन आधारों अथवा सिद्धांतों पर संबंधित भापाए मानकर एक ही परिवार के अंतर्गत रखा जाता है । अन्वय शब्दों में यह पूछा जा सकता है कि वह कौन-सी प्रक्रिया है जिसका अनुसरण कर भापाओं को अलग अलग परिवारों में रखा जाता है ।

#### ३ ६ १ पारिवारिक परिकल्पना

पारिवारिक वर्गीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले तो यह परिकल्पना की जाती है कि जिन भापाओं का वर्गीकरण के लिए परीक्षण किया जा रहा है वे परस्पर संबंधित हो सकती हैं ।

#### ३ ६ २ स्थानीय निकटता

इस परिकल्पना का सबसे प्रथम आधार होता है स्थानीय निकटता । ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो भापाए एक दूसरे के निकट वाली जाती हैं वे एक ही परिवार की होंगी । बहुत बार यह अनुमान सही निकलता है किंतु यह आवश्यक नहीं है कि जो भापाए स्थान की दृष्टि से निकट हैं वे एक ही परिवार की हों और जो एक दूसरे से दूर हैं वे भिन्न परिवारों की हों । उदाहरणार्थ मराठी एक कन्नड़ भापाए स्थान की दृष्टि में एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं किंतु मराठी भारतीय परिवार की भापा है जबकि कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भापा है । दूसरी ओर हिंदी और रूसी का क्षेत्र बहुत दूर है किंतु वे एक ही परिवार की भापाए हैं । स्थान की निकटता की बेवला इनकी ही उपमायिता है कि इससे परीक्षण हेतु भापाओं का चयन करने में सुविधा होती है ।

#### ३ ६ ३ मूल शब्दावली में समानता

भापाआ के संबंधित होने की परिकल्पना को पूर्ण मिलती है जब उन भापाआ की मूल शब्दावली में प्रभावशाली समानता दिखाई पड़ती है । मूल शब्दावली अथवा भापाआ के शब्दों में या तो मुक्त रहता है अथवा बहुत ही कम प्रभावित होती है । इस शब्दावली में प्राकृतिक सामान्य पदार्थ (सूय,

पंड, आवाग, धरती आदि), गाने-गीने की गायाम्य वस्तुओं ( मुख्य ज्ञान, सञ्चिमा आदि), मुख्य रंगों ( लाल बाला लपट आदि), गायाम्य पद-संज्ञिका ( घोषा, गाय कौआ, पिटिया आदि ) व नामवाचक शब्द भा जाते हैं। १० तक सम्भवाए, मुख्य क्रियाएँ संव्याय आदि शब्द भी मूल शब्दावली में लिखे जाते हैं।

मूल शब्दावली व परीक्षण व लिये निम्नलिखित विधि का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले परीक्षणार्थ ली गई भाषाओं की मूल शब्दावली की सूचियाँ तैयार करनी चाहिए। फिर उन सूचियाँ की तुलना करते हुए गजान- (Cognate) उच्चारण-अथ की समानता रमनकाल शब्द का क्या करना चाहिए। फिर उन राजान शब्दों में प्रयुक्त अनुस्यू ध्वनियों ( Corresponding Sounds ) की तुलना करनी चाहिए और देतता चाहिए कि अनुस्यू ध्वनियों में नियमित संबंध है अथवा नहीं। यदि भाषाएँ संबंधित हानी तो उनका मूल शब्दावलीयों में बहुत अधिक मात्रा में संज्ञान शब्द हाने तथा उनही ध्वनियों में निर्मित संबंध दिखाई पड़ेगा।

### ३ ६ ४ व्याकरणात्मक समानता

मूल शब्दावली में प्रभावशाली समानता दृष्टिगोचर हान पर परीक्षण ली गई भाषाओं की व्याकरणात्मक संरचनाओं की तुलना करनी चाहिए। भाषाओं में संपक स्थापित हान पर आदान प्रदान अवश्य होता है किन्तु यह आदान प्रदान मुख्य रूप से सादावली तक ही सीमित रहता है। प्रत्येक भाषा का व्याकरणात्मक ढांचा प्रायः अपरिवर्तित रहता है। यदि व्याकरणात्मक ढांचे में दूरी भाषा के प्रभाव के कारण परिवर्तन हाना भी तो वह बहुत ही सीमित मात्रा में होगा। उदाहरणार्थ हिन्दी में उर्दू के माध्यम से संस्कृत फारसी-अरबी व शब्द ग्रहण किए हैं तथा अंग्रेजी के हजारों शब्द हिन्दी में आ गए हैं किन्तु हिन्दी का व्याकरणात्मक ढांचे पर इस भाषाई आगत ( Linguistic Borrowing ) का बहुत ही कम प्रभाव पडा है। उदाहरणार्थ हिन्दी में फारसी का सबर (= समाचार) का प्रयोग तो होता है किन्तु इसका बहुवचन हिन्दी व्याकरण के नियमानुसार सबरें, सबरो आदि बनता है न कि फारसी व्याकरण के अनुसार 'अरवार' ( हिन्दी में 'अरवार' शब्द समाचार पत्र' के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह उसका अर्थ परिवर्तन है )। वैसे ही अंग्रेजी शब्द 'बस' एवं 'बस' का हिन्दी में बहुवचन अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 'बसिज' ( Buses ) एवं

‘ग्लासिज’ ( Glasses ) नहीं होता, किंतु हिंदी व्याकरण के अनुसार ‘बसैं’ ‘बसा’, ‘ग्लासा’ आदि होता है। अतः व्याकरणात्मक समानता केवल एक स्रोत होने पर ही संभव है। यदि भाषाएँ सचमुच संबंधित हैं तो उनकी संपूर्ण व्याकरणात्मक संरचना में समानता दृष्टिगोचर होगी। यह समानता शब्द निर्माण की पद्धति ( अर्थात् मूल शब्द में उपसर्ग, परसर्ग आदि लगाकर विभिन्न शब्द बनाना। यथा ‘कर’ धातु से कर्ना, कर्म, करना, किया, कारक कृत आदि शब्द बने हैं ), शब्द विकार ( अर्थात् शब्दों में विभक्ति प्रत्यय आदि लगाकर वाक्य में प्रयोग करना। यथा ‘मैं’ से ‘मनें’, ‘घोड़ा’ से घोड़े— ‘खा’ से खाऊ आदि ) एवं वाक्य रचना पद्धति ( अर्थात् वाक्य को जोड़ने एवं वाक्य में विभिन्न शब्दों का परस्पर संबंधित करने की विधि। यथा हिंदी वाक्य में ‘कर्ता सब प्रथम, कर्म मध्य में एवं क्रिया अंत में ) में दृष्टिगोचर होगी।

व्याकरणात्मक अपवाद, व्याकरणात्मक समानता के सबसे अधिक पुष्ट प्रमाण होते हैं। उदाहरणार्थ हिंदी में ‘जाना’ क्रिया के वर्तमान एवं भविष्य काल के सम्मत् रूप ‘जा’—धातु से बनते हैं ( यथा—जाता, जाऊंगा आदि ) किंतु भूतकाल में अपवाद-स्वरूप ‘ग’ का प्रयोग होता है ( यथा—गया आदि )। हिंदी एवं मराठी की व्याकरणात्मक संरचनाओं की तुलना करने पर यह ज्ञान हो जाता है कि मराठी में भी यही स्थिति है। मराठी में ‘जाना’ ( जाणें ) क्रिया के वर्तमान एवं भविष्यकाल के रूप तो ‘जा-’ से विकसित हैं ( यथा—जातो, जाता आदि ) किंतु भूतकाल के रूप ‘ग-’ से ही आरंभ होते हैं ( यथा—गेला, गेल्या आदि )। भाषाओं में ऐसे अपवाद तभी संभव होते हैं जबकि उनकी व्याकरणात्मक संरचनाओं में प्रभावशाली समानता हो।

### ३ ६ ५ ध्वन्यात्मक समानता

भाषाओं का एक परिवार में रखने का अंतिम एवं निष्पाद्यक तत्व है भाषाओं में पाई जानेवाली ध्वन्यात्मक समानता।

ऐसा दखा गया है कि संबंधित भाषाएँ भी जब सड़क हज़ारों वर्षों के लिए एक-दूसरे से दूर रहती हैं, तब उनकी व्याकरणात्मक संरचनाओं में भी बहुत अंतर पड़ जाता है। उदाहरणार्थ आज हिंदी और अंग्रेज़ी के व्याकरणात्मक ढाँचे में बहुत अंतर है, जबकि दोनों एक ही परिवार की भाषाएँ हैं। इसी कारण भाषाओं के संबंध का निष्पादन करने के लिए व्याकरणात्मक तुलना के पश्चात् उनकी ध्वन्यात्मक संरचनाओं की तुलना करनी चाहिए। यदि अर्थ समानताओं के साथ भाषाओं की ध्वन्यात्मक संरचनाओं में भी समानता दिखाई पड़े तब

यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि व भाषाएँ सर्वप्रथम ही अथवा एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई हैं और इस कारण एक ही परिवार की हैं।

ध्वन्यात्मक समानता का अर्थ यह नहीं है कि परीक्षित भाषाओं में ध्वनियाँ एक जैसी हों। समानता एव एकरूपता में बड़ा अंतर होता है। ध्वन्यात्मक एकरूपता की स्थितियाँ में सभव हैं। एक तो परीक्षित भाषाएँ भिन्न न होकर एक ही भाषा हैं ( एक ही भाषा की व्युत्पत्तियाँ )। ऐसी स्थिति में पारिवारिक वर्गीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा परीक्षित भाषाओं में ध्वनियों का अन्तर्गत प्रदान हो गया हो। यह स्थिति भाषाई आगम का है, और भाषाई आगम के कारण उत्पन्न समानता पारिवारिक वर्गीकरण के लिए उपयुक्त नहीं होती। इस कारण भाषाई आगम से आई सामग्री को अलग करने के पश्चात् ही वर्गीकरण के लिए भाषाओं की तुलना की जाती है।

समानता से तात्पर्य ऐसे नियमित संबंधों से है जिनके आधार पर परीक्षित भाषाओं के मूल रूप ( Proto form ) की रचना की जा सकती है। यह समानता ध्वनियों की पूरी संरचना में हानी चाहिए। उदाहरणार्थ पंजाबी भाषा में हिंदी जैसी धोप महाप्राण स्पर्श ध्वनियाँ ( घ, झ, ङ, ध, भ ) नहीं हैं। इसके स्थान पर पंजाबी में तान ( Tone ) महत्वपूर्ण है। इस तान का प्रयोग अर्थात् अल्पप्राण स्पर्श ध्वनियाँ ( क, च, ट, त, प ) के साथ ही हो सकता है। इस कारण जहाँ हिंदी में व घ ध्वनियाँ परस्पर व्यतिरेकी या विरोधात्मक संबंध रखती हैं ( यथा कोड़ा चाबुक घोड़ा एक विशेष प्राणी ) वहाँ पंजाबी में क क ध्वनियाँ परस्पर व्यतिरेकी या विरोधात्मक संबंध रखती हैं ( यथा—कोड़ा चाबुक एव 'का'ड़ा एक विशेष प्राणी )।

उपयुक्त विवेचन से हिंदी एव पंजाबी की ध्वनि व्यवस्थाएँ असमान दिखाने देता है किन्तु तुलना करने पर उनमें समानता दिखाई पड़ती है। वास्तव में हिंदी एव पंजाबी की ध्वनियाँ में नियमित संबंध हैं जिन इस प्रकार सूचित किया जा सकता है।

हिंदी धोप + महाप्राण = पंजाबी तान

अतः क + धोप + महाप्राण (=घ) = क + ' (=कै)

उदाहरण—धोप = का'ड़ा

प + धोप + महाप्राण (=भ) = प + ' (=प)

उदाहरण—भाई = पाई

इस प्रकार भाषाओं के संबंधित होने का अनुमान मूल शब्दावली के सजात रूपा की समानता द्वारा पुष्ट होकर, व्याकरणात्मक समानता से निश्चयात्मक बनकर, ध्वन्यात्मक समानता से तथ्य के रूप में सिद्ध हो जाता है तथा बाह्य रूप से असंबद्ध लगनेवाली भाषाएँ संबंधित होकर विभिन्न परिवारों में विभक्त हो जाती हैं।

### ३. ७ संसार के भाषा-परिवार

पूव परिच्छेद में यह बताया गया है कि विभिन्न भाषाओं की संरचनाओं में पाई जानेवाली समानता के आधार पर संसार की समस्त भाषाओं को अलग-अलग भाषा-परिवारों में विभाजित किया गया है किंतु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि संसार की समस्त भाषाओं का स्पष्ट, पूर्ण एवं अंतिम वर्गीकरण हो चुका है। वास्तविकता यह है कि अभी तक संसार की कुछ ही भाषाओं का सतोपजनक अध्ययन हुआ है। अभी भी संकड़ा नहीं, हजारों ऐसी भाषाएँ हैं, जिनके संबंध में भाषावैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते। ऐसी स्थिति में यह संभव ही नहीं है कि भाषाओं के प्रस्तुत वर्गीकरण को पूर्ण एवं अंतिम समझा जाय। फिर परिवारों की संख्या के संबंध में भी समस्त विद्वान् एकमत नहीं हैं। रेस (Reiss) जैसे विद्वान् जहाँ संसार की भाषाओं का केवल एक ही परिवार मानते हैं, वहाँ फ्रेंच मूलर जैसे विद्वान् भाषा-परिवारों की संख्या एक सौ तक मानते हैं। दस, तेरह, अठारह, परिवार माननेवाले विद्वान् अधिक हैं। अधिक विद्वान् परिवारों की संख्या बारह, तेरह, चौदह, संख्याओं में से कोई एक संख्या स्वीकार करते हैं। ये परिवार निम्नलिखित हैं १ भारतीय, २ सामी अथवा समेटिक, ३ हामी अथवा हमेटिक, ४ बाटू, ५ द्रविड, ६ चीना-तिब्बती, ७ यूराल-अल्ताई ८ मलय-पोलीनेशिया, ९ काकेशी, १० आस्ट्रिक, ११ जापानी-कोरियाई, १२ अमेरिकी।

उपयुक्त परिवारों के अतिरिक्त बुगमन, मुडानी, पापुई, आस्ट्रेलियाई आदि परिवारों का नाम भी लिए जा सकते हैं। इन परिवारों का कुछ विद्वान् अन्य परिवारों के साथ जोड़ते हैं तो कुछ दूसरे उन्हें स्वतंत्र परिवारों के रूप में मानते हैं।

कुछ विद्वान् इस विचार के हैं कि उपयुक्त समस्त परिवारों में से बहुत से परिवार ऐसे हैं जो एक परिवार की अपना एक से अधिक परिवारों के बराबर हैं। यह बात बहुत सीमा तक ठीक भा है उदाहरणार्थ अनेक अमेरिकी

परिवार में लगभग चार सौ भाषाएँ ह, जा निश्चित रूप से एक नहा कई परिवारों की ह । बाधा केवल यह ह कि इन भाषाओं का विधिवत अध्ययन नहीं हुआ ह जिससे इन भाषाओं के अलग अलग परिवार निश्चित हो सकें ।

आगामी परिच्छेदा में उपयुक्त परिवारों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा ह ।

### ३ ७ १ भारोपीय परिवार

यह परिवार समस्त भाषा परिवारों में महत्वपूर्ण ह । अत आगामी अध्याय में इस परिवार का विशेष ध्यान किया गया है ।

### ३ ७ २ सामी परिवार

सामी अथवा समेटिक परिवार की भाषाएँ अफ्रीका एव एशिया दोनों खंडों में बोली जाती ह । ऐसा माना जाता ह कि हजारत 'नीह' के बड़े पुत्र 'सैम' के नाम पर ही इस परिवार का नाम समेटिक पडा ह ।

#### क्षेत्र

इस परिवार का क्षेत्र विस्तार अफ्रीका एव एशिया दोनों खंडों तक है । इसकी भाषाओं का अधिक प्रयोग एशिया में ही होता ह । अफ्रीका में मोराको से स्वज नहर तक इस परिवार की भाषाएँ फली हुई ह ।

#### मुख्य शाखाएँ एव भाषाएँ

इस परिवार की मुख्य शाखाएँ ह—असीरियन, बबीलियन फिनिशियन एव आरमाइक । प्राचीन भाषा हिब्रू ( बाइबिल की मूल भाषा ) एव प्रसिद्ध भाषा अरबी इस परिवार की भाषाएँ ह ।

#### साहित्य

अरबी सभार की अत्यंत समृद्ध भाषाओं में स एक ह । अरबी भाषा एव साहित्य का प्रभाव सभार की बहुत-सी भाषाओं पर पडा ह । कीलाक्षरा में लिख असीरियन एव बबीलियन के उदाहरण ईसा से ढाई-तीन हजार वर्ष पूर्व के पाए जाते ह ।

#### विशेषताएँ

समेटिक परिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से शिल्पित यागात्मक भाषाएँ ह ।

इस परिवार की भाषाओं में धातु प्रायः तीन व्यंजनों के होते हैं, जिनके अंतगत स्वरा को जोड़कर, विभिन्न शब्द बनाए जाते हैं (यथा—क त व 'लिखना धातु से 'किताब' 'लिखा हुआ', 'मकतब' 'लिखने का स्थान', 'कतिब' 'लिखनेवाला' आदि) ।

धातु में स्वर योग के अतिरिक्त कभी कभी शब्द निर्माण अथवा शब्द विकार के लिए प्रत्यय विभक्ति आदि का भी प्रयोग होता है । या यह प्रवृत्ति पुरानी अरबी में अधिक थी । आधुनिक अरबी शिल्प से अविलम्ब की ओर बढ़ रही है, इस कारण उसमें विभक्तियाँ के स्थान पर स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग होने लगा है ।

'जेरे इजाफत' का प्रयोग इस परिवार की एक मुख्य विशेषता है । इसमें दो सनाआ के मध्य सवध दर्शानेवाले तत्व के लुप्त होने से एक प्रकार की ऐसी सामासिक रचना बनती है, जिसका अर्थ सर्वाधिक सनाओ का क्रम बदलकर ही निकाला जा सकता है । यथा 'जेरे पजाब' अर्थात् 'पजाब का शेर' । अरबी के ही प्रभाव से 'जेरे इजाफत' का प्रयोग फारसी एवं उर्दू में भी होने लगा है ।

इस परिवार की भाषाओं में लिंग मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है, प्राकृतिक नहीं । भारोपीय परिवार के पश्चात् दूसरा प्रसिद्ध परिवार समेटिक परिवार है ।

### ३ ७ ३ हामी परिवार

हामी परिवारिक को हमेटिक परिवार भी कहा जाता है । इस परिवार की समेटिक परिवार से इतनी अधिक निकटता एवं समानता है कि कुछ विद्वान समेटिक और हमेटिक परिवारों को मिलाकर एक ही समेटिक-हमेटिक परिवार मानते हैं । जहाँ समेटिक परिवार का नाम हजरत 'नीह' के बड़े पुत्र 'सम' के आधार पर पड़ा है, वहाँ ही हमेटिक परिवार का नाम हजरत 'नीह' के छोटे पुत्र 'हम' के नाम पर पड़ा हुआ बताया जाता है ।

#### क्षेत्र

इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका है ।

#### भाषाएँ

हमेटिक परिवार की भाषाएँ अब प्रायः विद्यमान नहीं हैं । जो विद्यमान हैं उन पर अब भी भाषाओं का बहुत अधिक प्रभाव है । इस कारण उनकी गणना प्रायः दूसरे परिवारों के अंतगत होती है । इसकी दो मुख्य भाषाएँ हैं—'लिबियन' एवं 'एथोपियन' ।



## साहित्य

प्राचीन मिथी भाषा ह्रमटिक परिवार की समझी जाना ह, त्रिगुण उगहरण ईना-पूव चार हजार पप क मिलने है । इसकी कुछ भाषाभा म धार्मिक साहित्य उल्लेख ह । आजकल ह्रमटिक क क्षेत्र में भी सैमटिक परिवार की भाषाभा का प्रयोग हाता ह ।

## विशेषताए

यह पहल ही बताया जा चुका है कि ह्रमटिक परिवार का सैमटिक परिवार न बहुत अधिक साम्य ह इस कारण दोनों की विशेषताए भी प्राय समान ही है । सैमटिक भाषाभा का विशेषताभा का उल्लेख ऊपर कर दिया गया ह ।

## ३ ७ ४ बाटू परिवार

बाटू शब्द का अर्थ ह 'मनुष्य' । इस परिवार की भाषाओं में 'मनुष्य' क लिए 'बाटू' स मिलना-जुलना शब्द प्रयुक्त होता ह । इसी से इस परिवार का नाम 'बाटू' पड गया ह ।

## क्षेत्र

बाटू अफ्रीका खंड का मुख्य भाषा परिवार ह । इस परिवार का मुख्य क्षेत्र मध्य एव दक्षिण अफ्रीका ह । जजीबार द्वीप में भी इस परिवार की भाषाए वाली जानी हैं ।

## भाषाए

इस परिवार की लगभग डेस सौ भाषाए कही जाती ह जिनसे मुख्य भाषाए है—काफिर, जुलू, सेचुना, वागा तथा जजीबार द्वीप की प्रसिद्ध भाषा स्वाहिला ।

## साहित्य

इस परिवार की भाषाओं में साहित्य नहीं के बराबर ह । स्वाहिली भाषा में थोडा-बहुत साहित्य मिलता ह ।

## विशेषताए

इस परिवार की भाषाए मुख्य रूप से अश्लिष्ट पूव योगात्मक भाषाए हैं । इस परिवार की भाषाओं क शब्द प्राय स्वरात होते हैं, इस कारण इस परिवार की भाषाओं म संस्कृत के समान सगीतमयता मिलती है ।

संयुक्त यजना के अभाव के कारण इस परिवार की भाषाएँ उच्चारण की दृष्टि से सरल एवं सुनने में मधुर लगती हैं। इस परिवार की भाषाओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें 'क्लिक्' ध्वनियाँ कहते हैं।

### ३ ७ ५ द्रविड परिवार

द्रविड एक जाति विशेष का नाम है। उस जाति द्वारा बोली जानेवाली समस्त भाषाओं का सामूहिक नाम 'द्रविड परिवार' है। यों 'द्रविड' एवं 'तमिल' एक ही शब्द हैं। 'तमिल' 'द्रविड' का ही विकसित रूप है (द्रविड > द्रमिड > दमिल > तमिल) किंतु आज 'तमिल', इस परिवार की एक भाषा विशेष का नाम है। कुछ विद्वानों ने इस परिवार की भाषाओं को अन्य भाषा परिवारों से जोड़ने का प्रयत्न किया है किंतु उसमें वे सफल नहीं हुए हैं।

#### क्षेत्र

इस परिवार के बोलनेवाले मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वी भाग में बिहार एवं उड़ीसा तथा मध्य भारत में भी इस परिवार की कुछ भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत से बाहर दक्षिण में मलाका द्वीप, पश्चिमोत्तर में बिलोचिस्तान में भी इस परिवार के लोग रहते हैं।

#### भाषाएँ

इस परिवार की सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा 'तमिल' है। इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य भाषाएँ हैं—तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ एवं तुलू। इन मुख्य भाषाओं के अतिरिक्त इस परिवार की कुछ और भाषाएँ हैं—कुग, टुडा, काड, गोंड, आराव, कुई, ब्राहुई।

#### साहित्य

साहित्य की दृष्टि से इस परिवार की 'तमिल' भाषा अत्यन्त समृद्ध होती है। इसका साहित्य सातवीं शताब्दी से भी पुराना है। कुछ लोग इसके साहित्य को हजारों वर्षों का पुराना मानते हैं। साहित्य की दृष्टि से अन्य मुख्य भाषाएँ हैं—तेलुगू, मलयालम एवं कन्नड़।

## विशेषताएँ

इस परिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से अरिष्ट पूर्य मातामक भाषाएँ हैं।  
घान् प्राम स्वरात् हाते ह ।

मूधय ध्वनिया की इस परिवार में प्रधानता है ।

सभ्य क आरभ में सषाय ध्वनियों क प्रयोग का विषाड नहीं ह किन्तु  
स्वर-मध्य स्थिति में घोपरव आकामक ह ( विनेपकर तमिल में ) ।

वचन दा विन्तु लिग सीन हाते हैं ।

सनाओं के सचेतन एव अचेतन दा भद हाते हैं ( 'सचजन' अघाड जिनमें  
ज्ञान विवेक की शक्ति हो और अचेतन' अघानि जिनमें ज्ञान विवेक का  
शक्ति न हा ) ।

द्रविड भाषाओं का भारतीय भाषाओं पर स्पष्ट माना में प्रभाव पडा  
ह । साथ ही द्रविड भाषाएँ भी ससृजत से बहुत अधिक प्रभावित हुई ह ।

## ३ ७ ६ चीनी-तिब्बती परिवार

चीनी तिब्बती परिवार का यह नाम चीन एव तिब्बत देशों में उसकी  
प्रधानता के कारण पडा है । इस परिवार का एकादशरी परिवार भी कहा  
जाता ह । यह नाम उसकी आकृतिगन विनेपताओं का दर्शाता है ।

### क्षेत्र

इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन स्थान, तिब्बत एव थमा  
ह । या भूटान एव भारत के उत्तर पूव में भी इस परिवार के बोलनेवाले  
वसे हुए हैं ।

### भाषाएँ

इस परिवार की मुख्य भाषा ह चीनी ( प्राचीन चीनी ) । इसके अतिरिक्त  
थाई, तिब्बती बर्मी भाषाएँ भी प्रसिद्ध भाषाएँ ह । भारत के उत्तर-पूव भाग  
की नागा बोलिया भी इसी परिवार की ह ।

### साहित्य

इस परिवार की चीनी भाषा में ससार का बहुत प्राचीन साहित्य प्राप्त  
होता ह । चीनी साहित्य की परंपरा का आरभ ईसा पूव तीन हजार वर्ष  
से मिलता ह ।

## विशेषताएँ

इस परिवार की भाषाएँ अयोगात्मक हैं। इस कारण इस परिवार की भाषाओं में शब्दों के स्थान की प्रधानता होती है। वाक्य में स्थान विशेष के कारण ही कोई शब्द सत्ता, क्रिया, आदि बनता है। स्थान परिवर्तित होने से शब्द का अर्थ बदल जाता है।

शब्द प्रायः एक अक्षर ( Syllable ) के हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों ( tones ) के प्रयोग से एक ही शब्द से कई अर्थ अभिव्यक्त होते हैं।

अर्थ की स्पष्टता के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें 'रिक्त' शब्द कहा जा सकता है। ये शब्द धारणात्मक अर्थ न देकर मात्र व्याकरणात्मक अर्थ देते हैं।

ध्वनि-संरचना में अनुनासिकता का अधिक प्रयोग होता है।

## ३ ७ ७ यूराल-अल्ताई परिवार

यूराल एव अल्ताई पर्वतों के मध्य स्थित होने के कारण, इन भाषाओं के समूह का यह नाम पड़ गया है। कुछ लोग यूराल एव अल्ताई को अलग अलग परिवार मानते हैं। कुछ विद्वान इसमें से फिनिश एव तुर्की भाषाओं को अलग कर उन्हें अलग अलग परिवार मानना पसंद करते हैं। अधिकतर विद्वान इन सबको मिलाकर यूराल-अल्ताई परिवार के स्थान पर यूराल अल्ताई वगैरे मानना उचित समझते हैं।

## क्षेत्र

इस परिवार का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इस परिवार की भाषाएँ यूराल एव अल्ताई पर्वतों के मध्य व्याप्त हैं। टर्की, हंगेरी, फिनलैंड, इस परिवार के कुछ प्रसिद्ध प्रदेश हैं।

## भाषाएँ

इस परिवार की तीन प्रसिद्ध भाषाएँ हैं—फिनलैंड की फिनिश, हंगेरी की मगियार एव टर्की की तुर्की। इसके अतिरिक्त तातारी, किरघीज उज्बेक, मंगोल एव मचू भाषाएँ भी इसी परिवार से संबन्ध रखती हैं।

## साहित्य

फिनिश, मगियार एव तुर्की तीनों ही साहित्यिक भाषाएँ हैं। फिनिश का साहित्य सोलहवीं शताब्दी के आसपास का है। तुर्की का साहित्य इसमें अधिक

प्राचीन ह। तुर्की, अरबी एव फारसी से प्रभावित ह जब कि फिनिश पर भारोपीय भाषा-परिवार का पर्याप्त प्रभाव ह। तुर्की भाषा ने भी अरबी एव फारसी को प्रभावित किया ह। तुर्की का कुछ प्रभाव प्रत्यय रूप से एव कुछ फारसी उद्ग के माध्यम से हिंदी पर भी पडा ह। हिंदी में कई तुर्की के शब्द हैं।

### विशेषताए

ये भाषाए आकृति की दृष्टि से अश्लिष्ट अतयोगात्मक ह। धातु के पीछे प्रत्यय जोड़कर पदा की रचना की जाती ह।

स्वर सगति इन भाषाओं की एक और विशेषता ह जिसके कारण प्रत्यय के स्वरा में धातु के स्वरा के अनुरूप परिवर्तन हो जाता ह।

### ३ ७ ८ मलय-पालोनेशी परिवार

कुछ विद्वान इन्हें मलेनेशियन एव पालोनेशियन नाम के दो परिवारों में विभाजित करते हैं तो कुछ और विद्वान इन्हें दो से अधिक परिवारों में बाँटते ह।

### क्षेत्र

इस परिवार की भाषाए मलाया, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, बोर्नियो, फिजी, मडागस्कर आदि द्वीपी में बोली जाती ह।

### भाषाए

इस परिवार की मुख्य भाषाए हैं इंडोनेशिया की मलय, फिजी की फिजीयन, जावा की जावानीज एव न्यूजीलैंड की मओरी।

### साहित्य

मलय भाषा में प्राचीन साहित्य का अच्छा भंडार ह। जावानीज एव मओरी भी साहित्यिक भाषाए ह।

### विशेषताए

इस परिवार की भाषाए प्रायः अश्लिष्ट योगात्मक ह। धातुओं से प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाये जाते ह।

बहुवचनी भाषाओं में स्वराघात महत्वपूर्ण है।

कुछ भाषाओं में चार तक वचन ह।

### ३ ७ ९ काकेशी परिवार

यह बहुत सी भाषाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ भाषाएँ तो परस्पर समानता रखती हैं, किंतु कुछ भाषाएँ यथेष्ट मात्रा में एक दूसरे से भिन्न हैं।

क्षेत्र

इस परिवार की भाषाओं के बोलनेवाले काकेशस पर्वत के निकटवर्ती स्थानों पर बसते हैं। ये पर्वत काला सागर एवं कस्पियन सागर के मध्य स्थित हैं।

भाषाएँ

इस परिवार की अनेक भाषाएँ विभाषाएँ एवं बोलियाँ हैं जिनमें जाजिया की जाजियन प्रसिद्ध भाषा है।

साहित्य

इस परिवार की भाषाएँ प्रायः बालबाल की हैं। जाजियन भाषा में अवश्य कुछ साहित्य उपलब्ध है।

विशेषताएँ

ये भाषाएँ अदृष्ट एवं लिष्ट के मध्य की हैं। घातुओं में विभक्ति एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। इस परिवार की कुछ भाषाओं में छह लिंग हैं। कुछ भाषाओं में विभक्तियों की संख्या बहुत अधिक है।

### ३ ७ १० आस्ट्रिक परिवार

आस्ट्रिक का अर्थ है 'दक्षिण का'। इस परिवार की भाषाएँ दक्षिण द्वीप समूह में पत्नी हुई हैं।

क्षेत्र

इस परिवार की भाषाओं का एक समूह (जिसे 'मानहमेर' कहते हैं) बर्मा, स्याम तथा त्रिबेण द्वीप-समूह में पत्नी हुआ है। दूसरे समूह की भाषाएँ (जिन्हें मुडा कहते हैं) मुख्य रूप से भारत के पूर्व-महादी भाग, बिहार एवं मध्यप्रदेश के कुछ भागों एवं खासा पहाटियाँ पर बोलती हैं।

भाषाएँ

इस परिवार की मुख्य भाषाएँ हैं—मान हमेर, मुडा, स्याली आदि।

## साहित्य

मान एव श्मेर साहित्यिक भाषाए है । अय भाषाए प्राय वाञ्छान्त की है ।

## विशेषताए

इस परिवार की भाषाए मुख्य रूप से अदिल्लष्ट योगात्मक ह । धातु में प्रत्यय एव उपसर्ग जोड़कर गभ निमित्त क्रिये जाते ह । मुडा भाषाए जो कि भारत म बोली जाती ह उन पर आय एव द्रविड भाषाआ का पर्याप्त प्रभाव है । साथ ही मुडा भाषाओ न भारत की अय भाषाआ को भा काफी प्रभावित किया है ।

## ३ ७ ११ जापानी-कोरियाई परिवार

जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह मुख्य रूप से जापान एव कोरिया की भाषाआ का परिवार ह । कुछ लोग इहें 'अनिश्चित के षग में रखना उचित समझते ह क्योंकि दाना भाषा समूहो का भाषाओं के संबध में निश्चय पूर्वक कहना कठिन ह । कुछ विद्वान इन भाषाआ को चीनी तिब्बती अथवा युराल अल्ताई परिवार में गिनना भी उचित समझते ह । अधिक विद्वान कोरिया एव जापान की भाषाआ का एक अलग ही परिवार मानना ठीक समझते ह । इसी से यहां जापानी कोरियाई परिवार का उल्लेख किया जा रहा ह ।

## क्षेत्र

कोरिया एव जापान ही इस परिवार की भाषाओं का क्षेत्र है ।

## भाषाए

इस परिवार की भाषाए मुख्य रूप से कोरियाई एव जापानी ह ।

## साहित्य

जापानी, साहित्य की दृष्टि से ससार की समृद्ध भाषाओ में से एक ह । जापानी का साहित्य सातवी-आठवी शतादी स मिलने लगता ह ।

## विशेषताए

कोरियाई भाषा पर चीनी का प्रभाव ह । यो दोना भाषाए मुख्य रूप से अदिल्लष्ट योगात्मक भाषाए ह । शब्द रचना में प्रत्यय का प्रयोग होता ह ।

### ३ ७ १२ अमेरीकी परिवार

उत्तर अमेरिका एव दक्षिण अमेरीका के मूल निवासियों की लगभग ऐसी चार-सौ भाषाएँ हैं, जिन्हें एक सामूहिक नाम 'अमेरीकी भाषाओं का वर्ग' दिया गया है। इन भाषाओं का कोई विशेष भाषा ब्रह्मज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ये भाषाएँ एक नहीं बनेक परिवारों की हागी।

ये भाषाएँ प्रायः बोलचाल की हैं। बहुत भाषाओं की काई लिपि भी नहीं है। नाम मात्र का साहित्य भी एक आध भाषा का ही मिलता है।

जब तक इन भाषाओं का विधिवत अध्ययन नहीं होता, तब तक इनके सबब में अधिक कुछ कह सकना समभव नहीं है।

बुढ़ विद्वान् उपयुक्त परिवारों के अतिरिक्त, एक 'अनिश्चित' परिवार भी गिनाते हैं किन्तु इसकी काई विशेष उपयोगिता नहीं है क्योंकि निश्चित रूप से तो कुछ ही भाषाओं के लिये कहा जा सकता है। बहुत अधिक भाषाओं का तो अध्ययन ही नहीं हुआ है। वे भी एक प्रकार से 'अनिश्चित' समूह के ही अंतर्गत आती हैं। इस स्थिति में अनिश्चित परिवार का क्षेत्र समस्त निश्चित परिवारों से अधिक विस्तृत हागा।

### ३ ८ भारत के भाषा-परिवार

भारत में मुख्य रूप से जिन दो परिवारों की भाषाएँ बाली जाती हैं, वे हैं—भारतीय परिवार एव द्रविड परिवार।

प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में भारतीय परिवार का, ( भारतीय शाखा ) भाषाएँ बाली जाती हैं। इनमें मुख्य हैं—हिंदी, बंगला, बिहारी, असमिया, उडिया, मराठी, गुजराती, सिंधी, एव पंजाबी।

संपूर्ण दक्षिण भारत में द्रविड परिवार की भाषाएँ बाली जाती हैं। इस परिवार की मुख्य भाषाएँ हैं—तमिल (तमिलनाडु), तेलुगु (आंध्र प्रदेश), कन्नड़ (मसूर) एव मलयालम (केरल)। द्रविड परिवार की कुछ भाषाएँ भारत के अन्य भागों—बिहार में 'ओराव' तथा मध्य प्रदेश में 'गोंडी' में भी बाली जाती हैं।

इन दो मुख्य परिवारों के अतिरिक्त दो अन्य परिवारों की भाषाएँ भी भारत में बाली जाती हैं। वे परिवार हैं—चीनी तिब्बती परिवार एव आस्ट्रिक परिवार।



चीनी तिब्बती परिवार का भाषाया क बोलनेवाले पूर्वी पहाड़ी भाग ( असम के निकट ) तथा उत्तर क पहाड़ी भाग ( हिमालय के निकटवर्ती प्रदेश ) में बसते हैं । इस परिवार की जो मुख्य बोलियाँ भारत में बोली जाती ह, वे ह—लुशई, गारो, अक आदि ।

चोपे परिवार आस्ट्रिक की भाषाएँ भारत क पूव एक मध्य भाग में बाली जाती हैं । इनमें मुख्य भाषाएँ हैं—मुडारा, सयाली, हो सटिया ।

इन चार परिवारों की भाषाया क अतिरिक्त दो भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनको किसी भी परिवार में नहीं रखा जा सकता । ये भाषाएँ ह—कश्मीर के एक स्थान की भाषा बहगास्की तथा दूसरी भाषा ह अडमान द्वीप में बोली जानेवाली 'अडमानी' । इन दोनों भाषाया की किसी भी परिवार में रखने का प्रयत्न सफल नहीं हुआ है ।



स्मरण सकेत

- ३ १ मापाओं में पाई जाने वाली समानता के आधार पर मापाओं को विभिन्न समूहों में बाटने को मापाओं का वर्गीकरण कहते हैं ।
- ३ २ वर्गीकरण के दो आधार हैं रचनागत समानता एवं ऐतिहासिक संबंध ।
- ३ ३ आवृत्तिमूलक वर्गीकरण का आधार रचनागत समानता है । इस आधार पर मापाएँ अयोगात्मक एवं योगात्मक ( अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट ) होती हैं ।
- ३ ४ पारिवारिक वर्गीकरण का आधार मापाओं में पाया जाने वाला ऐतिहासिक संबंध है । मापाओं में पाई जाने वाली समानता के अनेक कारण होते हैं ।
- ३ ५ प्रत्येक मापा-समुदाय विघटित होकर अनेक समूहों में विभाजित हो जाता है तथा उनकी भाषा अनेक उपमापाओं में विभाजित हो जाती है । ये उपमापाएँ कालांतर में स्वतंत्र भाषाएँ बन जाती हैं । इस प्रकार एक ही भाषा से विकसित अनेक मापाओं का एक परिवार बन जाता है ।
- ३ ६ पारिवारिक वर्गीकरण के सिद्धांत—  
स्थान का निकटता, मूल शब्दावली में समानता, व्याकरणात्मक समानता, ध्वन्यात्मक समानता ।
- ३ ७ संसार के मुख्य भाषा परिवार हैं—  
भारोपीय, सामी, हामी, बाँटू, द्रविड, चीनी तिब्बती, यूरोप, अल्ताई मलय-पालानशी, फ्रांकोनी, आस्ट्रिक, जापानी-कोरियाई, अमेरीकी ।
- ३ ८ भारत के मुख्य भाषा परिवार हैं भारोपीय एवं द्रविड । दो अन्य परिवार हैं चीनी तिब्बती एवं आस्ट्रिक ।



## ४ भारोपीय परिवार एवं आर्य भाषाएं

- 
- भारोपीय परिवार का महत्व
- भारोपीय परिवार के नाम की समस्या
- भारोपीय भाषा एवं उसका क्षेत्र
- भारोपीय भाषा की सरचना
  - ध्वन्यात्मक सरचना
  - व्याकरणात्मक सरचना
- भारोपीय परिवार का विभाजन
  - केल्टिक समुदाय ( ग्रीक, इटालिक, वेलिटिक, जमनिक, तोखारी )
  - सतम समुदाय ( वाल्टो-सिलारिक, आर्मेनियन, अल्बेनियन, आय )
- आय उपपरिवार
  - ईरानी शाखा
  - दरद शाखा
  - भारतीय शाखा
- भारतीय भाषाएं
  - प्राचीन काल
  - मध्य काल
  - आधुनिक काल
- आधुनिक आय भाषाओं का वर्गीकरण
- आधुनिक आर्य भाषाओं का परिचय



## ४१ भारोपीय परिवार का महत्व

भारोपीय परिवार, जिसे अब कुछ विद्वान 'भारत हिट्टाईट' कहना अधिक उचित समझते हैं ससार का सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार है।

इस परिवार का प्रसिद्धि के कई कारण हैं। एक तो यह परिवार बहुत बड़े भू-भाग में फला हुआ है तथा ससार में सबसे अधिक संख्या इस परिवार की भाषाएँ बोलने वालों की हैं। इसके सिवाय इस परिवार में लैटिन, ग्रीक, संस्कृत जमी भाषाएँ हैं, जो साहित्य की दृष्टि से ससार की सबसे अधिक समृद्ध भाषाएँ हैं। इस परिवार की सांस्कृतिक परंपरा इतनी उत्कृष्ट हैं कि और कोई भी परिवार इसकी समानता नहीं कर सकता।

## ४२ नाम की समस्या

नाम की दृष्टि से, आरंभ से लेकर यह परिवार विवादास्पद रहा है। कभी इस परिवार को 'इंडो जर्मनिक परिवार' कहा गया, क्योंकि भारत एवं जर्मनी इस परिवार की सीमाएँ हैं (आज भी जर्मनी में कई विद्वान इसी नाम का प्रयोग करते हैं)। यह नाम इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इस नाम के कारण यूरोप एवं एशिया को कई भाषाएँ इस परिवार के बाहर रह जाती थीं। यही बात 'इंडो बेल्टिक' की है।

कुछ दिनों तक इस परिवार का नाम 'आर्य' परिवार चला। यह छोटा एवं किसी सीमा तक उपयुक्त नाम था किन्तु इस नाम का भी आगे चलकर परित्याग करना पड़ा क्योंकि इस नाम से यह भ्रामक धारणा उत्पन्न होती थी कि इस परिवार के बोलनेवाले सब आर्य जाति के हैं। आगे चलकर इस परिवार के एक उपपरिवार (भारत ईरानी) को जाय कहा जाने लगा, जो अधिक उपयुक्त था।

सैमिटिक हेमेटिक के समान कुछ दिनों तक इस परिवार को 'जैकेटिक' परिवार भी कहा गया। इसका आधार 'वाइबिल' में किया गया मानव जाति का वर्गीकरण है। इस नाम का कोई तार्किक आधार नहीं था, इस कारण यह चल ही नहीं पाया।

इस परिवार का सबसे अधिक प्रचलित नाम 'भारोपीय' परिवार रहा है। यह नाम भारतीय-यूरोपीय का मिश्रित रूप है। यह नाम भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। इसका अर्थ है भारत एवं यूरोप की भाषाओं का समूह। यह नाम भी पूर्ण निर्दोष नहीं है। इस नाम में दो भ्रामक धारणाएँ उत्पन्न होती हैं। एक तो यह कि भारत एवं यूरोप में केवल इसी परिवार

की भाषाएँ बोली जाती हैं। दूसरी यह कि इस परिवार की भाषाएँ भारत एवं यूरोप के सिवाय अब किसी स्थान पर नहीं बाली जाती। भारत एवं यूरोप में इस परिवार के सिवाय अन्य परिवारों की भाषाएँ भी बोली जाती हैं। भारत में भारोपीय परिवार के अतिरिक्त द्रविड चीनी तिब्बती एवं आस्ट्रिक परिवारों की भाषाएँ भी बोली जाती हैं तथा यूरोप में भी इन परिवार के अतिरिक्त अन्य परिवारों का भाषाएँ बाली जाती हैं। फिर इस परिवार की भाषाएँ भारत एवं यूरोप तक ही सीमित नहीं हैं। एशिया की कई भाषाएँ (फ़ारसी आदि) इसी परिवार की हैं।

कुछ दिनों से इस परिवार के लिए एक नया नाम प्रचलित होने लगा है। यह नाम है 'इंडो हिट्टाइट' अथवा भारत हिट्टा परिवार। इस नये नाम का आधार है एगिप्ता माइनर में प्राप्त हिट्टाइट नामक भाषा के अवशेष। ऐसा माना जाता है कि हिट्टाइट मूल भारोपीय भाषा का परबनी विकसित भाषा न होकर उसकी समकालीन थी। इस कारण उसे भारोपीय परिवार की एक शाखा नहीं माना जा सकता। यां इंडो हिट्टाइट नाम भी प्रचलित होने लगा है किंतु अब भी बहुत अधिक प्रयोग 'भारोपीय' नाम का ही होता है।

### ४३ मूल भारोपीय भाषा एवं उसका क्षेत्र

व समस्त भाषाएँ जिनके समूह का नाम 'भारोपीय' (अथवा भारत हिट्टाइट) परिवार है, वे जिस मूल भाषा से उत्पन्न हुई हैं उस भाषा की लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्राचीन भाषाजो ग्रीक, लटिन संस्कृत के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भाषा वानिकों ने उस भाषा की पुनरचना (Reconstruction) की है। यही भाषावानिकों द्वारा निर्मित-कल्पित भाषा, 'भारोपीय भाषा' कहलाती है।

उस मूल भारोपीय भाषा के स्थान एवं काल के संबंध में विद्वान एकमत नहीं हैं। भारोपीय भाषा एवं उसका बोलनेवाला के मूल स्थान के संबंध में कुछ विद्वानों का विचार है कि वह मूल स्थान भारत था। ये विद्वान प्रायः भारतीय हैं। इन लोगों के मत का आधार प्राचीन भारतीय साहित्य (वेद, पुराण आदि) है। यह मत भाषावैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित न होने के कारण ठकसगत नहीं है।

भारोपीय भाषा के मूल स्थान को भारत से बाहर माननेवालों में से कुछ इसका मूल स्थान यूरोप में बताते हैं, कुछ एशिया में इसके मूल स्थान की

बल्गना करते हैं। बहुत से विद्वान यूरोप एवं एशिया के बीच की इसकी स्थिति को स्वीकार करते हैं। लोकमान्य तिलक ने उत्तरी ध्रुव के निकट उस मूल स्थान को माना है।

अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि ईसा से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व एक जाति (जिसे 'विरोस' कहा जाता है) मध्य एशिया में यूराल-अल्ताई पर्वत के निकटवर्ती मदान में निवास करती थी। इसी जाति की भाषा मूल भारतीय भाषा थी। इस जाति की एक शाखा बहा से ईरान की ओर चली गई एवं वही बस गई। जहा से फिर एक समूह भारत की ओर चला आया। मध्य एशिया में जो शाखा रह गई थी वह भी कुछ समय के पश्चात् वहाँ से यूरोप की ओर चली गई एवं यूरोप के विभिन्न स्थानों पर इस शाखा के विभिन्न समुदाय बस गए। इस प्रकार मध्य एशिया की एक तरफ भारत एवं दूसरी ओर यूरोप तक उस जाति एवं भाषा का फलाव हो गया। इसीसे इस परिवार की भाषाएँ भारत, एशिया एवं यूरोप में विद्यमान हैं।

## ४४ भारतीय भाषा की संरचना

भाषावैज्ञानिकों द्वारा निर्मित उन मूल भारतीय भाषा की ध्व-यात्मक एवं व्याकरणिक संरचना का यहाँ सन्निहित परिचय दिया जा रहा है।

### ४४१ ध्व-यात्मक-संरचना

#### (क) स्वर

भारतीय भाषा में कई प्रकार के स्वर थे तथा उनकी संख्या भी पर्याप्त थी। इस भाषा में पाँच ह्रस्व स्वर—अ, इ, उ, ए, ओ, थे। इतने ही दीर्घ स्वर भी थे—आ, ई, ऊ, ए, आ। एक उदासीन अथवा अतिह्रस्व स्वर था—अँ। कुछ अर्ध ध्वनियाँ जो स्वरवत् प्रयुक्त होती थी, वे थीं—ऋ लृ मृ, नृ। इनके भी ह्रस्व एवं दीर्घ दोनो रूप थे। समुक्त स्वरों की संख्या भी यथेष्ट थी। समुक्त स्वरों की रचना में प्रथम सदस्य उपयुक्त ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों में से कोई एक स्वर होता था (इ उ, ऋ लृ म, नृ के सिवाय) एवं दूसरा सदस्य इ उ, ऋ, लृ मृ, नृ—स्वरों में से कोई एक स्वर होता था। यथा—अइ, एउ, ओउ, अऋ आदि।

य, र ल, व ऐसी ध्वनियाँ थी, जिनका प्रयोग आक्षरिक रचना के लिए स्वरवत् होता था।

स्वरों में अनुनासिकता का विधान नहीं था।



## (ख) व्यजन

इसमें प वग (प फ व भ म) त वग (त थ, द, ध न) के अतिरिक्त तीन प्रकार की क वर्गीय ध्वनिया थी—

(१) क ख ग घ

(२) क्य ह्य ग्य ध्य

(३) क्व ह्व ग्व ध्व

ये समस्त ध्वनिया कठ सं संबंधित थी। (१) वग की ध्वनिया कठप (२) वग की कठताल-य एव (३) वग की कठोष्ठ्य थी। संस्कृत में

(१) वग की ध्वनिया स श ष—उष्म ध्वनिया में विकसित हुई ह (२) वग की ध्वनियो से च वग की ध्वनिया (च छ ज झ) का विकास हुआ ह एव (३) वग की ध्वनिया क वग में विकसित हुई ह।

भारोपीय

क ख, ग, घ

क्य ह्य ग्य ध्य

क्व ह्व, ग्व ध्व

संस्कृत

स श ष

च, छ ज झ

क ख, ग, घ

इसके अतिरिक्त य र, ल व, स ज व्यजन ध्वनिया थी। ह के समवत दो रूप थे—सपोष एव अघोष।

सयुक्त व्यजनों का प्रयोग होता था।

ध्वन्यात्मक संरचना में स्वरघात का महत्व था।

## ४४२ व्याकरणात्मक संरचना

एसा लगता है कि भारोपीय भाषा दिलट एव प्रदिलट के मध्य की थी, जिसमें अथ तत्व एव सबब तत्व परस्पर धुले मिले रहते थे।

पद रचना, धातु में प्रत्यय जोड़कर की जाती थी। पद रचना जटिल थी। व्याकरणात्मक शब्द समा, क्रिया एव अव्यय अलग-अलग थे किंतु

सवनाम एव विशेषण समा क ही भाग थे। सवनामा म विविधता थी। शब्द रूपा में तीन पुरुष तीन लिंग तीन वचन एव आठ कारकों का प्रयोग होता था। शब्द का समास रचना भी हाती थी।

क्रिया के चार काल एव पाच भाग थे। क्रिया में महत्व, काल का अपेक्षा काय की पूर्णता-अपूर्णता की स्थिति की था। क्रियाएँ दो प्रकार थीं—प्रात्म नपनीय एव परस्मपदीय।

व्याकरणामक संरचना में सुरा एव स्वराघात का महत्व था। साथ ही शब्द के मध्य का स्वर-परिवर्तन, रचनात्मक महत्व रखता था।

### ४५ भारोपीय परिवार का विभाजन

यद्यपि एक परिवार की समस्त भाषाएँ परस्पर संबंधित रहती हैं, तथापि कुछ भाषाएँ एक दूसरे के अधिक निकट होती हैं। इस निकटता के आधार पर एक परिवार को फिर विभिन्न समुदायों, उपपरिवारों, शाखाओं आदि में विभाजित किया जाता है।

### ४५१ भारोपीय परिवार के समुदाय—केंतुम एव सतम

भारोपीय परिवार को 'केंतुम' एव 'सतम', दो समुदायों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन का मुख्य आधार है—कठय ध्वनियों का विकास।

भारोपीय भाषा में जो (१) वग की जा कठय ध्वनिया थी, वे कुछ भाषाओं में 'क' वर्गीय रही (क, ख आदि) पर कुछ अन्य भाषाओं में ये ध्वनिया सघर्षी (स, श, ष) बन गई। उदाहरणार्थ भारोपीय भाषा का शब्द 'दक' ग्रीक में 'दक' है एव संस्कृत में 'दश'। वे भाषाएँ जिनमें ये ध्वनिया 'क वर्गीय' बना रही, उन्हें 'केंतुम' समुदाय में रखा गया एव जिन भाषाओं में ये ध्वनिया 'सघर्षी' 'स', 'श' बन गई थीं उन्हें 'सतम' समुदाय में रखा गया। नीचे की तालिका इस परिवर्तन को स्पष्ट करती है।


#### भारोपीय भाषा




केंतुम सतम, नाम देने का मुख्य कारण यह है कि इन दोनों शाखों का अर्थ एक ही है अर्थात् १००। 'केंतुम' शब्द लटिन भाषा का है एव 'सतम' अवैस्ता का। ऐसा सोचा गया कि जिन भाषाओं में '१००' संख्या के लिए प्रयुक्त शब्द 'क' या उससे मिलती जुलती ध्वनि रखता है वे भाषाएँ 'केंतुम'

वर्ग की हुई एव जिन भाषाओं में '१००' शब्दा के लिए प्रयुक्त '१००' में स, स, ध्वनि होगी, वे भाषाएँ 'सतम समुदाय' की होंगी। इस प्रकार भारतीय परिवार की समस्त भाषाएँ इन दो समुदायों में बाँट दी गई।

ऊपर जिन 'केंतुम' एव 'सतम समुदायों' का वर्णन किया गया है, उनमें से प्रत्येक समुदाय में अनेक उपपरिवार हैं। नीचे इन उपपरिवारों की तालिका दी जा रही है।



जसा कि पहले ही बताया गया है कुछ विद्वान 'हिट्टाइट' को एक अलग उपपरिवार मानकर उसे केंतुम समुदाय में गिनते हैं किन्तु बहुत से विद्वान उसे भारतीय परिवार का उपपरिवार न मानकर हिट्टाइट एव भारतीय को एक ही भाषा (जिसे इंडो हिट्टाइट अथवा भारत हिन्दी कहा जा सकता है) के दो समकक्ष वर्ग मानते हैं। इस मत को स्वीकार करने पर तालिका इस प्रकार होगी।



आगामी परिच्छेदों में उपयुक्त उपपरिवारों का सन्निप्त परिचय दिया जा रहा है।

## ४५२ केंतुम समुदाय के उपपरिवार

### (क) ग्रीक उपपरिवार

ग्रीक केंतुम समुदाय का प्राचीन एवं प्रसिद्ध उपपरिवार है। इसे 'हेलेनिक' भी कहते हैं। इस उपपरिवार का विस्तार ग्रीस, ट्रीन, साइप्रस आदि स्थानों तक है। ग्रीक इस उपपरिवार की सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा है। ग्रीस की संस्कृति एवं वहाँ का साहित्य बहुत पुराना है। ग्रीक के प्रसिद्ध कवि होमर ने ईसा से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व 'इलियड' एवं 'ओडिसी' नामक महाकाव्यों की रचना की थी। यूरोप के साहित्य एवं संस्कृति पर ग्रीक के साहित्य एवं वहाँ की संस्कृति का बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्लेटो एवं अरस्तू जैसे महान विचारक एवं सिक्कर जैसे विश्व विजेता इसी ग्रीक ने उत्पन्न किए हैं।

ग्रीक की अन्य प्रसिद्ध भाषा थी 'एटिक' जो विकसित होकर 'कोइने' कहलाई। वर्तमान ग्रीक का विकास इसी 'कोइने' से हुआ है। डोरिक भी इस उपपरिवार की प्रसिद्ध भाषा थी।

प्राचीन ग्रीक की रचना का संस्कृत से बहुत साम्य है।

### (ख) इटालिक उपपरिवार

इटालिक उपपरिवार का 'लटिन' उपपरिवार भी कहते हैं क्योंकि इस उपपरिवार की सबसे अधिक प्रसिद्ध भाषा लटिन है। 'लटिन' रोमन-कथलिक संप्रदाय की धर्म भाषा एवं यूरोप की सांस्कृतिक भाषा है। यूरोप में उसका वही स्थान है जो भारत में संस्कृत का है।

ईसा पूर्व ५०० के आस पास लैटिन के शिलालेख मिलने लगते हैं।

प्राचीन लैटिन, मध्ययुग में विकसित होकर संपूर्ण रोमन साम्राज्य की राज्य भाषा बन गई। उसी मध्यकालीन लैटिन से आधुनिक लैटिन का विकास हुआ है।

इस उपपरिवार की प्राचीन भाषाएँ 'ओस्कन' एवं 'अम्ब्रियन' का परवर्ती विकास नहीं मिलता।

इस उपपरिवार की अन्य मुख्य भाषाएँ हैं—फ्रेंच (फ्रांस), पुतगाली (पुतगाल), स्पैनिश (स्पेन)।

## ( ग ) केलिटिक उपपरिवार

इस उपपरिवार की प्राचीन भाषा केलिटिक थी, जो कभी मध्य यूरोप की मुख्य भाषा थी। आज इसकी परंपरा का पता नहीं लगता। केलिटिक का साहित्य ईसा की पाचवीं शताब्दी के आस-पास मिलता है।

इस परिवार की इस समय मुख्य भाषाएँ हैं—आयरलैंड की 'आयरिश' एव बेल्ज की भाषा 'वल्लो'।

इसके अतिरिक्त मानद्वीप की 'मान', स्काटलैंड की 'स्काच' ब्रिटेन एव फ्रांस में बालो जाने वाली 'ब्रिटेनी' एव प्राचीन भाषा 'गाल' भा इसी उपपरिवार की भाषाएँ हैं।

## ( घ ) जर्मनिक उपपरिवार

भारतीय परिवार का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपपरिवार है। इस उपपरिवार को 'ट्यूटानिक' भी कहते हैं। अंग्रेजी इसी उपपरिवार की भाषा है, जो प्रयोग की दृष्टि से आज विश्व की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है।

इस उपपरिवार की सबसे प्राचीन भाषा 'गोथिक' है जो आज लुप्तप्राय है। गोथिक की सबसे प्राचीन रचना ( वाइबिल का अनुवाद ) ईसा की चौथी शताब्दी की है।

इस उपपरिवार की अन्य प्रसिद्ध भाषाएँ हैं—जर्मन (जर्मनी), डनिश (डेनमार्क) नार्वेयन (नार्वे), स्वडिश (स्वीडन) डच (नीदरलैंड)। इस उपपरिवार की प्रसिद्ध भाषा अंग्रेजी का विकास निम्न जर्मन की एक शाखा आंग्ल-सक्सन से हुआ है।

इस उपपरिवार की अनेक भाषाएँ, साहित्य की दृष्टि से संसार की प्रसिद्ध भाषाएँ हैं।

इस उपपरिवार की भाषाओं में भारतीय भाषा की ध्वनियाँ का महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, जिस परिवर्तन के आधार पर ग्रिम, ग्रोसमन एव वनर के ध्वनि नियम आधारित हैं।

## ( ङ ) तोखारी उपपरिवार

केंतुम समुदाय के इस उपपरिवार का पता बीसवीं शताब्दी में तब लगा जब पूर्वी तुर्किस्तान से प्राप्त कुछ पत्रों एव प्रश्नों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से पता हुआ कि यह भाषा भारतीय परिवार की भाषा थी।

इस भाषा को बोलनेवाली जाति 'तोखार' अथवा 'तोयार' कही जाती है,

इस कारण इस भाषा को 'तोखारी' कहा गया है।

तोखारी में प्राप्त सामग्री २सा की प्रथम शताब्दी से भी पूर्व की है।

स्थान की निकटता के कारण स्वरूप, तोखारी पर यूराल-अल्ताई भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है।

ऐसा माना जाता है कि यह भाषा ७वीं शताब्दी के निकट समाप्त हो गई।

### हिट्टाइट अथवा हित्ती उपपरिवार

२०वीं शताब्दी के आरम्भ में एशिया माइनर के बागाज़कुई गांव की खुदाई से कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हुई जिसमें हिट्टाइट अथवा हित्ती भाषा का पता लगा। यह सामग्री मिट्टी की चौड़ी पट्टिकाओं पर कीलाक्षरा से लिखे अभिलेख हैं जिनका समय ईसा पूर्व २००० के लगभग आका गया है।

इस भाषा पर यद्यपि समेटिक परिवार की सुमेरायन एवं अक्केटीयन भाषाओं का बहुत अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथापि यह भाषा निश्चित रूप से भारोपीय परिवार की भाषा है क्योंकि भारोपीय भाषा की कुछ विशेषताएँ केवल हित्ती में ही दिखाई पड़ती हैं। इसकी प्राचीनता के कारण ही कुछ भाषा-वैज्ञानिक उसे भारोपीय भाषा का समकालीन मानते हैं।

### ४५३ सतम समुदाय के उपपरिवार

#### (च) बाल्टो सिलविक उपपरिवार

इस उपपरिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से चेकोस्लोवाकिया, पोलंड, चुरगेरिया में बोली जाती हैं।

कुछ विद्वान 'बाल्टो' एवं 'सिलविक' को दो अलग अलग परिवार मानते हैं किंतु बहुत से विद्वान इन्हें एक ही परिवार की दो शाखाएँ मानते हैं।

'बाल्टो' शाखा की मुख्य भाषाएँ हैं—लियुआनियन एवं लेटिश। इनमें से लियुआनियन भारोपीय परिवार की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है (यदि हित्ती को भारोपीय भाषा के समकालीन मानें तो)। लियुआनियन में भारोपीय भाषा की बहुत-सी विशेषताएँ सुरक्षित हैं।

सिलविक शाखा की मुख्य भाषा है 'रसी'। इस शाखा की अन्य प्रसिद्ध भाषाएँ हैं—चेक' एवं 'पोलिश'। ईसा की नवीं शताब्दी के निकट इस शाखा की कुछ साहित्यिक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं।

## ( छ ) आर्मेनियन उपपरिवार

आर्मेनिया की भाषा आर्मेनियन है। यह भाषा, भारोपीय परिवार के 'सतम' समुदाय की होने का कारण, आय परिवार का निकट है। साथ ही यह भाषा सानी परिवार की भाषाओं में प्रभावित है। इस भाषा पर ईरानी का भी प्रभुत्व प्रभाव है।

आर्मेनियन का प्राचीन साहित्य का पता नहीं लगता। साहित्य मिला हुआ है वह १०वीं-११वीं शताब्दी का है।

## ( ज ) अल्बेनियन उपपरिवार

भारोपीय परिवार की यह एक ऐसी भाषा है जो बहुत से परिवारों को बहुत-सा भाषाओं से प्रभावित है। इन भाषा पर लटिन प्रोब का अतिरिक्त तुर्की, सरबी, फारसी का भी प्रभाव है। इस भाषा का सर्वहृदी 'गना' में से पूरा का साहित्य प्राप्त नहीं होता।

## ( झ ) आय उपपरिवार


'आय' सतम समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण उपपरिवार है। इस उपपरिवार की संस्कृत भाषा ममार की अत्यंत प्राचीन भाषाओं में से एक है। वि. व. में जो स्थान लटिन एवं प्रोब का है, वही स्थान संस्कृत का है। साहित्य का दृष्टि से यह भाषा संभवतः ससार की श्रेष्ठतम भाषा है।

इस उपपरिवार को तीन शाखाएँ हैं—ईरानी, दरद एवं भारतीय। इस उपपरिवार से हमारी हिंदी का संबंध है। आगामा परिच्छेद में इस उपपरिवार का अधिक विस्तृत वर्णन किया जा रहा है।

## ४६ आय उपपरिवार

यह पहले ही बताया जा चुका है कि आर्याय भाषा बोलनेवाली 'विरास' जाति का एक समूह अपना मूल स्थान छोड़कर ईरान की ओर चला गया। इस समूह के लोग अपने को आय कहते थे। निस्संदेह ईरान 'आय' से विकसित हुआ है। इसी समूह का एक भाग काज्जर में भारत की ओर चला आया। भारत की ओर आनेवाले इन आर्यों में से कुछ ईरान एवं भारत के मध्य के दरदस्तान अर्थात् पर्वतीय प्रदेश में ही रह गए। इस प्रकार आय कुल की तीन शाखाएँ हैं—ईरानी शाखा, दरद शाखा एवं भारतीय शाखा।

## आय उपपरिवार



## ४६१ इरानी शाखा

इरानी भाषाओं की तीन अवस्थाएँ हैं—प्राचीन भाषाएँ, मध्यकालीन भाषाएँ एवं आधुनिक भाषाएँ ।

प्राचीन काल का समय ईसा स ४-५ शताब्दी पूर्व तक माना जाता है । उस काल की प्रमुख भाषाएँ हैं—'अवेस्ता' एवं 'प्राचीन फारसी' । अवेस्ता की प्राचीनतम रचना का नाम भी 'अवेस्ता' ही है । यह ईरानिया का धर्मग्रन्थ है । भारत में जा आदर वेदों का दिया जाता है वैसे ही आदर ईरानी 'अवेस्ता' का देते हैं । 'अवेस्ता' एवं भारत की प्राचीनतम रचना ऋग्वेद की भाषा में बहुत अधिक साम्य है । 'अवेस्ता' पर लिखी गई टीका 'ज़िद' की भाषा भी प्राचीन काल के जगत आती है ।

ईरानी का मध्यकाल, ईसा की पहली-दूसरी शताब्दी से आरम्भ होता है । इस काल की प्रसिद्ध भाषा 'पहलवी' है, जिसका विकास प्राचीन फारसी से हुआ है ।

ईरानी का आधुनिक काल ९-१० शताब्दी के आस पास शुरू होता है । आधुनिक ईरानी में लिखा फ़िरदौसी का 'शाहनामा' सप्ताह के प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक है । आधुनिक ईरानी ( जिसे फारसी कहा जाता है ) पर अरबी एवं तुर्की का बहुत प्रभाव पड़ा है । आधुनिक ईरानी या फारसी के अतिरिक्त, आगती, कुर्मी, पस्तो एवं विलाची भी आधुनिक ईरानी की ही बालियाँ हैं ।

## ४६२ दरद शाखा

दरद का अर्थ 'पर्वत' है । अतः दरद शाखा की भाषाएँ पर्वतीय प्रदेशों में बाली जाती हैं । पामीर के दक्षिण-पूर्व एवं पञ्जाब के पश्चिमोत्तर में इस शाखा की भाषाएँ बाली जाती हैं ।

इस शाखा की 'शीना भाषा प्राचीन दरद का प्रतिनिधित्व करती है । 'कश्मीरी' इस शाखा की प्रसिद्ध भाषा है । 'कश्मीरी' में संस्कृत के शब्द बहुत अधिक मात्रा में हैं । १४वीं शताब्दी से कश्मीरी का साहित्य मिलने लगता है ।

## ४६३ भारतीय शाखा

भारतीय शाखा आय कुल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण शाखा है । हिंदी का इसी शाखा से संबंध है, अतः आगामी परिच्छेद में इसका विस्तृत वर्णन किया जा रहा है ।



## ४७ भारतीय भाषाएँ

भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास लगभग साठे तीन हजार वर्षों का इतिहास है अर्थात् भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास ईसा से लगभग १५०० वर्ष पूर्व से आरम्भ होता है।

भाषागत विशेषताओं एवं विभिन्नताओं के कारण इस दशक काल का तीन विकास-खंडों में विभक्त किया जाता है।

प्राचीन काल ( ईसा पूर्व १५०० से ई० पू० ५०० तक )

मध्य काल ( ईसा पूर्व ५०० से १००० ई० तक )

आधुनिक काल ( ईसा १००० से अब तक )

### ४७१ प्राचीन काल ( प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ )

भारतीय आर्य भाषाओं का प्राचीन काल ईसा पूर्व १५०० से ई० पू० ५०० तक माना जाता है। इस काल को वदिक-संस्कृत अथवा केवल संस्कृत काल भी कहा जा सकता है। विकास की दृष्टि से इस काल की भाषा के दो रूप हैं—वैदिक भाषा अथवा वदिक संस्कृत तथा संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत। वदिक संस्कृत वेदों की भाषा का नाम है जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में है। ऋग्वेद सभ्यत ससार की प्राचीनतम प्रामाणिक रचना है। वेदों की रचना विभिन्न समयों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई है, इस कारण वेदों की भाषा में विविधता है। वेदों की भाषा साहित्यिक एवं लोक भाषा का मिश्रित रूप है।

वदिक भाषा का दूसरा रूप, वेदों की परवर्ती रचनाओं ब्राह्मणग्रंथों एवं उपनिषदों में मिलता है। इन रचनाओं की भाषा, वदिक भाषा से स्पष्ट रूप से परिवर्तित लगती है।

वदिक भाषा का युग ई० पू० १००० तक माना जाता है। इस समय तक आर्यों की सत्ता मध्य देश में स्थापित हो चुकी थी और वे अब पूर्व एवं दक्षिण की ओर अग्रसर हो रहे थे। इससे जहाँ आर्यों की सत्ता का विस्तार हुआ, वहाँ आर्यों की भाषा में भी काफी विकास हुआ अर्थात् विभिन्न स्थानीय भाषाओं के संपर्क से भारतीय आर्यों की भाषा के विभिन्न स्थानीय रूप बनने लगे। यह स्थिति लगभग ऐसी ही थी, जैसी कि आज हिंदी का है। आज विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के संपर्क से हिंदी के विविध रूप विकसित हो रहे हैं। आज केवल पूर्वी हिन्दी एवं पश्चिमी हिंदी जैसी रूप ही नहीं हैं, बल्कि हिन्दी पञ्जाबिया

हिंदी, गुजराती हिंदी जैसे रूप भी पनप रहे ह। आय भाषा की उस बढ़ती हुई भिन्नता से चिंतित होकर पाणिनि ने वैदिक भाषा का परिनिष्ठीकरण किया ( पाणिनि का संस्कृत व्याकरण 'अष्टाध्यायी' )। इससे उसका एक रूप स्थिर हो गया एवं वह संस्कार-युक्त होकर संस्कृत कहलाई। आय पश्चिमोत्तर से पूव एवं दक्षिण की ओर बढे थे, अतः आय भाषा के पूर्वो एवं दक्षिणी रूप ही स्थानाय भाषाओं के प्रभाव से अधिक प्रभावित थे। इसलिए पाणिनि ने संस्कृत के उदीच्य अर्थात् उत्तरी रूप को आदर्श रूप स्वीकार किया एवं आय भाषा को 'सिधे प्रयोग' से बाहर अथवा अपवादों के भीतर रखकर प्राचीन आय भाषा को एसी स्थिरता प्रदान की कि वह जन भाषा न बनकर देव भाषा बन गई।

यद्यपि संस्कृत का काल ईसा से पूव ५०० तक ही माना जाता है तथापि संस्कृत का प्रचार, प्रसार एवं प्रभाव आज तक है।

### प्राचीन आय भाषा की विशेषताएँ

प्राचीन आय भाषा में १३ स्वर ध्वनियाँ थी, जिसमें से ९ मूल स्वर थे ( अ, आ, इ, ई, उ, ऊ ऋ, ॠ एवं लृ ) तथा ४ सध्य स्वर थे ( ए, ऐ, ओ, औ )। 'ऐ' एवं 'औ' का उच्चारण क्रमशः 'आई' एवं 'आउ' होता था। भाषा में स्वराघात का महत्व था, जो तीन प्रकार का होता था ( उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित )। प्राचीन काल की भाषा में अपश्रुति का प्रयोग होता था, अर्थात् शब्दों के मध्य स्वरों के परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो जाता था ( उदाहरणाय, 'अप्नोमि' में प्राप्त करता हूँ, 'आप्नुम' 'हम प्राप्त करते हैं )।

यजनों के पाँच वग बन चुके थे। कवग, चवग ( भारोपीय भाषा के एक वग का विकास ), टवग ( समवत आर्योत्तर प्रभाव के कारण ) तवग एवं पवग। इनके अतिरिक्त चार अधस्वर ( य, र, ल, व ) एवं तीन उष्म ( ष, स ) तथा एक महाप्राण ( ह ) ध्वनियाँ थी। एक अनुनासिक ( ङ ) एवं एक विसर्ग ध्वनि ( ः ) भी थी। वैदिक भाषा में लुटित ल, ल्ह, जिह्वामुलीय ङ एवं उपमानीय फ जैसी ध्वनियाँ थी जो संस्कृत में लुप्त हो गई।

शब्दों के रूप लिंग ( लीन ), वचन ( लीन ) एवं कारक ( आठ ) के आधार पर बनते थे। विभेयण सज्ञा के समान ही परिवर्तित होते थे। सर्वनामों के रूपों में यथेष्ट विविधता थी। शब्द निर्माण में प्रत्यया का प्रयोग होता था। शब्दों की सामासिक रचना का विधान था।

क्रिया रूपों का परिवर्तन वचन ( तीन ), पुरुष ( तीन ), पद ( दा आत्मने, परस्म ), काल—जिन्हें लकार कहते थे—( दस ), वाच्य (तीन) के आधार पर होता था। धातुओं के विभिन्न समूह थे—जिन्हें गण ( दस ) कहते थे। क्रिया का रूपांतर भी प्रत्ययों के द्वारा होता था, जो अनेक थे। दा-प्रत्यय एव क्रिया प्रत्यय अलग अलग थे।

प्राचीन भाषा शब्द भंडार की दृष्टि से समृद्ध थी तथा उसमें नवान शब्दों के निर्माण की असीम शक्ति थी।

## ४७२ मध्य काल (मध्य कालीन भारतीय आय भाषाएँ)

मध्यकालीन आयभाषाओं की अवधि ई० पू० ५०० स १००० ई० तक मानी जाती है। विकास की दृष्टि से इस काल के तीन सोपान माने जाते हैं। प्रथम सोपान ई० पू० ५०० से ईसा का प्रथम शताब्दी तक, द्वितीय सोपान ईसा की प्रथम शताब्दी से ५०० तक और तृतीय सोपान ५०० ई० से १००० ई० तक।

साधारण रूप से प्रथम सोपान को 'पालि काल', द्वितीय सोपान को 'प्राकृत काल' एव तृतीय सोपान को 'अपभ्रंश काल' कहा जाता है। कुछ विद्वान इस पूरे मध्ययुग को प्राकृत काल कहकर पालि को 'प्रथम प्राकृत', प्राकृत को द्वितीय अथवा साहित्यिक प्राकृत एव अपभ्रंश को 'तृतीय प्राकृत' कहना उचित समझते हैं। इसका कारण यह है कि संस्कृत गिष्ट जनो की परिनिष्ठित एव साहित्यिक भाषा थी। संस्कृत के सिवाय वाकी जो भी भाषाएँ थी वे संस्कार युक्त न होने के कारण मूल अथवा प्राकृत थी।

## ४७२१ प्रथम सोपान-पालि अथवा प्रथम प्राकृत

भारतीय आय भाषा का मध्यकाल, भगवान बुद्ध द्वारा 'जन भाषा' में दिए गए शब्दों से आरंभ होता है। यहाँ 'जन भाषा' पालि अथवा प्रथम प्राकृत' कहलाती है।

'पाली' शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणाएँ हैं। महा बुद्ध का उल्लेख किया जाता है।

पालि < पक्ति ( बुद्ध के शब्दों की पक्ति-पत्तियाँ )

पालि < पल्लि ( अर्थात् ग्राम अथवा ग्रामीण भाषा )

पालि < पादलिपुत्र ( मगध की भाषा ज्ञान के कारण ऐसा अनुमान किया गया )

पालि < परिचाय (= प्रवचन)

पालि < पाइल < प्राकृत

सबसे अधिक माय एव तकपूर्ण पुस्तुत्ति यह ह कि 'पालि' 'पा-' धातु (= रक्षा करना ) में '—लि' प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता ह 'रक्षा करती ह' । पालि से बुद्ध भगवान के वचनों की रक्षा हुई ह, इसमें कोई सदेह नहीं ।

पालि के क्षेत्र के सबध में भी बड़ा विवाद ह । समाय धारणा यह ह कि भगवान बुद्ध क वचनों की वाणी होने के कारण उसका क्षेत्र मगध रहा होगा, किन्तु पाली एव मागधी के लक्षणा में अंतर ह । पूव में प्राप्त अशोक के मागधी शिलालेखों से भी पालि भिन्न है । पालि क लिए जिन अर्थ क्षेत्रों की कल्पना की गई ह वे ह कलिंग ( इसका आधार कलिंग में प्राप्त लडगिरि के अभिलेखा से पालि की समानता ह ) उज्जैन ( इसका आधार अशोक के पुत्र महेंद्र वा उज्जैन में हुआ पालन पोषण एव महेंद्र के द्वारा ही बुद्ध वचनों का संग्रह त्रिपिटक लिहल ले जाता ह ), विष्णु प्रश्न ( इसका कारण पालि में प्राप्त विष्णु प्रदश की भाषा पशाची की विशेषताए हैं ) । अधिक माय यह ह कि पालि मध्य देश की भाषा पर आधारित साहित्यिक भाषा थी ।

संस्कृत से पालि में हुए परिवर्तनों को समझने से आधुनिक हिंदी के विकास को समझने में सुविधा होगी । संस्कृत से जा पालि में परिवर्तन हुए, उ हें देखने से जान हा जाता ह कि आधुनिक आय भाषाभाषा क विकास के बीज पालि में ही पड चुके थे । इन परिवर्तनों में सरलीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान ह । यहा पालि में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया जाता ह । संस्कृत के 'ऐ', 'औ' सध्य अक्षर पालि में मूल स्वर 'ए' 'ओ' में परिवर्तित हो गए । ऋ, लृ, जसी ध्वनिया समाप्त हो गई । तीन उष्म ध्वनिया ( श, प, स ) क स्थान पर केवल 'स' रह गई । स्वराघात का प्रयोग समाप्त हा गया । सयुक्त प्रजना का प्रयोग समाप्त प्राय हो गया ।

शब्द रूपा में सरलता बनी किन्तु इससे शब्द रूपा में अनेकता आ गई । शब्द यजनात न हाकर स्वरात हो गए । तीन वचनों के बदले दो वचना का प्रयोग होने लगा आठ कारकों के स्थान पर छह कारक रह गए, लकारों की संख्या दस से घटकर आठ रह गई एव प । में से आत्मनेपद का लोप हा गया ।

४ ७ २ २ अभिलेखीय प्राकृत

मध्यकाल के प्रथम सापान ( पालि युग ) एव द्वितीय सापान ( प्राकृत युग )

के मध्य जो अल्प भाषा के समूह पित्र्य है, उन्हीं मरारानी भाषा के अभिलेख ( निम्नलिखित रूपों में ) की भाषा मरारानी है । ये अभिलेख भारत के पूर्वी मध्य भाग एवं पश्चिमोत्तरी भागों में प्राप्त हुए हैं । मरारानी मध्य अभिलेखों पर पूर्वी भाषा का प्रभाव स्पष्ट हुआ है क्योंकि ये अभिलेख मध्य भाग भाषा की प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करते हैं । इनमें से कुछ भाषा हैं बहयाङ्गी भाषा ( पश्चिमोत्तरी भाग ) गुजरात के मिन्ना मरारानी के निकट काली ( मध्य भाग ) एवं कर्नाट ( पूर्वी भाग ) में पाए जाने वाले अभिलेख । इन अभिलेखों से स्थानीय भाषाओं ( पश्चिमोत्तरी, मध्य भाग एवं पूर्वी भाग ) का ज्ञान हुआ है ।

इन अभिलेखों की भारतीय विवरणों पालि के समान ही हैं । दोनों में अंतर यह है कि पालि जहाँ परिचित है वहाँ कारण एक ही भाषा है वहाँ अभिलेखों की भाषा संबंधित स्थानीय भाषाओं की अभिव्यक्ति करती है ।

पालि के समान ही अभिलेखों का भाषा में भी उल्लेख का प्रवृत्ति विद्यमान है ।

### ४७२३ अल्पधोषीय प्राकृत एवं निय प्राकृत

इसी काल की दो अन्य प्राकृतों का उल्लेख करना आवश्यक है । इनमें से एक है धोष का नाटकों की प्राकृत जिसमें भी अभिलेखीय प्राकृत के समान पश्चिमोत्तरी मध्यधोषीय एवं पूर्वी भाषाओं के रूप मिलने हैं ।

एगिया के 'निय' प्रदेश में प्राप्त कुछ पत्रों की भाषा 'निय प्राकृत' कहा जाती है । इसका मूल भाषा 'पश्चिमोत्तरी प्राकृत के वर्ग का है किन्तु भौगोलिक स्थिति के कारण उस पर निकटवर्ती भाषाओं इरानी, तुखारो आदि का भी प्रभाव स्पष्ट पड़ता है ।

### ४७२४ द्वितीय सोपान-प्राकृत अथवा साहित्यिक प्राकृत

मध्यकाल के द्वितीय सोपान ( ईसा के प्रथम ५०० वर्षों ) की प्राकृत-काल की सजा दी जाती है । प्राकृत वर्ण का संघ 'प्रकृति सह, जिसका अर्थ है साधारण' मूल, 'अकृत्रिम आदि । इस दृष्टि से सस्कृत सस्वार मुक्त एवं अकृत्रिम थी जबकि प्राकृत सस्वार मुक्त एवं अकृत्रिम थी । सस्कृत आवाषों की भाषा थी एवं प्राकृत जनसाधारण का । 'प्राकृत' की एक व्युत्पत्ति प्राक + कृत = पहले की भी मानी जाती है जिसका अर्थ यह लिया जाता है कि वह सस्कृत

से भी पहले की थी एवं उसका ही सस्कार-युक्त रूप संस्कृत है। या 'प्राकृत' शब्द का प्रयोग संपूर्ण मध्यकाल की भाषाओं के लिए भी किया जाता है किंतु मध्यकाल के द्वितीय सोपान की भाषाओं के लिए 'प्राकृत' शब्द एक प्रकार से रूढ़ हो गया है। इन भाषाओं का प्रयोग संस्कृत रचनाओं में भी मिलता है, जहाँ इनका प्रयोग कम गिष्ट एवं निम्नश्रेणी के व्यक्तियों करने में है।

इस विवेचन में ऐसा बोध होता है कि ये भाषाएँ संस्कृत की अपेक्षा असंस्कृत भाषाएँ थीं किंतु मध्यकाल के दूसरे सोपान की जिन प्राकृत भाषाओं का विवेचन किया जाता है वे वास्तव में साहित्यिक भाषाएँ बन चुकी थीं। यही कारण है कि इस दूसरे सोपान को प्राकृत काल अथवा साहित्यिक प्राकृत काल कहा जाता है।

### ४७२५ प्राकृत के भेद

प्राकृत भाषाओं के, अनेक दृष्टियाँ से, अनेक भेद किए जाते हैं, किंतु उनके प्रसिद्ध भेद हैं—मागधी, अधमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री एवं पेशाची। प्राकृतों का विवेचन करनेवाले प्रथम आचार्य 'वरहचि' ने अधमागधी का उल्लेख नहीं किया है। हेमचंद्र ने अधमागधी (आप) के साथ एक 'शूलिका पेशाची' का भी बर्णन किया है। नीचे इन प्राकृतों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

#### (क) मागधी प्राकृत

मागधी मूल रूप से मगध की भाषा थी। देश के पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण, यह अपनी अर्ध-समकालीन भाषाओं से अधिक परिवर्तित थी। 'र' ध्वनि का अभाव ( 'र' के स्थान पर 'ल' का प्रयोग ) एवं समस्त उच्च ध्वनियों के स्थान पर केवल 'श' ( स, झ, ष > श ) का प्रयोग, मागधी की निजी विशेषताएँ हैं।

मागधी का प्रयोग प्रायः संस्कृत नाटकों में ही मिलता है ( कन शिष्ट पात्रों द्वारा प्रयुक्त )। उसकी अपनी साहित्यिक रचनाओं का अभाव सा है।

#### (ख) शौरसेनी प्राकृत

गूरसन प्रदेश ( मयुरा का निवटवर्ती प्रदेश ) की भाषा शौरसेनी कहलाती है। यह मध्य-रूप की भाषा होने के कारण, अर्ध-प्राकृतों की अपेक्षा कम परिवर्तित है इसलिए संस्कृत से इसकी समीपता और प्राकृतों की अपेक्षा अधिक है। आधुनिक हिंदी ( पश्चिमी ) के विकास के मूल रूप से शौरसेनी

प्राकृत से ही जुड़े हुए हैं। इस भाषा का प्रयोग भी मध्य प्राकृतों में ही मिलता है।

### ( ग ) अधमागधी प्राकृत

अधमागधी भाषाएँ एवं शौरसेनी प्राकृत के मध्य भाग की भाषा है। इसी कारण इसमें मागधी एवं शौरसेनी दोनों प्राकृतों की कुछ विशेषताएँ प्राप्त हो जाती हैं।

अधमागधी जैन आचार्यों के धर्मशास्त्र एवं शास्त्र रचना का भाषा थी। यह इस 'आर्यी' कहने पर तथा इस समस्त भाषाओं की आर्य भाषा माने पर।

अधमागधी की मुख्य विशेषताएँ हैं—र ल दोनों ध्वनिदोषों का प्रयोग ठान उप्प ध्वनियाँ ( स, श, ष ) के स्थान पर एक ही स ध्वनि का प्रयोग तथा स्वर मध्यम 'य' ध्रुति का प्रयोग ( गागर > सायर )।

### ( घ ) महाराष्ट्री प्राकृत

महाराष्ट्री प्राकृत, समस्त प्राकृतों में विकसित एवं साहित्यिक भाषा है। यथावस्था ने इस सय प्राकृतों में मुख्य एवं आदर्श माना है। इसी के बचन के सदन में अन्य प्राकृतों का बचन किया गया है।

'सेतुवच' गाथा सत्तसई जैसी रचनाएँ महाराष्ट्री प्राकृत में ही हैं।

महाराष्ट्री के शब्दों में मुख्य समस्या यह है कि वह किस स्थान की भाषा थी। नाम से ऐसा बोध होता है कि वह वर्तमान महाराष्ट्र की भाषा रही होगी। इसकी पुष्टि इस बात से की जाती है कि वर्तमान मराठी के विकास का बीज महाराष्ट्री प्राकृत में विद्यमान है। किन्तु महाराष्ट्री प्राकृत एवं शौरसेनी प्राकृत में बहुत अधिक समानता है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है। आरम्भ से लेकर मध्य देश की भाषा प्रमुख रही है। इससे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र "ए" एक प्रदेश विशेष का घातक न होकर उस बड़े भू-भाग अर्थात् राष्ट्र ( महा + राष्ट्र ) का घातक है जो विषय पर्वत के उत्तर में फैला हुआ है। अतः 'महाराष्ट्री' से तात्पर्य उस बड़े भाग की मध्यदेशीय भाषा से है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि मध्य देश की भाषा तो शौरसेनी थी, फिर महाराष्ट्री कैसे मध्य देश की भाषा होगी? इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि शौरसेनी एवं महाराष्ट्री में कालगत अंतर है स्थानगत नहीं। महाराष्ट्री शौरसेनी का ही परवर्ती विकसित रूप है। इस बात की पुष्टि भाषावैज्ञानिक प्रमाण से होती है स्वर मध्यम व्पजन लोप का जो परिवर्तन महाराष्ट्री में पूर्ण हो गया है, वह शौरसेनी में अपूर्ण अवस्था में मिलता है। शौरसेनी में

○ स्वर मध्यग अघोष व्यजन ध्वनि सघोष में परिवर्तित होकर सुरक्षित है, किन्तु महाराष्ट्री में स्वर मध्यग व्यजन ध्वनि पूण रूप से लुप्त हो गई है। शौरसेनी में स्वर मध्यग महाप्राण व्यजन भी अभी सुरक्षित है किन्तु महाराष्ट्री में, उस स्थिति में भी व्यजन लुप्त हो गया है केवल प्राणत्व रह गया है। उदाहरणार्थ संस्कृत 'कथयत' > शौरसेनी 'कथेदु' > महाराष्ट्री 'कहेउ'।

### ( ड ) पेशाची प्राकृत

भारत के सुदूर पश्चिमोत्तर भाग में बोली जानेवाली भाषा को पेशाची प्राकृत का नाम दिया गया है। इस प्राकृत में साहित्य की रचना न के बराबर है। जिस एक रचना गुणाट्य की बहकहा (बृहत्कथा) का उल्लेख किया जाता है उसका भी पेशाची में मूल पाठ नहीं मिलता।

व्याकरणो ने पेशाची की एक मुख्य विशेषता यह बताई है कि उसमें स्वर मध्यग स्पष्ट व्यजना का लोप नहीं होता। या गुणाट्य की उपयुक्त रचना 'बृहत्कथा' में 'त' व्यजन का लोप है (—कथा > —कहा)।

### ४ ७ २ ६ प्राकृत की सामान्य विशेषताएँ

प्राकृत में हुए परिवर्तना को देखने से पता होता है कि उनकी दिशाएँ प्रायः वहाँ हैं, जिनका सूनपात मध्यकाल के प्रथम सोपात अर्थात् पालि के समय हो चुका था।

जिन ध्वनियों का प्रयोग पालि में नहीं हुआ (अट्, ल आदि) उनका प्राकृत में भी अभाव रहा, साथ ही पाठि में प्रयुक्त ध्वनियाँ (ळ, ळ्ह) प्राकृत में भी प्रयुक्त हुई (कुछ अपवाद छोड़कर)। उष्म ध्वनियाँ के प्रयोग में भिन्नता है। कहीं केवल 'ग' का प्रयोग होना है (यथा भागधी में) एवं कहीं केवल 'स' का (अथ प्राकृता में)। न का विकास 'ण' में होता हुआ दिखाई पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था स्वर मध्यग सघोष व्यजनो का लोप (विशेषकर महाराष्ट्री में)।

व्यजनानां गणो का प्रायः अभाव है। कारका में कमी के कारण शब्द रूपा में कमा हुई वचन दो ही रहे। पालि के समान ही स्वराघात का प्रयोग नहीं था। आत्मनपठ समासप्रायः था। लकारा की संख्या में कमी हुई। तत्भव शब्दा का संख्या बहुत बढ़ गई। दणज गणो का विकास होना लगा।

इस प्रकार आधुनिक आय भाषायाँ के विकास का जो बीज पालि में दृष्टि गाँवर होता है प्राकृत भाषायाँ में वह विकसित होता गया दिखाई देता है।



## ४७२७ तृतीय सापान—अपभ्रंश

'अपभ्रंश' का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट अथवा भ्रष्ट विग्रह हुआ भाषा। 'अवहृत्य, अवहृष्ट अवहृष्ट आदि शब्दों का मूल भी अपभ्रंश है। अपभ्रंश का अर्थ आभीरोक्ति भी लिया जाता है।

अधिकतर विद्वानों का विचार है कि अपभ्रंश, प्राकृत एवं आधुनिक आय भाषाओं का मध्य की स्थिति है अर्थात् आधुनिक आय भाषाओं का विकास प्राकृत भाषाओं के प्रत्यक्ष सवय अपभ्रंश से है। इस धारणा का अनुसार प्राकृत भाषाओं के साहित्यिक बन् जान से जो बोलचाल की भाषा रही उसे ही अपभ्रंश कहा गया है। अतः प्रत्यक्ष प्राकृत का एक अपभ्रंश रूप रहा होगा तथा आधुनिक आय भाषाओं के विकास का सबंध किसी-न किसी अपभ्रंश से अवश्य होना चाहिए।

अपभ्रंश का काल माट रूप से ई० ५०० से १००० ई० तक माना जाता है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों (यथा डॉ० हरदेव बाहरी) का विचार यह है कि न तो 'अपभ्रंश' प्राकृत एवं आधुनिक आय भाषाओं के मध्य की स्थिति है और न ही आधुनिक आय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। इनकी मान्यता है कि अपभ्रंश प्राकृत भाषाओं के समकालीन एक प्रकार की प्राकृत की (च, ह्रस्वचंद्र विश्वनाथ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश की गणना प्राकृत में ही की है) जिसका क्षेत्र था गुजरात राजस्थान सिंध। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि मारकण्डेय ने तीन ही अपभ्रंश भाषाएँ गिनाई हैं—नागर (गुजरात में बोलती जाती थी) उपनागर (राजस्थान में प्रयुक्त होती थी) एवं ब्राह्मण (जो सिंध की भाषा थी)। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि राजस्थान गुजरात आदि क्षेत्रों में गुजरात एवं आभीर प्रभावशाली एवं सत्ताधारी जातियाँ रही हैं। उनका सत्ता के साथ ही उनकी भाषा का भी विस्तार हुआ जिसके फलस्वरूप भारत की अन्य भाषाओं पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है।

उपयुक्त मत पूर्ण रूप से तर्करहित नहीं है किन्तु इस मत के मानने में मुख्य बाधा यह है कि अपभ्रंश का स्वरूप प्राकृत का समकालीन न होकर उसका परवर्ती एवं विकसित रूप है। फिर यह मानना भी कठिन है कि पश्चिमोत्तर की भाषा सारे देश में प्रधान बन गई। इतिहास साक्षी है कि प्रधानता सर्व मध्यदेशीय भाषा की रही है।

'अपभ्रंश' शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम भामह के 'कायालकार' एवं चण्ड के 'प्राकृत लक्षणम्' में मिलता है। अपभ्रंश का प्राचीनतम रूप भरत के

नाट्य शास्त्र ( ३०० ई० ) में मिलता है । कालिदास की 'विज्रमावशी' रचना में इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं ।

अपभ्रश के भेदों के संघ में कुछ मतभेद हैं । मारकडेय ने 'प्राकृत सबस्व' में इसके नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद माने हैं । नमि साधु ने भी तीन ही भेद गिनाए हैं किंतु वे हैं—उपनागर आभीर एवं ग्राम्य । याकोबी उसके चार भेद ( पूर्वी, पश्चिमा, उत्तरी, दक्षिणी ) मानते हैं । तगारे इनमें से उत्तरी का स्वीकार न कर शेष तीन भेद स्वीकार करते हैं । नामवर सिंह उसके दो ही भेद मानते हैं ( पूर्वी एवं पश्चिमी ) । यों कुछ विद्वान् उसके २७ भेद तक मानते हैं ।

अपभ्रश की रचनाओं में बहुत प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—रघू का 'करकड चरिड', घमसूरि का जदूस्वामी रासा', पुष्पदत्त का 'आदिपुराण', सरह का 'दोहा कोश', स्वयमू का 'पउम चरिड' ।

### ४७ २ ८ अपभ्रश की सामान्य विशेषताएँ

अपभ्रश में वे ही परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं जिनका आरंभ पालि, प्राकृत में दिखाई पड़ता है । पालि, प्राकृत संस्कृत से भिन्न होते हुए भी आधुनिक भाषाओं के निकट नहीं थी किंतु अपभ्रश भाषा आधुनिक भाषाओं के समीप है ।

अपभ्रश की मुख्य विशेषता है अयोगात्मकता, जिसके कारण विभक्तियाँ शब्दों से जुड़ने के बदले परसर्गों के समान अलग से प्रयुक्त होने लगती हैं । यथा करण कारक के लिए 'सहु', संबध कारक के लिए 'केर', अधिकरण के लिए 'मञ्ज आदि । इसी प्रवृत्ति के कारण क्रिया में काल एवं भाव सूचक प्रत्ययों के स्थान पर सहायक क्रियाओं का प्रयोग होने लगा तथा वाक्य में शब्दों का स्थान निश्चित होने लगा ।

अपभ्रश की दूसरी मुख्य विशेषता सरलीकरण की प्रवृत्ति थी । इसके कारण कारकों के रूप कम हो गए ( संस्कृत में ४० कारक थे, प्राकृत में ६ और अपभ्रश में मात्र ३ ) । द्विवचन एवं मपुंसक लिंग समाप्त हो गए । शब्द भङ्ग में तद्भव शब्दों की वृद्धि के साथ विशेषी शब्दों का आगमन हुआ ।

स्वरापात का अभाव ही रहा । उकार की प्रधानता हो गई । अंतिम स्वरों का ह्रस्वीकरण एवं लोप की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । सम्युक्त व्यंजन से द्वित व्यंजन फिर उसके स्थान पर स्वर-दीर्घीकरण की प्रवृत्ति ( कम > कम्म > काम ) भी विद्यमान है ।

## ४७३ आधुनिक काल

आधुनिक काल का आरम्भ १०वीं शताब्दी से माना जाता है। यों आधुनिक आय भाषाओं का स्पष्ट अर्थानि साहित्यिक रूप ४वीं-५वीं शताब्दी के निकट दिखाई पड़ता है। साहित्यिक रूप ग्रहण करने में ४-५ शताब्दियों का समय आवश्यक होता है इसी धारणा के आधार पर आधुनिक आय भाषाओं की उत्पत्ति १०वीं शताब्दी के आस-पास मानी जाती है।

जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है आधुनिक आय भाषाओं के साहित्य में प्रयोग का समय १४वीं-१५वीं शताब्दी है अतः १०वीं से लेकर १४वीं शताब्दी तक का समय मध्य काल के अन्तिम सातवाण (अपभ्रंश काल) एवं आधुनिक आय भाषाओं के मध्य की बड़ी है जिस सङ्क्रमण काल 'सङ्क्रमण काल' अथवा पूर्व आधुनिक काल कहा जा सकता है। इस काल की भाषा में दुहरी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है एक ओर अपभ्रंश की परंपरा का अपह् दूसरी ओर अपभ्रंश की उस परंपरा से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से बढ़ने का प्रयास।

इस युग को 'अवहट्ट काल' भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय पूर्व में 'अवहट्ट भाषा (अपभ्रंश का ही विकसित रूप) में रचनाएं हो रही थीं। ऐसा समझा जाता है कि उत्तर भारत के अन्य भागों में भी सङ्क्रमण कालीन भाषा का प्रचलन होगा। उह भी अवहट्ट की सजा दी जा सकती है। या 'अवहट्ट' शब्द उस समय की पूर्व की भाषा का अर्थ देने के लिए रूढ़ हो गया है।

विद्यापति की रचनाएं (कीर्तिस्तोत्र, कीर्तिपताका आदि) अवहट्ट में हैं।

'सङ्क्रमण काल' की रचनाओं में क्षेत्रीय भाषाओं का स्पष्ट रूप उभर कर नहीं आता। उनकी कुछ विशेषताओं की कुछ झलक ही इन रचनाओं में मिल पाती है। इसका कारण संभवतः यह है कि सङ्क्रमण काल में एक ऐसी काव्य भाषा का निर्माण हो चुका था जिससे उस समय की समस्त क्षेत्रीय भाषाएं प्रभावित थीं।

इस काल की मुख्य रचनाएं हैं—सनेहवासय (सदारासक), प्राकृति-पौलम, पुरातन प्रबोधसंग्रह उत्तिष्ठन्तिप्रकरण वगैरें नाकर, चर्चापद एवं ज्ञानेश्वर।

सङ्क्रमण काल की इन रचनाओं में जहां अपभ्रंश की प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं वहां उन प्रवृत्तियों का भी स्पष्ट रूप दिखाई पड़ता है जिनके विकसित

होने से आधुनिक आय भाषाएँ मध्यकालीन अपभ्रंश भाषा से भिन्न हो गयीं। उदाहरणार्थ स्वर सक्च की प्रवृत्ति आधुनिक आय भाषाओं की एक विशेषता है। यह प्रवृत्ति सदेगुरानक तथा अ-य रचनाओं में मिलती है। ( उदाहरणार्थ—अघकार > अघआर > अघार, इय > इअ > ई )। ऐसे ही नपुंसक लिंग का अभाव, विभक्तिमा के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग, विभिन्न कारकों में ऋजु रूप ( प्रातिपदिक ) का प्रयोग, सयुक्त क्रियाओं का बाहुल्य आदि जो आधुनिक आय भाषाओं की विशेषताएँ हैं उनके पर्याप्त उदाहरण सक्रमण काल की रचनाओं में मिलते हैं।

## ४८ आधुनिक आय भाषाओं का वर्गीकरण

आधुनिक आय भाषाओं के वर्गीकरण का सूत्रपात तब से होता है जब हानले ( १८८० ई० ) ने आयों के भारत आगमन के ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर भारतीय एवं बाहरी भाषाओं का उल्लेख किया था।


हानले के विचारानुसार, आय, दो भिन्न समयों एवं दो भिन्न स्थानों से, भारत में आए। प्रथम बार आनेवाले आय पश्चिमोत्तरी तट से भारत में प्रविष्ट हुए, जबकि बाद में आनेवाले आय उत्तर के पश्चिम का लाघकर भारत में पहुँचे। दूसरी बार आनेवाले आयों का दबाव के कारण पहले आये हुए आय मध्य देश से हटकर मध्य देश के पश्चिम एवं दक्षिण में फल गये तथा नवागत आय मध्य देश में बस गए। इस कारण मध्यदेशीय अथवा केन्द्रीय एवं बाहरी आयों की भाषा में भिन्नता उत्पन्न हो गई।

आयों का आगमन एवं भारत में बसने संबंधी हानले के इस सिद्धांत से मतभेद होने का बावजूद ग्रियसन, हानले के आयों की भीतरी एवं बाहरी भाषा संबंधी धारणा से सहमत थे तथा उन्होंने उपयुक्त धारणा के आधार पर भारतीय आय भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अपने उस वर्गीकरण का उन्होंने पुनः एक लेख के द्वारा सशोधन भी किया। ग्रियसन के इस वर्गीकरण का आधार भीतरी एवं बाहरी भाषाओं में पाई जानेवाली ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणात्मक भिन्नता है।

ग्रियसन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की आलोचना करते हुए सुनीतिकुमार चटर्जी ने उस अवैज्ञानिक एवं अस्वाभाविक बताया है। साथ ही उन्होंने अपना एक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है। सुनीतिकुमार चटर्जी द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में किंचित सशोधन कर धीरेन्द्र वर्मा ने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वर्गीकरण के विवेचन में हरदय बाहरी द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण का उल्लेख करना भी आवश्यक है। आगामी परिच्छेद में इन वर्गीकरणों का विवेचन किया जा रहा है।

## ४८१ प्रियसन का वर्गीकरण


प्रियसन ने आधुनिक अर्थ भाषाभाषा का शाखाशा एव वर्गों में इस प्रकार विभाजित किया था।



## ४८२ प्रियसन का सशोधित वर्गीकरण

‘भारत का भाषा सर्वेक्षण’ में प्रस्तुत, उपयुक्त वर्गीकरण का, प्रियसन ने, एन लॉव द्वारा स्वयं सशोधन एवं विस्तृत विवेचन किया था। प्रियसन ने अपने सशोधित वर्गीकरण में पश्चिमी हिंदी को केंद्र में रखा है तथा पश्चिमी हिंदी के सदाश में अन्य भाषाओं का स्थान निर्धारित किया है। इस वर्गीकरण में उन्होंने भीली एवं खानदेशी को स्वतंत्र भाषाएँ नहीं माना है। प्रियसन का सशोधित वर्गीकरण इस प्रकार है।

आ भा आ भाषाए



### ४८३ प्रियसन के वर्गीकरण का आधार

प्रियसन के वर्गीकरण का आधार बहिरग एभ अतरग भाषाओं में पाई जानेवाली निम्नलिखित मुख्य भाषागत भिन्नताएँ थीं। यहाँ केवल बहिरग भाषाओं की विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। अतरग भाषाओं में उन विशेषताओं का अभाव समझना चाहिए।

बहिरग भाषाओं में—

(क) शब्दांत—इ—उ विद्यमान है

(ख) इ > ए, उ > ओ

(ग) ल > र, ङ > ङ, र

- (घ) म्ब > म  
 (ङ) स > ह  
 (च) ग प स > घ/ह  
 (छ) द > ढ  
 (ज) महाप्राण ( ए, छ आदि ) > अल्प प्राण ( क, च आदि )  
 (झ) पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए—ई प्रत्यय का प्रयोग  
 (ञ) बहिरग भाषाएँ अदिलिष्ट स पुनर्लिष्ट हान की प्रक्रिया में से गुजर रही हैं।

### ४८४ चटर्जी द्वारा की गई आलोचना

सुनीति कुमार चटर्जी ने प्रियसन के उपरान्त आधार को निराधार सिद्ध करते हुए दिखाया है कि प्रियसन ने बहिरग भाषाओं की जिन भाषागत विशेषताओं का उल्लेख किया है वे समस्त विरोधनाएँ भीतरी अर्थात् अतरग भाषाओं में भी विद्यमान हैं।

अतरग भाषाओं में भी—

- (क) शब्दांत—इ—उ विद्यमान है  
 ( यथा—फिरि अकालु )  
 (ख) इ > ए उ > आ  
 ( यथा—वित्त्व > वल पुक्कर > पाक्कर )  
 (ग) ल > र ढ > ढ र  
 ( यथा—त्रिजली > त्रिजुरी )  
 (घ) म्ब > म  
 ( यथा—जम्बु > जामुन )  
 (ङ) स > ह  
 ( यथा—करिप्यति > करिह )  
 (च) ग प स > ग/ह  
 मराठा बहिरग भाषा है किंतु उमम सहा (= पष्ठ) जने प्रयोग है।  
 ब्रज के करिप्यति > करिह का उदाहरण ऊपर दिया ही गया है।  
 (छ) द > ढ  
 ( यथा—दष्टि > ढाठि )  
 (ज) महाप्राण > अल्पप्राण

( यथा—भगिनी > बहन )


( अ ) पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए—ई प्रत्यय का प्रयोग

( यथा—लडका लडकी )

( ब ) बहिरंग भाषाभाषा में श्लिष्टता का कारण यह है कि प्रायः समस्त आधुनिक आय भाषाभाषा में विभक्ति जोड़ने के अवनोप रहे हुए हैं। यह उनके विकास के अगले चरण का चोतक नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें भीतरी भाषाभाषा से अलग माना जाय।

### ४८५ चटर्जी का वर्गीकरण

प्रियसन के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए चटर्जी ने अपना एक सरल वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है।



### ४८६ चटर्जी के वर्गीकरण की आलोचना


चटर्जी के वर्गीकरण पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह वर्गीकरण भाषागत आधार पर न होकर भौगोलिक है। फिर भी यह वर्गीकरण प्रियसन के वर्गीकरण से कोई मूलभूत एवं तात्त्विक भिन्नता भी नहीं रखता। चटर्जी के वर्गीकरण से भाषाभाषा के परस्पर निकटता भिन्नता का कोई बोध नहीं



होता। उदाहरणार्थ बंगला की अपेक्षा राजस्थानी पश्चिमी हिंदी के अधिक निकट है किन्तु इस वर्गीकरण में यह बात नहीं होती। मराठी गुजराती से एक ही अलग लिखाई गई है जब बंगला में जबकि मराठी, बंगला की अपेक्षा गुजराती के बहुत अधिक निकट है। इस प्रकार घटजों के वर्गीकरण में यह बात भी सिद्ध नहीं होती कि किमी सोमा तक प्रियसन के समाहित वर्गीकरण में होता है। फिर घटजों में प्रियसन के वर्गीकरण का निराधार सिद्ध करने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वे सब 'अपवा' रूप में हैं और 'अपवा' तो नियम को सिद्ध ही करते हैं। अतः इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रियसन का आधार निर्दोष न होना पर भी भीतरों एवं बाह्यो भाषाओं को भाषागत प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है।

#### ४८७ धीरे-धीरे वर्मा का वर्गीकरण


धीरे-धीरे वर्मा का वर्गीकरण एक प्रकार से घटजों द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण का संशोधित रूप है जिसमें मुख्य अंतर केवल इतना है कि मध्य बंग में केवल पश्चिमी हिंदी के स्थान पर, पश्चिमी हिंदी से संबंधित भाषाओं अर्थात् पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, बिहारी को भी रखा गया है। धीरे-धीरे वर्मा का वर्गीकरण इस प्रकार होगा।



घोरेन्द्र वर्मा के वर्गीकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पश्चिमी हिंदी से संबंधित भाषाओं को एक साथ रखा गया है इससे उनकी परस्पर निकटता तथा अन्य भाषाओं से उनकी आपेक्षिक दूरी का कुछ बोध अवश्य हा जाता है ।

### ४८८ हरदेव बाहरी का वर्गीकरण

बाहरीजी ने अपने वर्गीकरण में आ० भा० आ० भाषाओं को दो वर्गों— 'हिंदी' एवं 'हिंदीतर' में विभाजित किया है । हिंदी वर्ग में उन्होंने पश्चिमी हिंदी के अतिरिक्त पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी को रखा है । हिंदी-तर वर्ग का फिर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी वर्गों में विभाजित किया है । पूर्वी वर्ग में वे ही भाषाएँ रखी हैं, जो घोरेन्द्र वर्मा ने रखी हैं । दक्षिणी वर्ग में मराठी के साथ सिहली भाषा को रखा गया है । पश्चिमी वर्ग में सिंधी एवं पंजाबी के साथ गुजराती का भी रखा है तथा लहदा को पंजाबी की उप-भाषा माना है । उत्तरी वर्ग में नेपाली भाषा को रखा गया है । बाहरी के वर्गीकरण का रेखाचित्र इस प्रकार है ।



## भाषा एव हिंदी भाषा

बाहरी व वर्गीकरण का आधार भाषागत विशेषताओं की अपेक्षा राजनीति साहित्य एव शिक्षा है। पूर्वी हिंदी राजस्थानी जिहारी पहाड़ी का पश्चिमी हिंदी के साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि जिन क्षेत्रों में ये भाषाएँ बोली जाती हैं उन क्षेत्रों में हिंदी (अर्थात् पश्चिमी हिंदी) ही शासन साहित्य एव शिक्षा की भाषा है। सिहली को भारतीय आय भाषाओं के साथ दिखलाने का कारण यह बताया गया है कि सिहली (सिलोन) व भी भारत का अंग था। ऐसा ही कारण नेपाली के लिए भी है। अतः इस प्रकार के वर्गीकरण से और चाह जो भी जानकारी प्राप्त हो किन्तु भाषाओं की सरचनात्मक समानता भिन्नता का बोध नहीं हो सकता।

## ४८९ सीताराम चतुर्वेदी का वर्गीकरण

सीताराम चतुर्वेदी ने सबषवाचक परसर्गों के आधार पर आ० भा० आ० का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया है। वर्गीकरण का यह आधार निश्चित रूप से भाषावैज्ञानिक है। इस वर्गीकरण की कमी यह है कि यह केवल एक ही प्रकारात्मक तथ्य (Functional Point) पर आधारित है। यह समभव है कि अन्य किसी प्रकारात्मक तथ्य के आधार पर भाषाओं में परस्पर अधिग्राहकता (Overlapping) दिखाई पड़े।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा वैज्ञानिक आधार पर आ० भा० आ० का कोई आदर्श वर्गीकरण नहीं हो पाया है। तथ्य तो यह है कि चालास वर्ष पूर्व प्रियर्सन ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसमें इधर उधर जोड़-तोड़ करने के सिवाय इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि आ० भा० आ० के प्रामाणिक विवरण के आधार पर उनकी तुलना की जाय तथा विभिन्न भाषाओं में पाए जाने वाले समान प्रकारात्मक तथ्यों के द्वारा उनके अलग-अलग समूह बनाये जाय। फिर आन्तरिक पुनर्रचना (Internal Construction) एवं तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए उनके ऐतिहासिक संबंध का निवारण करते हुए वर्गीकरण किया जाय। यह कार्य निश्चित रूप से कठिन भी है एवं जटिल भी फिर भी यह आशा की जा सकती है कि भारतीय भाषावैज्ञानिक इस दिशा में प्रयत्न चालें और एक निश्चित भविष्य में इस समस्या का कोई संतोषजनक समाधान प्रस्तुत करेंगे।

## ४८१० आधुनिक आय भाषाओं की विशेषताएँ

आधुनिक आय भाषाओं के वर्गीकरण संबंधी विवेचन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में समानता भिन्नता का एक जटिल संबंध है। अतः समस्त भाषाओं में समान विशेषताओं का होना तो संभव ही नहीं है। फिर भी ऐसी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है जो प्रवृत्ति रूप में प्रायः समस्त भाषाओं में पायी जाती हैं। नीचे ऐसी कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया जाता है।

(क) आधुनिक भारतीय आय भाषाएँ मूल रूप से आयोगात्मक हैं। यह प्रवृत्ति अपभ्रंश काल से गुरु हुई थी, जिसका विकास आधुनिक काल में हुआ है।

(ख) आयोगात्मक की इस प्रवृत्ति के कारण विभक्तियों का स्थान मुख्य रूप से परमर्गों ने ले लिया है।

(ग) इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप क्रिया के रूप परिवर्तन में काल भाव आदि की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्ययों के स्थान पर सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है।

(घ) शब्द रूपाएँ एवं धातु रूपों में बहुत कमी हो गई है। संस्कृत में अष्टाशब्दों के २४ रूप बनते थे, आजकल २ से ६ रूप ही बनते हैं।

(ङ) वचन दो ही रह गए हैं।

(च) मराठी गुजराती के सिवाय अन्य भाषाओं में दा ही लिंग रह गए हैं।

(छ) बहुत सी भाषाओं में स्वराघात, वाक्यात्मक स्तर पर ही महत्वपूर्ण रह गया है, शब्द के स्तर पर नहीं।

(ज) विभिन्न भाषाओं के संपर्क एवं नान विज्ञान की नई विधाओं के कारण समस्त भाषाओं के शब्द भंडार में विदेशी भाषाओं के शब्द (फारसी अरबी, अंग्रेजी आदि) के साथ संस्कृत के तुल्य शब्दों की भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है। साथ ही नए शब्दों के निर्माण की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है।

(झ) ध्वन्यात्मक संरचना में पर्याप्त विकास हो रहा है। सयुक्त स्वर, मूल स्वर बनने की प्रक्रिया में है। अथवा भाषाओं के प्रभाव से नए स्वर एवं व्यंजननामों का आविर्भाव हो रहा है।

(ञ) 'ऋ' का स्वरवत् प्रयोग नहीं रहा है। ए का प्रयोग भी उच्चारण में समाप्त हो चुका है।

(ट) शब्दों के स्वरांत के स्थान पर व्यंजनांत होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

(ठ) प्रत्येक भाषा का परिनिष्ठित रूप का निर्माण हो चुका है तथा प्रत्येक भाषा साहित्यिक बहूनामों की अपेक्षाओं का गर्द है। बहुनामों भाषाओं का साहित्य न भटना' की अवस्था प्राप्त कर ली है।

## ४९ आधुनिक आय भाषाओं का परिचय

### ४९१ सिंधी

सिंध प्रान्त की भाषा का सिंधी कहा जाता है। सिंध का संबंध संस्कृत सिंधु शब्द से है। हिन्द, हिंदू हिन्दी शब्दों का मूल भी यहाँ सिंध शब्द है। भारत विभाजन से पूर्व सिंधी मुख्य रूप से सिंध प्रदेश का भाषा थी। देश विभाजन के कारण बहुत से हिंदू सिंध से भारत में आ गए हैं एवं भारत के विभिन्न प्रदेशों में फैल गए हैं। इस प्रकार आज सिंधी पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के अतिरिक्त भारत के प्रायः समस्त प्रान्तों में बोली जाती है।

सिंधी का संबंध द्राचड अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। प्रियसन न सिंधी का यह उपभाषाएँ गिनती हैं—सिरायकी विचोली लाठी, लाठी परली एवं कच्छी। इन सबमें विचोली परिनिष्ठित उपभाषा है।

अन्तःस्फोटक (Implosive) ध्वनियाँ (बू जू हू गू) सिंधी की ध्वन्यात्मक संरचना की मुख्य विशेषता है। सिंधी में अरबी फारसी के बहुत से शब्द हैं।

१८४३ में सिंधी के लिए एक लिपि का निर्माण किया गया जिसका आधार अरबी लिपि था। उससे पूर्व सिंधी के लिए देवनागरी वाणिकी (बनियों की) एवं गुरुमुखी लिपियाँ का प्रयोग होता था। भारत विभाजन के पश्चात् भारत में आए हुए सिंधियों के एक वर्ग ने फिर से देवनागरी का प्रयोग करने के लिए सिंधी एवं देवनागरी) में लिखी जाती है।

सिंधी का साहित्य नियमित रूप से १४वीं शताब्दी से मिलना आरम्भ होता है। सिंधी साहित्य पर्याप्त मात्रा में समृद्ध है। शाह अब्दुल लतीफ सचल सामी दल्पत बवसि अजोज सिंधी के मुख्य कवि हैं। गद्य लेखकों में कलीच बग महमल लालचंद अमरडिनामल जठमल उल्लेखनीय नाम हैं।

### ४९२ लहदा

लहदा का प्राकृतिक अर्थ है उतरता या ढलता। यह पश्चिम का सूचक है क्योंकि सूय पश्चिम में ही ढलता है। पंजाब के पश्चिमी भाग में बोली जा

के कारण इस भाषा पर 'लहदा' नाम पड़ा है। इसे पश्चिमी पजावी भी कहते हैं।

साहपुर जिले की लहदा परिनिष्ठित गिनी जाती है। लहदा की उपभाषाओं में डेरा गाजी खा की मुत्तानी मुख्य है। इसने अतिरिक्त पोठवारी, अवाणकारी, पुछी, चिभाली आदि चसका बोलिया है।

कुछ विद्वान लहदा को अलग भाषा न मानकर उसे पजावी की ही एक उपभाषा मानते हैं क्योंकि पजाबी से उसकी बहुत अधिक समानता है, किन्तु अधिकतर विद्वान उसे स्वतंत्र भाषा मानना उचित समझते हैं।

लहदा पर सिंधी एवं काश्मीरी का काफी प्रभाव है। अरबी-फारसी के शब्द भी लहदा में पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त होते हैं।

लहदा गुल्मुखी और फारसी लिपियों में लिखी जाती है। भाषारी लोग 'लडा' नाम की लिपि का प्रयोग करते हैं जो सिंधी की वाणिकी लिपि से मिलती जुलती है।

१४वीं शताब्दी से लहदा का साहित्य मिलने लगता है। गुरु नानक, सत परीद, वारिसनाह आदि की रचनाएँ लहदा भाषा में हैं।

## ४.९ ३ पजावी

'पजाब' प्रदेश की भाषा होने के कारण इसे 'पजावी' कहा गया है। पजाब का अर्थ है 'पाँच आवा ( नदियाँ—रावी, सतलज, व्यास, चिनाव और झेलम ) का देश'।

-वर्तमान समय में यह पूरा पजाब (भारत) एवं पश्चिमी पजाब (पाकिस्तान) की भाषा है। इसकी कुछ उपभाषाएँ ( डोगरी आदि ) का क्षेत्र जमू तक है।

पजाबा बोलनेवाले मुख्य रूप से सिक्ख हैं इनमें से इन सिक्खों, खान्सी अथवा पूर्वी पजाबी ( लहदा पश्चिम की भाषा है—पजाबा पूरब की ) भी कहते हैं। पजाबी का निखरा हुआ रूप अमृतसर के आसपास दिखाई पड़ता है।

पजाबी का साहित्य १३वीं शताब्दी के आरंभ से मिलना शुरू हो जाता है। गुरु नानक एवं अन्य गुरुआ तथा सतवा की वाणी का संग्रह 'गुरु ग्रंथ साहब' पजाबी का प्रसिद्ध साहित्यिक एवं धार्मिक ग्रंथ है। पजाबा भाषा-साहित्य की परंपरा काफी समृद्ध है। पहले यहाँ उर्दू तथा फारसी लिपियों का प्रयोग होता था फिर देवनागरी के प्रयोग को पर्याप्त बढ़ावा मिला। आज-कल पजाबी मुख्य रूप से गुल्मुखी लिपि में लिखा जाता है।

## ४९४ गुजराती

गुजराती प्रदेश की भाषा होने के कारण यह गुजराती कहलाता है। गुजराती राज्य का मुख्य 'गुजर' से मना जाता है। गुजर साम्राज्य का प्रयोग है। गुजराती के अतिरिक्त बंबई में भी गुजराती भाषा का बोली बोलया है।

गुजराती की उदात्ताभा में शास्त्रादी गारुडी लोहितराजा एवं कर्त्तिका वादी मुख्य हैं। अहमदाबाद की गुजराती परिनिष्ठित एवं साहित्यिक गुजराती है।

गुजराती का साहित्य १२वीं शताब्दी से मिनगा आरम्भ होता है। हनुमन्त का व्याकरण में प्राधान्य गुजराती का दान होता है। गुजराती के प्राचीन साहित्यकारों में सरनी महता प्रमान, मामलमट्ट, रेशांगकर आदि के नाम लिखे जा सकते हैं। आधुनिक साहित्यकारों में गोवर्धन राम त्रिपाठी, नानालाल, क. ह्यालाल मदी, रमणलाल दगार्दि, काका कालेकर, उमांगकर जोगी आदि के नाम लिखे जा सकते हैं।

गुजराती की अपनी लिपि है जिसे गुजराती लिपि कहते हैं। यह देवनागरी से बहुत अधिक गमलता रखती है।

## ८९५ मराठी

मराठी महाराष्ट्र की भाषा है जिसमें विद्वान् मराठवाडा काजण बरार आदि प्रदेश आ जाते हैं। यद्यपि पूना नागपुर मराठी के प्रसिद्ध केंद्र हैं।

मराठी का विकास महाराष्ट्री प्राकृत के अपभ्रंश रूप से माना जाता है। या यह बात अब भी विवाद का विषय है कि प्राकृत के साथ जुड़ उत महाराष्ट्र का अर्थ आज के महाराष्ट्र से लिया जाय या उसका अर्थ महाराष्ट्र अर्थात् विस्तृत प्रदेश माना जाय।

मराठी की अनेक बोलियाँ हैं। पूना की मराठी को साधु अथवा परिनिष्ठित मराठी माना जाता है। काजण की मराठी द्रविड भाषाओं से प्रभावित है।

१-१०वीं शताब्दी से मराठी के अभिलेख प्राप्त होते हैं। १२-१३वीं शताब्दी से मराठी का साहित्य उपलब्ध होता है। प्राचीन काल के साहित्यकारों में नामदेव एवं चानदेव अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनके पश्चात् तुकाराम, रामदास, राम जोशी जैसे साहित्यकार हुए। आधुनिक काल के रचयिताओं में अन्ने, लाडकर, पडके, हरिनारायण आपटे आदि प्रसिद्ध हैं।

मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यो मराठी की मूल लिपि 'माडी' है, जिसका प्रयोग अब भी दैनिक व्यवहार में किया जाता।

मराठी एव गुजराती की सरचनाओं में पर्याप्त समानता है।

मराठी में तत्सम शब्दों के अतिरिक्त तद्भव, द्रविड एव पारसी शब्दों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में है।

## ४९६ वगला

'वगला' का संवध भागधो प्राकृत' के अपभ्रंश रूप से है। वगला अविभाजित वगाल की भाषा है। देश विभाजन के फलस्वरूप इसका दो भाग हो गए हैं। पूर्व का भाग पाकिस्तान में एव पश्चिम का भाग भारत में रहा। पूर्व का भाग स्वतंत्र वगला देश के रूप में स्थापित हो चुका है।

वगला की दो मुख्य उपभाषाएँ हैं—पूर्वी वगला एव पश्चिमी वगला। पूर्वी वगला अब स्वतंत्र वगला देश की भाषा है, जिसका केंद्र है लाहौर तथा पश्चिम, वगला, पश्चिम वगला की उपभाषा है, जिसका केंद्र कलकत्ता है।

साहित्य समृद्धि की दृष्टि से आधुनिक आय भाषाओं में वगला का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अथ आधुनिक आय भाषाओं की अपेक्षा वगला साहित्य पश्चिम से अधिक प्रभावित हुआ इस कारण पश्चिम से प्रभावित अनेक साहित्यिक विधाओं का अभिगणन वगला से होता है। वगला के प्राचीन साहित्यकारों में भक्त कवि चण्डीदास एव चतुर्थ महाप्रभु बहुत प्रसिद्ध हैं। आधुनिक प्रसिद्ध साहित्यकारों में राजा राम मोहन राय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, बकिमचन्द्र, खान-नाथ ठाकुर सरतचन्द्र ताराशंकर जादव का नाम लिए जा सकते हैं।

वगला लिपि की देवनागरी में काफी निकटता है।

## ४९७ बिहारी ।

उत्पत्ति की दृष्टि से 'बिहारी' का संवध भी भागधो प्राकृत से है।

बिहारी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बिहार तो इसका प्रदेश है ही इसका सिवाय उत्तर प्रदेश के कई भागों तथा—वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर आदि स्थानों पर भी इसका प्रयोग होता है।

बिहारी की तीन मुख्य बालियाँ हैं—भोजपुरी, मधियाँ एव मगही। इसमें मधियाँ की साहित्यिक परंपरा काफी पुरानी है। विद्यापति, जिसे मधियाँ की कविता भी कहते हैं, मधियाँ के प्रसिद्ध कवि हैं। मधियाँ की लिपि वगला लिपि से बहुत समानता रखता है।



भोजपुरी में साह-साहित्य उत्पन्न है। आज-कल भोजपुरी साहित्य के विकास हेतु बहुत प्रयत्न हो रहे हैं। भोजपुरी साहित्य की परंपरा मुख्य रूप से मौखिक है। इसकी लिपि रचना 'बैंपो लिपि' में है। आज-कल भोजपुरी देवनागरी लिपि में भी लिखी जान लगी है।

मगही की लिपि भी बंपो है। या मगही में बहुत कम साहित्य प्राप्त होता है।

### ४ ९ ८ असमी अयना असमिया

'असमी' अयना असमिया की भाषा है। इसका विकास 'मागधी प्रकृति' के पूर्व रूप से हुआ है।

संरचना की दृष्टि से यह असमी एक बंगाली में जन्म लेता है तथापि असमी की बंगाली से काफी समानता है। बंगाली भाषा एक साहित्य का असमी पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। इसका परिणाम यह निकला है कि असमी का अपना साहित्य बहुत अधिक नहीं है। असम में भी साहित्य का माध्यम एक प्रकार से बंगाली ही है। सांस्कृतिक चेतना के फलस्वरूप अब असम में असमी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है।

असमी के भाषागत विभाजन का अध्ययन मशहूर हुआ है इस कारण असमी की बोलिया का विवेचन करना कठिन है।

असमी की लिपि बंगाली लिपि से बहुत अधिक मिलनी-जुलनी है।

असमी पर चीनी तिब्बती परिवार की भाषाओं का भी कुछ प्रभाव है।

### ४ ९ ९ उडिया

'उडीसा' अथवा 'उत्कल प्रदेश' को भाषा को 'उडिया' कहते हैं। इसे 'उत्कला' भी कहते हैं।

मागधी के दक्षिणी रूप से उडिया का विकास हुआ है। उडिया की भी बंगाली से काफी निकटता है।

उडिया के प्राचीन रूप का आभास पुराने शिलालेखों से होता है।

उडिया भाषा की सीमाएँ द्रविड भाषा (तमिल) एवं मराठी भाषा की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। इस कारण उडिया में तमिल एवं मराठी के पर्याप्त शब्द विद्यमान हैं।

उडिया की बोलियों का स्पष्ट रूप दिखलाई नहीं पड़ता, इसलिए स्थानांतरण भाषागत भेदों के बावजूद उसकी भाषाओं अथवा बोलियों का स्पष्ट उल्लेख कर सकता कठिन है।

उडिया का प्राचीन साहित्य, मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति का है।

उडिया की अपनी एक स्वतंत्र लिपि है, जो बंगला लिपि के काफी निकट है।

## ४६१० राजस्थानी

‘राजस्थान’ की भाषा को ‘राजस्थानी’ कहते हैं। इसकी सीमाएँ एक ओर पंजाबी एवं दूसरी ओर गुजराती से मिलती हैं। राजस्थानी एवं गुजराती में पर्याप्त निकटता है।

उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी का संबंध भी शोरसेनी प्राकृत से है।

राजस्थानी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी कई बोलियाँ हैं, जिनमें से मेवाती, मालवी, मारवाड़ी तथा जयपुरी प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त भीली एवं सानदी भी राजस्थानी के अंतर्गत ही रखी जाती हैं। तमिल क्षेत्र में एक ऐसा भाषाई रूप प्रयुक्त होता है जिसे ‘सौराष्ट्री’ कहते हैं। रचना की दृष्टि से ‘सौराष्ट्री’ भी राजस्थानी से समानता रखती है (इसकी समानता गुजराती से भी है)।

राजस्थानी का अपनी लिपि महाजनी है किंतु उसका प्रयोग दैनिक व्यवहार तक ही सीमित है। यहाँ साहित्य, सिना एवं शासन का माध्यम हिंदी है। इस लिए राजस्थानी को हिंदी की महाभाषा माना जा सकता है।

## ४९११ हिंदी

आगामी अध्याय में हिंदी के संबंध में विस्तार से लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ उसका अत्यंत संक्षिप्त परिचय ही दिया जा रहा है।

प्रियसन ने पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी को दो अलग अलग भाषाओं के रूप में गिनाया है या इन्हें दो भिन्न भाषाएँ न मानकर एक ही भाषा के दो भिन्न रूप माना जा सकता है।

## ४९११.१ पश्चिमी हिंदी

‘पश्चिमी हिंदी’ का संबंध शोरसेनी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से है। यह एक प्रकार से पूरे मध्य देश की भाषा है। बागल, खड़ी, ब्रज, बनौजी एवं बुंदेली इसकी बोलियाँ हैं। साहित्यिक खड़ी एवं उर्दू इसके साहित्यिक रूप हैं। हिन्दुस्तानी रूप में वह जनसाधारण के संपर्क का माध्यम है। वह स्वतंत्र भारत की राजभाषा है तथा संपूर्ण भारत में एक मात्र संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के कारण वह राष्ट्रभाषा भी है।

भोजपुरी में लोक साहित्य उपलब्ध है। आज-कल भोजपुरी साहित्य के विकास हेतु बहुत प्रयत्न हो रहे हैं। भोजपुरी साहित्य की परंपरा मुख्य रूप से मौखिक है। इसकी लिखित रचनाएँ 'बघो' लिपि में हैं। आज-कल भोजपुरी देवनागरी लिपि में भी लिखी जान लगी है।

मगही की लिपि भी बघो है। यह मगही में बहुत कम साहित्य प्राप्त होता है।

### ४९८ असमी अथवा अममिया

असमी 'अमम' प्रजा की भाषा है। इसका विकास 'मागधी प्रकृति के पूर्व रूप में हुआ है।

सरचना की दृष्टि से यह असमी एवं बंगला में अंतर है तथापि असमी की बंगला से काफी समानता है। बंगला भाषा एवं साहित्य का असमी पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। इसका परिणाम यह निकला है कि असमी का अपना साहित्य बहुत अभिन्न नहीं है। असम में भी साहित्य का माध्यम एक प्रकार से बंगला ही है। सांस्कृतिक चेतना के फलस्वरूप अब असम में असमी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है।

असमी के भाषागत विभाजन का अध्ययन नहीं हुआ है इस कारण असमी की बोलियाँ का विवेचन करना कठिन है।

असमी की लिपि बंगला लिपि से बहुत अधिक मिलती-जुलती है।

असमी पर चीनी तंत्रिणी परिवार का भाषाशास्त्र का भी कुछ प्रभाव है।

### ४९९ उडिया

'उडीसा' अथवा 'उत्कल प्रदेश की भाषा को 'उडिया' कहते हैं। इसे 'उत्कला' भी कहते हैं।

मागधी व दक्षिणी रूप से उडिया का विकास हुआ है। उडिया की भी बंगला से काफी निकटता है।

उडिया के प्राचीन रूप का आभास पुराने गिलालेखों से होता है।

उडिया भाषा की सीमाएँ द्रविड भाषा (तमिल) एवं मराठी भाषा की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। इस कारण उडिया में तमिल एवं मराठी के पर्याप्त शब्द विद्यमान हैं।

उडिया की बोलियों का स्पष्ट रूप दिखलाई नहीं पड़ता, इसलिए स्थानीय भाषागत भेदों के बावजूद उसकी भाषाओं अथवा बोलियों का स्पष्ट उल्लेख कर सकता कठिन है।

उडिया का प्राचीन साहित्य, मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति का है ।

उडिया की अपनी एक स्वतंत्र लिपि है, जो बंगला लिपि के काफी निकट है ।

## ४६ १० राजस्थानी

‘राजस्थान’ की भाषा को ‘राजस्थानी’ कहते हैं । इसकी सीमाएँ एक ओर पंजाबी एवं दूमरी ओर गुजराती से मिलती हैं । राजस्थानी एवं गुजराती में पर्याप्त निकटता है ।

उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी का संबंध भी शौरसेनी प्राकृत से है ।

राजस्थानी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है । इसकी कई बोलियाँ हैं, जिनमें से मैवाती, मालवा, मारवाड़ी तथा जयपुरी प्रसिद्ध हैं । इसके अतिरिक्त भीली एवं खानदेगी भी राजस्थानी के अंतर्गत ही रखी जाती हैं । तमिल क्षेत्र में एक ऐसा भाषाई रूप प्रयुक्त होता है जिसे सौराष्ट्री कहते हैं । रचना की दृष्टि से ‘सौराष्ट्री’ भी राजस्थानी से समानता रखती है ( इसकी समानता गुजराती में भी है ) ।

राजस्थानी की अपनी लिपि महाजनी है किंतु उसका प्रयोग दैनिक व्यवहार तक ही सीमित है । यहाँ साहित्य, शिक्षा एवं शासन का माध्यम हिंदी है । इस लिए राजस्थानी को हिंदी की सहभाषा माना जा सकता है ।

## ४९ ११ हिंदी

आगामी अध्याय में हिंदी के संबंध में विस्तार से लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ उसका अत्यंत संक्षिप्त परिचय ही दिया जा रहा है ।

प्रियसन ने पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी को दो अलग अलग भाषाओं के रूप में गिनाया है । यो इन्हें दो भिन्न भाषाएँ न मानकर एक ही भाषा के दो भिन्न रूप माना जा सकता है ।

## ४९ ११ १ पश्चिमी हिंदी

‘पश्चिमी हिंदी’ का संबंध शौरसेनी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से है । यह एक प्रकार से पूरे मध्य देश की भाषा है । वागरी, खड़ी, ब्रज, बनौजी एवं बुंदेली इसकी बोलियाँ हैं । साहित्यिक खड़ी एवं उर्दू इसके साहित्यिक रूप हैं । हिंदुस्तानी रूप में वह जनसाधारण के संपर्क का माध्यम है । वह स्वतंत्र भारत की राजभाषा है तथा संपूर्ण भारत में एक मात्र संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के कारण वह राष्ट्रभाषा भी है ।

पश्चिमी हिन्दी की साहित्यिक परंपरा काफी प्राचीन एव समृद्ध है। अपभ्रंश के अंतिम चरण में इसका विकास आरंभ होता है। हिन्दी के प्राचीन काल में ब्रज के साथ पिंगल मध्य काल में ब्रज एव आधुनिक काल में सही साहित्य का माध्यम रही है।

पश्चिमी हिन्दी की समस्त बोलियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं।

### ४ ९ ११ २ पूर्वी हिन्दी

पूर्वी हिन्दी का समय अधमागधी प्राकृत से है। इस कारण एक ओर वह शौरसेनी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से प्रभावित है ता दूसरी ओर मागधी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से।

पूर्वी हिन्दी का क्षेत्र अवध प्रदेश है। यह प्रदेश पश्चिमी हिन्दी एव बिहारी के क्षेत्रों के मध्य पड़ता है। इस कारण पूर्वी हिन्दी में पश्चिमी हिन्दी के साथ बिहारी की विशेषताएँ भी दिखलाई पड़ती हैं।

हिन्दी के मध्य काल में, ब्रज के साथ अवधी भी साहित्य का माध्यम रही है।

पूर्वी हिन्दी की समस्त बोलियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं।

### ४ ९ १२ पहाड़ी

पहाड़ी भाषाओं का क्षेत्र है हिमालय की तराई अथवा घाटी। यह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। स्थान के आधार पर ही पहाड़ी भाषाओं के तीन समूह किए गए हैं—पूर्वी पहाड़ी (नेपाली) मध्यवर्ती पहाड़ी एव पश्चिमी पहाड़ी।

ग्रियसन ने पहाड़ी भाषाओं को अलग से गिनाया है किंतु अधिकतर विद्वान पहाड़ी को राजस्थानी के अंतर्गत रखना उचित समझते हैं।

## स्मरण सकेत

- ४ १ भारोपाय परिवार सत्सर का सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा परिवार है ।
- ४ २ इस परिवार के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया गया है । सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एवं प्रचलित नाम 'भारोपाय' है ।
- ४ ३ अधिकतर विद्वानों के मतानुसार भारोपीय भाषा बोलने वाले ईसा सलग लगभग ढाढ़ हजार वर्ष पूर्व मध्य एशिया में रहते थे ।
- ४ ४ भारोपीय भाषा में ५ ह्रस्व स्वर (अ, इ, उ, ए, ओ) थे । इतने ही दीर्घ स्वर थे । एक उदात्त स्वर ( अँ ) था । कुछ अन्य ध्वनियाँ भी स्वरों के समान प्रयुक्त होती थीं । सयुक्त स्वरों की संख्या बहुत थी । अनुनासिकता का प्रयोग नहीं होता था । यज्ञों में पवग, तवग के अनिश्चित तान प्रकार की कवगाय ध्वनियाँ थीं । इसके सिवाय य, र, ल, व, स, ज, ह ध्वनियाँ भी थीं । सयुक्त यज्ञों का प्रयोग होता था । शब्द रूपों में क्राफाँ जटिलता थी । तीन लिंग, तीन घचन एवं आठ कारकों का प्रयोग होता था । समास रचना का प्रयोग होता था । क्रिया का रूप काल एवं भाव के आधार पर बदलता था । भाषा की संरचना में स्वराघात एवं सुरों का महत्त्व था ।
- ४ ५ भारोपीय परिवार को केंतुम एवं सतम समुदायों में विभाजित किया जाता है । यह विभाजन, भारोपाय भाषा की 'क' ध्वनि के 'क' अथवा 'स' में विकसित होने पर आधारित है ।
- केंतुम समुदाय के उपपरिवार हैं—  
प्राक इटालिक, केल्टिक, जर्मनिक, तोखारा, ( हिट्टाइट ) ।
- सतम समुदाय के उपपरिवार हैं—  
बाल्टो-सिलेविक, आर्मेनियन, अल्बेनियन, आर्य ।
- ४ ६ आर्य उपपरिवार की तीन शाखाएँ हैं—  
इरानी शाखा, द्रव्य शाखा एवं भारतीय शाखा ।
- ४ ७ भारतीय भाषाओं के विकास के तीन काल हैं—  
प्राचीन काल ( वैदिक एवं संस्कृत )  
मध्य काल ( पालि प्राकृत अपभ्रंश )  
आधुनिक काल ( हिंदी, बंगला, मराठी आदि )

४८ आधुनिक भाषा मापामों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास हान्से द्वारा ।  
ग्रियसन, चर्जी, धीरेन्द्र यमा, हरद्वय साहरी एवं माताराम चतुर्वदी  
के वर्गीकरण ।

४९ आधुनिक भाषा मापान —

मिथा, लहदा पत्तावा, गुजराती मराठी, बगला बिहारी, असमो,  
उड़िया, राजस्थानी, हिंदी ( पश्चिमी हिंदी एवं पूवा हिंदी ) पहाड़ी ।



## ५ हिंदी एवं हिंदी भाषा-मंडल

- 
- 'हिंदी' नाम
- हिंदी का क्षेत्र
- हिंदी की उत्पत्ति
  - आदि काल
  - मध्यकाल
  - आधुनिक काल
- हिंदी भाषा मंडल
- हिंदी भाषा-मंडल की भाषाएँ
  - साधु हिंदी
  - उर्दू
  - हिंदी-उर्दू में अंतर
  - हिंदवी, दक्खिनी, रेस्ता, रेस्ती
  - हिंदुस्तानी
  - पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी
  - पश्चिमी हिंदी-पूर्वी हिंदी में अंतर
- पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ
  - ग्रज
  - कन्नौजी
  - बुंदेली
  - खड़ी
  - बागहू
- पूर्वी हिंदी की बोलियाँ
  - अवधी
  - घघेली
  - छत्तीसगढ़ी
- भोजपुरी
- हिंदी शब्दावली





## ५१ 'हिंदी' नाम

'हिंदी' शब्द का बहुप्रचलित प्रयोग दो अर्थों में होता रहा है—एक तो 'हिंदुस्तान के निवासी' के अर्थ में ( हिंदी है, हम वतन ह हिंदोस्ता हमारा—इकवाक ) एवं दूसरा भाषा के अर्थ में । जो इसका प्रयोग हिंदुस्तान के लिए ( ईरान के बादशाह नौनेवा ( ५२१ ५७९ ई० ) के आदेश से किये गये पद्यतंत्र पर आधारित 'कवटक और दिमनक' के अनुवाद 'कलीला व दिमना' में लिखा गया है कि यह अनुवाद जवान ए हिंदी' से किया गया है । यहाँ 'हिंदी' का अर्थ 'हिंदुस्तान से है । 'जवान ए हिंदी' अर्थात् हिंदुस्तान की जवान या भाषा ) एवं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ( अमीर खुसरो ने लिखा है बादशाह ने हिंदुओं का ता हाथी से कुचलवा डाला किंतु मुसलमान, जो हिंदी थे सुरक्षित रहें । यहाँ हिंदी का अर्थ हिंदुस्तान के मुसलमानों से है । ) भी हुआ है ।

भाषा के अर्थ में भी 'हिंदी' शब्द अनेक सदर्थों में प्रयुक्त हुआ है एवं अब भी होता है ।

'हिंदी' का भाषा के रूप में विस्तृत अर्थ है 'हिंदुस्तान की भाषा' । जैसे 'जापानी' अर्थात् जापान की भाषा, 'रूसी' अर्थात् रूस की भाषा वैसे ही 'हिंदी' अर्थात् हिंद ( हिंदुस्तान या भारत ) की भाषा ।

इससे कम व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग संपूर्ण उत्तर भारत का भाषा के रूप में होता है ।

शास्त्रीय विनोदकर भाषा शास्त्राय दृष्टि से हिंदी के लिए उपयुक्त दोनों अर्थ ग्रहणीय नहीं समझे जाते । भाषा शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है ।

( क ) वह प्रदेश जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग आ जाते हैं, 'हिंदी प्रदेश' कहा जाता है, अर्थात् इस प्रदेश की भाषा का 'हिंदी' कहा जाता है । इन दृष्टि से हिंदी में बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी एवं पहाड़ी भाषाएँ आ जाती हैं । सामान्य रूप से हिंदी का प्रयोग इसी अर्थ में होता है । 'हिंदी' शब्द के इस प्रयोग से भाषाबान्धुनायक प्रायः सहमत नहीं हैं ।

( ख ) उपयुक्त हिंदी प्रदेशों में से बिहार राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों को अलग करने पर जो भाग बचता है, उस भाग के बोलचाल, शिक्षा एवं साहित्य की भाषा हिंदी है । इस प्रश्न में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश आ जाते हैं । इस दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत मात्र पश्चिमी

हिंदी एव पूर्वी हिंदी का गिना जाता है। भाषा शास्त्री बहुधा हिंदी व इसका प्रयोग को मानते हैं।

( ग ) हिंदी शब्द का एक सीमित प्रयोग उस परिनिष्ठित रूप का होता है जो रूप 'राष्ट्रभाषा' के लिए स्थापित है तथा उपयुक्त हिंदी प्रयोग में साहित्य, शिक्षा एवं प्रशासकीय कार्यों का माध्यम है। यह रूप हिंदी का एक बोली—गढ़ा पर आधारित है तथा 'साहित्यिक हिंदी' 'साधु हिंदी' 'परिनिष्ठित हिंदी' आदि नामों से पुकारा जाता है।

( घ ) सुनानि कुमार चटर्जी का विचार है कि पश्चिमी हिंदी का ही वास्तव में हिंदी मानना चाहिए। उनसे इस मन से अधिक विज्ञान सहमति नहीं है।

## ५ २ हिंदी का क्षेत्र

हिंदी का क्षेत्र 'हिंदी' नाम के विस्तार एवं सत्ता पर विस्तृत एवं सङ्चित होता है। यदि 'हिंदी' शब्द विस्तृत अर्थ में लिया जाए ( हिंदी = हिन् का भाषा ) तो सारा हिन्दुस्तान ही हिंदी का क्षेत्र है। अत्यंत सीमित अर्थ ( केवल पश्चिमी हिंदी ) ग्रहण करने पर उसका क्षेत्र दिल्ली आगरा, मरठ व आस-पास तक ही सीमित रह जायगा। सामान्य रूप से पश्चिमी एवं पूर्वी हिंदी व सम्मिलित क्षेत्र को हिंदी का क्षेत्र माना जाता है। प्रियसन के अनुसार इस क्षेत्र की सीमाएँ हैं—पश्चिम में अकाला ( पंजाब ) से लेकर पूव में बाराणसी तक और उत्तर में नैनीताल को तलहटी से लेकर दक्षिण में बालाघाट ( मध्य प्रदेश ) तक।

## ५ ३ हिंदी की उत्पत्ति एवं विकास

भारतीय आय भाषाओं का मध्ययुग १० वीं शताब्दी के निकट समाप्त होता है तथा वहीं से आधुनिक आय भाषाओं का युग आरंभ होता है। जत हिंदी सहित समस्त आधुनिक आय भाषाओं की उत्पत्ति का समय १० वीं शताब्दी के आस-पास माना जाता है। आरंभ के २३ सौ वर्षों का अवधि का सत्रमण काल अथवा 'सधि काल' कहा जाता है क्योंकि इस अवधि की भाषा में मध्य कालीन अपभ्रंश भाषा के हास एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास के विह्व एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं।

यों तो हिंदी भाषा मण्डल की दृष्टिकोण सहभाषा के विकास की अपना कहानी है किंतु सहभाषा होने के कारण उनके विकास की एक सामान्य कहानी भी है जिसे हिंदी के विकास की कहानी कहा जा सकता है। विकास की दृष्टि से

हिंदी की तीन स्पष्ट अवस्थाओं का बोध होता है। इन अवस्थाओं को काल की सजा दी जाती है। इस प्रकार हिंदी के विकास के तीन काल माने जाते हैं।

(क) आदि काल ( १००० ईसा-१५०० ईसा )

(ख) मध्य काल ( १६०० ईसा-१८०० ईसा )

(ग) आधुनिक काल ( १९०० ईसा- )

## ५.३.१ आदिकाल

हिंदी का आदिकाल प्रायः १००० ई० से १५०० तक माना जाता है। यह युग राजनतिक दृष्टि से अशांति एवं उथल-पुथल का युग था, जो नई भाषा के विकास हेतु अनुकूल नहीं था।

इस काल की भाषा के मुख्य तीन रूप दिखलाई पड़ते हैं।

अपभ्रंशभास रूप—अपभ्रंश से प्रभावित भाषा रूप, जिसमें सिद्धा, नाथा एवं जनिया का धार्मिक साहित्य उपलब्ध होता है।

पिंगल रूप—स्थानीय भाषा एवं मध्य देश अथवा ब्रजभूमि की भाषा के मिश्रित रूप का नाम पिंगल है। पिंगल उस समय साहित्य में प्रयुक्त होने वाला मुख्य भाषा रूप है।

डिगल रूप—अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिगल कहा जाता है। चारणा की वीरगाथाओं की भाषा डिगल है। वीसलदेव रासो, पद्मीराज रासो आदि रचनाओं की भाषा डिगल ही है।

उपयुक्त भाषा रूपों के अतिरिक्त इस काल के उत्तरार्ध में दो और भाषा-रूप दिखलाई पड़ते हैं। इनमें से एक रूप वह है जिसे पुरानी हिंदी या हिंदवी कहा जाता है। इस भाषा-रूप में अरबी फारसी शब्दों की अपेक्षाकृत अधिकता है। दूसरा रूप है पू्व में विकसित पुरानी मथिली का, जिसमें विद्यापति की रचनाएँ मिलती हैं।

यह हिंदी का आरंभिक युग है अतः इस युग में विभिन्न बोलियों एवं उप-भाषाओं का स्पष्ट अंतर लक्षित नहीं होता। प्रत्येक भाषा रूप में अनेक रूपों का मिश्रण दिखलाई पड़ता है।

अपभ्रंश की प्रायः समस्त ध्वनियाँ हिंदी में आ गई थीं। इसके अतिरिक्त इस काल में 'ऐ' एवं 'औ' जसी समुक्त स्वर ध्वनियाँ हिंदी में विकसित हुईं। अपभ्रंश में तद्भव शब्दों की संख्या अधिक थी। आदिकालीन हिंदी में भी यही प्रवृत्ति विद्यमान रही। इस काल की भाषा में फारसी, अरबी, तुर्की आदि

मुसलमानी भाषाभाषा के अनेक शब्द आ गये जो मुसलमानों के साथ बढ़ते हुए सपर्क का परिणाम था ।

इस काल की प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ हैं—चंद्र बरनामी का पुरुवोराज रासा, नरपति नाल्ह का बीसलद्व रासी एव जगनक का आल्हा खड्ड । इसके अतिरिक्त इस काल में गोरखनाथ एव अमर सिद्धा तथा नाथा का रचनाएँ विद्यापति की मैथिली में लिखी हुई रचनाएँ, स्वाजा बदा नवाज, स्वाजा मसरूद, सुसरा आदि मुसलमान कवियों की हिन्दी की रचनाएँ तथा उस काल के उत्तर भाग में कबीर आदि सत्तों की रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं ।

इस काल की प्रामाणिक लिखित सामग्री बहुत कम मात्रा में मिलती है । जो लिखित रचनाएँ उपलब्ध होती हैं वे प्रायः सदिग्ध हैं । जत इस काल की भाषा का पूरा आधिकारिक परिचय प्राप्त कर सकना संभव नहीं है ।

### ५ ३ २ मध्य काल

हिन्दी के विकास का मध्य काल प्रायः १६०० ई० से १८०० तक माना जाता है । यह मुगल का शासन काल था । इस समय देश में राजनतिक स्थिरता, व्यवस्था एव शांति का वातावरण था, जिसके फलस्वरूप देशी भाषाओं को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ ।

इस काल में पर्याप्त मात्रा में साहित्य का सृजन हुआ । साहित्य मुख्य रूप से पद्यात्मक था । काव्य ग्रंथों की टीकाओं के रूप में कुछ गद्यात्मक रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं ।

इस काल में भाषा के जो दो मुख्य रूप विकसित हुए वे थे 'ब्रज' एव 'अवधी' । ब्रज का विकास शीरसेनी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से हुआ था जबकि अवधी का संबंध अधमागधी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से था । इस प्रकार ब्रज हिन्दी क्षेत्र के पश्चिम में एव अवधी उसके पूर्वी क्षेत्र में विकसित हुई थी ।

सूफ़ी कवियों कुतुबन, मशन, जायसी एव रामभक्त कवि तुलसीदास ने अवधी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है । अवधी को साहित्यिक भाषा का रूप देने का श्रेय तुलसी को ही है । अवधी का प्रचार मुख्य रूप से मध्य काल के मध्य तक ही रहा । ब्रजभाषा का प्रयोग न केवल पश्चिम में हुआ बल्कि वह संपूर्ण हिन्दी क्षेत्र के साहित्य का माध्यम बन गयी थी । ब्रज का प्रयोग न केवल मध्य काल के अंत तक जाता रहा अपितु आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा की कई सुंदर रचनाएँ प्राप्त होती हैं ।

उपयुक्त दो रूपों के अतिरिक्त खड़ी बोली पर आधारित 'दक्खिनी' का रूप भी विकसित हो चला था। 'दक्खिनी' का विकास दक्षिण में हुआ। मुसलमान शासन के साथ, दिल्ली से मेरठ के आस-पास बोली जाने वाली खड़ी बोली दक्षिण में पहुँच गयी। वहाँ उसे मुसलमान शासकों के दरबार का आश्रय एवं मुसलमान साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हुआ। यही 'दक्खिनी' अथवा 'दक्खिनी हिंदी' १८वीं शताब्दी के आस-पास उत्तर भारत में 'उर्दू' के रूप में विकसित हुई।

मध्य काल के पूर्वाध में मुख्य रूप से धार्मिक साहित्य की रचना हुई। अवधी मुख्य रूप से राम-साहित्य का माध्यम रही और व्रज कृष्ण साहित्य का। जायसी तुलसी, मूर, मीरा, इस समय के मुख्य कवि हैं। मध्य काल का उत्तराध रीति साहित्य का समय है। केशव बिहारी, भूपण, दश आदि मुख्य रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने मुख्य रूप से व्रजभाषा में रचनाएँ कीं।

इसी काल की 'दक्खिनी (उर्दू) के मुख्य साहित्यकार हैं—कुली कुतुब शाह, नुमरती, बज्रही, बली आदि।

ध्वनिया की दृष्टि से इस काल की भाषा में क, ख, ग, ङ, फ ध्वनिया का प्रयोग आरंभ हुआ। इसका एक मात्र कारण अरबी, फारसी के आगत शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने की प्रवृत्ति थी। यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से पढ़े लिखे लोगों में थी। शासन की दरबारी भाषा फारसी होने के कारण फारसी का प्रचार प्रसार बढ़ा और इसके कारण हजारों की संख्या में फारसी, एवं फारसी के माध्यम से अरबी, तुर्की आदि हिंदी में प्रविष्ट हुए। इस युग में धार्मिक साहित्य की प्रधानता रही इस कारण संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बढ़ा। इस काल के उत्तराध में यूरोपवायिता से भारत का संपर्क बढ़ा जिसके कारण अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि यूरोपीय भाषाओं के कुछ शब्दों ने इस काल की भाषा में स्थान प्राप्त कर लिया।

### ५ ३ ३ आधुनिक काल

इस काल का आरंभ १९वीं शताब्दी के आस-पास होता है। १८वीं शताब्दी के मध्य में ही अंग्रेजों ने भारत में अपना पाद जमा दिये थे। अंग्रेजों के आगमन ने भारत में पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी साहित्य एवं पश्चिमी भाषाओं का आगमन हुआ। शासन बलवान होने से फारसी का राजभाषा-पद जाता रहा। अंग्रेजों ने एक ओर अपनी अंग्रेजी का प्रोत्साहित किया तो दूसरी ओर यहाँ के लोगों से अपनापन स्थापित करने के लिए तथा शासन की सुचारु रूप से चलाने के लिए यहाँ की भाषाओं के विकास का प्रयत्न किया। अंग्रेजों

ने शासन की बागडार मुसलमानों से ली थी अतः उर्दू के प्रति वे अपना एक विशेष उत्तरदायित्व अनुभव कर रहे थे। दूसरी ओर हिंदी मध्य देश की मुख्य भाषा के रूप में उनके सामने खड़ी थी। अतः कल्कत्त में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों के विकासार्थ प्रयत्न आरंभ किया। कमचारियों को हिंदी सिखाने के लिए तथा अपने घम प्रचार के लिए उन्हें गद्य की आवश्यकता थी। इस युग में गद्य की आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि यह युग विभिन्न विचारों के प्रचार का युग था। गद्य के लिए उन्होंने ब्रज की अपेक्षा खड़ी बोली को अधिक उपयुक्त समझा। इस प्रकार इस युग के आरंभ में ही खड़ी बोली को ऊपर उभरने का अवसर प्राप्त हुआ।

आधुनिक काल के पूर्वार्ध में गद्य की भाषा खड़ी बोली रहा किंतु पद्य की भाषा ब्रज ही बनी रहा। उत्तरार्ध में पहुँचत-पहुँचते खड़ी बोली पद्य की भाषा भी बन गयी। और आज खड़ी बोली पर आधारित साधु हिंदी न केवल मध्य देश का संपूर्ण साहित्य का माध्यम है अपितु इस प्रदेश की गीता, प्रशासन एवं शिष्ट समाज के सामाजिक वार्तालाप का माध्यम भी है। साथ ही उन्ने स्वतंत्र भारत की 'राष्ट्रभाषा' का गौरवमय पद भी प्राप्त हो चुका है।

साधु हिंदी के अतिरिक्त इस काल में जनक सहभाषाओं उनकी उप-भाषाओं एवं बोलियों का विकास भी हुआ है। साहित्यिक हिंदी के साथ-साथ साहित्यिक उर्दू का प्रयोग भी होता रहा है।

इस काल की भाषा में तत्सम शब्दों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी है। ज्ञान विज्ञान के लिए निमित्त नये पारिभाषिक शब्दों का मूल आधार संस्कृत शब्दावली ही है। हिंदी ने अथ भारतीय आय भाषाओं एवं आर्येतर भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किये हैं। अंग्रेजी के आगत शब्दों की संख्या तो बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त समर्थ साहित्यकारों ने अनेक नये शब्दों का निर्माण किया है। अंग्रेजी के प्रभाव से इस काल में ओं ( डाक्टर ) जैसा नवीन स्वर ध्वनि का आविर्भाव हो रहा है।

भारतेंदु महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र गुप्त प्रमचद प्रसाद, पत निराशा, महादेवी वर्मा हजारों प्रसाद द्विवेदी आदि इस काल के कुछ समर्थ साहित्यकार हैं। साहित्य की समस्त विधाओं का इस युग में पर्याप्त विकास हुआ है।

## ५४ हिंदी भाषा-मण्डल

वास्तव में हिंदी किसी प्रदेश विशेष का भाषा नहीं है। सही अर्थों में हिंदी एक भाषा न हाकर एक भाषा समूह है जिसमें अनेक भाषाएँ उपभाषाएँ,

बोलियां, तथा उपबोलियां सम्मिलित हैं।

हिन्दी समूह अथवा हिन्दी परिवार के सदस्यों के सवध में कुछ मतभेद अवश्य हैं। प्रियसन, सुनीतिकुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा एवं अन्य विद्वान राजस्थानी एवं बिहारी को ( चटर्जी पूर्वी हिंदी का भी ) हिंदी के अंतर्गत रखने के पक्ष में नहीं हैं। पहाड़ी को भी वे हिंदी को अपेक्षा राजस्थानी के अंतर्गत रखना अधिक सहा समझते हैं।

इधर डॉ० हरदेव वाहगे एवं कुछ दूसरे विद्वान इस पक्ष में हैं कि राजस्थानी, पहाड़ी एवं बिहारी को हिंदी के अंतर्गत ही माना जाय। इस सवध में इन विद्वानों का मत है कि राजस्थान ( राजस्थानी का प्रदेश ), बिहार ( बिहारी का प्रदेश ) एवं हिमाचल प्रदेश ( पहाड़ी का प्रदेश—नेपाल को छोड़कर ) में साहित्य, शिक्षा, प्रशासन एवं पत्र-पत्र-व्यवहार की भाषा हिंदी है। इनके विचार से स्वतंत्र भारत के संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखित भाषाओं में राजस्थानी, बिहारी एवं पहाड़ी को इसीलिए अलग से नहीं गिनाया गया है क्योंकि इन भाषाओं को हिंदी के अंतर्गत माना गया है। डॉ० वाहगे के विचार से राजस्थानी भाषा या बिहारी भाषा नाम की कोई चीज ही नहीं—इनकी कोई अपनी लिपि नहीं, साहित्य की अपनी परंपरा नहीं, शासन द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं, कोई एक स्वरूप नहीं, कोई सामान्य आदेश नहीं।”

प्रश्न यह है कि दो भाषाओं की भिन्नता का निणय किम आधार पर होता है? साहित्य, लिपि प्रशासकीय मान्यता, क्या ऐसे तत्व हैं जिनको भाषायी भिन्नता का आधार बनाया जा सके? भाषा शास्त्रीय दृष्टि से भाषायी भिन्नता का मुख्य आधार भाषाओं की संरचना ( ध्वन्यात्मक संरचना एवं व्याकरणात्मक संरचना ) में पायी जानेवाली भिन्नता होती है। साहित्य, लिपि एवं प्रशासकीय मान्यता भाषायी तत्व नहीं हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण कच्छी भाषा है। कच्छ गुजरात प्रदेश का भाग है। कच्छी की न तो कोई लिपि है न उसकी कोई विशेष साहित्यिक परंपरा है और न ही उसे गुजरात शासन से मान्यता प्राप्त है। कच्छ में साहित्य, शिक्षा एवं प्रशासन का माध्यम गुजराती है किंतु इससे कच्छी, गुजराती के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती। निस्संदेह कच्छी गुजराती की उपभाषा अथवा बोली नहीं है। कच्छी, विधी की उपभाषा है।

मेरे इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि बिहारी तथा राजस्थानी को हिन्दी से असंबंधित माना जाय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनका सवध



भाषायी तथ्यो पर स्थापित होना चाहिए। इस सद्भ म एक बात और कही जा सकती ह। आज जसी स्थिति बिहारी एव राजस्थानी की ह वया वैसी ही स्थिति कुछ समय पूव पंजाबी की नहीं थी? कुछ वप पूव तक पंजाब में हिंदी ही साहित्य, शिक्षा एव प्रशासन की भाषा थी, किंतु इस कारण पंजाबी हिंदी की उपभाषा नहीं थी वह एक स्वतंत्र भाषा थी और ह।

सही बात तो यह ह कि आज जिह हिंदी की बोलिया माना जाजा ह, उनमें से कुछ बालियों के स्तर से ऊपर उठकर उपभाषाओं की स्थिति में पहुच गयी ह तथा यदि उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाय तो वे स्वतंत्र भाषाओं के रूप में विकसित हो सकती ह। उदाहरण के लिए भोजपुरी को लिया जा सकता ह। यदि पूर्वाग्रह को छोड़ दिया जाय तो यह मानना पडगा कि भोजपुरी म एक भाषा बनने का सामर्थ्य ह। या भी बोली, उपभाषा, भाषा परस्पर संबंधित स्थितिया ह उनम कोई तात्विक भिन्नता अथवा अंतर नहीं ह।

हिंदी भाषा समूह के संबंध में मतभेद की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती ह क्योंकि हम हिंदी को एक विशिष्ट भाषा मानने का प्रयत्न करते ह। मर विचार ने हिंदी एक भाषा नहीं, वरन् भाषा-समूह ह जिसे हिंदी भाषा मूल कहना उचित होगा। इस मडल के अंतगत आनेवाली भाषाओं का संबंध, भाषा-उप भाषा का न हाकर सहभाषाओं का सा ह। यह संबंध कुछ ऐसा ही ह जैसा कि सौर मडल में मूय और अय ग्रह (मंगल, शुक्र आदि) का ह। ये समस्त ग्रह एक आर अपने आप में स्वतंत्र ग्रह ह दूसरी आर मूय से संबंधित होने के कारण परस्पर सहयोगी ह। फिर जने ग्रहों के अपने उपग्रह होने ह वग ही इनमें से प्रत्येक भाषा की अपनी उपभाषाए एव बोलिया ह।

हिंदी भाषा-मडल की सहयोगी भाषाए ह—पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी राजस्थानी एव पहाडी। इस भाषा-मडल का आधुनिक काल में वैद्रीय रूप वह ह जिन 'साधु हिंदी साहित्यिक हिंदी' परिनिष्ठित हिंदी आदि नामों से पुकारा जाता ह तथा जा भारतीय सविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत ह। उन्, हिंस्तानी इसा रूप के उपरूप ह।

## ५५ हिंदी भाषा-मडल की भाषाए

आगामा परिच्छनों में हिंदी भाषा मडल का भाषाओं का विवरण किया जा रहा ह। (राजस्थानी, बिहारी, पहाडी का छाटकर जिनका परिषय पूर्व के अध्याय में किया गया ह।)

## ५५१ साधु हिंदी

'साधु हिंदी' (परिनिष्ठित हिंदी) हिंदी भाषा मडल का बंदीय रूप ह। यही वह रूप है जिसे भारतीय सविधान में 'राष्ट्रभाषा' की रना दी गई है। 'साधु हिंदी' सहभाषी प्रांतों में अतर प्रांतीय व्यवहार का माध्यम ह। इन प्रांतों में वह माहिय गिना, प्रशासन के अतिरिक्त सामाजिक अवसरा पर गिए समाज के वार्तालाप का साधन भी ह। सामान्य रूप से 'हिंदी' कहने पर साधु हिंदी का ही बोध होता ह। साधु हिंदी की सरचना (ध्वन्यात्मक एव व्याकरणात्मक) का मुखर आधार पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली है किंतु फारसी एव अंग्रेजी के प्रभाव से उसकी ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणात्मक सरचनाओं में कुछ परिवर्तन-परिवर्धन (कुछ नवीन ध्वनियों का आविर्भाव एव कुछ नये व्याकरणात्मक प्रयोगों का प्रचलन) हुआ ह (सरचना के परिच्छेद में इसका वणन किया जा रहा ह)। इसके बाद भारत का मूल स्रोत संस्कृत पन्द्रावली है। संस्कृत शब्दों के आधार पर अनेक नये शब्दों की रचना भी हुई ह। यों इसमें फारसी शब्दों के आधार पर अनेक नये अन्य यूरोपीय भाषाओं के शब्दों की भी काफी संख्या ह। (अधिक विवरण शब्द भण्डार' परिच्छेद में दिया जा रहा है)।

साधु हिंदी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती ह। साहित्यिक समृद्धि एव विचार अभिव्यक्ति की अनुपम क्षमता के कारण, साधु हिंदी का स्थान सघार की मुख्य एव श्रेष्ठ भाषाओं में ह।

## ५५२ उर्दू

उर्दू, साधु अथवा परिनिष्ठित हिंदी रूप का एक उपरूप अर्थात् शैली ह। 'उर्दू' तुर्की भाषा का शब्द माना जाता ह जिसका अर्थ ह 'पडाव', 'सिविर', 'फौजी पडाव', 'खेमा' आदि। शही पडाव को 'उर्दू-ए-मुअल्ला' कहा जाता था। पडावों में प्रयुक्त होने के कारण यह भाषा जवान-ए उर्दू ए-मुअल्ला अथवा 'शवान-ए उर्दू' कहो गयो, जो संक्षिप्त होकर 'उर्दू' रह गई।

उर्दू की उत्पत्ति के संबंध में यद्यपि अनेक मत प्रकट किये जाते हैं (उर्दू की उत्पत्ति ब्रज पञ्जाबी सिंधी से भी बताइ जाती ह) किंतु मान्य मत यह ह कि इसका आधार भी दिल्ली के आस-पास की वही खड़ी बोली ह जो साहित्यिक हिंदी का आधार ह। दिल्ली में राजधानी होने के कारण मुसलमान शासकों ने दिल्ली व आस-पास की बोल-चाल की बोली को अपनाया तथा उसमें अरबी फारसी के पर्याप्त शब्दों का प्रयोग कर उन्होंने जिस काम चलाऊ भाषा को

जन्म दिया, वही आगे चलकर 'उर्दू' भाषा का नाम से प्रसिद्ध हुई। अतः उर्दू की उत्पत्ति तब से मानी जानी चाहिए जब से दिल्ली में इस्लामी शासन स्थापित हुआ। यह समय १३वीं शताब्दी के आरम्भ का है। इस्लामी शासन के साथ यह कामबलाऊ भाषा दक्षिण में पहुँची जहाँ दक्खिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ उसमें साहित्य की रचना आरम्भ हुई। दक्खिनी का कवि बली' के उत्तर की ओर आन पर यह भाषा फिर उत्तर भारत में पहुँच गई तथा मुसलमान शासकों का आश्रय पाकर फलती फूलती रही। इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से उर्दू ( साहित्यिक उर्दू ), साहित्यिक हिंदी से प्राचीन है।

भाषायी संरचना की देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उर्दू हिन्दी से भिन्न भाषा नहीं है। इस दृष्टि से वह साधु हिंदी का एक ऐसा उपरूप अथवा शली है जिसमें फारसी अरबी के शब्दों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है तथा जिसके कुछ व्याकरणात्मक रूप ( एव कुछ स्थितियाँ में कुछ ध्वन्यात्मक रूप ) भिन्न हैं एव जो अरबी पर आधारित लिपि में लिखी जाती है।

### ५.५.३ हिन्दी-उर्दू में अंतर

संरचनात्मक दृष्टि से भिन्न न होने पर भी हिन्दी एव उर्दू में कुछ भिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। संक्षेप में ये भिन्नताएँ निम्नलिखित हैं—

( क ) उर्दू में फारसी अरबी तुर्की भाषाओं के शब्दों की संख्या अधिक रहती है। इसके विपरीत हिन्दी में संस्कृत के तत्सम-तद्भव शब्द अधिक मात्रा में हैं।

( ख ) क, ख, ग, ज, फ, जैसी व्यंजन ध्वनियाँ का उर्दू में प्रयोग होता है। उर्दू के ही प्रभाव से इन ध्वनियों का हिन्दी में आगमन हो रहा है ( इन ध्वनियों का प्रयोग उर्दू पढ़े लिखे व्यक्ति सावधानी पूर्वक बोलने पर ही कर पाते हैं )।

( ग ) उर्दू में विसर्गित शब्दों का पर्याप्त प्रयोग होता है ( 'मलिक आइद' आदि ), हिन्दी में विसर्गित शब्दों की संख्या न के बराबर है। उर्दू के ऐसे शब्द हिन्दी में आकारात बन जाते हैं ( मलिक का मलिका आइद का आइदा आदि )।

( घ ) एक वचन से बहुवचन बनाने की पद्धति उर्दू एव हिन्दी में प्रायः समान है, किंतु उर्दू में कुछ ऐसे प्रयोग भी होते हैं जो हिन्दी में नहीं पाते। यथा—'मकान' का 'मकानात', 'हाकिम' का 'हकाम'। कुछ शब्द जो उर्दू में

बहुवचन ह, हिंदी में एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। यथा—'अपवार', 'खबर' का 'बवायद', 'कायद' का बहुवचन ह किंतु हिंदी में 'अपवार' तथा 'बवायद' एकवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं।

( ड ) लिप बदलने की प्रक्रिया भी दोनों भाषाओं में प्रायः समान है किंतु उर्दू में कुछ नये रूप भी मिलते हैं। 'मलिक' से 'मलक', 'खान' से 'खानम'। ऐसे कुछ रूप उर्दू के प्रभाव से हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं।

( ख ) उर्दू में संवध अभिव्यक्त करने के लिए जै ए इहाफ्त का प्रयोग होता है जिसके अनुसार संबंधित वाक्य का क्रम बदल जाता है। यथा 'शेर ए पजाब' अर्थात् 'पजाब का शेर'। हिंदी में इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता।

( छ ) कुछ ऐसे उपसर्ग, प्रत्यय, अक्षय हैं जिनका प्रयोग उर्दू में होता है तो हिंदी में नहीं। ( उर्दू—वा-वाजदक, वराय वराय मेहरखानी )।

( ज ) हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है एक उर्दू अरबी लिपि ( अरबी लिपि के आधार पर बनी हुई लिपि ) में।

ऊपर जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है वे ऐसी नहीं हैं जिनके आधार पर उर्दू को अलगभाषा माना जाय।

## ५ ५ ४ हिंदवा, दक्खिनी, रेखा, रेखी

मुसलमान शासकों द्वारा अपनायी गयी अरबी-फारसी शब्दों से युक्त लिखी के आस-पास की स्थानाय खड़ी बोली का उर्दू नाम तो १९वीं शताब्दी के आरम्भ में पड़ा किंतु उसका आविर्भाव तो १३वीं शताब्दी के आरम्भ में ही हो चुका था। 'उर्दू' कहलवाने से पहले यही भाषा, कुछ छोटे से परिवर्तन के साथ, अनेक नामों से प्रचलित थी। उसका सबसे प्राचीन नाम 'हिंदवी' अथवा 'हिंदुवी' है। इन्हीं अला ला ने अपनी रचना रानी बेतबी की कहानी में जब यह लिखा था कि 'उसमें हिंदवी छूट अन्य किसी भाषा का पुट नहीं है' तब उनका तात्पर्य समभवतः इसी हिंदवी से था ( यह नाम समभवतः १३-१४वीं शताब्दी तक रहा )।

१३वीं शताब्दी में मुसलमानी शासन उत्तर से दक्षिण की ओर अग्रसर हुआ जिसके फलस्वरूप इस हिंदवी कहा जाने वाली भाषा का दक्षिण में प्रवेश हुआ। दक्षिण में उसे मुसलमान शासकों के दरबार का आश्रय मिला तथा मुसलमान साहित्यकारों का सहयोग। इस प्रकार इस भाषा रूप का साहित्य में प्रवेश हुआ। दक्षिण की इस साहित्यिक भाषा का दक्खिनी, 'दक्किनी

अथवा 'दक्खिनी हिन्दी' नाम दिय गये ह । वदानवाड निजामी आदि इसी दक्खिनी के कवि थे ।

रत्ना दक्खिनी एव उद् के बीच की बड़ी ह । 'दक्खिनी का विकसित रूप, जिसका प्रचार दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक हुआ 'रत्ना' कहा जाता ह । १८वीं शताब्दी में 'दक्खिनी' के प्रसिद्ध कवि 'बली' ने 'रत्ना' नाम की एक नवीन काव्य शली को जन्म दिया । इस काव्य शली के आधार पर ही उस भाषा रूप को भी रत्ना कहा गया । 'बली' ने दक्षिण से उत्तर में आकर इसका प्रचार किया । १३वीं शताब्दी के आस पास 'खिरी फरी' की कविता को भी रत्ना के नाम से ही जाना जाता ह ।

'रत्ना' एव 'रत्नी' में मुख्य अंतर यह था कि पुष्पा का भाषा का 'रत्ना' कहा जाता था एव स्त्रियों की भाषा का 'रत्नी' । या स्त्रियों की भाषा होने के कारण 'रत्ना' में अरबी फारसी के कठिन शब्द अपभ्रंशित कम रहत थे ।

१८वीं शताब्दी की 'रत्ना' ही १९वीं शताब्दी तक पट्टचत-पट्टचत उद् बन गयी ।

## ५ ५ ५ हिंदुस्तानी

'हिंदुस्तानी' की सामान्य रूप से हिंदी एव उद् के मध्य की ऐसी भाषा माना जाता ह जिसमें हिंदी एव उद् की अपेक्षा संस्कृत एव फारसी-अरबी के कठिन शब्द कम होते ह । इस दृष्टि से हिंदुस्तानी का आधार भी दिल्ली के आस-पास की बालू चाल की भाषा अर्थात् खड़ी ही है । हिंदुस्तानी शब्द का प्रथम प्रयोग चाहे जय एव जिस अध में हुआ हा उसका प्रचार अचछा न किया । इस हिंदुस्तानी के प्रयोग के कारण हिंदी को हिंदुओं से एव उद् को मुसलमानों से संबद्ध किया जाने लगा ।

हिंदी उद् से जोड़ी गयी इस धार्मिकता से प्रभावित होने के कारण ही गांधीजी ने 'राष्ट्रभाषा' के लिए हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करना उचित समझा ।

वास्तव में भाषा का कोई घम नहीं होता वह किसी घम से संबद्ध नहीं होती ।

यह माना हुई बात है कि संपूर्ण भारत में सामान्य रूप से जनता जिस 'सर्व भाषा' का विभिन्न सामाजिक धार्मिक अवसरों पर प्रयोग करता ह, उसका रूप साहित्यिक हिन्दी की अपेक्षा हिंदुस्तानी न लिखत ह । किंतु

हिंदुस्तानी का एक भाषा के रूप में स्वीकार करना सही नहीं है, क्योंकि उसकी ध्वन्यात्मक एव प्राकरणात्मक संरचनाएँ हिंदी ( साधु हिंदी ) से भिन्नता नहीं रखती। इसी से उद्गू के समान ही हिंदुस्तानी को भी हिंदी ( साधु हिंदी ) का एक उपरूप मानना चाहिए।

### ५ ५ ६ पश्चिमी हिंदी एव पूर्वी हिंदी

हिंदी भाषा मडल की सहभाषाएँ जिनका परस्पर एव केंद्रीय रूप ( साधु हिंदी ) से अत्यंत निकट संबंध है, वे हैं पश्चिमी हिंदी एव पूर्वी हिंदी। वास्तव में ये दोनों सहभाषाएँ साधु हिंदी से मिलकर, हिंदी भाषा मडल का एक आंतरिक मडल बनाती हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सामान्य रूप से पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी एव साधु हिंदी के सम्मिलित रूप को ही हिंदी कहा जाता है।

### ५ ५ ७ पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी में अंतर

पश्चिमी हिंदी गौरसेनी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से उद्भूत होने के कारण गौरसेनी से प्रभावित है जबकि पूर्वी हिंदी अधमागधी के अपभ्रंश रूप से विकसित हुई है। इसलिए पूर्वी हिंदी पर मागधी का प्रभाव तो है ही, गौरसेनी के प्रभाव से भी वह मुक्त नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से जहाँ पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती पंजाबी और मराठी से घिरी होने के कारण उनसे प्रभावित है वहाँ पूर्वी हिंदी, बिहारी, उडिया और बंगाली के बीच में होने के कारण उनसे प्रभावित है। यही भौगोलिक तथा ऐतिहासिक भिन्नताएँ पश्चिमी और पूर्वी हिंदी को एक-दूसरे से अलग करती हैं। नीचे इन भाषाओं में पायी जानेवाली कुछ भिन्नताओं का उल्लेख किया जाता है।

(क) पश्चिमी हिंदी ( प हि ) के 'ड' 'ढ' के स्थान पर पूर्वी हिंदी ( पू हि ) में 'र' तथा 'रह' का प्रयोग होता है। यथा—प हि—तोड़े, पू हि—तोरे।

(ख) पश्चिमी हिंदी में शब्द मध्यम 'ह' का प्रायः लोप हो जाता है जबकि पूर्वी हिंदी में वह प्रायः सव्यन्तरूप में सुरक्षित है। यथा—प हि—दिया, पू हि—दहेमि।

(ग) पश्चिमी हिंदी के शब्दों के आदि का 'य' तथा 'व', पूर्वी हिंदी में परिवर्तित होकर 'ए' तथा 'ओ' हो जाता है। कभी-कभी सव्यन्तरूप में 'ह'

का प्रयोग भी होता है। यथा—प हि ( व्रज )—यामें, वामें, पू हि —एमें एहमें, ओमें, ओहमें।

(घ) पश्चिमी हिंदी में दो स्वर प्रायः एक साथ नहीं आते किंतु पूर्वी हिंदी में ऐसा कोई नियम नहीं है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी हिंदी के 'ए' तथा 'ओ', पूर्वी हिंदी में 'अइ' तथा 'अउ' में परिवर्तित हो जाते हैं यथा—प हि—कह और, मोर, पू हि क्रमशः—कहइ अउर, मउर।

(ङ) पश्चिमी हिंदी के आकारात ( व्रज के ओकारात ) शब्द पूर्वी हिंदी में अकारात या व्यजनात हो जाते हैं। यथा—प हि—बडा ( व्रज—बडो ) पू हि—बड् या बड।

(च) पश्चिमी हिंदी में आकारात शब्दों का त्रिक रूप एकारात बनता है जबकि पूर्वी हिंदी में ऐसा नहीं होता। यथा—

प हि—घोडा

पू हि—घोडा

त्रिक—घोडे

त्रिक—घोडा

(छ) पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली तथा व्रजभाषा के जो, सो आदि रूप पूर्वी हिंदी तथा भोजपुरी में जे जवन, मे तवन आदि रूपा में प्राप्त होते हैं।

(ज) पश्चिमी हिंदी में पुरुषवाचक सवनामों के सवध रूपा में मध्यग ए रहता है जो पूर्वी हिंदी में परिवर्तित होकर जा हो जाता है। यथा—प हि—मेरा पू हि—मोर।

(झ) पश्चिमी हिंदी ( खड़ी बोली ) में 'हम पुरुषवाचक सवनाम बहु वचन ( कभी कभी एक वचन के लिए भी ) प्रयुक्त होता है, जबकि पूर्वी हिंदी में वह कबल एकवचन के लिए है बहुवचन बनाने के लिए उसमें 'लाग जाडना अनिवाय है।

(ञ) पश्चिमी हिंदी में 'ने' परसग का प्रयोग उसकी निजी विवेकता है जिसका पूर्वी हिंदी में सवया अभाव है। यथा—प हि—उसन तिया पू हि ( अवधी )—उ दिहिसि।

(ट) पश्चिमी एव पूर्वी हिंदी के क्रिया रूपों में भी पर्याप्त अंतर है। उदाहरण के लिए भूत एव भविष्यकाल का लिया जा सकता है।

भूतकाल में पश्चिमी हिंदी में सवनाम के अनुसार क्रिया रूप में परिवर्तन नहीं होता किंतु पूर्वी हिंदी में सवनाम के अनुरूप क्रिया के रूप में परिवर्तन हा जाता है। यथा—प हि में मैंने— तुमने— उसने—, तीनों के साथ—'मारा

क्रिया रूप होगा किंतु पू हि ( अवधि ) म मैंने—के पीछे—‘भारेऊ’ होगा किंतु तुमने—तथा मन—के पीछे— मारिस’ होगा ।

भविष्यकाल में पश्चिमी हिंदी (व्रज) में ह-का प्रयोग करने पर ‘मारिहीं’, ‘मारिह’ जमे रूप बनने ह किंतु पूर्वी हिंदी ( अवधि ) में-व- का प्रयोग कर मारिव , ‘मारिब’ जम रूप बनाये जाते ह ।

## ५ ६ पश्चिमी हिंदी की बोलिया

पश्चिमी हिंदी की पाच मुख्य बोलिया गिनी जानी ह—व्रज कन्नौजा बुंदेली खड़ी एव बागल । इनमें से व्रज कन्नौजा एव बुंदेली के मध्य बहुत अधिक समीपता ह । दूमरी ओर खड़ी एव बागल परस्पर निकटता रखती ह ।

### ५ ६ १ व्रज

‘व्रज मडल की भाषा ही ‘व्रज कहलानी ह । यही बह प्रश्न ह जिसे कभी धूरनेन कहा जाहा था । यह मथुरा, आगरा अलीगढ एव धौलपुर की प्रमुख बोली ह ।

पश्चिमी हिंदी की यह प्रमुख बोली ह । व्रज क जययन म न केवल पश्चिमी हिंदी वरन पहाड़ी एव राजस्थानी भाषाआ के समझन में भी सहायता मिलती ह, क्योंकि गौरानी प्राकृत स विकसित बालिया म व्रज महत्वपूर्ण बोली ह ।

हिंदी का मध्यकाल एक प्रकार से ‘व्रज युग’ कहा जा सकता ह । अवधा की कुछ रचनाआ को छोडकर सपूण भक्ति-साहित्य तथा पूरा रीति साहित्य व्रज में ह । व्रज की साहित्यिक धारा आधुनिककाल म भी प्रवाहित होना रहा ह ।

मुबसा ( ननाताल ) अतवैनी ( एटा बदायू बरेली ) डामी ( धौलपुर ) आदि इसकी उपबोलिया ह । आगरा, मथुरा, अलीगढ की व्रज का ‘साधु-व्रज’ कहा जा सकता ह ।

खड़ी बोली ( साधु हिंदी ) स तुलना करने पर व्रज की निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती ह—

( क ) खड़ी बोली के आकारात शब्द प्राय व्रज में ओकारात अथवा औकारात हो जाते ह । खड़ी बोली—डूजा, आया व्रज—डूजी, आयो ) ।

( ख ) खड़ी बोली ( ख बो ) के—ए—आ वरन व क्रमण—ऐ, औ बन जाते हैं ( ख बो—मैं, को, व्रज—मैं को ) ।



( ग ) जहाँ लड़ी बोली के शब्द व्यंजनात् हो गये हैं वहाँ ब्रज में पुल्लिङ्ग शब्द उकारात् एव स्त्रीलिङ्ग इकारात् मिलने हैं ( सुग सुगु दूर दूरि ) ।

( घ ) सचनामा में म के स्थान पर हो, का प्रयोग विग्न है ।

( ङ ) वर्तमान काल में महायज्ञ क्रिया का हूँ के स्थान पर हो भूत काल में था आदि क्रिया के स्थान पर —हूँ, 'हूँ' तथा भविष्यकाल में 'हूँ हूँ' आदि प्रयुक्त होते हैं ।

## ५ ६ २ कन्नौजी

कन्नौज प्रदेश की भाषा होने के कारण इस कन्नौजी कहा गया है । इसके क्षेत्र में हरदोई, साहजहापुर, पीलीभीत परगनाया इटावा बानपुर आ जाते हैं । क्षेत्र की दृष्टि से कन्नौजी अवधी एवं ब्रज के मध्य पड़ता है । कन्नौजी की ब्रज से बहुत अधिक समीपता है । इसी में कुछ लाग उन्ने ब्रज का उपबोली मानते हैं । यों कन्नौजी में निकटता के कारण कुछ विग्नताएँ अवधी की भी आ गयी हैं । उदाहरणार्थ सवध परसग—रर अधिकरण परसग—मा—मह यह, यह सचनामा के स्थान पर ई ऊ अवधी के प्रभाव मही कन्नौजी में आये हैं ।

महा ब्रज ही साहित्य का माध्यम रही है । अतः कन्नौजी में साहित्य न के बराबर है ।

## ५ ६ ३ बुंदेली

बुंदेलखण्ड में बोली जाने के कारण इस भाषा रूप को बुंदेली अथवा 'बुंदेलखंडी' कहते हैं । बुंदेली मुख्य रूप से बागपत जिला जालौन ग्वालियर ( पूर्वी भाग ), भोपाल ( कुछ भाग ) ओडछा छिंदवाड़ा में बोली जाती है । बुंदेली की भी ब्रज से बहुत अधिक निकटता है । इस कारण कन्नौजी के समान इस भी ब्रज की एक उपबोली समझा जाता है ।

बुंदेलखण्ड में भी साहित्य रचना के लिए मुख्य रूप से ब्रज का ही प्रयोग होता रहा है । विशुद्ध बुंदेली के साहित्यकारों में मगाधर एवं इमुरी प्रसिद्ध हैं ।

बुंदेली में ब्रज के समान उकारात् एव इकारात् सनाएँ नहीं हैं । बुंदेली में ब्रज से कुछ भिन्न परसग भी प्रयुक्त होते हैं ( यपा—केलाने, केकाजे = के लिए खा = को ) । सहायक क्रिया के वर्तमान काल में अऊ, आय तथा भूतकाल में तो, ती जैसे रूप बनते हैं ।

बुंदेली के बहुत से विशिष्ट प्रयोग एवं शब्द हैं । इन विग्न शब्दों एवं

प्रयोगों के कारण शर्ली में जो बुदेलीपन था जाता ह, इससे यह भाषा रूप हिंदी की अथ बालिया से भिन्न लगता ह ।

### ५ ६ ४ खड़ी बोली

पश्चिमी हिंदी की मुख्य बोली 'खड़ी' ह । 'खड़ी' नाम के सवध में यद्यपि अनेक मत ह किंतु माय मत यह है कि 'खड़ी', 'खरी' अर्थात् परिनिष्ठित का अथ सूचित करता ह । इस भाषा रूप क लिए सरहिंदी, हिंदुस्तानी, कौरवी आदि अय नाम भी प्रयुक्त हुए ह किंतु इसका बहुप्रचलित नाम 'खड़ी' ही है । यह बोली सहारनपुर मुजफ्फरनगर, मेरठ, अवाला, मिजनौर, रामपुर, आदि स्थानों की स्थानीय बोली ह, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों की पर्याप्त संख्या है ।

यह पहले ही बताया जा चुका ह कि साधु हिंदी, उदू अथवा हिंदुस्तानी का आधार यही खड़ी बोली ह ।

खड़ी को आकारात बोली माना जाता है क्योंकि जो शब्द अवधी में व्यंजनात तथा व्रज में आकारात ह वे खड़ी में प्राय आकारात हाते ह—जसे, अवधी—करत व्रज—करतो, खड़ा—करता । या अवधी—घोड़, व्रज—घोरा, खड़ी—घोडा । स्वरों के मध्य, दीर्घ स्वर क पश्चात भी द्वित्व व्यंजन का अस्तिरव खड़ी की दूसरी मुख्य विशेषता ह । यथा—बट्टा, 'बाप्पू' । तियक बहुवचन परसग—ऊ भी विभेप ह । यथा—मरद मरदू, बटी बटधू । भूतकाल एक वचन रूप 'रिह्या, 'उठया (=रहा, उठा) अण भूत 'मारन था', 'मारया, आदि भा खड़ी के विशेष प्रयोग ह ।

### ५ ६ ५ बांगरू

इस बोली का यह नाम इसलिए पडा ह क्योंकि इसका प्रयोग 'बांगरू' प्रदेश में होता ह । बांगरू, बनारस जिले के आस पास क क्षेत्र का नाम ह । यों यह बोली कर्नाल के अतिरिक्त रोहतक, हिसार, जिंद, नाभा आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है ।

बांगरू को जादू तथा हरियानी भी कहा जाता ह । बांगरू एक खड़ी में इसनी अधिक निकटता ह कि कुछ विद्वान बांगरू का खड़ी की एक उपबोली मानत हैं ।

बांगरू की कुछ विशेषताए ह—तियक, बहुवचन, आकारात रूप । जमे—घर घरा, सप्रदान परसग 'कील्या तथा अधिकरण परसग 'मह, माह ।'

सहायक क्रिया है, 'हूँ' के स्थान पर 'स', 'सैं', 'सूँ' आदि का प्रयोग।  
वर्तमान काल में वक्त्रिक रूप—ता/दा का प्रयोग, यथा—करता/करदा।

### ५ ७ पूर्वी हिंदी की बोलियाँ

पूर्वी हिंदी का विकास अधमागधी प्राकृत से संबद्ध है। जम अधमागधी, मागधी एवं शौरसेनी प्राकृतों से माध्य का रूप भी बसे ही पूर्वी हिंदी एक ओर शौरसेनी की उत्तराधिकारणी पश्चिमी हिंदी से प्रभावित है ता दूसरी ओर मागधी प्रसूत रूप का अथ भाषाया ( गिहारी, बगला आदि ) की विशेषताओं को भी अपने में आत्मसात् किये हुए है।

पूर्वी हिंदी की मुख्य तीन बोलियाँ हैं—अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। इन तीनों के मध्य पर्याप्त समानता है।

### ५ ७ १ अवधी

अधमागधी प्राकृत से विकसित बोलियों में अवधी का प्रमुख स्थान है।

अवधी का सबसे अवध प्रदेश से है। अवधी का कामगी एवं बसवाड़ी नामा से भी पुकारा जाता है। या य दानो एक प्रकार से उसकी उपबोलियाँ हैं। अवध प्रदेश में लखीमपुर गोंडा बारबांकी, लखनऊ सातापुर उम्राव रायबरली प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर अवधी का प्रयोग होता है।

हिंदी विकास के मध्यकाल काल में ब्रज के समान अवधी भी एक महत्वपूर्ण भाषा थी। जायसी एवं तुलसी जैसे समय साहित्यकारों की रचना अवधी में है।

अवधी की कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं खड़ी जहाँ अकारान भाषा है वहाँ अवधी यजनात ( अथवा आकारात ) भाषा है। यथा—तडा, घाडा अवधी—घोर। साधु हिंदी के ए औ अवधी में सध्यभरअइ अउ है। यथा—जइस ( जसे ), अउरत ( औरत ) श प के स्थान पर अवधी में स' का ही प्रयोग होता है। व के स्थान पर व तथा 'य के स्थान पर ज' का उच्चारण होता है। सना श-ओ के तीन-तीन रूप भी होते हैं। यथा—घोर (= घाडा) का बहुवचन में घार घोरवा, घोरीना रूप बनते हैं।

मूल रूप एवं त्रिक रूप एक वचन में समान रहते हैं। यथा—साधु हिंदी में मूल रूप 'घोडा' एक त्रिक रूप 'घोड'—(—से का आदि ) रूप बनता है किंतु अवधी में एक ही रूप 'घोर' रहेगा।

विशेषण मूल रूप में प्रायः ध्यजनात होते हैं, यथा—नीक भल, घोर आदि।

सहायक क्रिया वर्तमान काल में 'हूँ' के स्थान पर 'जाँ' 'वार' तथा भूत काल में 'या', 'य' के स्थान पर 'भए' 'रहे' आदि रूप बनते हैं।

‘दखना ‘करना’ आदि रूप ‘देखब’, ‘करब’ बनते ह । ‘ब’ का प्रयोग भविष्यकाल के लिए भी होता ह, यथा—कहब = कहूंगा ।

अवधी की सखाए भी साधु हिंदी से भिन्नता रखती ह ।

### ५ ७ २ बघेली

बघेल खड में बोली जाने के कारण इसका नाम ‘बघेली’ पडा ह । रोवा, बघेलखड का केंद्र ह । बघेलखड से बाहर यह बोली दक्षिण में बालघाट, पश्चिम में बाग पर्व में भिर्जापुर, बिलासपुर, छोटा नागपुर एव उत्तर में उत्तर प्रदेश एव मध्य प्रदेश की सीमा तक बोली जाती ह ।

वास्तव में बघेली अवधी से इतनी अधिक समानता रखती है कि बहुत से विद्वान उम अवधी की उपबोली ही मानना उचित समझते ह ।

बघेली में साहित्य का प्राय अभाव ह ।

बघेला का कुछ विशेषताए ह सवनामों में म्वा, मोही (= मुने), त्वा, तोही (=तुम), विशेषण में -ह्रा का प्रयोग । यथा—नीक के स्थान पर नीकह्रा ।

अवधी में भविष्यकाल में—ब’—की प्रधानता रहती है किंतु बघेली में—ह’—की प्रधानता रहती ह, यथा—कहिहौं (= कहूंगा) ।

बघेला में कुछ नय परसग भी पाये जाने ह, यथा—कम कारक के लिए ‘कहा’ तथा करण कारक के लिए ‘तार’ का प्रयोग ।

### ५ ७ ३ छत्तीसगढ़ी

छत्तीसगढ़ नामक प्रान्त की बोली होने के कारण ही इसे ‘छत्तीसगढ़ी’ कहा जाता ह । रायपुर बिलासपुर, रायगढ़, खरागढ़, उदयपुर के अतिरिक्त मध्य प्रान्त के बस्तर जिले में भी इस बोली का प्रयोग होता ह ।

छत्तीसगढ़ी में साहित्य न के बराबर ह ।

छत्तीसगढ़ी की मुख्य विशेषताए हैं ‘-मन’ लगाकर बहुवचन का रचना करना यथा—मनुब (= मनुष्य)—मनुखमन (= बहुत मनुष्य) ।

नियक रूप में कभी कभी ‘-अन जाडकर बहुवचन बनाने की प्रवृत्ति, यथा—बइला (= बल) का बहुवचन, बइलन ।

निश्चयायक लिए हर का प्रयोग ।

ध्वनिया में महाप्राणीकरण प्रवृत्ति । यथा—घोड (=दौड), झन (=जन) ।

इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी में अवधी से भिन्न कई प्रकार के परसगों का

प्रयोग होता है। यथा—कम कारक के लिए 'ला' तथा करण कारक के लिए 'ले' का प्रयोग।

छत्तीसगढ़ी का ही बालाघाट के निकट 'सल्टाहा' अथवा 'सलटाटा' कहते हैं।

## ५८ भोजपुरी का स्थिति

भाजपुरी के संबंध में प्रायः दो प्रश्न पूछे जाते जाते हैं। एक तो यह कि भोजपुरी बोली है अथवा भाषा। और दूसरा यह कि यदि भाजपुरी एक बोली है तो वह किस भाषा की बोली है—बिहारी अथवा हिन्दी की।

### ५८१ भोजपुरी बोली है अथवा भाषा ?

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर जानने से पहले भाषा एवं बोली के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

वास्तव में भाषा एवं बोली में कोई तात्त्विक अंतर नहीं होता। एक व्यक्ति की वाणी को 'व्यक्ति-बोली' कहा जाता है कुछ व्यक्तियों का समूह (जिनकी संख्या के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता) अपने स्थापित करने के लिए जिस वाणी का प्रयोग करता है उस बोली कहा जाता है। ऐसी सब बोलियाँ जो परस्पर संबद्ध हैं तथा जो बिना सिखाए परस्पर समझी जाती हैं उनके समूह को भाषा कहते हैं। उन बोलियों के समूह में से जिस बोली को धर्म राजनीति अथवा साहित्य का दृष्टि से अधिक महत्व प्राप्त हुआ जाता है वही भाषा कहा जाने लगती है। मध्य युग में ब्रज का धर्म का आधार मिला और वह ब्रज बोली बनकर 'ब्रज भाषा' बन गई। आधुनिक युग में खड़ी बोली का शासन का आश्रय मिल गया और आज हिन्दी के नाम से जिस भाषा का जाना जाता है, वह खड़ी बोली ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा और बोली का मुख्य अंतर भाषावैज्ञानिक नहीं है। राजनीति धर्म एवं साहित्य ही वे तत्व हैं जो किसी बोली को भाषा बनने में सहायक होते हैं।

इस दृष्टि से भोजपुरी एक बोली ही है। यो भोजपुरी का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है (बिहार से उत्तर प्रदेश तक) तथा उसके बोलने वालों की संख्या भी करोड़ों में है किन्तु भोजपुरी न तो कहीं शिखा का माध्यम है और न ही वह किसी प्रदेश के राज-काज की भाषा है। उसका साहित्य भी अभी बाधा-वस्था में ही है। अतः इस बात में कोई संदेह नहीं कि अपनी वर्तमान स्थिति में भोजपुरी एक बोली ही है।

## ५८२ भोजपुरी किस भाषा की बोली है ?

भोजपुरी के भाषायी सवष का लेकर हमेशा एक विवाद चलता रहा है । प्रियसन न अपने 'भाषा सर्वेक्षण' में भोजपुरी को मधिली एव मगही के साथ, बिहारी की बोली दिखाया है । सुनीति कुमार चटर्जी, प्रियसन के इस मत से सहमत नहीं ह । उनका विचार ह कि भोजपुरी, पूव का बिहारी की अपेक्षा मध्य देश की हिन्दी से अधिक प्रभावित ह । भोजपुरी की बिहारी की अर्थ बालिया एव हिंदी से तुलना करने पर यह स्पष्ट हा जाता ह कि भोजपुरी मध्य दशम हिंदी स प्रभावित होने पर भी, भाषा की दृष्टि न हिन्दी की अपेक्षा मधिली एव मगही स अधिक निकटता रखती ह । यहा यह न भूलना चाहिए कि जहा मध्य देशीय हिंदी का सवष शौरसी प्राकृत क अपभ्रंस रूप से ह वहा भोजपुरी का नाता मागधी प्राकृत के अपभ्रंस रूप से ह । भोजपुरी का विकास मागधी प्राकृत के पश्चिमी रूप से हुआ ह इस कारण वह बिननी ही बातों में, अध-मागधी स विकसित पूर्वी हिंदी के साथ समानता दिखानी ह फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रयुक्त होने के कारण उसका हिंदी ने प्रभावित हाना स्वाभाविक ह किंतु इससे वह हिंदी की बोली नहीं बन जाती । हा, अगर बिहारी को ही हिंदी के अंतगत माना जाय ता फिर बात दूसरी ह ।

भोजपुरी एव मगही तथा मधिली में जो भाषागत समानता ह उसके कुछ उदाहरण यहा दिय जा रह ह । तीना बालियों में मजा तथा विनोपण शब्दा के कई रूप होत हैं जिनके अर्थ में बहुत कम अंतर रहता ह । यथा—पाथि पोथिया, घोडा घोडवा, बडा, बडक्का, छोटि, छोटकी । निन', 'ह' लगाकर बहुवचन बनान की प्रवृत्ति भी इन सबमें समान ह । यथा—लरिका, ( लईका ) लरिकन, लरिकन्ह । भोजपुरी तथा मगही दाना म ही 'क' कर' से सबद्ध का बोध होत ह । यथा—केकर, ओकर । इन बोलिया क क्रिया रूपों में भी पर्याप्त समानता ह ।

उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हा जाती ह कि भोजपुरी को बिहारी की बोली मानना ही उचित ह ।

## ५९ शब्दावली

वाक्य के ऐसे सायक शब्द जो स्वतंत्रतापूर्वक उच्चरित हो सकें, सामान्य रूप से शब्द कहे जाते ह । किसी भी भाषा के समस्त शब्दों के समूह को उस भाषा का 'शब्द भंडार' अथवा 'शब्दावली' कहा जाता ह ।

प्रयोग होता है। यथा—कम वारक के लिए 'ला' तथा करण वारक के लिए 'ले' का प्रयोग।

छत्तीसगढ़ी का हा बालाघाट के निकट 'खटाही' अथवा 'खलाटी' कहते हैं।

## ५८ भोजपुरी का स्थिति

भोजपुरी के संबंध में पाय दो प्रश्न पूछे जाते जाते हैं। एक तो यह कि भोजपुरी बोली है अथवा भाषा। और दूसरा यह कि यदि भोजपुरी एक बोली है तो वह किस भाषा का बाली है—बिहारी अथवा हिंदी की।

### ५८१ भोजपुरी बोली है अथवा भाषा ?

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर जानने से पहले भाषा एव बोली के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

वास्तव में भाषा एव बाला में कोई तात्त्विक अंतर नहीं होता। एक व्यक्ति की वाणी का 'व्यक्ति-बोली' कहा जाता है कुछ 'व्यक्तियों का समूह ( जिनकी सहायता के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता ) संपन्न स्थापित करने के लिए जिस वाणी का प्रयोग करता है उस बाला कहा जाता है। ऐसा सब बोलीया जा परस्पर संबद्ध है तथा जो बिना सिखाए परस्पर समझी जाती है, उनके समूह का भाषा कहते हैं। उन बोलियों के समूह में से जिस बोली को घन राजनीति अथवा साहित्य का दृष्टि से अधिक महत्व प्राप्त हुआ जाता है, वही भाषा कहलाने लगती है। मध्य युग में ब्रज का घन का आधार मिला और वह ब्रज बोली न रहकर ब्रज भाषा बन गई। धातुनिक युग में खड़ी बोली का शासन का आश्रय मिला गया और आज हिंदी के नाम से जिस भाषा का जाना जाता है, वह खड़ी बोली ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा और बोली का मुख्य अंतर भाषावैज्ञानिक नहीं है। राजनीति घन एव साहित्य ही वे तत्त्व हैं जो किसी बोली को भाषा बनने में सहायक होते हैं।

इस दृष्टि से भोजपुरी एक बोली ही है। जो भोजपुरी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है ( बिहार से उत्तर प्रदेश तक ) तथा उसका बाला बाला की सहायता भी करोडा में है किन्तु भोजपुरी न तो कहीं शिखा का माध्यम है और न ही वह किसी प्रदेश के राज-काज की भाषा है। उसका साहित्य भी अभी वा-यावस्था में ही है। अतः इस बात में कोई सन्देह नहीं कि अपनी वर्तमान स्थिति में भोजपुरी एक बोली ही है।

## ५८२ भोजपुरी किस भाषा की बोली है ?

भोजपुरी क भाषायी सबष को लेकर हमेशा एक विवाद चलता रहा है । प्रियसन ने अपने 'भाषा सर्वेक्षण' में भोजपुरी का मथिली एव मगही के साथ, बिहारी की बोला लिखाया ह । सुनीति कुमार चटर्जी, प्रियसन के इस मत स सहमत नही ह । उनका विचार ह कि भोजपुरी, पूव का बिहारी की अपेसा मध्य देश की हिन्दी से अधिक प्रभावित ह । भोजपुरी की बिहारी की अय बालिया एव हिंदी से तुलना करने पर यह स्पष्ट हा जाता ह कि भाजपुरी मध्य देशीय हिंदी स प्रभावित हाने पर भी, भाषा की दृष्टि स हिंदी की अपसा मथिली एव मगही स अधिक निकटता रखती ह । महा यह न भूलना चाहिए कि जहा मध्य देशीय हिंदी का सबष शौरसना प्राकृत के अपभ्रस रूप से ह वहा भाजपुरी का नाता मागधी प्राकृत के अपभ्रस रूप स ह । भोजपुरी का विकास मागधी प्राकृत के पश्चिमी रूप से हुआ ह इस कारण वह बितनी ही बातों में, अध-मागधी स विकसित पूर्वी हिंदी के साथ समानता दिखती ह, फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रयुक्त होने के कारण उसका हिन्दी स प्रभावित होना स्वाभाविक ह किन्तु इसस वह हिन्दी की बानी नही बन जाती । हा, अगर बिहारी को ही हिंदी के अतगत माना जाय ता फिर बात दूसरी ह ।

भोजपुरी एव मगही तथा मथिला में जो भाषागत समानता ह उसके कुछ उदाहरण यहा दिये जा रहे ह । तीना बालियों में सचा तथा विशेषण शब्दों के कई रूप होन ह जिनके अर्थ में बहुत कम अंतर रहता ह । यथा—पाथि, पोथिया, घोण घोडवा, बडा, बउबका, छाटि, छोटकी । निन, ह' लगाकर बहुवचन बनान की प्रवृत्ति भी इन सबमें समान ह । यथा—लरिका, ( लईका ) लरिवन, लरिकहि । भाजपुरी तथा मगही दाना में ही क कर' से सबद्ध का बोध हाता ह । यथा—केकर, ओकर । इन बोलियों क क्रिया रूपों में भी पर्याप्त समानता ह । उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हा जाती ह कि भोजपुरी को बिहारी की बोली मानना ही उचित ह ।

## ५९ शब्दावली

वाक्य के ऐसे साथक खंड जो स्वतंत्रतापूर्वक उच्चरित हा सकें, सामान्य रूप स शब्द बहे जात है । किसी भी भाषा के समस्त शब्दों के समूह का उस भाषा का 'शब्द भंडार' अथवा 'शब्दावली' कहा जाता ह ।



प्रयोग होता है। यथा—कम कारक के लिए 'ला' तथा करण कारक के लिए 'ले' का प्रयोग।

छत्तासगढ़ी को ही बालाघाट के निकट 'सल्टाही' अथवा 'सल्टाटी' कहते हैं।

## ५८ भोजपुरी का स्थिति

भाजपुरी के संबंध में पाय दा प्रश्न पूछ जाछे जात ह । एक तो यह कि भोजपुरी बोली ह अथवा भाषा । और दूसरा यह कि यदि भाजपुरी एक बोली ह तो वह किस भाषा की बोली ह—विहारी अथवा हिंदी की।

### ५८१ भोजपुरी बोली है अथवा भाषा ?

उपयुक्त प्रश्न का उत्तर जानने से पहले भाषा एव बोली के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक ह ।

वास्तव में भाषा एव बोली में कोई तात्त्विक अंतर नहीं होता । एक व्यक्ति की वाणी का 'व्यक्ति-बोली' कहा जाता है कुछ व्यक्तियों का समूह ( जिनका संख्या के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता ) मयक स्थापित करने के लिए जिस वाणी का प्रयोग करता ह उस बोली कहा जाता ह । ऐसा सब बोलिया जो परस्पर संबद्ध ह तथा जो बिना सिराया परस्पर समझी जानी ह, उनका समूह को भाषा कहत है । उन बोलिया के समूह में से जिस बोली को धर्म, राजनीति अथवा साहित्य का दृष्टि में अधिक महत्व प्राप्त हो जाता ह वही भाषा कहालान लगती ह । मध्य युग में ब्रज का धर्म का आधार मिला और वह ब्रज बोली न रहकर 'ब्रज भाषा' बन गई । आधुनिक युग में खड़ी बोली का शासन का आधर्य मिला गया और आज हिंदी के नाम से जिस भाषा का जाना जाता है, वह खड़ी बोली ही ह । कहन का तात्पर्य यह ह कि भाषा और बोली का मुख्य अंतर भाषावैज्ञानिक नहीं ह । राजनीति, धर्म एव साहित्य ही के कारण ह जा किसी बोली का भाषा बनने में सहायक हात है ।

इस दृष्टि से भोजपुरी एक बोली ही है । यो भोजपुरी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत ह ( बिहार से उत्तर प्रदेश तक ) तथा उसका बोली बोली की संख्या भी करोड़ों में ह किंतु भोजपुरी न तो कहीं शिखा का माध्यम ह और न ही वह किसी प्रदेश के राज-काज का भाषा ह । उसका साहित्य भी अभी सामान्यतया में ही ह । अतः इस ध्यान में कोई सन्देह नहीं कि अपना वर्तमान स्थिति में भोजपुरी एक बोली ही ह ।

## ५८२ भोजपुरी किस भाषा की बोली है ?

भोजपुरी के भाषायी सबंध को लेकर हमें एक विवाद चलता रहा है। प्रियसन न अपने 'भाषा सर्वेक्षण' में भोजपुरी का मैथिली एव मगही के साथ, बिहारी की घोषा दिसाया है। सुनीति कुमार चटर्जी, प्रियसन के इस मत से सहमत नहीं है। उनका विचार है कि भोजपुरी, पूव का बिहारी की अपेक्षा मध्य देश की हिंदी से अधिक प्रभावित है। भोजपुरी की बिहारी की अपेक्षा बालिया एव हिंदी से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भोजपुरी मध्य देशीय हिंदी से प्रभावित होना पर भी, भाषा की दृष्टि से हिंदी की अपेक्षा मैथिली एव मगही से अधिक निकटता रखती है। यहां यह न भूलना चाहिए कि जहां मध्य देशीय हिंदी का सबंध शौरसनो प्राकृत के अपभ्रंश रूप से है वहां भोजपुरी का नाता मागधी प्राकृत के अपभ्रंश रूप में है। भोजपुरी का विकास मागधी प्राकृत के पश्चिमी रूप से हुआ है, इस कारण वह कितनी ही बातों में, अपभ्रंश मागधी से विकसित पूर्वी हिंदी के भाषा समानता दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रयुक्त होने के कारण उसका हिंदी में प्रभावित होना स्वाभाविक है किंतु इससे वह हिंदी की बोली नहीं बन जाता। हा, अगर बिहारी को ही हिंदी के अंतर्गत माना जाय तो फिर बात दूसरी है।

भोजपुरी एव मगही तथा मैथिली में जो भाषागत समानता है उसके कुछ उदाहरण यहां दिये जा रहे हैं। तीन बालियों में सना तथा विनोपण शब्दों के कई रूप होते हैं, जिनके अर्थ में बहुत कम अंतर रहता है। यथा—माथि पोथिया, घाण घाण्वा बडा, बडवका, छोटि, छोटकी। नित, 'ह' लगाकर बहुवचन बनाने की प्रवृत्ति भी इन सबमें समान है। यथा—लरिका ( लईका ) लरिक्न, लरिक्हि। भोजपुरी तथा मगही दोनों में ही क 'कर' से सबद्ध का बोध होता है। यथा—केकर ओकर। इन बालियों के क्रिया रूपों में भी पर्याप्त समानता है।

उपरोक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भोजपुरी को बिहारी का बोली मानना ही उचित है।

## ५९ शब्दावली

वाक्य के ऐसे साधक शब्द जो स्वतंत्रतापूर्वक उच्चरित हो सकें सामान्य रूप से शब्द कहे जाते हैं। किसी भी भाषा के समस्त शब्दों के समूह को उस भाषा का 'शब्द भंडार' अथवा 'शब्दावली' कहा जाता है।

शब्द अपने आप में भाषा नहीं है किंतु शब्दों के अभाव में भाषा का अस्तित्व संभव नहीं है।

शब्दों के माध्यम से ही भाषा एव संस्कृति में संबंध स्थापित होता है। शब्दावली जाति के सांस्कृतिक विकास का सूचक है। प्राचीन भारतीय आय भाषा में धर्म एव दर्शन से संबंध शब्दों की अधिकता एव बहानिक शब्दावली का अभाव इस बात का द्योतक है कि प्राचीन काल में आय जाति जितनी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत थी उतनी बहानिक दृष्टि से नहीं।

जीवित एव विकासशील भाषाओं में शब्दों का आदान प्रदान होता ही रहता है। भाषा की ग्रहण शक्ति उसकी जीवन शक्ति का परिचायक है, उसकी निधनता अथवा अभाव का नहीं।

शब्दों का विवेचन अनेक दृष्टियों से किया जा सकता है। जैसे—वाम की दृष्टि से (सत्ता क्रिया आदि) रचना की दृष्टि से (मूल = राम पवत आदि, योगिक = धर्मशास्त्र कुमाय आदि) अर्थ की दृष्टि से (धारणात्मक अर्थ देने वाले शब्दकारणात्मक अर्थ देने वाले आदि) इतिहास की दृष्टि से। सामान्य रूप से जब शब्दावली का विवेचन करने को कहा जाता है तब इतिहास अथवा द्योतकी दृष्टि से शब्दों का विवेचन किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इतिहास के सिवाय अन्य दृष्टियों से शब्दों का विवेचन रूप विनाशक अंतर्गत होता है।

## ५ ९ १ हिंदी शब्दावली

इतिहास अथवा द्योतकी दृष्टि से शब्दों का विवेचन करते समय यह देना जाता है कि शब्द किस स्रोत अर्थात् भाषाओं से आये हैं। इस दृष्टि से हिंदी शब्दों का प्रकार ये हैं अज्ञातमूलक एव ज्ञातमूलक। अज्ञातमूलक शब्द वे हैं जिनका मूलस्रोत अर्थात् भाषा का पता नहीं है। सामान्य रूप से इन शब्दों को ही 'देशज' कहा जाता है। वास्तव में देशज नाम का अर्थ है जा देना (अर्थात् देना की भाषा) में जन्मा है किंतु 'देशज' शब्दों का नाम से उन शब्दों का विवेचन होता है जिनका मूल का पता नहीं है। ज्ञातमूलक शब्द वे हैं जिनका मूलस्रोत का पता है। ज्ञातमूलक हिंदी शब्दों को प्रायः चार वर्गों में

विभाजित किया जाता है

प्रथम शब्द— वे शब्द जिनका रूप संस्कृत के शब्दों का समान है।

द्वितीय—कृष्ण, धर्म, मित्र।

तद्भव शब्द—वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं किंतु जिनका रूप बदल गया है। यथा—कान्हा, काम, मोत।

देशान् शब्द—वे शब्द जिनके मूल का पता नहीं है। यथा—चूहा, ठेठ वेंदुआ।

विदेशी शब्द—वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आये हैं। यथा—ग्लास, घटन (अंग्रेजी), गरीब, अमीर (फारसी)।

हिन्दी शब्दों का उपयुक्त विभाजन बहुत अधिक तकसगत नहीं है। न्यूनतम की दृष्टि से हिन्दी शब्दों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित करना चाहिए।

( क ) परपरागत शब्द।

( ख ) निर्मित शब्द।

( ग ) आगत शब्द।

## ५.९.२ हिन्दी के परपरागत शब्द

परपरागत शब्द वे हैं जो किसी भी भाषा को अपने पूर्व रूप से विरासत में मिलते हैं। हिन्दी के परपरागत शब्द वे हैं जो उसे प्राकृत-अपभ्रंश के माध्यम से प्राप्त हुए हैं।

### ( क ) तत्सम एवं तद्भव शब्द

हिन्दी के ये परपरागत शब्द दो प्रकार के हैं। एक तो तत्सम दूसरे तद्भव।

तत्सम = उस ( =संस्कृत ), सम = समान। अतः तत्सम शब्द वे हैं जो प्राचीन आय भाषा ( संस्कृत ) के समान हैं। जैसे—कृष्ण, कम, मित्र आदि। तद्भव शब्दों का अर्थ है तत्सम ( संस्कृत ) भव = उत्पन्न या विकसित। इस प्रकार तद्भव शब्द वे हैं जो प्राचीन आय भाषा ( संस्कृत ) से विकसित हुए हैं किंतु जिनका रूप बदल गया है। जैसे—कान्हा, काम, मोत। ये शब्द क्रमशः कृष्ण, कम एवं मित्र से विकसित हुए हैं।

### ( ख ) अधतत्सम एवं अधतद्भव शब्द

एक शब्द जो मूल प्राचीन शब्दों से कम परिवर्तित है उन्हें प्रायः अधतत्सम कहा जाता है। जैसे—'कृष्ण' से बना हुआ 'कान्हा' तो तद्भव है किंतु 'कृष्ण' से ही बना 'किशन' 'किशुन' अधतत्सम हैं।

अधतद्भव शब्द वे हैं जो तद्भव शब्दों के आधार पर बने हैं। उदाहरणार्थ 'मोसी' शब्द प्राचीन शब्द 'मातृपुत्र' से बना तद्भव रूप है। 'मोसी'

शब्द के अपार पर मौला शब्द बना है अतः यह अथ तद्भव हुआ।  
 तत्सम एव तद्भव का मध्य एक अथ श्रुती तत्समाभास शब्द का भी  
 माना जाती है। एष शब्द जो तत्सम है वही किन्तु तत्सम लगत है—है  
 तत्समाभास कहा जाता है। जग—उपराज (संस्कृत उपराज) औरगधि  
 (संस्कृत शोधधि)।

ऊपर तत्सम एव तद्भव शब्दों का जिन भागों उपमा का विवरण किया  
 गया है वे बहुत अधिक तबसगत नहीं हैं। जो शब्द तत्सम नहीं हैं वह तद्भव  
 हुआ फिर चाह उसमें कम परिवर्तन हुआ हो या ज्यादा।

सूत्रम दुष्टि से देखा जाय तो हिन्दी में तत्सम शब्द प्रायः हैं ही नहीं। तबस कह  
 जान वाले शब्द भी एक प्रकार से तद्भव ही हैं। हिंदा आधुनिक भाषा है और  
 संस्कृत का समय आज से दार्द-तीन हजार वर्ष पहले का है। समय का इतना  
 लंबी अवधि के गुजरने के पश्चात् भी शब्द ज्यों के त्या (अपरिवर्तित) रह  
 जाय यह भाषावैज्ञानिक नियमों के अनुकूल नहीं है। प्राचीन आय भाषाओं न  
 परिवर्तित होकर मध्यकालीन आय भाषाओं (प्राकृत—अपभ्रंश) का रूप धारण  
 किया। मध्यकालीन आय भाषाएँ परिवर्तित होकर आधुनिक आय भाषाओं  
 (हिंदी एव अथ आधुनिक आय भाषाओं) के रूप में विकसित हुई हैं। इस  
 बीच ध्वनियाँ का उच्चारण बदला है शब्दों की आकृति बदली है उनका अर्थ  
 बदला है। ऋ ध्वनि प्राचीन काल में स्वर थी हिंदी में इसका उच्चारण  
 'रि' के समान होता है। ए ध्वनि प्राचीन काल में मूधय थी हिंदी में उसका  
 उच्चारण तालय श' के समान होता है। पाणिनि ने न ध्वनि को दय कहा  
 है किन्तु हिंदी में इसका उच्चारण वत्स (दातो के ऊपर का बटोर मासल  
 भाग) से होता है। संस्कृत में जो शब्द अवारत (अ स्वर में अत वरन वाल)  
 थे व प्रायः हिंदी में यजनात (व्यजन में पूर होने वाले) बन गये हैं।  
 उदाहरणाय संस्कृत के राम फल शब्दों का हिंदी में उच्चारण राम फल के  
 समान होता है।

'वास्तव में शब्दों की तत्समता मुख्य रूप से उनके लिखित रूप तक ही  
 सीमित रह गई है। उदाहरणाय ऋषि शब्द हिंदी में भी वैसे ही लिखा जाता  
 है जिस प्रकार से संस्कृत में लिखा जाता है किन्तु हिंदी में लिख इस शब्द का  
 उच्चारण 'रिशि' के समान होता है जो इस शब्द के प्राचीन उच्चारण से  
 पूर्ण रूप से भिन्न है।

### ५ ९ ३ हिंदी के निर्मित शब्द

प्रत्येक विकासशील भाषा में सदैव नये शब्द निर्मित होते रहते हैं। नये शब्दों का निर्माण के यों तो अनेक कारण हो सकते हैं किंतु उनमें से मुख्य कारण दो हैं। एक तो बढ़ती हुई सांस्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति करना, दूसरा, विचारा का अधिकाधिक सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करना। आज हिंदी में ज्ञान विज्ञान से संबद्ध अनेक पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो चुका है तथा हो रहा है। पारिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त भी कई शब्द बन गये हैं। मंत्र से मंत्राना, फिज्म से फिज्माना, अभिनय से अभिनोत आदि जैसे बने हुए शब्दों की संख्या काफी बड़ा है। विचार एवं भाव की सूक्ष्मता हेतु नये शब्दों के सदा में शायदाबादा एक प्रयोगवादी साहित्यकारों का उत्प्रेषण किया जा सकता है।

निर्मित शब्दों के भी कई भेद उपभेद हो सकते हैं। मूल का दृष्टि से ये शब्दों का प्रकार के होते हैं एकमूलीय तथा बहुमूलीय अथवा सक्क। एकमूलीय शब्द वे हैं जिन शब्दों का निर्माण एक ही भाषा के तत्त्वा से हुआ है। जैसे—  
दगाना ( दगन से ) समाजकरण ( समाज से ) राष्ट्रीयकरण ( राष्ट्र से ) ।  
बहुमूल्य शब्द वे हैं जे एकमे अधिक भाषाओं के तत्त्वों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे— 'रेल मंत्री' ( रेल—अंग्रेजी मंत्री—संस्कृत ), डाकखाना ( डाक—हिन्दी खाना—फारसी ), डाकगुला ( डाक - हिन्दी गुला—अंग्रेजी ) ।

कुछ निर्मित शब्द ऐसे भी होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आगत धारणाओं के आधार पर बन जाते हैं। जैसे—निःशस्त्रीकरण ( Disarmament ), हरित क्रांति ( Green revolution ) शीत युद्ध ( Cold war ), उपभोक्ता ( Consumer ) आदि ।

### ५ ९ ४ हिंदी में आगत शब्द

जो शब्द दूसरी भाषाओं ( अथवा बोलियों से ) से लिये जाते हैं उन्हें आगत शब्द' अथवा उधार लिए हुए शब्द कहा जाता है। सामान्य रूप से इन्हीं शब्दों का विशेषी शब्द कहा जाता है। आगत शब्दों का विदेशी कहना उचित नहीं है क्योंकि नये शब्द केवल विदेशी भाषाओं से ही नहीं लिए जाते बरन् देश का विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों से भी लिए जाते हैं।

हिंदी में ऐसे शब्द चार प्रकार के हैं—

( क ) संस्कृत से आये हुए शब्द

( ख ) भारतीय भाषाओं से आये हुए शब्द



### ५ ९ ३ हिंदी के निर्मित शब्द

प्रत्येक विकासशील भाषा में सदैव नये शब्द निर्मित होते रहते हैं। नये शब्दों का निर्माण के या तो अनेक कारण हो सकते हैं किन्तु उनमें से मुख्य कारण दो हैं। एक तो बढ़ती हुई सांस्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति करना, दूसरा, विचारा का अधिकाधिक सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करना। आज हिंदी में नाना विज्ञान से संबद्ध अनेक पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो चुका है तथा हो रहा है। पारिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त भी कई शब्द बन गये हैं। मंच से मंचाना, फिल्म से फिल्माना, अभिनय में अभिनीत आदि जैसे बने हुए शब्दों की संख्या काफी बढ़ी है। विचार एवं भाव की सूक्ष्मता हेतु नये नये शब्दों के सदा में छायावादी एवं प्रयोगवादी साहित्यकारों का उल्लेख किया जा सकता है।

निर्मित शब्दों के भी कई भेद उपभेद हो सकते हैं। मूल का दृष्टि से ये शब्द दो प्रकार के होते हैं— एकमूलीय तथा बहुमूलीय अथवा संकर। एकमूलीय शब्द वे हैं जिन शब्दों का निर्माण एक ही भाषा के शब्दों से हुआ है। जैसे—  
दंगना ( दंगन + ना ) समाजीकरण ( समाज + रण ) राष्ट्रीयकरण ( राष्ट्र + से )।  
बहुमूलीय शब्द वे हैं जिनके अधिक भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे—'रल मंत्री' ( रेल—अंग्रेजी मंत्री—संस्कृत ), डाकखाना ( डाक—हिंदी खाना—फारसी ) डाकबगला ( डाक - हिंदी, बगला—अंग्रेजी )।

कुछ निर्मित शब्द ऐसे भी होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आगत शब्दों के आधार पर बन जाते हैं। जैसे—निःशस्त्रीकरण ( Disarmament ), हरित क्रांति ( Green revolution ) शीत युद्ध ( Cold war ), उपभोक्ता ( Consumer ) आदि।

### ५ ९ ४ हिंदी में आगत शब्द

जो शब्द दूसरी भाषाओं ( अथवा बालियों से ) से लिए जाते हैं उन्हें आगत शब्द अथवा उधार लिए हुए शब्द कहा जाता है। सामान्य रूप से शब्दों को 'विदेशी शब्द' कहा जाता है। आगत शब्दों को विदेशी कहना उचित नहीं है क्योंकि नये शब्द केवल विदेशी भाषाओं से ही नहीं लिए जाते बल्कि देश के विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों से भी लिए जाते हैं।

हिंदी में ऐसे शब्द चार प्रकार के हैं—

( क ) संस्कृत से आये हुए शब्द

( ख ) भारतीय भाषाओं से आये हुए शब्द



( ग ) हिन्दी की अरबी शब्दों में आये हुए शब्द

( घ ) हिन्दी भाषाओं में आये हुए शब्द

### ५ ९ ४ १ मध्यम से आगत शब्द

भाषा हिन्दी में मध्यम से आगत शब्द ( मध्यम से आगत ) प्रयुक्त हो रहे हैं जो प्राकृत-महाभाषा से हुए हुए हिन्दी में आये हैं। हिन्दी में मध्यम से आगत शब्दों का उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द मध्यम से आये हैं। यहाँ मध्यम से आगत शब्दों के लिए कुछ शब्दों का उदाहरण दिया है।

### ५ ९ ४ २ भारतीय भाषाओं से आगत शब्द

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा मध्यम से आगत शब्द है। उदाहरण प्रयोग विभिन्न प्रयोगों में भी आता है। मध्यम से आगत शब्दों में प्रयोग भाषाओं में कुछ शब्दों का उदाहरण दिया है। यहाँ—हस्ताक्षर (गुणगण) शब्द (बाजू (दरवाजा) रसगुला उदाहरण शब्द (बगल) शब्द (पत्र धी)। उदाहरण आदि भाषाओं में अनिश्चित आंतर भाषाओं में भी बहुत से शब्द हिन्दी में आये हैं। इनमें से कुछ शब्दों के माध्यम से हिन्दी में आये हैं। जहाँ नार कुटिया आदि। कुछ शब्द मध्यम से आये हैं। इनमें से कुछ पुराने शब्द हैं। विला वादा आदि। एव कुछ नये शब्द हैं, दादा दहली साबर आदि।

### ५ ९ ४ ३ योऽपि से आगत शब्द

अपनी दादादली की समझ करन हनु हिन्दी न कई शब्द अपनी दादीण बोलियों से भी लिये हैं। शब्दों के आगत का यह वाय मुख्य रूप से आंचलिक साहित्य के माध्यम से हुआ है। आंचलिक उदाहरणों एव कहानियों के माध्यम से दादीण बोलियों के बहुत से शब्द साहित्यिक अथवा साधु हिन्दी में आये हैं।

### ५ ९ ४ ४ विदेशी आगत शब्द

आगत शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण है विदेशी शब्द। ऐसे शब्दों में सबसे बड़ी संख्या फारसी अरबी एव अंग्रेजी शब्दों की है। इनमें से कुछ शब्द तो हिन्दी न सीधे ग्रहण किये हैं एव कुछ शब्द ऐसे हैं जो अर्थ भाषाओं के माध्यम से हिन्दी में आये हैं। जहाँ तुर्की एव अरबी के बहुत से शब्द फारसी के माध्यम

से तथा फ़ारसी एवं उच्च भाषाओं के शब्द अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी में आये हैं। नीचे विभिन्न भाषाओं से आगत शब्दों के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं।

### फ़ारसी, अरबी, तुर्की एवं पश्तो के आगत शब्द

फ़ारसी एवं हिंदी एक ही आम उपकुल की भाषाएँ हैं, इसलिए उनकी शब्दावली में पर्याप्त समानता है। फिर भारत में स्थापित मुसलमानी शासन का राजभाषा फ़ारसी रही। इस कारण फ़ारसी के हजारों शब्द हिंदी में आ गये हैं।

या तो भारत के अरबस्थान एवं तुर्की से प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध रहे हैं इस कारण इन भाषाओं के शब्दों का हिंदी में (एक अथवा भारतीय भाषाओं में) जाना आवश्यक की बात नहीं है किन्तु हिंदी में प्रयुक्त अरबी एवं तुर्की के शब्द मुख्य रूप से फ़ारसी के माध्यम से आये हैं।

फ़ारसी शब्द—खुदा, फ़रिश्ता, तीर, कमान, कमीज, पाजामा, खत, लिफाफ़ा, हल्वा, बुखार, आमान, मुग़, तेन।

अरबी—हाबिस, अदालत, हराम, शतान, कित्ताब, कलम, रूद, फमला।

तुर्की—उदू, तोनची, तुक, खच्चर, बहादुर, बेगम, बाराद, चाकू, कैची।

पश्तो—पटान, रूहेला, मटरमन्ती, गुडा।

### अंग्रेजी से आगत शब्द

अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार-प्रसार हुआ। अंग्रेजी न केवल यहाँ का राजभाषा रही बरन वह कई वर्षों तक यहाँ की शिक्षा का माध्यम भी रही है। आज भी भारत में उसका महत्व कम नहीं है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में समाजाना स्वाभाविक ही है। आज हजारों अंग्रेजी शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। यथा—इंजन, मोटर, ग्लास, रेडियो, कोट, सूट, पिन, स्कूल, प्रोफ़ेसर आदि। बहुत से शब्दों के उच्चारण में अंतर पड़ गया है। यथा—अस्पताल (हॉस्पिटल), सिगल (सिगनल), लाट (लाड), तिजोरी (टेजरी) आदि।

### अन्य विदेशी भाषाओं से आगत शब्द

उपयुक्त भाषाओं के अतिरिक्त, अन्य कई भाषाओं से थोड़े-बहुत शब्द सीधे हिंदी में आये हैं और कुछ शब्द अंग्रेजी के माध्यम से भी आये हैं। यहाँ थोड़े से उदाहरण दिये जा रहे हैं।

फ़्रांसीसी—मास्टर, जज, मेम, पिक्निक।

रूस—तुक्य (ताश में), धम (गाड़ी का)

स्पेनी—सिगरेट, सिगार काँफ ।

पुतगली—आलमारी बमरा, काजू, पादरी, बोतल ।

अमन—वगन ट्रेन सेमानार ।

इटैलियन—लाटरी, राकेट, कारटून ।

जापानी—रिवरा जूडो ( कुश्ती ) ।

अफाकी—जेब्रा ।

रूसी—जार, बोदिका, सोवियत स्तूतनिक ।

चानी—चाय ।

यदि हिंदी शब्दावली का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाय तो और भी  
नई भाषाओं के शब्द दिखनाई पड़ेंगे ।



## स्मरण संकेत

- ५१ 'हिंदी' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। यथा—हिंदुस्तान का निवासी, हिंदुस्तान की कोई भी भाषा, मध्य देश की भाषा, परिनिष्ठित हिंदी आदि।
- ५२ विस्तृत अर्थ में हिंदी का क्षेत्र बिहारो से पंजाबी एवं काश्मीरी से राजस्थानी भाषाओं तक फैला हुआ है। सीमित अर्थ में पूर्वी एवं पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र ही हिंदी का क्षेत्र है।
- ५३ हिंदी का उत्पत्ति १०वीं शताब्दी के आस पास हुई। उसके विकास के तीन चरण हैं आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल।
- ५४ 'हिंदी' एक भाषा का नाम न होकर कुछ सयद्ध भाषाओं के समूह का नाम है। इस समूह को हिंदी भाषा मंडल कहना चाहिए। इस भाषा मंडल को भाषाएँ परस्पर 'सह भाषाएँ' हैं।
- ५५ राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी के अतिरिक्त हिंदी भाषा मंडल की अन्य भाषाएँ हैं साधु हिंदी, उर्दू, हिंदवी, हिंदुस्तानी, पूर्वी एवं पश्चिमी हिंदी।
- ५६ पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली खड़ी एवं बांगरू।
- ५७ पूर्वी हिंदी की बोलियाँ अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी।
- ५८ अपना वर्तमान स्थिति में भोजपुरी एक बोला है। भोजपुरी को हिंदी की अपेक्षा बिहारी की बोली मानना ही उचित है।
- ५९ शब्दावली किसी भी जाति के सांस्कृतिक विकास की सूचक है। ज्ञात अथवा इतिहास की दृष्टि से हिंदी शब्दों के दो वर्ग हैं अज्ञातमूलक एवं ज्ञातमूलक। ज्ञातमूलक शब्द तीन श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं परंपरागत, निर्मित एवं आगत।



## ६ हिंदी की ध्वन्यात्मक संरचना



### वर्णन

- हिंदी की संरचना
- हिंदी की ध्वन्यात्मक संरचना
- खंडनीय ध्वनियाँ
  - स्वर, स्वर-संयोग
  - व्यंजन, व्यंजन द्वित्व एवं संयुक्त व्यंजन
- खंडेतर ध्वनियाँ
  - नासिक्यता, मात्रा, आघात, सुर, तान, अंतराल

### विकास

- हिंदी ध्वनियों का विकास
- हिंदी स्वरों का विकास
  - प्रा भा आ, म भा वा एवं हिंदी के स्वर
  - स्वरों के विकास की सामान्य प्रवृत्तियाँ
  - स्वरों का विकास-स्रोत
- हिंदी व्यंजनों का विकास
  - प्रा भा आ, म भा वा एवं हिंदी के व्यंजन
  - व्यंजनों के विकास की सामान्य प्रवृत्तियाँ
  - व्यंजनों का विकास-स्रोत
- खंडेतर ध्वनियों का विकास





## ६ १ हिंदी की सरचना

यह पहले ही बताया जा चुका है कि 'हिन्दी' शब्द एक पूरे भाषा-मंडल को इंगित करता है। इस भाषा मंडल की विभिन्न सह भाषाओं की अपनी-अपनी सरचनाएँ हैं। यहाँ 'हिन्दी की सरचना, से तात्पर्य 'साधु हिंदी' अथवा 'परिनिष्ठित हिंदी' की सरचना से है।

किसी भी भाषा की सरचना में मुख्य रूप से उसकी ध्व-यात्मक सरचना एवं व्याकरणात्मक सरचना का विवेचन होता है।

इस अध्याय में हिंदी की ध्व-यात्मक सरचना का विवेचन किया जा रहा है। आगामी अध्याय में उसकी व्याकरणात्मक सरचना का विवेचन किया जाएगा।

## ६ २ हिंदी की ध्वन्यात्मक सरचना

ध्व-यात्मक सरचना में ध्वनियों का विवेचन होता है। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। खड्गीय ध्वनियाँ एवं खड्गेतर ध्वनियाँ। खड्गीय ध्वनियाँ वे हैं जिनका उच्चारण क्रमशः (एक के पश्चात् दूसरी) होता है। यथा—'काला' शब्द में क्रमशः क + आ + ल + आ ध्वनियाँ हैं। ये खड्गीय ध्वनियाँ हैं। स्वर एवं व्यंजन ध्वनियाँ खड्गीय ध्वनियाँ होती हैं। खड्गेतर ध्वनियाँ वे हैं जिनका उच्चारण अथवा ध्वनियाँ के साथ होता है, अर्थात् जिनको क्रम से खंडित नहीं किया जा सकता। यथा—'माख' शब्द में नासिक्य ध्वनि का उच्चारण 'आ' स्वर ध्वनि के साथ हुआ है। 'आ' एवं नासिक्यता को क्रम से आ + ँ के रूप में विश्लेषित नहीं किया जा सकता क्योंकि नासिक्यता खड्गेतर है।

## ६ ३ हिंदी की खड्गीय ध्वनियाँ (स्वर-व्यंजन)

हिंदी में निम्नलिखित स्वर एवं व्यंजन ध्वनियाँ हैं

	स्वर <sup>१</sup>	व्यंजन <sup>३</sup>
ई	ऊ	क ख ग घ [ ङ ]
इ	उ	च छ ज झ [ ञ ]
ए	अ	ट ठ ड ढ ण ढ ढ
ऐ	आ	त थ द ध न
		प फ ब भ म
		य र ल व
		श स ह

१ यहाँ पर 'ध्वनि' शब्द का प्रयोग 'महत्वपूर्ण ध्वनि' अथवा ध्वनिग्राम के अर्थ में किया गया है। ध्वनिग्राम उस ध्वनि (अथवा ध्वनि समष्टि) को कहते हैं, जिसमें अर्थ





## ६ १ हिंदी की सरचना

यह पहले ही बताया जा चुका है कि 'हिंदी' शब्द एक पूरे भाषा-मंडल को इंगित करता है। इस भाषा मंडल की विभिन्न सह भाषाओं की अपनी-अपनी सरचनाएँ हैं। यहाँ 'हिंदी की सरचना, से तात्पर्य 'साधु हिंदी' अथवा 'परिनिष्ठित हिंदी' की सरचना से है।

किसी भी भाषा की सरचना में मुख्य रूप से उसकी ध्वन्यात्मक सरचना एवं व्याकरणात्मक सरचना का विवेचन होता है।

इस अध्याय में हिंदी की ध्वन्यात्मक सरचना का विवेचन किया जा रहा है। आगामी अध्याय में उसकी व्याकरणात्मक सरचना का विवेचन किया जाएगा।

## ६ २ हिंदी की ध्वन्यात्मक सरचना

ध्वन्यात्मक सरचना में ध्वनियों का विवेचन होता है। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। खडनीय ध्वनियाँ एवं खडेतर ध्वनियाँ। खडनीय ध्वनियाँ वे हैं जिनका उच्चारण क्रमशः (एक के पश्चात् दूसरी) होता है। यथा—'काला' शब्द में क्रमशः क + आ + ल + आ ध्वनियाँ हैं। ये खडनीय ध्वनियाँ हैं। स्वर एवं व्यजन ध्वनियाँ खडनीय ध्वनियाँ होती हैं। खडेतर ध्वनियाँ वे हैं जिनका उच्चारण अथवा ध्वनियाँ के साथ होता है, अर्थात् जिनको क्रम से खडित नहीं किया जा सकता। यथा—'आख' शब्द में नासिक्य ध्वनि का उच्चारण 'आ' स्वर ध्वनि के साथ हुआ है। 'आ' एवं नासिक्यता को क्रम से आ + ँ के रूप में विश्लेषित नहीं किया जा सकता क्योंकि नासिक्यता खडेतर है।

## ६ ३ हिंदी की खडनीय ध्वनियाँ (स्वर-व्यजन)

हिंदी में निम्नलिखित स्वर एवं व्यजन ध्वनियाँ हैं

	स्वर <sup>१</sup>		व्यजन <sup>३</sup>
ई		ऊ	क ख ग घ [ङ]
इ		उ	च छ ज झ [ञ]
ए	अ	आ	ट ठ ड ढ ण ङ
ऐ	आ	औ	त थ द ध न
			प फ ब भ म
			य र ल व
			श स ह

१ यहाँ पर 'ध्वनि' शब्द का प्रयोग 'महत्वपूर्ण ध्वनि' अथवा ध्वनिग्राम के अर्थ में किया गया है। ध्वनिग्राम उस ध्वनि (अथवा ध्वनि समष्टि) को कहते हैं, जिसमें अर्थ [शेष दूसरे पृष्ठ पर]

### कुछ विदेशी ध्वनिया

उपयुक्त स्वर एव व्यंजन ध्वनियों के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

अंग्रेजी शब्दों के यथावत उच्चारण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की हिंदी में आ स्वर ध्वनि दिखाई पड़ती है जो 'डाक्टर' (Doctor) 'कालेज' (College), जैसे शब्दों में देखी जा सकती है।

फारसी-अरबी के अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों के उत्सव वत उच्चारण की प्रवृत्ति के कारण पढ़े लिखे (विशेषकर फारसी उद्गृहीत हुए) लोगों का भाषा में क, ख, ग, ज, फ' पाच व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग होने लगा है। यह प्रयोग, कलम, काबिल, खाली, खूबी गम, बगोचा हज़ार, बज़ीर फक, बफादारी जैसे शब्दों में दिखाई पड़ता है। इनमें से 'ज' एव 'फ' का प्रयोग बहुत लोग करते हैं, 'ग' एव 'ख' का प्रयोग थोड़े से लोगों की भाषा में ही मिलता है, बाकी 'क' का प्रयोग तो कोई बिरला हिंदी भाषी (सो भी अस्वाभाविक सावधानी बरतने के बाद) ही कर सकता है।

उपयुक्त अंग्रेजी अथवा फारसी ध्वनिया के प्रयोग की प्रवृत्ति तो दिखाई पड़ती है किंतु ये ध्वनिया अभी तक महत्वपूर्ण अर्थात् ध्वनिग्राम कहलाने की स्थिति में नहीं हैं। यों इन ध्वनियों के सूचक लिपि चिह्न (जैसे इंगित किया गया है) का प्रयोग लेखन में अवश्य हो रहा है।

### कुछ अन्य ध्वनिया

कुछ विद्वान उपयुक्त ध्वनियों के अतिरिक्त 'डह, प्ह, ळ, म्ह, र्ह, र्ह आदि ध्वनियों को भी हिंदी की ध्वन्यात्मक संरचना में गिनते हैं। इससे विपरीत कुछ विद्वान इन ध्वनियों को स्वतंत्र व्यंजन ध्वनिया न मानकर उपयुक्त

मिश्रता उत्पन्न करने का गुण ही। उदाहरणार्थ 'काश' एव 'काश' हिन्दी में दो मिश्रताएँ उत्पन्न हैं। इन शब्दों की अर्थ मिश्रता का कारण क एव 'ख' ध्वनियों की मिश्रता है अर्थात् 'क' एव 'ख' में अर्थ मिश्रता उत्पन्न करने का गुण है, इसलिये 'क' एव 'ख' हिंदी में दो ध्वनिग्राम अथवा महत्वपूर्ण ध्वनिया हैं। जो ध्वनियाँ, ध्वनिग्राम हैं उन्हें दो आँधी टुकड़ों / / के मध्य एव जो ध्वनिग्राम नहीं हैं उन्हें [ ] कोष्ठक के मध्य लिखने की प्रथा है।

२. स्वर बह ध्वनि है, जिसके उच्चारण में मीठर से आती हुई वायु मुख (अथवा मुख एव नासिका से) निर्राध रूप से निकलती है।

३. व्यंजन बह ध्वनि है जिसके उच्चारण में मीठर से आती हुई वायु मुख (अथवा मुख से) में रुकी न रुकी, किसी न किसी रूप में बाधित होती है।

व्यजन ध्वनिया मानते ह । यों इनको स्वतंत्र व्यजन ध्वनिया मानने के पक्ष में बहुत सबल तक नहीं ह ।

### अनुस्वार, विसर्ग एव नासिक्यता

हिंदी की ध्वनि-संरचना में स्वरा के पश्चात् दो ध्वनियों—अनुस्वार ( - ) एव विसर्ग ( ) की गणना भी की जाता ह । वास्तव में ये स्वर नहीं ह । विसर्ग ( ) का प्रयोग इने गिने संस्कृत के शब्दा मे ही होता ह एव हिंदी म उसका उच्चारण 'ह' के समान ( किंतु उससे थोडा हल्का ) होता है । जैसे— प्राय = प्रायहँ ।<sup>१</sup> अनुस्वार का प्रयोग पांच नासिक्य व्यजन ध्वनियों ( ङ, ञ, ण, न, म ) के लिए होता ह तथा इसका आधार परवर्ती व्यजन पर रहता ह । जैसे गगा, पजा, डडा, फदा, चपा में अनुस्वार क्रमशः ङ, ञ, ण, न् एव म के लिए प्रयुक्त हुआ ह ( गगा = गङ्गा, पजा = पञ्जा, डडा = डण्डा, फदा = फदा चपा = चम्पा ) ।

इसके अतिरिक्त एक ध्वनि 'नासिक्यता' की माननी चाहिए, जिसका प्रयोग स्वरों के साथ होता ह । नासिक्यता का अर्थ ह भीतर से आई हुई वायु का नासिका के माग से निगमन, जो स्वरों के उच्चारण के समय उनके साथ होता ह ।

### क्ष, ञ, ज्ञ, ध्वनिया

क्ष, ञ, ञ—देवनागरी लिपि में प्रयुक्त ये लिपि चिह्न संयुक्त व्यजन ध्वनिया को सूचित करते ह । क्ष = कष ( उच्चारण कष ), ञ = ञर, ञ = ञज ( उच्चारण ञ्य ) । इसलिए उन्हें स्वतंत्र ध्वनियो में नहीं गिनना चाहिए ।

### श्च, ष

'श्च' चिह्न स्वर का सूचक ह किंतु हिंदी में आज-कल इसका उच्चारण 'रि' के बराबर होता ह, जिसमें व्यजन एव स्वर का योग है । 'ष' ध्वनि का उच्चारण हिंदी में नहीं रह गया है । 'ष' के स्थान पर भी 'क्ष' का ही उच्चारण हाता ह ।

## ६ ३ १ स्वरो का विवेचन एव वर्गीकरण

### जीभ को ऊचाई एव स्थान

स्वरों का विवेचन मुख्य रूप से जीभ की ऊचाई ( उच्चारण के समय )

१ व्यजन ध्वनि के उपर -- चिह्न उसके हल्के उच्चार को इंगित करता है ।

एव जीम के स्थान ( उच्चारण करने वाला जीम वा स्थान ) के आधार पर किया जाता है ।

जीम की ऊँचाई की चार मुख्य स्थितियाँ मानी जाती हैं । सवून स्थिति—जिसमें जीम सर्वाधिक ऊँची उठ जाती है । विवृत स्थिति—जिसमें जीम सर्वाधिक नीचे की स्थिति में हाती है । इन दोनों के मध्य अधसवृत ( सवृत की स्थिति से थोड़ा नीचे ) एव अधविवृत ( विवृत की स्थिति से थोड़ा ऊपर ) की दो स्थितियाँ मानी जाती हैं । सवृत की स्थिति में मुख ढका रहता है ( उससे मध्य थोड़ा सा स्थान छूटा रहता है ) तथा विवृत की स्थिति में मुख खुला रहता है ।

जीम की ऊँचाई की दृष्टि से हिंदी के/इ इ, ऊ, उ/सवृत /ए, ओ/अधसवृत /अ, ऐ, ओ/अधविवृत एव/आ/विवृत स्वर हैं ।

नवीन पद्धति के अनुसार जीम की ऊँचाई की निम्नलिखित सात स्थितियाँ मानी जाती हैं । उच्च निम्नतरउच्च, उच्चतरमध्य मध्य निम्नतरमध्य, उच्चतरनिम्न एव निम्न । आगे हिंदी स्वरों की दोनो तालिकाएँ दी जा रही हैं ।

स्थान की दृष्टि से/ई, इ, ए ऐ/आग्र स्वर ( इनके उच्चारण में जीम का अग्र भाग क्रियाशील रहता है ) । /अ/मध्य स्वर ( इसके उच्चारण में जीम का मध्य भाग क्रियाशील रहता है ) तथा/ऊ, उ, ओ औ/पश्च स्वर ( इनके उच्चारण में जीम का पश्च या पिछला भाग क्रियाशील रहता है ) हैं ।

### होठों की स्थिति

स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति का भी महत्व है । हिंदी के/ई इ, ए ऐ अ/अवताकार स्वर हैं, अर्थात् इन स्वरों के उच्चारण में होठ या तो फले रहते हैं ( जैसे—'ई' के उच्चारण में ) या वृत्ताकार नहीं बनते ( जैसे 'अ' के उच्चारण में ) । /ऊ, उ, ओ, औ/वताकार स्वर हैं अर्थात् इन स्वरों के उच्चारण में हाठ थोड़े बहुत वृत्ताकार होते हैं ।

### मात्रा

मात्रा अथवा उच्चारण के समय की दृष्टि से हिंदी स्वर दो प्रकार के हैं । एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरे दीर्घ स्वर । ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में उससे ज्यादा समय लगता है । या इस आधार पर स्वरों के कई भेद हो सकते हैं ( यथा—ह्रस्व, अति ह्रस्व दीर्घ, दीर्घतर, अतिदीर्घ आदि ) किंतु मुख्य भेद दो ही हैं ।

## नासिक्यता

हिन्दी के समस्त स्वर मौखिक (जब वायु केवल मुख से निकले) भी हैं तथा अनुनासिक भी (जब वायु मुख के अतिरिक्त नासिका से भी बाहर निकले)। हिन्दी में नासिक्यता महत्वपूर्ण है अर्थात् नासिक्यता के कारण अक्षरों में परिवर्तन हो जाता है। यथा—'काटा' एवं 'काटा'। यहाँ और सत्र ध्वनियाँ दोनों शब्दों में समान हैं बस नासिक्यता का अंतर है, जिसके कारण दोनों शब्दों के अक्षरों में भिन्नता उत्पन्न हो गयी है।

## सध्यता

सध्यता की दृष्टि से हिन्दी के समस्त स्वर (ऐ औ) के सिवाय असध्य अथवा एकल स्वर (Simple Vowels) हैं। 'ऐ, औ' का उच्चारण कुछ स्थितियों में 'एकल' तथा कुछ स्थितियों में, सध्यस्वर जसा होता है। जैसे—'ह' एवं 'औरत' शब्दों में '—ऐ' एवं 'औ' का उच्चारण एकल स्वरों जसा है किन्तु 'गवया' एवं 'कौआ' शब्दों में इनका उच्चारण सध्यस्वर (अइ अउ) के समान है।

## ६ ३ २ स्वर-संयोग

जब एक से अधिक स्वर मध्य के किसी व्यंजन के सिवाय प्रयुक्त होते हैं तो स्वरों की इस स्थिति को 'स्वर संयोग' की संज्ञा दी जाती है। यथा—'माई' शब्द में आ + ई (भू + आ + ई) का स्वर-संयोग है। हिन्दी में प्रायः दो स्वरों के ही संयोग मिलते हैं। थोड़े से उदाहरण तीन स्वरों के संयोग के भी मिलते हैं। यथा—'आइए' (आ + इ + ए)। हिन्दी में कुछ स्वर संयोगों के मध्य 'य' अथवा 'व' का समावेश हो जाता है। स्वरों के मध्य प्रयुक्त इन ध्वनियों को 'ध्रुति' कहा जाता है। एक स्वर के उच्चारण के पश्चात् जीम जब दूसरे स्वर के उच्चारण के लिए प्रयत्नशील होती है, तब उससे पूर्व ध्रुति का आविर्भाव होता है। यथा—'लिया' शब्द में 'इ' एवं 'आ' स्वरों के मध्य 'य' ध्रुति है तथा 'खावा' शब्द में 'अ' एवं 'आ' स्वरों के मध्य 'व' ध्रुति है।

१ असध्य अथवा एकल स्वरों का उच्चारण एक ही प्रस्थान पर एक ही स्थान से होता है। सध्यस्वरों का उच्चारण दो स्थानों से होता है। एक स्थान से उच्चारण आरंभ होता है एवं दूसरे स्थान पर पूरा होता है।

हिंदी स्वरों की तालिकाएँ ( जीभ की ऊँचाई एव स्थान )

तालिका—१

स्थान→ ऊँचाई ↓	अग्र	मध्य	पश्च
संवृत अध-संवृत अधविवृत विवृत	ई इ ए ऐ	अ	ऊ, उ ओ औ आ

तालिका—२

स्थान→ ऊँचाई ↓	अग्र	मध्य	पश्च
उच्च निम्नतर उच्च उच्चतर मध्य मध्य निम्नतर मध्य उच्चतर निम्न निम्न	ई इ ए	अ	ऊ उ ओ औ आ

## ६ ३ ३ व्यंजनो का विवेचन एव वर्गीकरण

व्यंजनों के विवेचन में जिन दो मुख्य बातों का उल्लेख किया जाता है, है 'स्थान' ( जहाँ पर भीतर से आती हुई वायु बाधित होती है ) तथा 'प्रयत्न' ( उत्पन्न की हुई शक्ति ) ।

स्थान की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियाँ

प्राचीन वैसावरणों ने स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजन ध्वनियों को निम्न लिखित पाँच भागों में विभाजित किया है ।

ओष्ध्य— ( हाँठों से उच्चरित ) यथा—प, ब ।

दाय्य— ( दाँतों से उच्चरित ) यथा—त, द ।

मूधन्य— ( मुख के उपरा उच्च भाग, मूर्धा से उच्चरित ) यथा—ट, ड ।

ताल्य्य— ( तालु से उच्चरित ) यथा—च, ज ।

कट्य्य— ( कंठ से उच्चरित ) यथा—क, ग ।

धातुनिक भाषा शास्त्री उपयुक्त पाव स्थाना के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों का भी उल्लेख करते हैं ।

दंतोष्ठ्य—(निचले होंठ एवं ऊपर के दात की सहायता में उच्चरित) यथा—व

वृत्स्य—(ऊपर के दाता के पीछे उभरे हुए कठोर भास वत्स से उच्चरित) यथा—न ।

जिह्वामूलीय—(कंठ के निचले भाग अथवा जीभ के मूल से उच्चरित) यथा—क् ।

स्वरयत्र भ्रुसी—(स्वरयत्र से उच्चरित) यथा—ह ।

प्रयत्न की दृष्टि से हिंदी व्यंजन

प्रयत्न की दृष्टि से हिंदी व्यंजना के निम्नलिखित प्रकार हैं ।

स्पर्श—इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ मुख के भीतर किसी स्थान को स्पृश कर भीतर से आती हुई वायु का पूरा रूप से अवरोध करती है तथा फिर एकत्र हट जाती है । इन ध्वनियों को 'स्काटक' ध्वनिया भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में एक प्रकार का स्फोट होता है । यथा—क, ख, प आदि ।

सघषा—इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ मुख में इतना मकरा भाग बनाती है कि भीतर से आती हुई वायु घषण करती हुई बाहर निकलती है । यथा—स, श ।

स्पर्श सघषा—इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ पहले तो मुख में किसी स्थान को स्पृश करती है (जिससे भीतर से आती हुई वायु का पूरा अवरोध होता है) फिर धीरे धीरे हटती है (जिससे वायु घषण करती हुई बाहर निकलती है) । इस प्रकार इन ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श एवं सघर्ष ध्वनियों का प्रयत्न सम्मिलित है । यथा—घ, छ, ।

नासिक्य—इन ध्वनियों का उच्चारण स्पर्श ध्वनियों जैसा ही होता है, अंतर केवल इतना है कि भीतर से आती हुई वायु केवल मुख से न निकलकर, मुख एवं नासिका से बाहर निकलती है । यथा—म, न ।

पार्श्विक—इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ मुख में मध्य भाग को रोक लेती है इसलिए भीतर से आती हुई वायु जीभ के दोनों ओर से निकल जाती है यथा—ल ।

उल्लिख्य—इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को छूकर, शक से रगड़ खाकर रह जाती है । यथा—ड, ढ ।

प्रक्षयी—इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ मुख के अंदर किसी भाग की क्षीणता से बार-बार छूती है । जिससे ध्वनि क्षीण होकर बाहर निकलती है । यथा—र ।

अध व्यंजन—इनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के मध्य का है, अर्थात् इन ध्वनियों के उच्चारण में वायु तब तो स्वर के समान निर्बाध गति से बाहर निकलती है और न ही व्यंजन के समान बाधित होती है । यथा—य, व ।



## घोषत्व एव प्राणत्व

स्मात् एव प्रयत्ना के अतिरिक्त घोषत्व एव प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजनों का विवेकन किया जाता है। जिन्हीं व्यंजनों के उच्चारण में स्वर-रन्धी की धारें ( ट्टुए व पीउ के भाग में सने हुए त्रिलोकारपट ) शकृत होती हैं, वे सघोष अथवा भाव ध्वनियाँ कहलाती हैं तथा जिन्हीं व्यंजनों के उच्चारण में ये धारें शकृत नहीं होती वे अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। स्वर ध्वनियाँ प्रायः सघोष होती हैं ( हिन्दी व समस्त स्वर सघोष हैं )। हिन्दी में प्रत्येक वग की पहला एव दूसरी ध्वनि ( यथा—क, ख, छ आदि ) अघोष तथा प्रत्येक वग की तीसरी ध्वनियाँ ( ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, आदि ) सघोष हैं।

‘प्राण’ का अर्थ है भीतर से आती हुई वायु जिसके फलस्वरूप ध्वनियों का उच्चारण होता है। जिन व्यंजनों ध्वनियों के उच्चारण में वायु का विशेष दबाव नहीं पड़ता उन्हें ‘अल्प प्राण’ कहते हैं तथा जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की अतिरिक्त फूफ मारनी पड़ती है उन्हें ‘महाप्राण’ कहते हैं। हिन्दी में प्रत्येक वग की दूसरी तथा चौथी ध्वनि ( यथा—ख, घ, ङ आदि ) महाप्राण तथा प्रत्येक वग की तीसरी ध्वनियाँ ( यथा—क, ग, ज, झ आदि ) अल्पप्राण हैं।

## ६ ३ ४ व्यंजन द्वित्व एव सयुक्त व्यंजन

जब सामान्य की अपेक्षा किसी व्यंजन को अधिक समय तक उच्चारित किया जाता है ( एक प्रकार से व्यंजन को दुहरा दिया जाता है ) तब उसे व्यंजन द्वित्व अथवा व्यंजन दीर्घाकरण कहते हैं। यथा—‘पता एव पत्ता’। पहले शब्द में /त/ का साधारण अथवा इकहरा उच्चारण है किन्तु दूसरे शब्द में /त्त/ का दीर्घ अथवा दुहरा उच्चारण है। हिन्दी में व्यंजन द्वित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अर्थ में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। जैसे—‘पता एव पत्ता’ भिन्न अर्थ रखते हैं।

जब भिन्न प्रकार के व्यंजन, स्वर के सिवाय एक साथ प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें सयुक्त व्यंजन कहते हैं। यथा—‘क्या, क्रांति, प्यार, भ्राति’ में क्रमशः क्य, वर, प्य, र् र सयुक्त व्यंजन हैं। सयुक्त व्यंजन अर्थात् व्यंजन-गुच्छ तीन, चार, पाँच व्यंजनों के भी हो सकते हैं। संस्कृत में सयुक्त व्यंजनों की संख्या अधिक थी। संस्कृत में तीन, चार कभी-कभी पाँच व्यंजनों के गुच्छ भी मिल जाते हैं। हिन्दी में प्रायः दो एव तीन व्यंजनों के गुच्छ ही मिलते हैं। तीन व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है ‘स्वास्थ्य’ ( -स + थ + य् ) तथा चार व्यंजन-गुच्छ का उदाहरण है ‘वत्स्य’ ( र + त + स्य + य् )।

हिंदी व्यजनो को तालिकाएँ

नीचे व्यजनों की तालिकाएँ दी जा रही हैं। तालिका—१ में प्राचीन पद्धतियाँ के अनुसार ध्वनियों का दिखाया गया है। तालिका—२ आधुनिक पद्धति पर आधारित है। तालिका—३ में ऐसे ध्वनियों को [ ] कोष्ठक में लिखा गया है जो अभी निश्चित रूप से ध्वनिग्राम नहीं हैं।

तालिका—१ व्यजन, सघ = सघोष, अ = अल्पप्राण, म = महाप्राण।

तालिका—१

प्रयत्न →	स्पर्शा	सघर्षी	नासिक्य	पार्श्विक	प्रकृपी	अधःपतन
स्थान ↓	अ म ज सघ	अ म ज म ज म ज सघ	अ म ज म ज म ज सघ	अ म ज म ज म ज सघ	अ म ज म ज म ज सघ	अ म ज म ज म ज सघ

ओष्ठ्य	प	फ	ब	भ	म	ल
दंत्य	त	थ	द	ध	न	र
मूर्धन्य	ट	ठ	ड	ढ	ण	य
तालव्य	च	छ	ज	झ	ञ	
कण्ठ्य	क	ख	ग	घ	ङ	



## ६४ हिंदी की खड़ेतर ध्वनिया (अथवा अधिखडात्मक अभिलक्षण)

यह पहले ही बताया जा चुका है कि खड़ेतर ध्वनिया स तात्पर्य ऐसा ध्वनियो से है जो क्रमग खंडित नहीं हो सकती, अर्थात् जिनका उच्चारण अथ ध्वनियों के साथ होता है। इसी से ऐसी ध्वनिया का प्रायः ध्वनिया न कहकर 'ध्वनि गुण' या 'ध्वनि का संगीतात्मक गुण' कहा जाता है। इन्हें 'अधिखडात्मक अभिलक्षण' भी कहा जाता है। खड़ेतर ध्वनियो के अलग नासिक्यता मात्रा, अघात, सुर, तान, अंतराल आदि विशेषताया का विवेचन किया जाता है।

### नासिक्यता

नासिक्यता का संबंध स्वरा से है। हिंदी में नासिक्यता महत्वपूर्ण है। हिंदी स्वराओं के विवेचन में नासिक्यता का बर्णन कर दिया गया है।

### मात्रा

'मात्रा' से तात्पर्य ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय से है। हिंदी ध्वनियो में मात्रा महत्वपूर्ण है। इस मात्रा के आधार पर ही स्वरा के ह्रस्व एवं दीर्घ भेद किये गये हैं (हिंदी के ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरा में मात्रा के अतिरिक्त उच्चारण स्थान का भी अंतर है)। इसी मात्रा के आधार पर 'व्यंजन द्वित' की रचना होती है। 'पता' एवं 'पत्ता' शब्दों की अर्थ भिन्नता का कारण 'त' की मात्रा ही तो है। 'पता' की अपेक्षा 'पत्ता' में 'त' का उच्चारण अधिक दीर्घ है।

### आघात

'आघात' (Accent) से तात्पर्य प्रभाव अथवा दबाव से है। यह प्रभाव दो प्रकार का है। एक तो ध्वनि के उच्चारण में लगाया हुआ बल जिसे 'बलाघात' (Stress) कहते हैं, तथा दूसरा ध्वनि—उच्चारण के समय स्वरतंत्री में उत्पन्न कर्ण की गति, जिसे 'स्वराघात' (Pitch accent) कहते हैं।

या तो प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण में कुछ न कुछ बल लगता ही है तथा प्रत्येक सहाय ध्वनि के उच्चारण में स्वराघात होता ही है किंतु आघात तब महत्वपूर्ण कहा जाता है जब उसमें अर्थ-भिन्नता उत्पन्न करने का गुण हो।

हिंदी में ध्वनि के स्तर पर तो आघात का कोई महत्व नहीं है। शब्द के स्तर पर कभी-कभी उसका प्रयोग किया जाता है किंतु उससे अर्थ में कोई

## तालिका—२

प्रयत्न →	रफा	सघर्षी	सशसघर्षी	नासिक्य	पक्षिक	उत्थिस	प्रक्षपी	अर्धं व्यन्त
स्थान ↓	अप सप	अप सप	अप सप	अप सप	अप सप	अप सप	अप सप	अप सप
भौष्ट्य	अ म अ म	अ म अ म	अ म अ म	अ म अ म	अ म अ म	अ म अ म	अ म अ म	अ म अ म
दतोष्ट्य	प फ व म्			म [म्ह]				
दत्य	व् थ द् व्	[फ] [व]						
धर्य		स [ज]						
सूर्धन्य	ट ठ ड ढ			न [न्ह]	ल [ल्ह]		र [रह]	
ताल्य		श	च छ ज्ञ झ	ण [ण्ह]				
कठय	क ख ग घ	[ख] [ग]		[अ]				
जिह्वामूलीय [क]				[ड] [ढह]				
स्वरयवमुली								य

## ६४ हिंदी की खडेतर ध्वनिया (अथवा अधिलडात्मक अभिलक्षण)

यह पहले ही बताया जा चुका है कि खडेतर ध्वनिया स तात्पर्य ऐसी ध्वनिया से है जो क्रमशः सञ्चित नहीं हो सकती अर्थात् जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों के साथ होता है। इसी से ऐसी ध्वनिया को प्रायः ध्वनिया न कहकर 'ध्वनि गुण या ध्वनि का सगीतात्मक गुण' कहा जाता है। इन्हें 'अधिलडात्मक अभिलक्षण' भी कहा जाता है। खडेतर ध्वनिया के अलग-अलग नासिक्यता मात्रा, अघात, सुर, तान, अंतराल आदि विशेषताओं का विवरण किया जाता है।

### नासिक्यता

नासिक्यता का संबंध स्वरा से है। हिंदी में नासिक्यता महत्वपूर्ण है। हिंदी स्वरो के विवरण में नासिक्यता का वर्णन कर दिया गया है।

### मात्रा

मात्रा से तात्पर्य ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय से है। हिंदी ध्वनिया में मात्रा महत्वपूर्ण है। इस मात्रा के आधार पर ही स्वरा के ह्रस्व एवं दीर्घ भेद किये गए हैं (हिंदी के ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरो में मात्रा के अतिरिक्त उच्चारण स्थान का भी अंतर है)। इसी मात्रा के आधार पर 'व्यंजन द्वित' की रचना होती है। 'पता' एवं 'पत्ता' शब्दों की अर्थ भिन्नता का कारण 'त्' की मात्रा ही तो है। 'पता' की अपेक्षा 'पत्ता' में 'त' का उच्चारण अधिक दीर्घ है।

### आघात

'आघात' (Accent) से तात्पर्य प्रभाव अथवा दबाव से है। यह प्रभाव दो प्रकार का है। एक तो ध्वनि के उच्चारण में लगाया हुआ बल जिसे 'बलाघात' (Stress) कहते हैं तथा दूसरा ध्वनि—उच्चारण के समय स्वरतंत्री में उत्पन्न कंपन की गति जिसे स्वराघात (Pitch accent) कहते हैं।

या तो प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण में कुछ न कुछ बल लगता ही है तथा प्रत्येक सघोष ध्वनि के उच्चारण में स्वराघात होता ही है किन्तु आघात तब महत्वपूर्ण कहा जाता है जब उसमें अर्थ भिन्नता उत्पन्न करने का गुण हो।

हिंदी में ध्वनि के स्तर पर तो आघात का कोई महत्व नहीं है। 'त' के स्तर पर कभी-कभी उसका प्रयोग किया जाता है किन्तु उससे अर्थ में कोई

विशेष भिन्नता गही आती। इसीसे कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि हिन्दी में आघात महत्वपूर्ण नहीं है।

### सुर एवं तान

'सुर' ( Pitch ) का संबंध स्वरतंत्री के बचन से है। जब यह बचन तीव्रगति से होता है तो ध्वनि ऊंचे सुर में गुनाई पड़ती है तथा जब यह बचन मंद रहना है तो ध्वनि नीचे सुर में गुनाई पड़ती है। सुरों का महत्व केवल संगीत में ही नहीं है, बचन में भी है। पूरे शब्द अथवा पूरे वाक्य के सुरों के समष्टि रूप को अनुतान ( Intonation ) कहा जाता है। प्रत्येक भाषा में सुर एवं अनुतान का महत्त्व रहता है। जब कोई अहिंदी भाषी हिन्दी बोलता है तब स्वर एवं व्यंजन के सही होने पर सुर एवं अनुतान की भिन्नता के कारण यह समझने में देर नहीं लगती कि वह हिंदी भाषी नहीं है ( अथवादा को छोड़ कर )। हिंदी में भी सुर एवं अनुतान महत्वपूर्ण है ( विशेषकर वाक्य के स्तर पर )। अनुतान के बदल जाने से एक ही वाक्य के भिन्न भिन्न अर्थ निकल सकते हैं।

'मैं घर जाऊंगा

'मैं घर जाऊंगा ?'

उपरोक्त दोनों वाक्यों में स्वर एवं व्यंजन ध्वनियाँ समान हैं किंतु सुर एवं अनुतान के बदल जाने से प्रथम वाक्य का सामान्य बचन दूसरे वाक्य में प्रश्न वाचक या नकारात्मक बन गया है ( पहले वाक्य में घर जाने का स्वीकारात्मक कथन है किंतु दूसरे वाक्य का भाव यह है कि घर जाने की बात पूछी जा रही है अथवा यह कहा जा रहा है कि मैं घर नहीं जाऊंगा )।

'तान' ( Tone ) एक प्रकार से सुर का समानार्थी है। जब किसी शब्द का सुर बदलने से उस शब्द का अर्थ बदल जाय तब उस सुर को प्रायः तान कहा जाता है। हिंदी में तान महत्वपूर्ण नहीं है। पंजाबी में तान महत्वपूर्ण है। जिन भाषाओं में तान महत्वपूर्ण रहती है, उन्हें 'तान भाषाएँ' कहते हैं।

### अंतराल

अंतराल ( Juncture ) से तात्पर्य है उच्चारण के मध्य का मौन अथवा विराम। इसे 'सहिता' अथवा समम भी कहते हैं। अंतराल मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। दो ध्वनियों अथवा अक्षरों के मध्य का अंतराल, दो शब्दों के मध्य का अंतराल तथा वाक्य के अंत का अंतराल। वाक्य के अंत में रहनेवाले अंतराल को प्रायः अंतराल नहीं कहा जाता। दो ध्वनियों के मध्य

इनेवाले सहज अंतराल का 'बंद अंतराल' ( Close Juncture ) कहते हैं ।  
भाषा विलेपण में इस अंतराल को दिखलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।  
उदाहरण के लिए हिंदी के 'काला' एवं 'कान' शब्दों को लिया जा सकता है ।  
दो शब्दों में 'का' —के पश्चात् षोडाश अंतराल पड़ता है । यह बंद अंतराल  
है । वह अंतराल जो अक्षरों की भिन्नता उत्पन्न कर देता है, उसे खुला अंतराल  
( Open Juncture ) कहते हैं । खुला अंतराल ' + ' चिह्न से इंगित किया  
जाता है । जैसे—'दा + दो आना' (= दा आने दा ) । -

'दो दो + आना ।' (= प्रत्येक वस्तु का नाम दो आना ) । अंतराल के स्थान  
परिवर्तित हो जाने के कारण एक ही वाक्य के दो भिन्न अक्षर निकलते हैं ।

उपयुक्त उदाहरण में खुला अंतराल दो शब्दों के मध्य आया है । यहाँ एक  
उदाहरण दिया जा रहा है जहाँ यह अंतराल एक ही शब्द में घटित हुआ है ।  
'कलिका' (= बलो ) ।

कलि + का (= कलियुग का ) ।

## ६ ५ हिंदी ध्वनियों का विकास

भारतीय आद्य भाषाओं के विकास के तीन चरण हैं—प्राचीन भारतीय  
आद्य भाषा ( प्रा भा आ ) काल, मध्यकालीन भारतीय आद्यभाषा ( म भा  
आ ) काल एवं आधुनिक भारतीय आद्य भाषा ( आ भा आ ) काल । हिंदी  
आधुनिक काल की भाषा है, अतः हिंदी ध्वनियों के विकास-क्रम का सूत्र म भा  
आ से होकर प्रा भा आ तक जा पहुँचना है ।

प्रा भा आ की प्रमाणित सामग्री का एक प्रकार से अभाव है, इसलिए  
उस काल की भाषा के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उस काल की साधु भाषा  
अर्थात् संस्कृत का ही उल्लेख किया जाता है ।

यदि प्रा भा आ से आ भा आ तक की इस अवधि में कोई मुख्य  
भाषा परिवर्तन न हुआ होता तो हिंदी की प्रत्येक ध्वनि का विकास अपनी  
समानांतर प्रा भा आ की ध्वनि ( यथा—हिंदी अ < संस्कृत अ ) से ही हुआ  
होता किंतु इस अवधि के बीच अनेक भाषायी परिवर्तन हुए हैं जिनके फलस्वरूप  
प्रत्येक हिंदी ध्वनि के विकास के अनेक स्रोत दिखाई पड़ते हैं ।

हिंदी ध्वनियों के विकास में केवल उही ध्वनियों की चर्चा की गयी है जो  
महत्वपूर्ण ( अर्थात् ध्वनिप्राम ) हैं । अंग्रेजी शब्दों के प्रभाव से आगत स्वर  
ध्वनि 'आ तथा अरबी-फारसी शब्दों के माध्यम से आगत व्यंजन ध्वनिया



‘ब, ष, ष, ञ, फ’ की चर्चा नहीं की गयी है क्योंकि ये ध्वनियाँ अभी तक ध्वनिग्राम नहीं बनी हैं।

## ६ ६ हिन्दी स्वरों का विकास

हिन्दी स्वरा का विकास-सूत्र, मुख्य रूप से मध्य भारतीय आय भाषा ( म भा आ ) के माध्यम से प्राचीन भारतीय आय भाषा ( प्रा भा आ ) से जुड़ा हुआ है। इसलिए हिन्दी स्वरों के विकास-स्रोत की चर्चा से पूर्व प्रा भा आ, म भा आ तथा हिन्दी के स्वरों की सामान्य तुलनात्मक जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

### ६ ६ १ प्रा भा आ , म भा आ एव हिन्दी के स्वर

ऐसा समझा जाना है कि वैदिक भाषा में अ, आ, इ ई, उ ऊ, ऋ, ॠ, ऌ स्वतंत्र स्वर, ए, ओ, ऐ औ सध्यक्षर थे। इसके अतिरिक्त विसर्ग ( ) तथा य, व, का स्वरवत् प्रयोग होता था। संस्कृत तक पहुँचते-पहुँचते लृ का प्रयोग समाप्त हो गया। य, व, का प्रयोग स्वरवत् कम हो गया। ए ओ के उच्चारण में परिवर्तन हो गया एवं उनका स्वरूप स्वतंत्र स्वर-सा बन गया। इस प्रकार संस्कृत में अ आ इ ई उ ऊ ए, ओ ऋ, ॠ स्वतंत्र स्वर तथा ऐ, औ, सध्यक्षर थे। इसके सिवाय विसर्ग का प्रयोग भी होता था।

मध्यकालीन आयभाषाओं पालि प्राकृत में ऋ ॠ का प्रयोग नहीं रहा साथ ही सध्यक्षर ऐ औ भी स्वतंत्र बन कर ए ओ में विकसित हो गये। विसर्ग का प्रयोग भी समाप्त-सा हो गया। मध्यकाल की भाषा में दो नवीन स्वर ध्वनियों का विकास हुआ वे धी ह्रस्व ऐ एव ह्रस्व ‘औ’। इस प्रकार मध्यकाल की आयभाषा ( पालि प्राकृत ) में केवल १० स्वतंत्र स्वर रह गये, जो थे—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ ऐ ए, औ।

जहाँ तक हिन्दी का संबंध है हिन्दी में मध्यकाल की ये समस्त स्वर ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं किन्तु उनमें से ह्रस्व ऐ औ का प्रयोग बोलियों तक ही सीमित है। साधु हिन्दी में यदि उनका उच्चारण हाता भी है तो वह महत्वपूर्ण अर्थात् ध्वरिप्रामिक नहीं है। इसी से देवनागरी में इन ह्रस्व ध्वनियों को इंगित करने के लिए लिपि चिह्न भी नहीं है। हिन्दी में इन स्वर ध्वनियों के अतिरिक्त ‘ऐ, औ सध्यक्ष स्वर ध्वनियों का विकास हुआ है ( इन ध्वनियों का उच्चारण भी अब प्रायः स्वतंत्र ध्वनियों के समान होता है )। इस प्रकार साधु हिन्दी में

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ स्वर ध्वनियां हैं, जो सब की सब स्वतंत्र स्वर ध्वनिया हैं। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग स्वरवत् नहीं रहा।

स्वर-सयोगों की दृष्टि से देखा जाय तो सस्कृत में उनका अभाव-सा है। मध्यकाल की भाषाओं—पालि प्राकृत में स्वर-सयोग बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। हिंदी तक आते-आते इनकी संख्या कुछ कम हुई है, फिर भी हिंदी में स्वर-सयोग पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं।

## ६ ६ २ स्वरों के विकास की सामान्य प्रवृत्तिया

हिंदी स्वरों की प्रा भा आ (अथवा सस्कृत) के स्वरों से तुलना करने पर उनके परिवर्तन की निम्नलिखित सामान्य प्रवृत्तिया दृष्टिगोचर होती हैं।

### (क) स्वरों का सुरक्षित रहना

प्रा भा आ के एकल या स्वतंत्र स्वर अ, इ, उ, हिंदी में भी सुरक्षित रहे हैं।

### (ख) उच्चारण में परिवर्तन

सस्कृत में अ आ, इ ई, उ ऊ, स्वर युग्मों में केवल मात्रा (ह्रस्व एव दीर्घ) का ही अंतर था किन्तु हिंदी में इनके मध्य, उच्चारण-स्थान का अंतर भी आ गया है। 'अ' हिंदी में मध्य एव अर्ध-विवृत है किन्तु 'आ' पञ्च एव विवृत है।

उच्चारण की दृष्टि से सब से बड़ा अंतर सघ्यक्षर या सयुक्त स्वरों में हुआ है। पाणिनी ने ए, ओ, ऐ, औ, को सघ्यक्षर माना है किन्तु हिंदी ए, ओ का उच्चारण एकल अथवा स्वतंत्र स्वर सा होता है। सस्कृत में इनका उच्चारण 'आइ', 'आउ' जसा था। वैसे ही सस्कृत में ऐ, औ, का उच्चारण क्रमशः 'आइ', 'आउ' होता था किन्तु हिंदी में इनका उच्चारण अइ, 'अउ' के समान होता है (हिंदी में तो ये स्वर भी स्वतंत्र हो चले हैं)।

### (ग) वितरण में परिवर्तन

सस्कृत में स्वर-सयोग न के बराबर थे अर्थात् बिना व्यंजन के स्वर एक साथ प्रयुक्त नहीं होने थे किन्तु हिंदी में स्वर-सयोगों की अच्छी संख्या है।

### (घ) स्वर लोप

सस्कृत में ऋ, ॠ, ॡ का स्वरों के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। यों ॡ का प्रयोग तो सस्कृत में भी सीमित था। हिंदी में ॡ का तो प्रयोग ही नहीं

होता, ऋ का प्रयोग भी स्वर के समान नहीं होता। उसका उच्चारण 'रि' के समान होता है जो पूरा अक्षर है ( र + इ )। इसके दीर्घ रूप ऋ का प्रयोग हिंदी में नहीं होता।

### ६ ६ ३ स्वरो का विकास-स्रोत

नीचे हिंदी स्वरों का विकास दिखाया जा रहा है। विकास क्रम को दशानि के लिए हिंदी स्वरों को लिखकर उनके सामने ससृष्ट की स्रोत ध्वनियों का निर्देश कर दिया गया है। उदाहरण में मध्यकाल की भाषा का संकेत कर विकास के तीनों चरणों ( प्राचीन काल, मध्य काल एवं आधुनिक काल ) को प्रस्तुत किया गया है। ' < ' चिह्न विकास की दिशा का निर्देश करता है।

#### उदाहरण

हिंदी स्थर	ससृष्ट स्रोत ध्वनिया	हिंदी	म	भा	भा	प्रा	भा	आ
	अ	गदही, गधी	<गद्ही			<गदभी		
	आ	अहीर	<अहीर			<आभीर		
	इ	बहेडा	<बहेडअ			<बिभीतक		
	ई	परख	<परिखला			<परीला		
अ	<उ	अगर	<अगह			<अगुह		
	ऊ	जत्या				<यूथ + क		
	ए	अरठ	<एरठ			<एरठ		
	ओ	सहजन ( एक पेड )				<शोभाजन		
	ऋ	बडा	<बडअ			<वृतक		
	आ	साग	<साग			<साक		
	अ	चका	<चक्क			<चक		
आ	<अ + क	घोडा	<घोडअ			<घोटक		
	ऋ	नाच	<णच्च			<नृत्य		
	इ	गामिन	<गामिनी			<गमिणी		
	अ	पिजरा	<पजर			<पजुर		
इ	<ई	न्या	<दिअऊ			<दीपक		
	ऋ	मिट्टी	<मिट्टिआ			<मृत्तिका		

उदाहरण

हिंदी स्वर	संस्कृत स्रोत ध्वनिया	हिंदी	म	भा	आ	प्रा	भा	आ
ई	ई	तीखा	<	ति	क्व	<	ती	क्षण
	इ	इख	<	इ	क्व	<	ई	क्षु
	< इवा	होली	<	हो	लिआ	<	हो	लिका
	ऋ	पीठ	<	पि	ठु	<	प	ष्ठ
ऋ	उ	कडुअ	<	कडु	अ	<	कटु	क
	ऊ	जूअ	<	जू	अ	<	जू	त
	< अ	पूछ	<	पू	छ	<	प	श्च
	इ	बुरा	<	बु	अ	<	वि	रुप
	ऋ	बुद्धा	<	बु	ठ	<	व	द्ध
ऊ	ऊ	ऊसर	<	ऊ	सर	<	ऊ	पर
	उ	ऊट	<	उ	ट	<	उ	ट्ट
	-उक	भालू	<	भ	लूअ	<	भ	लुक
	< क	बिच्छू	<	बि	च्छू	<	बि	श्चिक
	औ	पूस	<	पू	स	<	पू	ष
ऋ	पूछ	<	पू	च्छ	<	पू	च्छ	
ए	ए	भाग	<	अ	गो	<	अ	ग्रे
	अ	सेज	<	स	ज्जा	<	श	य्या
	< इ	छद	<	छि	द्द	<	छि	द्र
	ऐ	तेल	<	ते	ल	<	ते	ल
औ	औ	बौठ, हौठ	<	बो	ठ	<	बो	ष्ठ
	उ	पोखर	<	पु	खर	<	पु	क्कर
	< ऊ	मोल	<	मो	ल	<	मू	ल्य
	अ	चौच	<	च	चु	<	च	ञ्चु
	औ	मोती	<	मो	तिअ	<	मौ	त्तिक

## ६ ६ ४ सयुक्त स्वरो का विकास

सयुक्त स्वरो अथवा सध्यक्षरों 'ऐ, औ' के सबंध में यह पहले ही कहा जा चुका है कि म भा आ में ये स्वर ध्वनिया सध्यक्षर नहीं थी। आधुनिक काल में फिर ये ध्वनिया सध्यक्षरों के रूप में विकसित हुई है इस कारण इन ध्वनियों का संस्कृत ( प्रा भा आ ) से सीधा संपक नहीं है। इन ध्वनिया का संपक मुख्य रूप से संस्कृत की अइ ( अय ) तथा अउ ( अव ) ध्वनियों से है। यथा—संस्कृत प्रविष्ट > पड्डु > पैठ।

संस्कृत चतुष्क > चतक्क > चौक।

## ६ ६ ५ अनुनासिक स्वरो का विकास

प्रा भा आ में अनुनासिक स्वरो के उदाहरण मिल जाते हैं। ( यथा कास्य ) किंतु एक तो ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, दूसरा, उनका प्रयोग अप्सर्शो ध्वनियों ( य, र, ल, ध, स, ण आदि ) के पूर्व ही मिलता है। म भा आ तथा आ भा आ में क्रमशः स्वरा की अनुनासिकता बढ़ गई है।

हिंदी में प्रयुक्त अनुनासिक स्वरो के विकास के अनेक स्रोत दृष्टिगोचर होते हैं जो इस प्रकार हैं।

( क ) प्रा भा आ के अनुनासिक स्वरो का सुरक्षित होना। यथा—संस्कृत का कास्य > हिंदी कांसा।

( ख ) प्रा भा आ के जिन शब्दों में मौखिक व्यंजन के पीछे नासिक्य व्यंजन पाया जाता है वहां हिंदी में अनुनासिक स्वर हो गया। यथा—संस्कृत पञ्च > हिंदी पाच, संस्कृत दत्त > हिंदी दात।

( ग ) नासिक्य व्यंजन की उपस्थिति मात्र से उत्पन्न सहज अनुनासिकता के उदाहरण भी मिलते हैं। यथा—संस्कृत महाप > हिंदी महगा।

( घ ) कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां अनुनासिकता के लिए उपयुक्त कारण उपलब्ध नहीं हैं। यथा—हिंदी साप < संस्कृत सप, हिंदी आस < संस्कृत आसि। ऐसी अनुनासिकता को स्वतः अनुनासिकता कहा जाता है। स्वतः अनुनासिकता के कारणों का भी विवेचन किया गया है। इन कारणों के सबंध में विद्वान एक मत नहीं हैं। कुछ विद्वान इसे बालीगत प्रभाव मानते हैं, कुछ अ-य विद्वानों के विचार से स्वरो के ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ होने के

रण अनुनासिकता उत्पन्न हुई। कुछ विद्वानों का ऐसा भी विचार है कि स्वतः अनुनासिकता व्यंजन की क्षतिपूर्ति के कारण उत्पन्न हुई है जो क्षति समुक्त व्यंजनों की समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई।

## ६ ७ हिंदी व्यंजनों का विकास

स्वरों के समान ही हिंदी व्यंजनों का विकास-सूत्र अतः में प्राचीन भारतीय भाषा भाषा से ही जाकर जुड़ता है। इसलिए हिंदी व्यंजनों का विवेचन करने से पूर्व यहाँ प्रा भा आ, म भा आ तथा हिंदी व्यंजनों का सन्निहित तुलनात्मक परिवर्तन दिया जा रहा है।

## ६ ७ १ प्रा भा आ , म भा आ एव हिंदी को व्यंजन ध्वनिया

महत्वपूर्ण व्यंजन ध्वनियों ( अर्थात् ध्वनिप्रामा ) की दृष्टि से प्रा भा आ एव हिंदी में बहुत कम अंतर है।

यदि प्रा भा आ में तीन ऐसी ध्वनियाँ थीं जिनका प्रयोग संस्कृत तक पहुँचते पहुँचते समाप्त हो गया था। ये ध्वनियाँ थीं उदात्त ङ जिह्वामूलीय ङ क एव उपध्मानीय ङ प। प्रा भा आ की ध्वनि 'प' मध्यकाल तक लुप्त हो गयी थी। 'स' एव 'स' का प्रयोग भी एक ही भाषा रूप में नहीं मिलता है, अर्थात् मध्यकाल के पश्चिमी भाषा रूप में 'स' एव पूर्वी भाषा रूप में 'स' की प्रधानता थी। मध्यकाल में और कुछ ध्वनि भेद रहे होंगे किंतु लिपि-बद्ध 'न' होने के कारण उनके सबंध में कुछ कहना संभव नहीं है।

हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से मूध 'प' का प्रयोग नहीं होता। 'स' एव 'श' साथ ही हिंदी में महत्वपूर्ण ध्वनियाँ हैं। 'र, द' पहले 'ड' एव 'ड' के अंतर्गत गिनी जानेवाली उनकी सध्वनियाँ थीं किंतु आज-कल हिंदी में इनका प्रयोग स्वतंत्र ध्वनियाँ के रूप में होता है। हिंदी की नवीन ध्वनियों के रूप में ङ, ग, घ, ङ, फ ध्वनियों का उल्लेख किया जा सकता है जो फारसी-अरबी के माध्यम से हिंदी में प्रविष्ट हुई हैं तथा हिंदी में स्थान पाने की प्रक्रिया में स गुजर रही हैं।

सोप व्यंजन ध्वनियाँ प्रा भा आ , म भा आ तथा हिंदी में समान हैं।

वर्गीय स्था ध्वनियों ( क, ख, ग, घ ङ ) का उच्चारण स्थान पहले ङ था। आज-कल हिंदी में इनका उच्चारण कुछ भागों के स्थान से होता है।

इस कारण कुछ विद्वान अब उन्हें कठघ कहुने की अपेक्षा कोमल तालम्य कहना अधिक उचित समझते हैं ।

चवर्गीय ध्वनिया ( च, छ, ज, झ, ञ ) भारोपीय भाषा के कवर्गीय ध्वनियो से ही विकसित हुई हैं । ये ध्वनिया गुद्ध स्पर्शो न होकर स्पश सघर्षी ध्वनिया हैं ।

टवर्गीय ध्वनियो ( ट, ठ, ड, ढ, ण ) का भारोपीय तथा मूल भारत-ईरानी भाषा में अभाव है । आर्यों की भाषा में इन ध्वनियो का विकास भारत आने के पश्चात् हुआ है । इस कारण इन ध्वनियो के विकास में आर्योतर ( द्रविड आदि ) तत्वो का योग माना जाता है ।

तवर्गीय ध्वनियो ( त, थ, द, ध, न ) के उच्चारण स्थान में भी थोडा परिवर्तन हो गया है । पहले ये ध्वनिया पूण रूप से दरय थी, अब इनका उच्चारण वत्स के निकट हाता है ।

पवर्गीय ध्वनियो ( प, फ, ब, भ, म ) में कोई विशेष अंतर नही हुआ है ।

अतस्थ ध्वनिया ( य, व ) प्रा भा आ में स्वरधत भी प्रयुक्त होती थी । हिंदी में ये स्वरो की अपेक्षा व्यजन अधिक है । 'ल' का उच्चारण पहले सभवत दत्य या आजकल हिंदी में 'ल' का उच्चारण स्थान वत्स है । 'र' मूधय ध्वनि रही है ।

रुम्य ध्वनियो ( ण, ष, स ) म से 'प' का प्रयोग आधुनिक हिंदी में नही होता ।

सभवत ह के दो उच्चारण थे—अघोप एव सघोप । हिंदी में इसका केवल सघोप रूप ही रह गया है ।

## ६ ७ २ व्यजनो के विकास की सामान्य प्रवृत्तिया

नीचे व्यजन परिवर्तन की उन मुख्य प्रवृत्तियो का उल्लेख किया जाना है जो प्रवृत्तिया प्राचीन काल से आधुनिक काल की अवधि क मध्य दृष्टिगोचर होती हैं ।

### ( क ) अल्पप्राण व्यजन लोप

इस प्रवृत्ति क कारण स्वर मध्यम अल्प प्राण व्यजन का प्राय हास हो जाता है । मया—कुम्भवार > कुम्भवार > कुम्हार, पाद > पाउ > पांव ।

### ( स ) महाप्राण व्यंजनो का 'ह' में परिवर्तन

इस प्रवृत्ति के अनुसार स्वर मध्यम महाप्राण व्यंजन ध्वनियों का 'ह' में परिवर्तन हा जाता है ( कुछ महाप्राण ठ, छ आदि को छोड़कर ) । यथा—  
दवि > दही मुख > मुह > मुह । वास्तव में यह प्रवृत्ति प्रथम प्रवृत्ति के ही समान है । प्रथम प्रवृत्ति में अल्पप्राण व्यंजन का लोप हो जाता है, दूसरी प्रवृत्ति में महाप्राण व्यंजन का केवल महाप्राणत्व ( ह ) रह जाता है, शेष अल्पप्राण व्यंजन लुप्त हो जाता है ।

### ( ग ) प्राणत्व में परिवर्तन

इस प्रवृत्ति के कारण महाप्राण व्यंजन ध्वनि अल्पप्राण बन जाती है ( विशेष कर पश्चिमी भाषा रूप में ) । यथा—भगिनी > बहन ।

अल्पप्राण से महाप्राण करने की प्रवृत्ति के उदाहरण भी मिलते हैं ( विशेष कर पूर्वी भाषा रूप में ) । यथा—क्रीडा > खेल, बैप > बैस > भैस ।

### ( घ ) घोषीकरण

इस प्रवृत्ति के कारण कुछ विशेष स्थितियों में अघोष व्यंजन ध्वनियों को सघोष कर दिया जाता है । यथा—ककण > कगन, काक > काग

### ( ङ ) समीकरण एवं दीर्घीकरण

यह प्रवृत्ति संभवतः व्यंजन परिवर्तन की सबसे अधिक प्रभावशाली प्रवृत्ति सिद्ध हुई है । इस प्रवृत्ति के कारण प्राचीन भाषा के समुक्त व्यंजन मध्यकाल में परिवर्तित होकर द्वित व्यंजन में बदल गये और फिर आधुनिककाल तक आते आते द्वित व्यंजन एकल व्यंजन में परिवर्तित हो गये । इस परिवर्तन का साथ ही एक परिवर्तन और भी हुआ । द्वित व्यंजन से एकल व्यंजन हो जाने के कारण जिस ध्वनि ( व्यंजन ) की सृष्टि हुई उसकी पूर्ति द्वित व्यंजन के पूर्व के ह्रस्व स्वर के दीर्घीकरण से हो गयी । यथा—चक्र > चक्क > चाक कर्म > कम्म > काम ।

### ( स ) अय परिवर्तन

उपरोक्त मुख्य परिवर्तनों के अतिरिक्त परिवर्तनों की कुछ अय प्रवृत्तियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं । जस—य का 'ज' में परिवर्तन, 'ध, प' का 'स' में परिवर्तन ध्वनियाँ का मूध-घोषीकरण ( ऋ र के प्रभाव से तवग की ध्वनियों का टवर्गी बन जाना ) यथा—भूट > भट, दाह > टाह स्वरभक्ति ( समुक्त व्यंजन



के मध्य स्वर का आरोप करना । यथा—आथय > आसय, स्नेह > सनेह ) । इसके अतिरिक्त व्यजन ध्वनियों के उच्चारण के स्थान एव प्रयत्न में भी पर्याप्त परिवर्तन हो गया है ।

### ६ ७ ३ व्यजनों का विकास-स्रोत

नीचे हिंदी व्यजनों के विकास को दर्शाया गया है । व्यजनों के विकास में 'स्थान' का भी महत्व है । इसलिए विकास दिशाते समय स्थान का भी संकेत कर दिया गया है । यह संकेत पंजी एकीर के द्वारा किया गया है । यथा—'क'— अर्थात् शब्द के आरंभ में प्रयुक्त 'क', —क— शब्द मध्यग एव '—क' शब्दांत प्रयोग को सूचित करते हैं ।

#### उदाहरण

हिंदी व्यजन	संस्कृत स्रोत ध्वनिया	हिंदी	म	मा	आ	प्रा	भा	आ
क—	क	काठ	< कट्ट	< काष्ठ				
	स्क	कषा	< कषअ	< स्कथ				
	क़	कोस	< कोम	< कोण				
	क्व	काढा	< काठअ	< क्वाधन				
—क—	क	इक्कीस	< एक्कीसअ	< एकविंशति				
	फ	ककड	< कक्कर	< क्वर				
	फ़	चक्का	< चक्कअ	< चक्क				
	क्क	चिकना	< चिकण	< चिकण				
	क्व	पना	< पक्ठ	< पक्क				
—कू	क	गाहक	< गाहक	< ग्राहक				
	क्व	चीव	< चठक्क	< चतुक्क				
	क्य	मानिक	< माणिक	< माणिक				
	क़	चाक	< चक्क	< चक्क				
	क्	आक	< अक्क	< अक्क				
	क्व	भूक	< भूक्क	< भूक्क				
ख—	ख	खाट	< खट्टा, खट्ट	< खटवा				
	ख	खेप	< खैप	< खैप				

हिंदी	संस्कृत स्रात ध्वनिया	हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
	स्क्	खभा	<खभ	<स्क्भ
-ख-	ख	खसखस	<खसखस	<खसखस
	ख्य	बखान	<बखान	<व्याख्या
	इण्	तोखा	<तिक्ख	<तीक्ष्ण
	क्व	सूखा	<सुक्ख	<शुष्क
-ख्	ख्	दुख	<दुक्ख	<दुःख
	क्ष	आख	<अक्ख	<अक्षि
ग-	ग्	गहरा	<गहिर	<गम्भीर
	ग्र	गाव	<गाम	<ग्राम
	क	गेंद	<गेंदुअ	<कदुक
-ग-	ग	अगर	<अगरु	<अगुरु
	ल्ग	फागुन	<फरगुण	<फाल्गुन
	ग	गागर	<गगर	<गगर
	ग्र	आगे	<अगे	<अग्ने
-ग'	ग्	सीग	<सिग	<श्रुग
	क	लोग	<लोग	<लोक
	ग्न	आग	<अग्नि	<अग्नि
	ग्य	सोहाग	<सोहग	<सौभाग्य
घ-	घ्	घडा	<घडअ	<घट
	ग (+ ह)	घर	<घर	<गृह
	घ्र	घानी	<घाबिआ	<घ्राणिका
-घ-	दघ	उघाटना	<उग्घाड	<उदघाट
	घ्र	बाघिन	<बग्घिनी	<व्याघ्रिणी
	ग्र (+ ह)	बीघा	<विग्गह	<विग्रह
-घ	घ	जाघ	<जघ	<जघा
	घ्र	बाघ	<बग्घ	<व्याघ्र
च-	च्	चैत	<चइत्त	<चत्र
-च-	च	अच्छा	<अच्छअ	<अच्छक

हिंदी	संस्कृत स्रोत ध्वनिया	हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
	ष्	आठ	<अट्ट	<अष्ट
	ष्ठ	काठ	<कट्ट	<काष्ठ
	थ ( रके समीप )	गाठि ( गाठ )	<गठि	<प्रथि
ठ—	ठ	डाइन	<डाइणि	<डाकिनी
	द्	डोरा	<डोरअ	<दोरक
		डोली	<डोलिया	<दोलिका
-ठ-	ड	अडा	<अण्डअ	<अण्डक
	स्यु	हड्डी	<हट्टिया	<अस्थिका
—ड		माड		<मड
-ड-	ड	पीडा	<पीडा	<पीडा
	ट	बाढी	<बाढिआ	<बाटिका
	ष्	अडतीस	<अट्टतीसा	<अष्टत्रिंशत्
	द्	सडधी	<मडसिया	<सदसिका
	त	पडोस	<पडोस	<प्रतिवेश
	र	पडाडा		<प्रस्वारण
—ड	ड	गदह	<गदह	<गदह
	ट	बड	<बड	<बट
	र	बडह	<बडरह	<बडर
ठ—	द्	डाल		<डाल
	पु	डीठ	<डिट्ट	<पुट
	(घ र के)	डाल		<पार
-ड-	द्	गाडा	<गाड	<गाड
	द्	पडना	<पडन	<पडन
	द्	गड्डी	<गडिआ	<गडिआ
—ड	द्	गुड	<गुड	<गुड
	द्	पड	<पड	<पड
	ष्	हुड	<हुडह	<हुष्प

ड, ङ ध्वनियों का प्रयोग में नहीं आता ।

हिंदी	संस्कृत स्रोत ध्वनिया	हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
	ष्	कोड	<कोडड	<कुष्ट
व—	त	ताला	<तालभ	<तालक
	थ	तेईस	<तेबीस	<त्रयोविंशति
-त-	त	सोता	<सोत्तअ	<स्रोतक
	थ	चोता	<चित्तअ	<चित्रक
	त्	तोतर	<तित्तर	<तित्तिर
	क्त	भोती	<मोत्तिअ	<मौत्तिक
	स	सत्तर	<सत्तरि	<सप्तति
—त	त	दात	<दन्त	<दन्त
	थ	खेत	<खेत्त	<क्षेत्र
	त्	भीन्	<भित्त	<भित्ति
	क्	पात	<पति	<पक्ति
	स	सात	<सत्त	<सप्त
थ—	थ	थाली	<थाली	<थाली
	स्थ	थान	<थाण	<स्थान
	स्त	थन	<थण	<स्तन
-थ-	थ	कथन		<कथन
	स्त	माथा	<मत्थअ	<मस्तक
	त्थ्	मथनी	<मत्थणिआ	<मत्थनिका
—थ	थ	पथ्		<पथ
	थ्	चौथ	<चउत्थि	<चतुर्थी
	स्त्	हाथ	<हृत्थ	<हृत्न
द—	द	दुबला	<दु-बल	<दुबल
	द	दोना	<दापण	<द्रोणक
-द-	द	आदर		<आदर
	द	कोदा	<कोद्द	<कोद्रव
	द	चौदह	<चउद्द	<चतुदश

हिंदो	संस्कृत	हिन्दो	प्रा भा भा ,	म भा भा ,
	स्रोत ध्वनिया			
—इ	इ	वूद	< बिदु	< बिदु
	इ	चाद	< चद	< चद्र
घ—	घ	घान्	< घण्ण	< धाय
—घ—	घ	इघन	< इघण	< इघन
	झ	आघा	< अढअ	< अढक
	झ	गघा	< गद्दह	< गदभ
—घ	घृ	बघृ		< वघ
	घ्र	गीघ	< गिद्ध	< गुघ्र
प—	प	पारा	< पारअ	< पारद
	प्र	पहेली	< पहेलिआ	< प्रहेलिका
	स्प	परस		< स्पस
—प—	पू	सपना		< स्त्रप्न
	पै	कपूर	< कप्पूर	< कपूर
	त्प	उपज	< उप्पज	< उत्पघ
	प्प	पीपल	< पिप्पल	< पिप्पल
—प	पू	रूप		< रूप
	प	सूप	< सुप्प	< धाप
	प्प	भाप		< धाप्प
	प्र	बाप	< बप्प	< बप्र
फ—	फ	फागुन	< फागुण	< फागुन
	फ्फ	फोडा	< फोडअ	< स्फाटक
	फ	फरसा	< फरसु	< परगु
—फ—	फ	सफल		< सफल
ब—	ब	बाघ		< बघृ
	ब्र	बाम्हन्	< बाम्हण	< ब्राह्मण
	वू	बड़	< बडड	< बघ

उदाहरण

हिंदी	संस्कृत	हिंदी	म	भा	आ	प्रा	भा	आ
	स्रोत	ध्वनिया						
	व्यु	बाघ	<	वग्घ		<	व्याघ्र	
	प्	बठ	<	बइठ्ठ		<	उपविष्ट	
	भ	बहिन	<	बहिणि		<	भगिनि	
	प्र	बहुत	<	बहुत्त		<	प्रभूत	
-व-	व	कम्बल	<	कम्बल		<	कम्बल	
	प्र	तावा	<	तम्म		<	ताम्र	
	भ	अबरक	<	अभय		<	अभ्रक	
	द्व	उबटन				<	उद्वत्तन	
-व	व	कदम्ब	<	कदम्		<	कदम्ब	
	व	सब	<	सब्ब		<	सव	
म-	भ	भीख	<	भिवखा		<	भिक्षा	
	भ्र	भवरा (मौरा)	<	भवरज		<	भ्रमर	
	व	भेस	<	भेस		<	वेप	
	म	भस	<	महिस		<	महिष	
	व	भूक	<	भुवक		<	बुवक	
-भ-	भ	आभूषण				<	आभूषण	
-म्	भ	लाभ				<	लाभ	
	ह्व	जीभ	<	जिभा		<	जिह्वा	
ड		यह ध्वनि प्रा भा आ तथा संस्कृत में क्वग व व्यंजनों के पूर्व ही प्रयुक्त होती थी। शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता था। हिंदी में भी इस ध्वनि की यही स्थिति है।						
-ड-	ड	कगाल	<	ककाल		<	कङ्काल	
ज		ज की स्थिति ड के समान ही थी अर्थात् यह ध्वनि केवल चर्वाय व्यंजनों के पूर्व ही आती थी, शब्द के आदि या अंत में नहीं। हिंदी में भी इसका प्रयोग ऐसे ही होता है।						
-ज-	ज	<	जचल	<	जचल	<	जञ्जल	

ण यह ध्वनि सस्वृत या प्रा भा आ में दाङ्गरम में नहा जाती था, अन्यत्र कही भी उसके प्रयोग पर प्रतिवध नहीं था। हिंदी में मध्य तथा अंत में इस ध्वनि का कही भी प्रयोग हो सकता है।

-ण-	ण	अगणित	<अगणित	<अगणित
—ण	ण्	गुण	<गुण	<गुण
न—	न्	नौ	<णव	<नव
	स्न्	नह	<णह	<रनेह
-न—	न्	पानी	<पाणित	<पानीम
	ण	चना	<चणअ	<चणव
	ण	सोना	<सोण्य	<स्वण
	श्न्	अनाज्	<अणज्ज	<असाद्य
—न्	न्	लहसुन	<लसुण	<लगुन
	न्	सुन्द	<सुण्य	<दूम
	ण	कान	<कण्य	<कण
	ण	सन्	<सण	<क्षण
म—	म	मक्खी	<मक्खिआ	<मक्षिका
	म	मक्खन	<मक्खण	<मक्षण
	म	मसान	<मसाण	<मसाण
-म-	म्	मामा	<मामिआ	<मामिका
	म	चमडा	<चम्म + डा	<चम
—म	म	नाम	<नाम	<नाम
	म	काम	<काम	<काम
	म्	नीम	<णिम्म	<निम्ब
	म्	बालम	बल्लम	<बल्लम
य—	य	याजना		<योजना
	य	य	<एइ	<एन
-य-	य	प्रयत्न	<पयत्त	<प्रयत्न
—य	य्	समय		<समय
	इ	गाम	<गाइ	<गाविका
वृ—	वृ	बहु	<बहुअ	<बधु

उदाहरण

हिंदी	संस्कृत	हिंदी	म	भा	आ	प्रा	भा	आ
	स्रोत ध्वनियाँ							
—व—	व	सावन	<	सावण	<	श्रावण		
	प	पूवा	<	पवत्र	<	पूपक		
	म	सावला	<	सावलअ	<	श्यामलक		
—व	व	अभिनव	<	अभिगव	<	अभिनव		
	म	गाम	<	गाम	<	ग्राम		
	प	ताव	<	ताव	<	ताप		
र—	र	राज	<	रउज	<	राज्य		
	ऋ	राछ	<	रिच्छ	<	ऋक्ष		
—र—	रू	गरु	<	गेरुअ	<	गरिव		
	ऋ	घरनी	<	घरणा	<	गृहिणी		
	द्	ग्यारह	<	एगारह	<	एकादश		
	ल	पूरा	<	पूर्विरा	<	पूर्वालिका		
—र	र	ऊसर	<	उत्सर	<	ऊपर		
	त	सत्तर	<	सत्तरि	<	सप्तति		
	ऋ	पीहर	<		<	पितृगृह		
ल—	ल	लाख	<	लवख	<	लक्ष		
—ल—	ल	हाली	<	होलिया	<	होलिका		
	ल्ल	भालू	<	भल्लुअ	<	भल्लुव		
	ल्	हल्दी	<	हलिदी	<	हरिदी		
	ध	पलग	<	पल्लग	<	पर्यङ्क		
	ड	सालह	<	सोडस	<	पाडस		
	त	अलसी	<	अलसी	<	अतसी		
—ल्ल	ल्ल	साल	<	साल	<	शाल		
	ल्ल	गाल	<	गल्ल	<	गल्ल		
	ल्ल्य	कल	<	बल्ल	<	कल्य		
	ल्ल्व	बेल	<	बेल्ल	<	बिल्व		
ण—	श	गिम्मा	<	सिक्वा	<	गिप्सा		



## उदाहरण

हिंदी	संस्कृत	हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
	सोढ ध्वनिमा			
	प्	पढ्यत्र (राट्यत्र)		< पढ्यत्र
-रा-	राप्	आगा	< आसा	< आगा
	प्	गोषण (गौराण)	< सासण	< गावण
-रा	राप्	नाग	< नास	< नाग
	प	दाप (दो१)		< दोप
स-	सप्	सुष	< सच्च	< सत्य
	राप्	साढी	< साडिआ	< गाटिका
	ध्र	सेठ	< सेट्टि	< धेष्ठि
	द्वप्	सांवा	< सावअ	< द्यामव
	द्वप्	सांस	< सास	< वाम
	शृप्	सीग्	< सिग्	< शृग
	प्	साड	< सड	< पड
-स-	सप्	आसनी	< आसदी	< आसदी
	स्य्	वास	< वासअ	< वास्य
	राप्	दसन	< दसन	< दशन
	प्	उसर	< उसर	< ऊपर
-स-	सप्	सांस	< सास	< द्यास
	स्य्	किस	< किस्स	< कस्य
	राप्	दस	< दस	< दश
	ध्र	आस	< अस्स	< अधि
	व्यप्	ओस	< ओस्सा	< अवस्या
	प्	वरस	< वरिस	< वप
ह-	ह्रप्	हापी	< ह्रिपि	< ह्रितिन
	घ्र्	हेठा	< ह्रुठा	< अघस्ता त
-ह-	ह्र्	पहर	< पहर	< प्रहर
	ख	अहेर	< आहेड	< आलेट
	घ्र्	रहट्	< रहट्ट	< अरघट्ट
	श्	कहना	< कहण	< कथन -

उदाहरण

हिंदी	संस्कृत	हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
	स्रोत ध्वनिया			
	घ	दही	<दहि	<दधि
	म्	अहीर	<अहीर	<आभीर
	ग्	केहरा	<केसरी	<केशरी
	स्	इतहत्तर	<एकहत्तरि	<एकससति
	स्त	पहाड	<पासाण	<प्रस्तारक
—ह्	ह्	दाह	<दाह	<दाह
	ख्	मुह	<मुह	<मुख
	घ्	मेह	<मेह	<मेघ
	ध्	कह	<कह	<कध्
	श्	पोलह	<साडम	<पोडश

### ६ ७ ४ खडेटर ध्वनियो का विकास

नासिक्यता का सबध स्वरों से है। अत अनुनासिक स्वरों के विकास सबधी विवेचन में नासिक्यता का विकास भी निहित है।

अतराल का उपयोग प्रत्येक भाषा में होता है। इसलिए हिंदी में प्रयुक्त अतराल की चर्चा के लिए परपरा का विश्लेषण अनिवाय नहीं है। अत खडेटर ध्वनियों अथवा खडेटर लक्षणों में आघात ही शेष रहता है जिसके विकास का विवेचन अपेक्षित है।

ऐसा समझा जाता है कि वैदिक भाषा में स्वराघात महत्वपूर्ण था, बलाघात नहीं। स्वराघात के तीन भेद थे—'उदात्त' ( जिसमें स्वर ऊंचा रहता था ) 'अनुदात्त' ( जिसमें स्वर नीचे रहता था ) एवं 'स्वरित' ( जो समवत उदात्त एवं अनुदात्त के मध्य की स्थिति थी )।

संस्कृत काल से स्वराघात का ह्रास एवं बलाघात का विकास आरंभ होता है। संस्कृत में केवल बलाघात का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। पालि प्राकृत में स्वराघात के कुछ अवशेष दिखाई पड़ते हैं किंतु अपभ्रंस तक पहुँचते-पहुँचते स्वराघात का प्रयोग समाप्त हो जाता है तथा बलाघात विकसित हो जाता है।

आधुनिक आयभाषाओं के सबध में विद्वान एक मत नहीं है। हिंदी में स्वराघात अथवा बलाघात का निश्चित एवं महत्वपूर्ण प्रयोग दिखाई नहीं पड़ता।

## स्मरण-संकेत

- १ १ 'हिन्दी-सरचना' का अर्थ 'साधु हिन्दी की सरचना' है ।
- १ २ ध्वन्यात्मक सरचना में ध्वनियों का विवेचन होता है ।
- १ ३ रावनीय अर्थात् क्रमशः उच्चरित ध्वनियाँ, (स्वर, व्यंजन) रावतर अर्थात् अन्वय ध्वनियों के साथ उच्चरित ध्वनियाँ (आघात, सुर आदि) हिन्दी में १० स्वर एवं ३२ व्यंजन । इसका सिद्धांत नासिक्यता, अनुस्वार, विसर्ग की ध्वनियों । कुछ अन्वय ध्वनियों तथा विदेशी ध्वनियों । स्वरों के वर्गीकरण के आधार हैं—जाम का उच्चारण, जाम का स्थान होंठों की स्थिति, मात्रा, नासिक्यता तथा सप्यता ।
- व्यंजन रहित स्वरों के एक साथ प्रयोग का नाम स्वर-संयोग । हिन्दी में दो-तीन स्वरों के संयोग । व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार हैं—स्थान, प्रयत्न, घोषत्व, प्राणत्व । स्वर रहित समान व्यंजनों के एक साथ प्रयोग को 'व्यंजन द्वित्त' तथा भिन्न व्यंजनों के एक साथ प्रयोग को 'संयुक्त व्यंजन' अथवा 'व्यंजन गुच्छ' कहते हैं । हिन्दी में दो, तीन, चार व्यंजनों के गुच्छ मिलते हैं ।
- १ ४ हिन्दी में नासिक्यता महत्वपूर्ण है । उच्चारण में लगाये हुए बल का नाम 'आघात' । आघात के दो प्रकार हैं—बहुआघात एवं स्वराघात । हिन्दी में आघात का निश्चित एवं महत्वपूर्ण प्रयोग नहीं होता । ध्वनियों के आरोह अवरोह को सुर कहते हैं । हिन्दी में धातु के स्तर पर सुर का महत्व है । उच्चारण के मध्य होने वाले विराम का अंतराल कहते हैं । हिन्दी में तीन प्रकार का अंतराल है—धातुगत, बंद एवं खुला अंतराल ।
- १ ५ हिन्दी ध्वनियों का विकास म मा आ, क माध्यम से, प्रा मा आ से हुआ है ।
- १ ६ स्वरों के विकास का सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं—सुरक्षित रहना, उच्चारण में भिन्नता, वितरण में । मक्षता एवं स्वर-छोप । प्रथम हिन्दी स्वर का विकास प्रा मा आ के अनेक स्वरों से हुआ है ।
- १ ७ व्यंजनों के विकास की सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं—अल्पप्राण ध्वनियों का छोप, महाप्राण ध्वनियों का 'ह' में परिवर्तन, प्राणत्व में अंतर, घोषत्व

# की व्याकरणात्मक संरचना ( वर्णन एवं विकास )

- दी की व्याकरणात्मक संरचना
- दी की रूपात्मक संरचना
- दी में शब्द निर्माण की पद्धतियाँ
- दी में शब्द रूपांतर
- दी का रूपांतर एवं विकास
- दी नाम का रूपांतर एवं विकास
- दी लोपण का रूपांतर एवं विकास
- दी प्रत्यय का रूपांतर एवं विकास
- दी प्रत्यय
- दी की व्याकरणात्मक संरचना





## ७ हिंदी की व्याकरणात्मक संरचना ( वर्णन एवं विकास )

- 
- हिंदी की व्याकरणात्मक संरचना
- हिंदी की रूपात्मक संरचना
- हिंदी में शब्द निर्माण की पद्धतियाँ
- हिंदी में शब्द रूपांतर
- संज्ञा का रूपांतर एवं विकास
- सर्वनाम का रूपांतर एवं विकास
- विशेषण का रूपांतर एवं विकास
- क्रिया का रूपांतर एवं विकास
- अव्यय
- हिंदी की वाक्यात्मक संरचना





## ७ १ हिंदी की व्याकरणात्मक संरचना

व्याकरणात्मक संरचना भाषा की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। व्याकरणात्मक संरचना की भिन्नता के कारण ही एक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न दिखलाई पड़ती है।

व्याकरणात्मक संरचना को सुविधा के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक को रूपात्मक संरचना एवं दूसरी को वाक्यात्मक संरचना कहा जाता है। रूपात्मक संरचना में शब्दों के निर्माण एवं विकार का विवेचन होता है। वाक्यात्मक संरचना में वाक्य की गठन एवं वाक्य के प्रकारों का विश्लेषण होता है। हिंदी की व्याकरणात्मक संरचना के विवेचन में, हिंदी की शब्द निर्माण की पद्धतियों, शब्द रूपांतर की विधियाँ, वाक्य की गठन वाक्य के प्रकार आदि विषयों का उल्लेख होगा।

## ७ २ हिंदी की रूपात्मक संरचना

हिंदी की रूपात्मक संरचना के अंतर्गत हिंदी के शब्द निर्माण की पद्धतियाँ तथा हिंदी शब्दों के रूपांतर अथवा विकार का विवेचन होगा। आगामी परिच्छेदों में हिंदी की रूपात्मक संरचना का मूल परिचय दिया जा रहा है। यथासंभव ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (विकास) का भी निर्देश कर दिया गया है।

## ७ ३ हिंदी में शब्द-निर्माण की पद्धतियाँ

हिंदी में शब्द निर्माण की मुख्य तीन पद्धतियाँ हैं—

- ( क ) सग पद्धति
- ( ख ) समास पद्धति
- ( ग ) पुनरावृत्ति पद्धति

उपरोक्त पद्धतियों में से सग पद्धति मुख्य है अतः उसका विस्तार से विवेचन किया जायगा।

## ७ ३ १ समास पद्धति

समास पद्धति में संयोजक तत्व ( विभक्ति आदि ) को हटा दिया जाता है जिससे एक से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक अर्थ शब्द की रचना करते हैं। शब्दों के जुड़ने की क्रिया को समास कहते हैं तथा समास की क्रिया से बना हुआ शब्द 'समासिक शब्द' कहलाता है। उदाहरणार्थ 'घुड़दौड़'



(= घोड़ों की दौड़) में 'की' परसग का लोप है तथा 'दाल भात' (= दाल और भात) में 'और' समुच्चय बोधक का लोप हुआ है।

संस्कृत श्लिष्ट प्रश्लिष्ट के मध्य की भाषा थी। अतः उसमें शब्दों का परस्पर जाड़ने की सुविधा थी। हिंदी अश्लिष्ट बनने की प्रक्रिया से गुजर रही है, जिसमें शब्द जुड़ने के स्थान पर अलग होते हैं, इसलिए हिंदी में समास पद्धति का हास हो चला है। 'राम राज्य', 'राज भाषा' जैसे रूप जो संस्कृत की दृष्टि से सामासिक हैं, हिंदी में असामासिक हो चले हैं तथा 'रामराज्य', 'राजभाषा' के रूप में लिखे जाते हैं। कुछ सामासिक शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं। हिंदी में आज भी उनका प्रयोग होता है किंतु शब्द निर्माण की दृष्टि से समास पद्धति हिंदी में बहुत प्रभावशाली नहीं है।

### ७ ३ २ पुनरावृत्ति की पद्धति

पुनरावृत्ति की पद्धति में कभी तो पूरे शब्द को दुहरा दिया जाता है (जैसे—खटखट, चमचम) तथा कभी शब्द के उच्चारण से मेल खाते हुए सायक अथवा निरयक शब्द को दुहरा दिया जाता है। जैसे—'गाना बजाना में गाना' के साथ आया हुआ 'बजाना सायक है जबकि लोटा-बोटा में लोटा' के साथ आया हुआ 'बोटा' निरयक है (सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो उसका भी एक अर्थ है। 'लोटा' अर्थात् 'केवल लोटा' किन्तु 'लोटा-बोटा' अर्थात् 'लोटे के साथ और भी चीजें)। कभी-कभी पुनरावृत्ति में मिलते-जुलते अर्थवाले दो शब्दों को भी साथ-साथ दुहरा दिया जाता है। जैसे—'गैड धूप, नाच गाना। वास्तव में देखा जाय तो ऐसे शब्द सामासिक बन जाते हैं।

### ७ ३ ३ सर्ग पद्धति

इस पद्धति में मूल शब्द के पूर्व अथवा पश्चात् अथवा दोनों स्थितियों में सग जोड़कर एक शब्द से दूसरा शब्द बनाया जाता है। यथा—'कर्म' शब्द के पूर्व कु—'सग जोड़कर 'कुर्म', 'योग' शब्द के पश्चात् —ई' सग जोड़कर 'योगी' तथा 'माग' के पूर्व —कु' सग एव पश्चात् —ई' सग जोड़कर कुमागो बनाया जा सकता है।

सामान्य रूप से शब्द के पूर्व जोड़े जानेवाले सग को उपसग तथा शब्द के पश्चात् जोड़े जानेवाले सग को 'प्रत्यय' कहा जाता है।

## ७ ३ ३ १ हिंदी उपसर्ग

हिंदी-उपसर्गों के तीन भेद माने जाते हैं—

( क ) तत्सम

( ख ) तद्भव

( ग ) विदेशी

### तत्सम उपसर्ग

इन उपसर्गों का रूप संस्कृत के समान ही है। कुछ मुख्य तत्सम उपसर्ग निम्नलिखित हैं—

अ अन् = अभाव, शून्यता

कुछ अपवादों को छोड़कर, 'अ' का प्रयोग व्यंजन से आरंभ होनेवाले शब्द के पूर्व तथा 'अन्' का प्रयोग स्वर से आरंभ होनेवाले शब्द के पूर्व होता है।  
यथा—अ + ज्ञान = अज्ञान, अन् + आदर = अनादर।

अर = हीनता। यथा—अपमान, अरयश।

अभि = विशेष। यथा—अभिमान, अभिमत।

अव = ( १ ) हीन, नीच शून्य। यथा—अवगुण।

= ( ११ ) विशेष। यथा—अवशेष, अवरोध।

उप = ( १ ) सहायक, गौण। यथा—उपनाम, उपग्रह।

= ( ११ ) विशेष। यथा—उपभोग, उपयोग।

कु = हीन, बुरा। यथा—कुपुत्र कुकर्म।

दुर = ( १ ) बुरा। यथा—दुबुद्धि, दुगुण दुघटना।

( ११ ) कठिन। यथा—दुगम, दुर्निवार।

निर्, नी = नहीं, रहित। यथा—निगुण, निजन, नीरस, नीरव।

परि = पूर्ण हर प्रकार से। यथा—परिपण, परिचान, परिवर्तन, परितोष।

वि = ( १ ) विनोप। यथा—विजय विधान, विनाश।

( ११ ) अभाव। यथा—विदेशी, विमुख।

स = साथ। यथा—सजीव, सतक, सगुण।

सु = अच्छा उत्तम। यथा—सुपुत्र, सुयश, सुमति, सुकर्म।

### तद्भव उपसर्ग

कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग निम्नलिखित हैं—

स ( स सु > हि स ) = अच्छा। यथा—सपूत।

क ( स कु > हि क ) = बुरा । यथा—बपूत ।

नि ( स निर > हि नि ) = नहीं । यथा—निकम्मा, निटर ।

अध ( स अध > हि अध ) = आधा । यथा—अधमरा ।

दु ( स दुर् > हि दु ) = बुरा, हीन । यथा—दुबला, दुकाल ।

### विदेशी उपसर्ग

कुछ विद्वानों ने विदेशी उपसर्गों के षग में फारसी के ब- ( बेईमान, बपरवाह ), 'ला-' ( लाजवाब ) 'जा-' ( जाप्रदक ) आदि तथा अंग्रेजी के 'हेड-' ( हेडमास्टर ) 'वाइस-' ( वाइस चान्सेलर ) 'हाफ-' ( हाफ पट ) आदि की गणना की है । वास्तव में विदेशी उपसर्गों के सदृश में त्रिन 'ग' के उच्चारण दिए जाने से व पूर क पूरे षग ही हिंदी में आगत है । उच्चारणार्थ हिंदी में फारसी का 'जवाब' भा आया है 'लाजवाब' भा । यह नहीं कि हिंदी ने 'ला-' उपसर्ग तथा 'जवाब' षग लिए है तथा 'जवाब' में ला- जोड़कर 'लाजवाब' बनाया है । वैसा ही अंग्रेजी का पूरा स- 'हेडमास्टर' हिंदी ने ग्रहण किया है यह नहीं कि 'हेड-' उपसर्ग लिया है तथा 'मास्टर' में जोड़कर 'हेड मास्टर' की रचना की है । कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ अपवादों को छोड़कर ( यथा—बैठकाने, बघ्मानी ) ये तथाकथित विदेशी उपसर्ग हिंदी में रचनात्मक दृष्टि से प्रयुक्त नहीं होते ।

### ७ ३ ३ २ हिंदी प्रत्यय

संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय थे—कृत प्रत्यय—जो धातु के पीछे जुड़ते थे, तथा लटित प्रत्यय जो धातु के अतिरिक्त अन्य षगों ( सज्ञा, विभेदण आदि ) के पीछे जुड़ते थे । हिंदी में इस वर्गीकरण का औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि हिंदी में एक ही प्रत्यय धातु में भी जुड़ता है तो धातु के सिवाय अन्य षगों में भी । उदाहरणार्थ 'अक' प्रत्यय धातु 'बठ' में भी जुड़ता है ( बठ् + अक = बैठक ) तो 'पाठ' षग में भी जुड़ता है ( पाठ् + अक = पाठक ) ।

हिंदी प्रत्ययों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है । एक तो स्रोत के आधार पर दूसरा काय के आधार पर ।

यहां सान की दृष्टि से प्रत्ययों का विवरण किया जा रहा है, क्योंकि भाषा के इतिहास अर्थात् विकास में इसी का महत्व है । यथामभव उनके कार्यों का भी उल्लेख कर दिया गया है ।

स्रोत की दृष्टि से हिंदी प्रत्यय तीन प्रकार के हैं ( क ) परंपरागत, ( ख ) निर्मित, ( ग ) आगत ।

### परपरागत प्रत्यय

परपरागत प्रत्यय दो प्रकार के हैं—तत्सम एव तदभव । तत्सम प्रत्यय के ह जिनका रूप संस्कृत के समान ह । तदभव प्रत्ययों के रूप में संस्कृत से कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है । कुछ विद्वान 'अज' एव 'अन' का तदभव प्रत्यय मानते हैं तथा उनका सबंध संस्कृत के 'ज' तथा 'ज' से जोड़ते ह । उनके कथनानुसार संस्कृत में जल + ज = जलज मम + न = ममन है । जबकि हिंदी में जल + अज = जलन्, मम + अन = ममन् है । इस सबंध में निवेदन ह कि जलज तथा ममन् जस शब्दों में 'अज', 'अन्' प्रत्यय मानने का कोई औचित्य नहीं ह । हिंदी ने संस्कृत से 'जल' एव 'मम' के साथ जलज एव 'ममज' जस शब्दों भी ह्रास किए ह और अपनी प्रकृति के अनुसार उनके अंतिम 'अ' का रूप कर उन्हें व्यंजनात् घटा दिया ह । वास्तव में 'जलज' एव 'ममन्' जैसे शब्दों में 'ज' एव 'न्' ही प्रत्यय मानने चाहिए ।

नीचे कुछ मुख्य तत्सम एव तदभव प्रत्यय दिए जा रहे ह ।

### तत्सम प्रत्यय

आ = स्त्री प्रत्यय । यथा—माननीया, सुता आदरणीया ।

जीवी = जीनेवाला । यथा—बुद्धिजीवी, धर्मजीवी, परजीवी ।

ता = सना निर्माणक । यथा—कविता, कोमलता, ममता ।

वर्ती = वाला । यथा—परवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती ।

वान = वाला । यथा—गुणवान् धर्मवान्, भाग्यवान् ।

घाली = वाला । यथा—शक्तिशाली घलशाली, भाग्यशाली ।

### तदभव प्रत्यय

आना ( स आनुक् + डीप् > हि आन + ई ) = स्त्री प्रत्यय ।

यथा—गुरुआनी, मातुलानी ।

इक् ( स इक् > हि इक् ) = विशेषण निर्माणक ।

यथा—वदिक सामाजिक ।

इन् ( स आनी > हि इन् ) = स्त्री प्रत्यय ।

यथा—सुनारिन्, नागिन ।

इमा ( स इम + आ > हि इम् + आ ) = सगा निर्माणक ।

यथा—महिमा गरिमा ।

ई ( कुछ इसे तत्सम मानते हैं तथा कुछ इसका विकास से इव, इवा से मानते हैं ) ।

- (१) स्त्री प्रत्यय । यथा—बेटी, अपनी ।  
 (२) विशेषण निर्माणक । यथा—आसमानी, रेशमी ।  
 (३) कर्तृवाचक । यथा—भाली, तेली ।

ईय् ( स ईय् > हि ईय् ) = विशेषण निर्माणक ।  
 यथा—स्वर्गीय, भारतीय ।

कार् ( स कार् > हि कार् ) = कर्तृवाचक ।  
 यथा—साहित्यकार, कलाकार ।

तम ( स तम > हि तम ) = उत्तमतावाची ।  
 यथा—श्रेष्ठतम, उच्चतम ।

तर् ( स तर् > हि तर् ) = तुलनावाची ।  
 यथा—उच्चतर् निम्नतर् ।

### निमित्त प्रत्यय

निमित्त प्रत्यय वे हैं जिनकी उत्पत्ति के सबध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । यथा—‘अवक्ड’ ( भुलक्कड, धुमक्कड ), ‘आका’ ‘आक ( पटाका खटाक ) ।

कुछ दूसरे निमित्त प्रत्यय वे हैं जो परिभाषिक शब्दों के निर्माण हेतु बन रहे हैं । वास्तव में यह संस्कृत प्रत्ययों का पुनःप्रचलन है । यथा—‘अन्’ ( मच + अन् = मचन अर्थात् मच पर प्रस्तुत करना ), ‘वाह’ ( काय + वाह = कायवाह ) ।

### विदेशी प्रत्यय

विदेशी प्रत्ययों के रूप में प्रायः विद्वान फारसी ‘दार’ ( चौकीदार, सूबेदार ), ‘नाक’ ( खौफनाक, दन्नाक ), ‘वान’ ( मेहरवान, दरवान ), वर ( ताकतवर ), मद ( अकलमद दौलतमद ) आदि तथा अंग्रेजी के ‘इचम’ ( गाधीइचम ), ‘इस्ट’ ( सोशलिस्ट ) आदि का उल्लेख करते हैं ।

विदेशी प्रत्ययों के सबध में भी वही कहना है जो दिदीगी उपसर्गों के सबध में कहा गया है, अर्थात् हिंदी ने उन विदेशी शब्दों को सबधित प्रत्ययों के साथ ग्रहण किया है । हिंदी ने इन प्रत्ययों को स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं किया है । इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि उपयुक्त तथाकथित विदेशी प्रत्ययों का प्रयोग हिंदी के अपने परंपरागत शब्दों के साथ प्रायः नहीं होता ।

## ७४ हिंदी में शब्द-रूपांतर ( विकार )

‘शब्द रूपांतर’ का अर्थ है शब्द के रूप में होनेवाला अंतर अथवा विकार ।

विकार की दृष्टि से हिंदी शब्द दो प्रकार के हैं—विकारी तथा अविकारी । हिंदी में सज्ञा, सवनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द हैं तथा क्रिया विशेषण सबधबोधक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयान्बोधक अविकारी । अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है । या ऐसे कुछ क्रियाविशेषण शब्द हैं जिनके रूप में परिवर्तन होता है । उदाहरणार्थ ‘लडका भागता आया ।’, ‘लडकी भागती आई । इन वाक्यों में ‘भागता’ एवं ‘भागती’ क्रिया विशेषण हैं जो संबंधित सज्ञा ‘लडका’ एवं ‘लडकी’ के आधार पर रूपांतरित हुए हैं ।

विकारी शब्दों में से सज्ञा, सवनाम एवं विशेषण का रूपांतर लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर तथा क्रिया का रूपांतर लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के आधार पर होता है ।

## ७५ सज्ञा का रूपांतर एवं विकास

संस्कृत में सज्ञा शब्द स्वरांत एवं व्यजनांत थे । मध्यकालीन प्राकृत अपभ्रंश भाषा में अंतिम व्यजन के लोप होने के कारण सज्ञा शब्द मुख्य रूप से स्वरांत रह गए । हिंदी तक पहुंचते-पहुंचते इस स्थिति में फिर परिवर्तन हुआ । शब्दों के अंतिम ह्रस्व स्वर अ, इ, उ कमजोर पड़कर लुप्त हो गए हैं । उदाहरणार्थ ‘कर्म’, शब्द संस्कृत में व्यजनांत था । प्राकृत में इसका रूप अकारांत ‘कम्म’ हो गया और हिंदी में वह व्यजनांत ‘काम’ बन गया है । आज हिंदी में प्रायः सभी स्वरों एवं सभी व्यजनों ( अ, अ, ङ, ङ को छोड़कर ) में पूरे होनेवाले सज्ञा शब्द मिलते हैं ।

## ७५१ लिंग

शब्द की जाति का उसका लिंग कहते हैं । लिंग एक तो प्राकृतिक होता है, दूसरा व्याकरणिक । प्राकृतिक लिंग विधान के अनुसार जितने भी नर हैं वे सभी पुल्लिंग हैं तथा सभी मादाएँ स्त्रीलिंग हैं । निर्जीव पदार्थों का कोई लिंग नहीं है । व्याकरणिक लिंग विधान प्रत्येक भाषा का अपना होता है ।

संस्कृत में तीन लिंग थे—पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग । प्राकृत अपभ्रंश में भी तीनों लिंगों का प्रयोग होता रहा किंतु नपुंसकलिंग के ह्रास के

लक्षण दिखाई पडने लगे थे। हिंदी में दो ही लिंग रह गए ह—पुल्लिंग एव स्त्रीलिंग।

हिंदी का लिंग विधान बहुत जटिल ह। उसका मुख्य कारण यह ह कि हिंदी का लिंग-विधान मुख्य रूप से व्याकरणिक है। फिर नपुंसकलिंग के अभाव के कारण निर्जोव पदार्थों का लिंग निर्धारण करना और भी कठिन हो गया है। इसी से 'समाज', 'रूमाल', 'ब्लास' आदि जैसे शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त हाते दिखाई पडते हैं।

हिंदी में सामान्य रूप से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की परंपरा ह। मुख्य स्त्री प्रत्यय निम्नलिखित ह।

१ ई (स इका > म भा आ इमा > हि ई) यथा—घोड़ी।

(स ई > म भा आ ई > हि ई) यथा—नदी गोपी।

२ इआ, इया (स इका > म भा आ इमा > हि इआ) यथा—  
चिड़िया, गुड़िया।

३ आनी (स आनी या आणी > म भा आ आणा > हि आनी)  
यथा—देवरानी, मुगलानी।

४ इन्, न (स आनी, आणी > म भा आ आणी > णी > इण—  
हि इन्) यथा—पुजारिन्, मालिन्।

५ ना (स ना, णी > म भा आ णी > हि नी) यथा—शरनी,  
मोरनी।

हिंदी का मुख्य पुल्लिंग प्रत्यय आ' ह (यथा— घोड़ा, लका)। इस आ' का विकास विभिन्न श्यों से हुआ है।

१ स अक् ग (घोक् > म भा आ > घोक्त्र > हि घोडा)।

२ स अन् स (ब्रह्मन् > ब्रह्मा)।

३ ग तु स (पित > पिता, नत > नता)।

हिंदी में कुछ शब्द एग भी ह जिनका लिंग प्रत्यय क द्वारा अभिध्क नही हाता। लिंग की अभिध्कति क लिंग नर अथवा मादा शब्द का प्रयोग करना पडता ह, जैसे—नर शिया—मादा भेड़िया नर बाघ—मादा चींटा।

कुछ शब्दों क लिंग पुरुष में अगबड ह। यथा—माता पिता, माई-बहन।

अरवा-दारवा क प्रभाव से कनी-कमा इन भाषाओं क शब्दों क अतिथ ह का आ' में परिवर्तित कर स्वार्थिग बनाया जाता ह जग—मलिक > मलिया (यह मलिक का स्वार्थिग ह) गात > गाता (गात का स्वार्थिग)।

### ७५२ वचन

शब्द की सख्या को वचन कहते हैं। सामान्य रूप से भाषाओं में दो ही वचन होते हैं—एकवचन (एक के लिए) तथा बहुवचन (एक से अधिक के लिए) कुछ भाषाओं में तीन, चार वचन भी होते हैं।

संस्कृत में तीन वचन थे—एकवचन, द्विवचन एव बहुवचन। प्राकृत—अपभ्रंश में द्विवचन के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। हिंदी में केवल दो ही वचन रह गए हैं—एकवचन एव बहुवचन। आधुनिक हिंदी में तो दो के स्थान पर एक सामान्य वचन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे—अपने लिए मैं के स्थान पर प्रायः 'हम' का प्रयोग तथा 'वह' 'वे' के स्थान पर 'वो' का प्रयोग होने लगा है। बहुवचन दर्शाने के लिए प्रायः 'लोग' अथवा 'गण' शब्द जोड़ा जाने लगा है। जैसे—'हम लोग', 'आप लोग', 'नेतागण' आदि। हिंदी में एक ही प्रत्यय से वचन एव कारक का प्रकटीकरण होता है। अतः वचन के प्रत्ययों एव उनके विकास का विवेचन कारकों के परिच्छेद में किया जा रहा है।

### ७५३ कारक एव विकारक

कारक का अर्थ है क्रिया से संबंध दर्शानेवाला। कारक को लेकर हिंदी के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। परंपरागत विद्वान संस्कृत के समान हिंदी में भी आठ कारक मानते हैं। आधुनिक भाषावैज्ञानिक हिंदी में मात्र दो (या तीन) ही कारक मानते हैं। वास्तव में इस विवाद का मुख्य कारण है कारक को अंग्रेजी 'केस' (Case) का समानार्थी मानना। गहराई से देखा जाय तो हिंदी में आज कारक अथवा कारक है जबकि 'केस' रूप-स्रोतक होता है। उदाहरणार्थ 'शेर दहाड़ता है' और 'मोहन ने शेर देखा' दो वाक्य हैं। पहले वाक्य में 'शेर', 'दहाड़ना क्रिया का करनेवाला है, अतः वह कर्त्तृकारक में है। दूसरे वाक्य में 'देखना क्रिया का करनेवाला 'मोहन' है। 'देखना' क्रिया का प्रभाव 'शेर' पर पड़ता है अतः यहाँ शेर कर्म का अर्थ देता है और इसलिए कर्म कारक में है। यदि रूप की दृष्टि से देखा जाय तो दोनों वाक्यों में 'शेर' के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः 'केस' की दृष्टि से दोनों वाक्यों में उसका 'केस' समान है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी के सन्दर्भ में कारक को 'केस' का समानार्थी न समझा जाय। उचित यही होगा कि 'केस' के लिए



किसी अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाय। 'केस के लिए 'विकारक ( शब्द का रूप में विकार उत्पन्न करने वाला ) शब्द का प्रयोग सायक हो सकता है।

संस्कृत में कारका की संख्या आठ मानी गई है ( कर्ता, कर्म, कर्ण, सप्रदान, अपादान, संबध, अधिकरण, संबोधन )। वास्तव में संबध एव संबोधन को कारक मानने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इनका क्रिया से कोई संबध नहीं रहता। अर्थ की दृष्टि से देखा जाय तो कारका की वही संख्या मध्यकालान् प्राकृत अपभ्रंश तथा आज की हिन्दी में है। हा, विकारक ( केस ) की दृष्टि से इनकी संख्या घटकर दो अथवा तीन रह गयी है। इस प्रकार क्रिया के सदम में शब्द के अर्थ को इंगित करनेवाला हुआ कारक, तथा शब्द का रूप में हुए विकार को सूचित करने वाला हुआ विकारक।

### विभक्ति एव परसर्ग

कारको को इंगित करनेवाले चिह्नो को विभक्ति कहा जाता है। संस्कृत में कुछ अपवादो को छोडकर प्रत्येक कारक की अलग विभक्ति थी। संस्कृत शिल्प भाषा थी अतः विभक्ति शब्द का अर्थ बनी रहती थी तथा उसमें विकार उत्पन्न करती थी। संस्कृत के आधार पर आठ कारक माननेवाले इसीसे हिन्दी में ने को, से, आदि चिह्नों को विभक्तिया कहते हैं। आधुनिक हिन्दी को प्रकृति मिश्र है। उसमें ने को, आदि चिह्न शब्द का अर्थ नहीं बनते। फिर इन चिह्नों से शब्द के विभिन्न रूपों का पता भी नहीं चलता। उदाहरणार्थ एक ही रूप घाडे—के पीछे ने को, से, आदि तथाकथित विभक्तिया जोडी जा सकती है। असल में ये चिह्न हिन्दी में अर्थसूचक रह गये हैं, इसीसे इन्हें परसर्ग कहना ही उचित है। विभक्ति उन चिह्नों को कहा जाय जो विकारक ( केस ) को इंगित करते हैं। इस प्रकार हिन्दी में कारक-चिह्नों को परसर्ग एव विकारक-चिह्नों का विभक्ति कहा जाय।

हिन्दी शब्दों के मुख्य दो विकारक ( केस ) हैं। एक तो सामान्य विकारक दूसरा त्रियक विकारक। सामान्य विकारक में शब्द का रूप अपरिवर्तित रहता है, इसीसे इसको निविभक्तिक भी कहा जा सकता है। त्रियक विकारक में शब्द का रूप बदल जाता है तथा उसके पीछे कारकीय अर्थों को अभिव्यक्त करनेवाले विभिन्न परसर्गों का प्रयोग हो सकता है। तीसरा विकारक, संबोधन है, जो कुछ ही शब्दों में मिश्र है नहीं तो उसका रूप त्रियक के समान रहता है।

नीचे विभिन्न विकारका एव उनके विभक्ति चिह्नों का उल्लेख किया जा रहा है।

पल्लिग—आकारान तद्भव शब्द ( घोडा, लडका आदि )

	एकवचन	बहुवचन
सामान्य	घोडा + $\phi$ = घोडा	घोड + ए = घोडे
तियक	घोड् + ए = घोडे	घोड + ओ = घोडों
सबोधन	घोड + ए = घोडे	घोड + ओ = घोडो

पल्लिग अय शब्द ( चोर, साधु, घोषी आदि )

	एकवचन	बहुवचन
सामान्य	चोर् + $\phi$ = चोर	चोर् + $\phi$ = चोर
तियक	चोर् + $\phi$ = चोर्	चोर् + आ = चोरों
सबोधन	चोर् + $\phi$ = चोर्	चोर् + ओ = चोरो

स्त्रीलिंग इकारात, ईकारात, इयांत ( जाति, लडकी, बुढिया )

	एकवचन	बहुवचन
सामान्य	जाति + $\phi$ = जाति	जाति + (य) आ = जातिया
तियक	जाति + $\phi$ = जाति	जाति + (य) ओ = जातियों
सबोधन	जाति + $\phi$ = जाति	जाति + (य) ओ = जातियो

ईकारात शब्द ( लडकी आदि ) बहुवचन की विभक्ति के पूव इकारात बन जाएगे ( लडकी > लडकी— ) । (य) श्रुति ह, जो स्वरो के समीग से उत्पन्न हुई ह । बहुवचन की विभक्तिया य—से आरभ होती ह, अत विभक्ति जुडने से पूव इयांत शब्दों का अतिम—या लुप्त हो जाता ह ( बुढिया > बुढि + या = बुढिया ) ।  $\phi$  चिह्न इस बात का सूचक ह कि वहां कोई विभक्ति नही है ।

अय स्त्रीलिंग ( बेंच, पुस्तक, लता आदि )

	एकवचन	बहुवचन
सामान्य	बेंच + $\phi$ = बेंच्	बेंच् + ए = बेंचें
तियक	बेंच् + $\phi$ = बेंच्	बेंच् + ओ = बेंचों
सबोधन	बेंच् + $\phi$ = बेंच्	बेंच् + ओ = बेंचो

७ ५ ४ विकारक विभक्तियों का विकास

शून्य विभक्ति— $\phi$

शून्य विभक्ति या विभक्ति-रहित रूपा का विकास सस्कृत की प्रथमा एकवचन विभक्ति से हुआ ह । सस्कृत की प्रथमा एकवचन विभक्ति स् ( ),

प्राकृत में 'ओ,' अपभ्रंश में 'उ' होकर हिंदी में लुप्त हो गई। यथा—मसृत्त राम > प्राकृत रामो > अपभ्रंश 'रामु > पुरानी हिंदी रामु > साधु हिंदी राम। सामान्य बहुवचन विभक्ति—ए ( घोडा—घोड़े )

इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में विवाद है। षट्ठर्जों के विचार से इसका विकास स० तनीया बहुवचन एभि से हुआ है (स० एभि > म भा आ अहि > अइ > हिंदी ए )। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति सदिग्ध मानते हैं। केलाग इसे मूल रूप में त्रियक एकवचन—ए ही मानते हैं, जिसका प्रयोग बहुवचन में भी होने लगा। कुछ विद्वान इसके विकास की संभावना स० की पचमी—एम्प मतमी—एपु तथा प्रथमा बहुवचन—आ से मानते हैं। इसके विकास की संभावना स० सवनाम के प्रथमा बहुवचन—सर्वे में प्रयुक्त—ए से भी हो सकती है। त्रियक एकवचन विभक्ति—ए ( घोड़् + ए = घोड़े को, से आदि )

बहुत विद्वानों ( केलाग उदयनारायण तिवारी आदि ) के विचार से इस विभक्ति का विकास स० षष्ठी एकवचन '-स्य' तथा अधिकरण के '-स्मिन्' से हुआ है। म भा आ में इसका रूप '-ह -हि -हि' था, जो '-अइ' में विकसित हो गया, जिससे आधुनिक हिंदी— 'ए' का विकास हुआ है। यों इसके विकास की शक्यता भी कई संभावनाएँ हैं।

सामान्य बहुवचन—आ ए ( जाति (य) + आ = जातिया बँव + ए = बँवें )

इन विभक्तियों का विकास स० नपुसक बहुवचन '--आनि' से हुआ है। स०—आनि > म भा आ आ > आइ > हिं आ ए।

त्रियक बहुवचन—ओ (घोड + आ = घोडा, जाति (य) + ओ = जातियो)

इसका विकास स० षष्ठी बहुवचन--आनाम से माना जाता है। स० आनाम > म भा आ आण > आण > अन (श्रुति के कारण) > वन > औं, औं।

संबोधन बहुवचन—ओ

सामान्य रूप से त्रियक बहुवचन—ओ से भिन्न इसका विवचन नहीं होता। भोलानाथ तिवारी के विचारानुसार स० संबोधन शून्य 'हे ( हे बालक ), प्राकृत एकवचन—ओ' ( हे देवो ), अपभ्रंश एकवचन—'ओ' ( वीरा ) के प्रभाव से हिंदी—ओ' का विकास हुआ है।

७ ५ ५ हिंदी के परसर्ग

यह पहले ही बताया जा चुका है कि विभक्तियों के विकारको को इंगित करती हैं तथा परसर्ग कारको को। हिंदी में निम्नलिखित कारकीय परसर्ग हैं

ने—यह कर्ताकारक का परसर्ग है। जिसका प्रयोग साधु हिंदी एव पश्चिमी हिंदी की बोलिया में होता है। 'ने' का प्रयोग कर्ता के साथ, सक्रमक क्रिया के मूतकालिक रूपा में होता है ( यथा—राम ने खाया। श्याम ने कहा। )। 'ने' के विकास के सबध में विभिन्न मत हैं। द्रुप एव कई अन्य विद्वाना ने इसका सबध स तृतीया '-एन' से जोडा है ( स एन > म भा भा एण > एन ( वण विपयक से ) > हि ने )। केलाग इसका विकास स लय से मानते हैं ( स लय > म भा भा लगिबा > लागि > लाइ > लै > हि नै, ने )। चटर्जी इसका सबध स 'कण' से जोडते हैं ( स कण > म भा आ कन्न > कन्नहि > हि ने )।

वास्तव में उपयुक्त समस्त मत जितने कल्पना पर आधारित हैं, उतने पुष्ट प्रमाणों एव तक पर नहीं।

को—इस परसग का प्रयोग मुख्य रूप से कम कारक ( मैंने शेर को मारा ) तथा सप्रदान कारक ( भिखारी रोटी को तरसता था ) में होता है। कभी-कभी इसका प्रयोग कर्ता ( राम को पढना है ) तथा अय करकों में भी होता है। ब्रज में इसका रूप 'कौ' तथा अवधी में 'क' है।

बीम्स, हानले तथा अन्य कई विद्वान इसका विकास स कक्ष (= बगल, निकट ) से मानते हैं।

स कक्ष > कक्ख > काख > काह > कहु > हि कौ > को > क।

इस मत से अधिक पुष्ट मत द्रुप का है, जो इसका विकास स कृत से मानते हैं। स कृत > म भा आ कितो > कियो > हि को।

के लिए—इस परसग का प्रयोग सप्रदान कारक हेतु होता है। इसका विकास सस्कृत के दो शब्दों से माना जाता है 'के' का विकास 'कृते' ( स कृते > कए > के ) से तथा 'लिए' का विकास सस्कृत 'ल्यने' से ( स ल्यने > ल्यगे > लिए )।

म इस परसग का मुख्य रूप से प्रयोग करण ( तीर से मारा ) तथा संप्रदान ( गाव से बाहर ) के लिए होता है। इसके सिवाय कर्ता के साथ ( राम से पढ़ा नहीं जाता ) तथा कम के साथ ( मोहन को राम से कुछ कहना है ) भी इसका प्रयोग होता है। ब्रज में इसका रूप सैं, सों, सो आदि हैं तथा अवधी में इसका रूप 'सन' है।

इसके विकास के सबध म भी कई मत हैं। हानले इसका विकास स 'अस' धातु से मानते हैं जो म भा आ के सतो > मुतो हुआ। बीम्स इसका सबध स सम से जोडते हैं ( स सम > सों > से। ) अन्य विद्वान इसे स के सम-एन तथा स अधिकरण एवचन सगे से जोडते हैं।

का, के, की—इन्हें समथ कारक के परसग माना जाता है। वास्तव में संथय को कारक मानने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह क्रिया से संबद्ध नहीं होता।

'का' से ही 'के', 'की', के रूप विकसित हुए हैं। व्रज में इसके रूप को, का आदि हैं तथा अवधी में इसका रूप है 'कर', 'केह' आदि। इनके विकास के संथय में मुख्य दो मत हैं। यद्यपि, पिनेल आदि विद्वान इसका विकास स 'कायम्' से मानते हैं। स काय > म भा आ कार > हि का )। हार्नेले एव बोम्ब इसका संथय स 'कृत' से जोड़ते हैं ( स कृत > करिता > करिओ > केरो > केरा > हि का )। वेलांग भी इसका विकास कृत से मानते हैं किंतु वे कृत > कित > कद > कम् > का की श्रुत्यति भी समथ मानते हैं।

मैं, पर—ये अधिकरण कारक के परसग हैं। व्रज में 'मैं' के रूप मैं, मह, माहि हैं तथा अवधी में इसके रूप हैं मह, मां आदि। 'मैं' का विकास प्रायः स मध्ये से माना जाता है ( स मध्ये > म भा आ मज्जे, मासि > हि माहि, मैं )।

'पर' को हार्नेले तथा अन्य कई विद्वान स परे से विकसित मानत हैं ( स परे > म भा आ परि > हि पर ) किंतु वेलांग एव कुछ अन्य विद्वान इसे स उपरि से जोड़ते ( स उपरि > म भा आ > परि > पइ > हि प, प > पर )। यह मत अधिक तक्ष्ण है क्योंकि पै, पइ, परि आदि रूप हिंदी की विभिन्न बोलियों में प्रचलित हैं।

संबोधन—संथय के समान ही संबोधन को भी कारक मानना उचित नहीं है क्योंकि उसका क्रिया से कोई संथय प्रदर्शित नहीं होता। संबोधन का कोई परसग नहीं होता। संबोधन की अभिव्यक्ति शब्द के पूर्व संथय जोड़कर की जात है ( जैसे—हे ! राम )।

### परसगों के समान प्रयुक्त होनेवाले अन्य शब्द

यहां यह बताना आवश्यक है कि आज जो परसग हैं, वे कभी पूरे शब्द थे जो घिसकर परसग बन गए हैं। आज भी ऐसे कई शब्द हैं जो परसगों के ही समान धारको का अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। इनमें से कुछ मुख्य शब्द हैं—भीतर, आगे, पीछे, उपर, नीचे, पास, बाहर, मध्य, ओर, साथ आदि।

### ७. ६ सवनाम का रूपांतर एव विकास

रूपांतर की दृष्टि से सवनाम एव सना में बहुत-सी धारें समान हैं। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि सना में लिंग का निर्देश रहता है किंतु सवनाम में लिंग का

निर्देश नहीं रहता। अतः सर्वनामका रूपांतर दा वचनों एक ही विकारका म होता है।

### ७ ६ १ सवनाम के भेद

सामान्य रूप से हिंदी में सात प्रकार के सवनाम गिनाये जाते ह (पुरुष वाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, सबधवाचक, नित्यसबध वाचक, निजवाचक)। इनमें से पुरुषवाचक वे तीन भेद किए जाते ह। उत्तम पुरुष (बोलनेवाले के लिए—मैं, हम), मध्यम पुरुष (सुननेवाले के लिए—तू, तुम, आप), अय पुरुष (और किसी के लिए—वह, वे, यह ये)। वास्तव में पुरुष वाचक सर्वनाम ही मुख्य ह। निजवाचक (स्वयं, आप, खुद) का प्रयोग अय सवनामों के समान सना के स्थान पर नहीं होता ह। निजवाचक का प्रयोग प्रायः सना अथवा अय सर्वनाम के साथ बल के लिए होता है (मैं आप जाऊंगा, राम स्वयं नहेंगा)। अय सर्वनाम रूपात्मक दृष्टि से परस्पर भिन्नता रखते हैं किंतु वाक्यात्मक सरचना की दृष्टि से अय पुरुष के समान ही व्यवहार करते हैं। नीचे एक ही वाक्य में विभिन्न सर्वनामों का वैकल्पिक प्रयोग (/ चिह्न द्वारा) दिखाया गया है। 'वह/ यह/ कोई/ कौन/ जो/ सो/ करता है।'

रचनागत दृष्टि से अय पुरुष (यह, वह) एक निश्चयवाचक (यह, वह में) में कोई अंतर नहीं ह, अतः इसे केवल निश्चयवाचक ही मानना चाहिए।

सर्वनामों के मुख्य तीन विकारक हैं। सामान्य विकारक (निर्विभक्तिक रूप। यथा—मैं, हम), तिर्यक विकारक (जिसके पीछे परसग का प्रयोग हो सकता ह। यथा—मुझे), सबध विकारक (जो परवर्ती सजा से सबध इगित करता ह। यथा—मेरा)। सर्वनाम का एक विभेय विकारकीय रूप भी होता ह, जो तिर्यक रूप में '—ए परसग जोड़कर बनता ह (यथा—मुझे + ए = मुझे)। कुछ विद्वान इसे अलग विकारकीय रूप मानते ह। वास्तव में इसे तिर्यक का ही रूप मानना चाहिए। तिर्यक रूप 'मुझे के पश्चात् जैसे की, से आदि परसग लगते हैं, वस ही—ए का प्रयोग भी होता ह। या भी—ए रचना की दृष्टि से 'को' का वैकल्पिक परसग ह। यथा—'मुझेको पता नहीं या 'मुझे पता नहीं'। विकास की दृष्टि से अवश्य दोनों का इतिहास अलग अलग है।

नीचे हिंदी के विभिन्न सवनामों तथा उनके विकारकीय रूपों का निर्णय किया जा रहा ह।

## ( १ ) पुरुषवाचक

उत्तमपुरुष	एकवचन	बहुवचन
सामान्य	मैं	हम
तियक	मुझ (मुझे)	हम (हमें)
सबध	मेरू-(आ, इ, ए)	हमारू-(आ, ई, ए)
मध्यमपुरुष		
सामान्य	तू	तुम
तियक	तुझ (तुझे)	तुम (तुम्हें)
सबध	तेरू-(आ, ई, ए)	तुम्हारू-(आ, ई, ए)

## ( २ ) निश्चयवाचक

निकटवर्ती		
सामान्य	यह	ये
तियक	इस (इसे)	इस (इन्हें)
दूरवर्ती		
सामान्य	वह	वे
तियक	उस (उसे)	उन (उन्हें)

## ( ३ ) अनिश्चयवाचक

सामान्य	कोई, कुछ	कोई
तियक	किस (किसे)	किन (किन्हें)

## ( ४ ) प्रश्नवाचक

सामान्य	कौन, क्या	कौन
तियक	किस (किसे)	किन (किन्हें)

## ( ५ ) संबंधवाचक

सामान्य	जो	जो
तियक	जिस (जिसे)	जिन (जिन्हें)

## ( ६ ) निश्चयसंबंधवाचक

सामान्य	सो	सो
तियक	तिस (तिसे)	तिन (तिन्हें)

## ( ७ ) निजवाचक

स्वयं, खुद (फारसी), आप (अपना, आपस) निजवाचक सबनाम ह ।

इनका प्रयोग प्रायः अन्य सजा एवं सबनाम शब्दों के साथ बल देने के लिए

होना है। अपनी, अपने, अपनों ये समस्त रूप 'अपना' से निष्पन्न हैं।

आदरसूचक 'आप'

'आप' शब्द का प्रयोग आदरसूचक सवनाम के रूप में होता है। इससे सबद्ध क्रियारूप बहुवचन में रहता है। इसका अधिक प्रयोग मध्यमपुरुष के लिए होता है (यथा—आप क्या करते हैं?) किंतु अयपुरुष में भी इसका प्रयोग मिलता है (यथा—प्रेमचंद हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार हैं। विश्व उपन्यास साहित्य में आपका विशेष स्थान है)।

### ७ ६ २ सर्वनामों का विकास

मैं—कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति स अह से मानते हैं (स अहम् > प्रा अम्ह > हि मैं) किंतु—डा० चटर्जी, वेलांग, धीम्स आदि इसका विकास स मया से मानते हैं जो अधिक उपयुक्त है (स मया > प्रा मइ > मइ > हि मैं)। डा० चटर्जी के मतानुसार मैं का अनुस्वार स तृतीय—एन के फल स्वरूप है, जिससे अधिक विद्वान सहमत नहीं हैं।

मुझ—मुझ का विकास बहुमत से स मह्यम् स माना जाता है (स मह्यम् > प्रा मज्ज > अप मज्ज हि मुच्)। प्रश्न उठता है कि हिंदी मुझ में 'उ' क्यों है। इसका समाधान भी उचित रूप से, यह बहकर किया गया है कि 'तुम्यम्' से विकसित 'तुझ' के सादृश्य के कारण ही यह 'मज्ज' के स्थान पर 'मुझ' में विकसित हुआ है।

'मुझे' 'मुझ' का ही त्रियक रूप है, जसा कि सना का त्रियक रूप एकवचन में होता है (यथा लडका लडके)।

मेरे—(आ, ई, ए)—इसका विकास प्राकृत 'ममेकर' से माना गया है (स मम > प्रा मम + केर > ममेर > हि मेरे)। मेरे इसका त्रियक रूप है, जैसे लडका का लडके।—आ, तथा ई (मेरा, मेरी) पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग घोटक प्रत्यय हैं।

हम—इसका सबंध सीधे संस्कृत से न होकर वदिक संस्कृत से है। वदिक संस्कृत 'अस्मे' से इसका विकास माना गया है (अस्मे > प्रा अम्हे > अम्ह > इम्ह > हम)।

'हमें' 'हम' का त्रियक रूप है तथा अनुनासिकता 'म' के प्रभाव स्वरूप है। कुछ विद्वान इसका विकास प्रा अम्हइ से मानते हैं।



हमार—(आ, ई, ए)—इसका विकास अस्मकर से माना जाता है। कुछ विद्वान इसका विकास अम्ह करवो से भी मानते हैं (अम्हकरको > अम्ह अरओ > अम्हारी > हमारी > हमारा)।

हमारे इसका त्रियक रूप है तथा हमारा, हमारी, पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग को इगित करते हैं।

तू—हान्ले, डॉ० चटर्जी आदि इसकी व्युत्पत्ति 'त्वम्' से मानते हैं (स त्वम् > प्रा तुवं > अप तुह > तू > हि तू)। कुछ विद्वान इसका सबष 'त्वया' से भी जोड़ते हैं।

तुम—बहुत विद्वान इसे तुम्य से व्युत्पन्न मानते हैं (स तुम्यम् > तुय्य > तुम)। कुछ इसे कल्पित रूप तुह्य से भी जोड़ते हैं।

तुसे इसका त्रियक रूप है।

तेर—(आ, ई, ए)—इसकी व्युत्पत्ति तव + केर से मानी गई है। तर इसका त्रियक रूप है तथा तेरा, तेरी पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग बोधक है।

तुम—कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति त्वम् से तथा कुछ मुष्मे से मानते हैं (मुष्मे > प्रा तुम्हे > तुम्ह > तुम)।

तुम्हें—तुम का त्रियक रूप ही तुम्हें है। कुछ विद्वान इसे तुम्हइ तथा कुछ मुष्मे से भी जोड़ते हैं। अनुनासिकता 'म' के महाप्राण 'म्ह' के कारण है।

तुम्हारे—(आ, ई, ए)—मेर-वे समान ही विद्वान इसका विकास तुम्ह करको से मानते हैं (तुम्ह करको > तुम्ह अरओ > तुम्हारी > तुम्हारी > तुम्हारा)। तुम्हारे, इसका त्रियक रूप है।

यह—इसकी व्युत्पत्ति प्राय त्रिविध रूप से स एष से मानी गई है (स एष > प्रा एसी > एहो > एहु > एह > यह)।

इस—बीम्स आदि इसका विकास 'अस्य' से मानते हैं (अस्य > अस्त > इस) तथा कुछ अन्य विद्वान इसका विकास 'एतस्य' से मानते हैं (स एतस्य > एतस प्रा एअस्त > इस)। 'इस' का त्रियक रूप है, इसे।

ये—प्राय समस्त विद्वान इसे 'एते' से व्युत्पन्न मानते हैं (स एते > प्रा एए > एये > एह > ये)।

इन—इसका विकास कल्पित एन एतायाम से माना गया है (एतायाम > स एतेयाम > एतानाम् > एआण > एण्ह > एह > इह > इन)। इन्हें—त्रियक रूप है।

यह—अधिकतर विद्वान इसे 'असौ' के साथ जोड़ते हैं (स, असौ > प्रा असौ > अहो > ओह > वह)। कुछ 'स' से भी इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं।

उस—बहुमत से इसका विकास स अमुष्य से माना गया है ( अमुष्य > अमुस्त > प्रा अउस्स > हि उस ) । उसे, और तियक रूपा की भांति ही तियक रूप है ।

वे—इसकी 'युत्पत्ति' की सभावनाए ह—१ स एभि > अहि > ए वह + ए > वे, २ - 'ए' का प्रयोग बहुवचन के लिए वत्ते ही किया गया है जैसे अय बहुवचनो के लिए ।

उन—इसकी 'युत्पत्ति' विवादास्पद है । कुछ मतों में से एक है—स अमुष्याम > अमूनाम > अउण > उण्ह > उन । 'उण्हें', इसका तियक रूप है ।

कोई—एकमत से इसका विकास स 'कोऽपि' से माना गया है ( कोऽपि > कोपि > कोवि > कोइ > कोई ) ।

किसी—इसका सबध अधिकतर विद्वान स कस्यापि से मानते हैं ( कस्यापि > प्रा कस्सवि > कस्सइ > किसी ) ।

किंहीं—इसकी 'युत्पत्ति' स केपामपि से मानी गई है ( केपामपि > कानामपि > प्रा काणपि > काणवि > काणइ > किंही ) । इसकी व्युत्पत्ति कल्पित रूप विपानामपि से भी मानी गई है ।

कौन—कुछ विद्वान इसका विकास स क से मानते हैं किंतु बहुत विद्वान 'क पुन' से इसे जोड़ते हैं ( क पुन > कोउण > कवण > कवन > कौन ) ।

किस—बहुमत से विद्वान इसकी व्युत्पत्ति स कस्य से मानते ( कस्य > प्रा किस्स > किस ) ।

किन—इसकी सभावित 'युत्पत्ति' कल्पित काना अथवा कियानाम् से मानी गई है । स केपाम से भी इसका विकास संभव है ( केपाम > प्रा काण > काण > किण > किन ) ।

क्या—इसके विकास की सभावना निम्नलिखित प्रकारो से हो सकती है—  
१ स किम > काइ > क्या २ स कीदुश > केदुहो > केहो > किहा > किआ > क्या ३ कित्त्यक > किस्सको > प्रा किस्सा > कीआ > क्या

जो—निर्विवाद रूप से इसका विकास स य ( य > यो > जो ) से माना गया है ।

जिम—इसका विकास निश्चित रूप से स यस्य से है ( स यस्य > प्रा जस्स > जिस्स > जिम ) ।

जिन—कीम्स, चटर्जी आदि इसका सबध कल्पित रूप याना ( प्रा जाण > जिन ) से जोड़ते हैं । स येपा से भी इसकी व्युत्पत्ति दिखाई जा सकती है ( येपा > जाण > जिन ) । जिन्हें, इसका तियक रूप है ।

सा— एकमत से इसका विकास स स से माना जाता है ( स स > प्रा सा > सा ) ।

तिस— बहुमत से इसका विकास तिस के समान ही स तस्य से माना गया है ( तस्य > तस्स > तिसस > तिस ) ।

तिन— इसका मध्य कल्पित रूप स जोड़ा जाता है । स तथा म भी इसका विकास माना गया है ( तेषा > ताना > प्रा ताणा > ताण > तिन ) ।

## ७ ७ विशेषण का रूपांतर एव विकास

विशेषण एक ऐसा शब्द रूप है जिसका सज्ञा से निकट का संपर्क है ।

### ७ ७ १ रचना की दृष्टि से विशेषण के प्रकार

रचना की दृष्टि से हिंदी विशेषण दो प्रकार के हैं— ( १ ) अविकारी ( २ ) विकारी । अविकारी विशेषण अमय के बराबर हैं, अर्थात् इनके रूप में लिंग, वचन विकारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता ( यथा— गुणवान लडका, गुणवान लडके, गुणवान लडकी ) विकारी विशेषण वे हैं जिनमें विशेष्य ( सज्ञा ) के अनुसार लिंग-वचन का परिवर्तन होता है ( यथा— अच्छा लडका अच्छे लडके अच्छी लडकी ) । आकारात् विशेषण विकारी हैं बाकी सब विशेषण अविकारी हैं । विकारी विशेषण भी पूर्ण विकारी नहीं हैं । उदाहरणार्थ सामान्य बहुवचन लडके के साथ अच्छे लगकर अच्छे लडके तो बनता है किंतु त्रिक बहुवचन 'लडको' के साथ अच्छों जोड़कर अच्छों लडका नहीं बनाया जाता । उसके लिए भी 'अच्छे' का ही प्रयोग होता है ( अच्छे लडका ) ।

यहां यह बताना आवश्यक है कि संस्कृत में विशेषण विशेष्य ( सज्ञा ) के लिंग, वचन, कारक में पूर्ण सम्बन्ध रहता था । म भा आ में यह प्रवृत्ति रही तो सही किंतु शिथिलता भी आरंभ हो गई थी । आपुनिक भाषाओं— हिंदी आदि में विशेषण की यह स्थिति है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है ।

### ७ ७ २ अर्थ की दृष्टि से विशेषण के भेद

अर्थ की दृष्टि से हिंदी विशेषण चार प्रकार के माने जाते हैं ।

( १ ) गुणवाचक ( अच्छा, छोटा, लाल आदि ) ।

( २ ) संख्यावाचक ( एक, दस, षेड आदि ) ।

- ( ३ ) परिमाणवाचक ( पाडा-योडा दूध, कितना कितना पानी आदि )  
 ( ४ ) सवनामक ( यह-यह काम, वह-वह लडका आदि ) ।

### ७ ७ ३ विशेषण की अवस्थाएँ

संस्कृत में विशेषण की तीन अवस्थाओं का प्रयोग होता था । सामान्य अवस्था ( सुदर ), तुलनासूचक अवस्था ( सुदरतर ) एवं उत्तमतासूचक अवस्था ( सुदरतम ) । हिंदी में इन तीन अवस्थाओं का प्रायः प्रयोग नहीं होता । कुछ शब्दों में ही इनका प्रयोग लिखाई पड़ता है । फारसी के प्रभाव से, कुछ फारसी शब्दों में तुलना एवं उत्तमता की अवस्थाओं का प्रयोग होता है । यथा—बद बदतर, बदतरीन ।

### ७ ७ ४ विशेषणों का विकास

विकास की दृष्टि से देखा जाय तो आकारात् विशेषणों की विभक्तियाँ -आ, -ए, -ई आकारात् सज्ञा शब्दों की -आ, -ए, -ई विभक्तियों से भिन्न नहीं हैं । अतः विशेषणों की इन विभक्तियों की कोई अलग कहानी नहीं है । आकारात् के सिवाय अन्य विशेषणों का तो रूपांतर ही नहीं होता ।

सवनामक विशेषण रूपारमक दृष्टि से सवनाम ही हैं । केवल वाक्य में उनका व्यवहार विशेषण के समान है । अतः उनका विकास सवनाम से भिन्न नहीं है ।

परिमाणवाचक विशेषण एक प्रकार से सख्यावाचक विशेषण ही हैं । अतः केवल इतना ही है कि परिमाणवाचक विशेषण राशि या समूहसूचक पदार्थों को इंगित करते हैं । उदाहरणार्थ 'कितने आदमी' में 'कितने' सख्यावाचक विशेषण है और 'कितना दूध' में 'कितना' परिमाणवाचक विशेषण है । इस प्रकार से देखा जाय तो सख्यावाचक विशेषणों का इतिहास ही उल्लेख्य है ।

### सख्यावाचक विशेषणों के भेद

रचना एवं अर्थ की दृष्टि से सख्यावाचक विशेषणों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं —

- ( १ ) पूर्ण सख्यावाचक ( एक, दो, आदि ) ।
- ( २ ) अपूर्ण सख्यावाचक ( आधा, डेढ़ आदि ) ।
- ( ३ ) क्रमवाचक ( पहला, दूसरा आदि ) ।
- ( ४ ) आवृत्तिवाचक ( दुगुना, तिगुना आदि ) ।

## ( क ) पूणसख्यावाचक

रचना की दृष्टि से पूणसख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं—मूल एव यौगिक । मूल सख्याएँ वे हैं जो स्वतंत्र अथवा एकल हैं, और यौगिक सख्याएँ वे ह जो दो सख्याओं के योग से बनी हं ( यथा—बत्तीस = ब + तीस ) । १ से लेकर १० तक तथा १००, ये सख्याएँ मूल हैं । शेष सख्याएँ यौगिक हैं । यौगिक सख्याएँ १ से लेकर ९ तक की इकाई सख्याओं के पीछे दहाई सूचक सख्या जोड़कर बनाई जाती हैं । यौगिक सख्या में प्रयुक्त इकाई सख्याओं के विभिन्न रूप प्राप्त होते ह । उदाहरणार्थ तीन ( ३ ) मूल सख्या के यौगिक सख्याओं में ते—( तेरह ) त—( तत्तीस ), ति—( तितालीस ) तिर—( तिरसठ ) आदि रूप भी प्राप्त होते हैं । मूल सख्याओं के इन विभिन्न रूपों का विकास प्रायः एक ही स्रोत से हुआ है । नीचे पूणसख्याओं का विकास दर्शाते समय, मथास्थान उनके भिन्न स्रोतों का भी संकेत कर दिया गया ह ।

एक—स एक ( एक ) > प्रा एक > हि एक । यौगिक सख्याओं में प्रयुक्त रूप—'ग्वा'—( ग्यारह ), स एकादश > म भा आ एगारह > एमारह > हि ग्यारह, 'इक्'—( इक्कीस ) स एक ( बलाघात के कारण ) > इक ।

दो—स द्वौ > प्रा दो > हि, दो । यौगिक सख्याओं में प्रयुक्त रूप 'बा—( बाईस ) का विकास स द्वौ के 'व' यजन से हुआ ह । द्वौ से विकसित अन्य रूप ह—दो—( दोपहर ), दु—( दुगुना ) आदि ।

तीन—स त्रिणि > प्रा तिणि > तिनि > तीन । यौगिक सख्याओं में प्रयुक्त रूप 'ते—' ( स त्रयोदश > म भा आ तेरह > तेरह ), 'ते—' ( स त्रयस्त्रिंशत् > म भा आ तेत्तीसा > तैतीस ), 'ति—' ( स त्रिचत्वारिंशत् > म भा आ तेअलीसा > तितालीस ) और 'तिर—' ( स त्रिपञ्चाशत् > म भा आ तेवण > तिरपन ) आदि

चार—स चत्वारि > प्रा चत्वारि > च्यारि > चार । यौगिक सख्याओं में प्रयुक्त रूप—'चौ—' ( स चतुदश > म भा आ चउदह > हि चौदह ), 'चौ—' ( स चतुस्त्रिंशत् > म भा आ चौत्तीस > हिंदी चौत्तीस ) आदि । सबका विकास 'चतुर—' से हुआ है ।

पाच—स पञ्च > म भा आ पच > पाच । यौगिक सख्याओं में प्रयुक्त रूप 'पन—', 'बन्', 'बन्—' आदि स पञ्च से विकसित हं ( यथा—स एव पञ्चाशत् > एककादश > हि इक्कावन ) ।

छ या छह—स षट् > प्रा छह > छ या छह । किंतु कुछ विद्वान पट् स छ की व्युत्पत्ति असम्भव मानते हैं, अत प्रा षट्, षप् या षक् रूप की कल्पना का गई है । यौगिक सख्याओं में इसका रूप 'छ-' मिलता है । सोलह, छियालीस आदि रूप अपने समानांतर सस्मृत रूपों से विकसित हैं ( स षोडश > प्रा सोलह > सोलह ) ।

सात—स सप्त > प्रा सत्त > सात । यौगिक सख्याओं में प्रयुक्त इसके रूप भी समानार्थी सस्मृत शब्दा से विकसित हुए हैं ( स सप्तत्रिंशत् > प्रा सप्ततीस > सैंतीस ) ।

आठ—स अष्ट > म भा आ अट्ट > हि आठ । यौगिक सख्याओं में प्रयुक्त रूप अट्ट, अठा आदि इसी से विकसित हुए हैं ( अट्ट > अट > अड > अड ) ।

नौ—स नव > म भा आ नउ > हि नौ । अधिकांश यौगिक सख्याओं में इसका रूप 'उन्-' प्रयुक्त होता है ( उन्तीस, उन्तीस ) जो स ऊन = एक कम स संबंधित है ( स ऊन > प्रा ऊण > उन् ) ।

दस—स दश > प्रा दस > दस । यौगिक सख्याओं में प्रयुक्त इसके विभिन्न रूप दह-, दस-, रह-, लह-आदि प्रा दस से विकसित हुए हैं ( दस > दह > डह > डह > रह > लह ) ।

बीस—स विंशति > वीसति > प्रा बीस > हि बीस । विभिन्न रूपों में प्रयुक्त -बीस, '-विंस', '-ब्बीस' '-ईस' या '-इस' बीस से ही विकसित है । -त्र- बलाघात के कारण है तथा '-ईस' या 'इस' 'ब' के लोप के कारण ।

तीस—स त्रिंशत् > तिसति > प्रा तीस > तीस । यौगिक सख्याओं में इसका प्रयोग '-तीस', '-तिस' आदि होता है जो तीस से ही व्युत्पन्न है ।

चालीस—स चत्वारिंशत् > चत्वारिसति > चत्तलीस > चालीस । इसका अर्थ रूप चालिस, तालीस, आलीस आदि है । तालीस' आदि चत्तलीस' में च के बलाघात के कारण 'च के लोप से तथा आलीस 'च' के लोप से बने हैं ।

पचास—स पचाशत् > प्रा पचास > पचास । इसके यौगिक सख्याओं में प्रयुक्त रूप 'चन्' 'पन्' आदि इस प्रकार से बने हैं—पचाशत् > पञ्चासा > पणासा > पण > पन > वन् ।

साठ—स षष्टि > षट्टि > सट्ट > साठ । इसने दो ही रूप '-साठ', '-सठ' प्रचलित हैं ।

सत्तर—स सप्तति > सत्तति > प्रा सत्तरि > सत्तर । यौगिक सख्याओं में इसका -सत्तर' और -हत्तर ( स > ह ) रूप प्रयुक्त होते हैं ।

अस्सा—स अशाति > अगोति > प्रा असीइ > अस्सी । ‘-आसी’ ही इसका मीगिक सख्याओ म प्रयुक्त रूप ह ।

नव्य—स नवति > नवुति > प्रा णवइ > णवदि > नव्य । यौगिक सख्याआ म शब्द की शीघता क कारण ‘-ए’ पर बल कम हो जाता ह और प्रयुक्त रूप हा जाता ह—नवे नवे ।

सा—स शत > सत > प्रा सअ > सय > सउ > सौ ।

हजार—यह फारसी शब्द ह । इसका समानार्थी संस्कृत शब्द सहस्र ह । या सहस्र एव हजार एक ही शब्द से विकसित ह । सहस्र स विकसित बोलचाल का शब्द सहस्र ह ।

छात—स लग्न > प्रा लवण > लास ।

करोड़—वदिक संस्कृत म इसका समानार्थी शब्द अबुद’ था । ‘कराड शब्द का विकास स काटि स हुआ ह (कोटि > प्रा काडि > कराड) ।

अरब—इसकी युत्पत्ति स अबुद स है । यद्यपि संस्कृत म अबुद का अर्थ १० ‘कराड’ था और हिंदी में अरब १०० ‘करोड’ के लिए होता ह ।

खरब—यह स खब स व्युत्पन्न ह । खब का प्रयोग संस्कृत में १० अरब के लिए होता था और हिंदी म खरब १०० अरब का अर्थ अभिप्रेत करता ह ।

### (ख) अपूर्ण सख्यावाचक

पाव (१/४)—स पाद > प्रा पाजा > पाउ > हि पाव ।

चौथाई (१/४)—स चतुर्थिक > प्रा चउत्विअ > चौथाई ।

तिहाई (१/३)—स त्रिभागिका > प्रा तिहाइआ > तिहाई ।

अथवा, स तृतीया > प्रा तईअ > तीआई > तिहाई ।

आधा (१/२)—स अधक > प्रा अद्धज > आधा, अद्धा ।

पौन (३/४)—स पादान > प्रा पाजा ( > पाउण > पौन ।

पौना तथा पौने इसी के रूपांतर ह ।

सवा (+ १/४)—स सपाद > प्रा सवाअ > सवा ।

डक ( १/२ )—स द्वयद > प्रा दिअड्ड > डक ।

अठाई, ढाई ( २/३ )—स अवनुताम > प्रा अड्डइअ > अठाई, ढाई ।

साढ़े, साढ़ (+ १/२)—स साद्ध > प्रा शड्डु > साढ़े, साढ ।

सब सभा पूरा सख्याआ के जाने य ऋण सख्याए जाडा जाओ ह (पवा—सवा तीन साढ बार पौन छह आदि) ।

### ( ग ) क्रमवाचक

पहला—स प्रथम > (पहम + इल्ल) पढि उ > पहिल । पिणरु आदि इसका विकास काल्पनिक रूप 'प्रथिल' से मानत ह ।

दूसरा—इसका सवध सस्कृत द्वितीय म नही ह । -मरा' का विकास सूत' से माना जाता है यद्यपि यह भी कोई निश्चित मत नही ह ।

तीसरा—यह भी 'दूसरा' के समान त्रिस्तून' म व्युत्पन्न माना जाता ह ।

चौथा—स चतुथक > प्रा चउत्थआ > चउत्थअ > चउत्था > चोत्थअ > चौथा अथवा म चतुथ > प्रा चउत्थ > चौथा ।

पाचवा—वा का विकास -म' से माना गया ह (पचम > पाचवा) । कुछ इसका विकास '-तम' से भा मानते ह (पचनम > पाचवा) ।

छग—इसका सवध स पष्ठ से जाडा जाता ह ।

अब सभी सख्याओं में '-वा जोडकर ही उनके क्रमवाचक रूप बनाए जाते है ।

### ( घ ) आवृत्तिवाचक ( गुणामक )

दुगुना, तिगुना आदि सभी आवृत्तिवाचक सख्याए -गुना जाडकर बनाई जाती ह । '-गुना' का विकास -गुण अथवा -गुण > क स माना जाता ह (गुण > क > प्रा गुणअ > गुणा > गुना) ।

उपपुत्र सख्यावाचक गणों के अतिरिक्त गणना के लिए निम्नलिखित सख्यावाचा गण का भी प्रयोग किया जाता ह ।

### ( ङ ) समूहवाचक

कोड़ा (= २०) इसका विकास-स्रोत मुगल शब्द 'कोल' है ।

जोड़ा—यह सस्कृत युटक से व्युत्पन्न ह ।

दजन (= १२)—इसका सवध अंग्रेजी शब्द Dozen से ह ।

गुरम (= १२ दजन)—इसकी व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द Gross से हुई है ।

सैकड़ा—यह सस्कृत शतकृत शब्द से विकसित ह ।

### ( च ) सजावाचक

इपका—स एकक से ।

दुक्का, दुग्गी—म द्विकक से ।

तिया—स तृतीयक से ।

चौका—स चतुक्क + क > चउक्कअ > चौका, चौक ।

इसी प्रकार अब सख्याए पचक, षट्क, सप्तक—आदि से बनी है ।



## ७८ क्रिया का रूपांतर एवं विकास

व्याकरणात्मक संरचना में क्रिया सबसे महत्वपूर्ण घटक-रूप है।

भारतीय आयनाथाया व विकास का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन भाषाओं के विकास की कहानी एक प्रकार से सरलीकरण एवं द्रष्ट से अलिप्त होने की कहानी है।

वैदिक-संस्कृत में क्रिया का रूपांतर अत्यंत जटिल था। क्रियाएँ दो पदों (आत्मने परस्मै) तथा दस गणा (भ्वादि, अदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादि तुदादि तनादि क्र्यादि तथा चुरादि) में वर्गीकृत थीं। क्रिया का रूपांतर दस लकारों (कार्) पाँच भावों, तीन वाच्या तीन पुरुषों एवं तान वचनों में होता था।

म भा आ (पालि प्राकृत अपभ्रंश) में क्रिया का रूप कम हो गए तथा भाषा द्रष्टता से अलिप्तता की आरंभ करने लगी। हिंदी तक पहुँचते-पहुँचते भाषा की प्रकृति बहुत बदल गई तथा क्रिया रूपों में मध्य कम हो गई। आज हिन्दी में पदा एवं गणा का कोई भेद नहीं है। क्रिया का रूपांतर मुख्य रूप से दो लकारों तीन पुरुषों, दो वचनों एवं दो लिंगों के आधार पर होता है (संस्कृत में क्रियागत लिंगभेद नहीं था)।

## ७८१ धातु

क्रिया के अध्ययन के तीन भाग हैं धातु स्तम्भ एवं क्रियारूप। धातु स्तम्भ की रचना होती है और स्तम्भ से क्रियारूप का निर्माण होता है।

धातु से तात्पर्य उस मूल अंग से है जो समस्त सबद्ध क्रियारूपों में विद्यमान रहता है। उदाहरणार्थ 'मिलो' 'मिला' 'मिलेंगे', 'मिलू' आदि रूपों में 'मिल' मूल अंग विद्यमान है, अतः मिल धातु है। किसी भी क्रियारूप में स समस्त प्रत्यय हटा देने से जो अंग बचता है, वही धातु होता है। हिंदी में अनाय मध्यमपुरुष एकवचन (तू) के साथ प्रयुक्त क्रियारूप में जब कोई प्रत्यय न लगा हो तब वह धातु के बराबर होता है। यथा—खा, पी, उठ आदि।

## ७८११ धातुओं के प्रकार

धातुओं का विवेचन अनेक दृष्टियों से किया जा सकता है


प्रकृति—प्रकृति की दृष्टि से धातु दो प्रकार के होते हैं—अकर्मक (जो काम का ग्रहण नहीं करते। यथा—उठ, बैठ आदि) तथा सकर्मक (जिनमें काम का विधान हो सकता है। यथा—खा, पी लिख आदि)।

**निर्माण**—निर्माण की दृष्टि में धातुआ का दो वर्गों में रख सकते हैं मूल ( जिनका निर्माण किसी अय शब्दरूप से नहीं हुआ है । यथा—खा, कर ) तथा निर्मित ( जो किसी अय शब्दरूप से बनाई गई है । यथा—लात' से लतिया—ना आदि ) ।

**रचना**—रचना की दृष्टि से भी धातुएँ दो प्रकार की हैं—एकल ( जो मूल रूप से एक ही अयपूण इकाई से बनी है । यथा—कर <  $\sqrt{\text{कृ}}$  ) तथा यौगिक ( जो मूल रूप से एक से अधिक अयपूण इकाइयों से बनी है । यथा—हिचठ से उप + विष्ट से बनी हुई है ) ।

**स्रोत**—स्रोत की दृष्टि से धातुएँ दो प्रकार की हैं—अज्ञात ( जिनके मूल स्रोत का पता नहीं है । यथा—बटोर, पलट आदि ) । एव ज्ञात ( जिनके मूल स्रोत का पता है । यथा—कर, कह आदि ) । ज्ञात धातुएँ तीन प्रकार की हैं—तत्सम ( जो बहुत कम मात्रा में हैं तथा प्रायः संस्कृत में उच्चार ली गयी हैं । यथा—र० ) तदभव ( जो हिंदी में परपरा से आयी हैं । यथा—गरज निरग्न उठ आदि ) तथा निर्मित ( जिनकी रचना हिंदी में हो गई है ) । इन निर्मित धातुआ में से जो सज्ञा, विशेषण आदि में से बनायी गयी हैं उन्हें 'नामधातु' कहते हैं ( यथा—फिल्म से फिल्मा—ना, गम से गर्मा—ना आदि ) जो धातुएँ ध्वनि अथवा स्थिति की पुनरावृत्ति से बनती हैं उन्हें ध्वयात्मक अथवा अनुकरणात्मक कहते हैं ( यथा—भन से भनभना—ना, चह से चहचहा—ना आदि ) ।

धातु-तालिका




७८२ म्त्तन

जैसे नाम 'विमन्ति' ( सप्ता भवनाम विशेषण ) पद बनने से पूर्य प्रातिपदिक होते हैं ( शब्द जब विमन्ति-मुक्त होता है तब पर्य कहलाता है । विमन्ति रहित

होने पर उसे प्रातिपदिक कहा जाता है। वाक्य में पद ही प्रयुक्त होता है) वैसे ही क्रिया शब्द क्रियारूप होने से पहले स्तम्भ (Stem) रहता है। स्तम्भ में जब परपवाचक प्रत्यय जुड़ता है तब क्रियारूप बनता है। स्तम्भ धातु एवं क्रियारूप के मध्य की स्थिति है। स्तम्भ की इस स्थिति को न समझने के कारण ही हिन्दी की याददाश्त करनेवाले अनेक विद्वानों ने खा धातु से बने 'खिलाता' एवं खिलवाना रूपा को भी धातु माना है। वास्तव में खिला- एवं खिलवा- स्तम्भ है जो खा धातु में प्रेरणाथक प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। यह गलती इसलिए भी होता है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि किसी भी क्रिया से ना' हटा देने से शेष अणु धातु रहता है जो सही नहीं है।

### ७ ८ २ १ स्तम्भ के प्रकार

रचना की दृष्टि से स्तम्भ के कई भेद हो सकते हैं जो स्तम्भ तालिका में दर्शाए गए हैं।



मूल स्तम्भ धातु का अनुरूप होता है (जैसे आनाथ मध्यमपुरुष एकवचन में)। निमित्त स्तम्भ में से कुछ धातु का अन्तर्परिवर्तित से बनता है। यथा—फुल-फाड़, फिट-फाड़ आदि। इन्हें अन्तर्परिवर्तित कहा गया है। दूसरे प्रकार के स्तम्भ, प्रत्यय निमित्त से बनते हैं। इनमें से कुछ अकृतसौ हैं तब ही और दूसरे कृन्ती। कृन्ती में तात्पर्य एव रूप में ही क्रिया अन्त में कृन्त प्रत्यय लगा रहता है। इनका प्रयोग क्रिया रूपा के अतिरिक्त सजा विनियोग एवं क्रिया विनियोग आदि

रूपों में भी होता है। जड़नी स्वभा में मुख्य प्रेरणायक रूप है, जो धातु में—आ एव—वा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे—लिख, लिखा, लिखवा पढ़, पढ़ा, पढ़ावा। एकाग्ररी स्वरात् धातुओं में प्रेरणायक प्रत्यय जोड़ने से पत्र उन्हें लकारान्तर देना पड़ता है। यथा—खा > खिल, खिला खिलवा पी > पिल, पिला, पिलावा।

हिंदी प्रेरणायक क्रियाएँ मस्कृत प्रेरणायक क्रियाओं से पूरित भिन्न हैं अतः उनका विकास मन्वत रूप से हुआ है। प्रेरणायक प्रत्यय—वा, का मन्वत स गिच प्रत्यय के द्वित्तरूप आप-आप् से जोड़ा जाता है ( आप-आप > म भा आ आवाप > हि वा ) प्रेरणायक प्रत्यय से पूर्व क 'ल' का मन्वत स ग्राह ( स पालय ) से जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है।

वर्तमानकालिक अथवा अपूर्ण कृत—म कृत की रचना धातु में—त प्रत्यय जोड़कर की जाती है। यथा—गा + त = गात ( + गा—ई,—ए )।

हिंदी वर्तमानकालिक कृतन का विकास मस्कृत के वर्तमानकालिक कृतन रूपों से हुआ है।—त' प्रत्यय का सवध स अत से जोड़ा जाता है ( स चलन् > प्रा चलतो > हि चलता ) किंतु यह विनोय तकपूण नहीं लगता क्योंकि चलन स चलता का विकास अस्वाभाविक है।

भूतकालिक अथवा पूर कृत—दस कृतन की रचना धातु में—आ जोड़ कर की जाती है। यथा—चल + आ = चला।—आ प्रत्यय का सवध मस्कृत के कृत प्रत्यय एत् (त्) से है ( स चलित् > म भा आ चलित् > चलिआ चलिअ > हि चला )।

पूर्वकालिक कृतन—स कृतन की रचना धातु में 'यूय ङ्' के, कर करव प्रत्यय जोड़कर की जाती है ( यथा—कह आया, कहके आया कहकर आया कहकर के आया )। 'यूय विभक्ति रूप का विकास स पूर्वकालिक कृतन रूपों से हुआ है ( स दृष्टवा > म भा अ देक्विअ > हि देत )। 'कर का सवध स क√कृ से जोड़ा जाता है।

सञ्चारक कृतन—धातु में ना' जोड़ने से इस कृतन की रचना होती है। ( यथा—चल + ना = चलना )। 'ना के विकास के सवध में दा भत है। बीम्स आदि विद्वान् इसका विकास स कृतन प्रत्यय न्युट ( अनीय ) से मानते हैं ( स करणीय > म भा आ करणअ > हि करना )। चटर्जी के विचार से इसका विकास स प्रत्यय—अन से हुआ है ( स चलनम > म भा आ चलनअ > हि चलना )।

सहायक शून्य को सामान्य क्रियार्थक भी कहा जाता है क्योंकि सामान्य रूप में -ता जोड़कर ही क्रिया का संकेत किया जाता है। जैसे—गाना, पीना, उठना, बैठना आदि। गठना में भी इसी रूप में क्रिया का उल्लेख किया जाता है।

### ७ ८ ३ सहायक क्रियाएँ

हिन्दी में क्रिया रूपों को रचना प्रायः शून्यों एवं सहायक क्रियाओं को सहायता से होती है। शून्यता का यणत पूव के परिच्छेद में हो चुका है अतः यही सहायक क्रियाओं का विवचन किया जा रहा है।

वह क्रिया जो वाय का विधान करती है, उसे मुख्य क्रिया कहा जाता है। मुख्य क्रिया द्वारा अभिव्यक्त वाय की स्थिति, पूर्णता समय आदि की जानकारी देनेवाली क्रिया, सहायक क्रिया कहलाती है। उदाहरणार्थ माहन साता है। एग वाच्य में मुख्य वाय 'माना' है। इस मुख्य वाय की सूचना 'ता पातु से धन रूप साता से मिलती है, अतः यहाँ माना मुख्य क्रिया है। होना' क्रिया के रूप 'ह' में यह जानकारी मिलती है कि वाय हा रहा है। अतः होना यहाँ पर सहायक क्रिया है।

हिन्दी में मुख्य रूप से निम्नलिखित सहायक क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं—होना उठना, करना, चाहना, चुकना, पडना, डालना, देना, रहना, बैठना, बनना, लगना, जाना, आना, सक्ना।

इन क्रियाओं में से सक्ना क्रिया को छोड़कर शेष सभी क्रियाएँ मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। उदाहरणार्थ वह उठा वह कह उठा' दो वाच्य हैं। पहले वाच्य में उठना मुख्य क्रिया है और दूसरे वाच्य में सहायक क्रिया। सक्ना' क्रिया केवल सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है। होना' क्रिया सबसे विविध एवं महत्वपूर्ण है। अन्य क्रियाओं के समान इससे किसी वाय का संकेत नहीं मिलता, इससे केवल किसी स्थिति के होने का संकेत मिलता है। फिर यह क्रिया हिन्दी की काल रचना में बहुत अधिक सहायक होती है। अतः उसके मुख्य रणत एवं उनके विनास का यणत आवश्यक है।

( होना क्रिया )

वतमान	एकवचन	बहुवचन
उ	हूँ	हैं
म	ह	हो
ब	ह	ह

अथ

( होना क्रिया )

भूत

उ  
म  
अ

था, थी

थे, थी

भविष्य

उ  
म  
अ

हूगा ( हूगी )  
होगा ( होगी )  
होगा ( होगी )

होगे ( हागी )  
होगे ( होगी )  
होंगे ( हागी )

समाय

वर्तमान

उ  
म  
अ

होऊ  
हो, होवे  
हो, होवे

हा, होवें  
हो, हावा  
हा, हावें

समय

भूत

उ  
म  
अ

होता ( होती )

होते ( होती )

( उ = उत्तम पुरुष म = मध्यम पुरुष, अ = अन्त पुरुष )

७८४ क्रिया रूप

हिंदी क्रिया द्वारा अभिव्यक्त 'व्यकरणिक कोटिया है—लिंग, वचन, पुरुष अथ, वाच्य प्रयोग एवं काल । 'होना' क्रिया का छाडकर अन्य क्रियाओं में लिंग एवं वचन सूचक प्रत्यय वे ही हैं जिनका वचन आवारात सना शब्दा के रूपांतर में किया गया है ( आ, ए ई ) । पुरुष का संकेत वचन के प्रत्यय ही करते हैं । अतः यहां इनके विवेचन की गुंजाइश नहीं है ।

७८४१ अर्थ

अथ से तात्पर्य क्रिया की स्थिति से है । हिंदी में पांच प्रकार के अर्थ हैं—  
निश्चयाथ ( वह गया ) सभाव्याथ ( शायद वह जाय ), सदहाय ( वह गया हो ),  
हृत्वाथ ( यदि वह गया ) और आनाथ ( जाया ) ।

हिन्दी के ये अथ मग्युत के अर्थों में भिन्न एक भाग । इनमें से कुछ प्रयोगों का सवैय 'यदि' 'काम' 'ता' जैसे कर्तव्यों की मर्यादा न होता है । ये भाग अथ ऐसे हैं जिन्हें उल्लेख करने अथवा कान के विषय में ही जाना है ।

### ७ ८ ४ ० वाच्य का प्रयोग

कर्ता कम एव क्रिया व परस्पर संबंध की स्थिति का आधार को वाच्य कहते हैं । इस स्थिति व अगुमार वाच्य का रचना का प्रयोग कहा जाता है ।

हिन्दी में तीन वाच्य एव तीन प्रयोग हैं 'कन्' वाच्य 'कन्' प्रयोग—इसमें क्रिया कर्ता व अनुसार परिवर्तित होता है ( यथा—लडके जाया लडके आ लडकी आया ) ।

कम वाच्य—कर्मणि प्रयोग—इसमें क्रिया कम व अनुसार परिवर्तित होता है ( यथा—लडके न आम खाया लडके ने रोटा खाया ) ।

भाववाच्य—भावे प्रयोग—इसमें क्रिया न तो कर्ता के अगुमार बलता है और न ही कम के अनुसार । क्रिया सदैव एकदचन पुल्लिङ्ग रूप में रहती है ( यथा—लडके ने साप को मारा लडकी न साप को मारा, लडका न साप को मारा ) ।

वास्तव में रूपात्मक दृष्टि से हिन्दी में प्रायः कन्वाच्य का ही प्रयोग होता है । ऊपर जो कमवाच्य एव भाववाच्य के उदाहरण दिए गये हैं उनमें भी वास्तव में कर्ता ही प्रधान है तथा वह अपने ( कर्ता के ) स्थान पर भी स्थिर है । कमवाच्य में कर्ता का स्थान कम को लेना चाहिए तथा उसकी प्रधानता भी होनी चाहिए । हिन्दी में कमवाच्य की ऐसी स्वतंत्र रचना नहीं होती । जाना क्रिया की सहायता से ऐसी वाच्यरूपात्मक रचना बनायी जाती है । जैसे 'मुझसे आम खाया जाता है', 'मुझसे राती खायी जाती है' । ऐसी ही रचना जो अकर्मक क्रिया से बनायी जाती है वह भावे प्रयोग होती है । जैसे—'मुझसे चला नहीं जाता' । हिन्दी का कमवाच्य एव भाववाच्य संस्कृत के कमवाच्य तथा भाववाच्य से भिन्न है तथा इनका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है ।

### ७ ८ ४ ३ काल

क्रिया के समय को 'काल' कहा जाता है । रचना की दृष्टि से काल दो प्रकार के हैं—मूल एव यौगिक । एक ही घातु से निर्मित काल मूलकाल कहलाता है तथा एक से अधिक घातुओं से निर्मित काल को यौगिक काल कहा जाता है ।

मूल काल

मूलकाल दो प्रकार के ह—अकृदती एव कृदती । अकृदती काल वे हैं जिनमें कृदत का प्रयोग नहीं होता । अकृदती काल दो ह—समाय वतमानकाल एव अनाय वतमानकाल । नीचे चल धातु के साथ दाना के रूप दिये जाते ह । हिन्दी में अनाय के रूप केवल मध्यम पुरुष में ही बनते ह ।

(उ=उत्तम पुरुष, म=मध्यम पुरुष, अ=अथ पुरुष )

समाय वतमान	( चलना )	
	एकवचन	बहुवचन
उ	चलू	चलें
म	चले	चलो
अ	चले	चलें
अनाय वतमान		
म	चल	चलो

समाय रूप का विकास मस्कृत के वतमानकाल के रूपों से माना जाता ह ( यथा—स चलामि>चलउ>हिं चलू ) । वीम्स एव दूसरे कई विद्वान ऐसा मानते ह कि स के एक वचन से हिंदी बहुवचन एव स बहुवचन स हिंदी एकवचन का विकास हुआ ह ।

स चलामि> \*चलाइ>चलै>हिं चलें, स चलाम >चलामु>चली>चलू ।

हिंदी अनाय में केवल मध्यम पुरुष एकवचन 'चल' ही भिन्न ह । प्रियमन इसका विकास स वतमान के रूप 'चलसि' से मानते ह । वीम्स इसका सबध स अनाय से मानत ह ।

यहा भविष्य काल ( चलूंगा, चलेंगे आदि ) का उल्लेख करना आवश्यक ह । यह काल रचना की दृष्टि में मूल ह वितु सत्त का दृष्टि से इनका विकास समाय एव कृदत के यौगिक रूप से हुआ ह । चलू + ग ( स गन का अवगण ) = चलम् ( आ ) ।

मूल कृदती काल व ह जिनमें कृदत ही क्रिया के रूप में प्रयुक्त हात है । मूल कृदती काल निम्नलिखित हैं—भूतकाल ( भूतकालिक कृदत )—म चला, हम चल, आदि । समाय भूतकाल ( वतमानकालिक कृदत )—म चलना, हम चलते । अनाय भविष्यकाल ( सनायक कृदत )—तू चलना, तुम चलना ।



## योगिक काल

योगिक काल दो प्रकार के हैं—वर्तमानकालिक कृदत से निर्मित एवं भूत-कालिक कृदत से निर्मित ।

वर्तमानकालिक कृदत + होना क्रिया

अपूर्ण वर्तमानकाल—चलता हूँ, चलते हो, आदि ।

अपूर्ण भूतकाल—चलता था, चलते थे, आदि ।

अपूर्ण भविष्यकाल—चलता हूँगा, चलते होंगे, आदि ।

अपूर्ण समाय वर्तमानकाल—चलता होऊँ चलना हो आदि ।

अपूर्ण समाय भूतकाल—चलता होना, चलते होते, आदि ।

भूतकालिक कृदत + होना क्रिया

पूर्ण वर्तमानकाल—चला हूँ चले हूँ आदि ।


पूर्ण भूतकाल—चला था चले थे, आदि ।

पूर्ण भविष्यकाल—चला हूँगा, चले होंगे आदि ।

पूर्ण समाय वर्तमानकाल—अगर चला हो अगर चले हो आदि ।

पूर्ण समाय भूतकाल—अगर चला होता, अगर चले होते, आदि ।

काल—तालिका



## ७८५ क्रियावध (सयुक्त क्रिया)

क्रियावध (Verb Phrase) से तात्पर्य ऐसी क्रियावध रचना से है जिसमें एक से अधिक अथ व्यञ्जक तत्त्व मिलकर एक क्रिया का अर्थ दें। सामान्य रूप से इस प्रकार की रचना को 'सयुक्त क्रिया' कहा जाता है जो किसी सीमा तक भ्रामक है, क्योंकि 'सयुक्त क्रिया' से यह प्रकट होता है कि इस रचना में एक से अधिक क्रियाएँ हैं, जब कि इस प्रकार की रचना में सदैव एक से अधिक क्रियापद ही नहीं होते, सज्ञा, सवनाम आदि पद भी होते हैं। उदाहरणार्थ 'चल पडना' में दोना क्रियापद है किंतु 'लात खाना' में 'लात' सज्ञा है और इन दोनों रचनाओं को सयुक्त क्रिया माना जाता है।

कुछ विद्वानों का यह सोचना गलत है कि रचना की दृष्टि से क्रियावध यौगिक काल के समान है। वास्तव में पूरा क्रियावध एक मूल क्रिया के समान प्रयुक्त होता है फिर चाहे उसमें कितने ही पद क्यों न हों, और उससे निर्मित काल भी मूलकाल ही रहता है। वह यौगिक काल तब बनता है जब उसमें फिर 'होना' क्रिया को जोड़ा जाय। उदाहरणार्थ 'वह उसे पकड़कर ले आया' वाक्य में 'पकड़कर ले आया' क्रियावध है। इसमें चार क्रियापद हैं (पकड़ना, करना, लाना, आना) किंतु इसका काल मूल (भूतकाल) है। वही 'उठकर खा जाओ' वाक्य पूरे का पूरा क्रियावध है। इसमें भी चार क्रियापद हैं किंतु इसका काल मूल आपाद्य है।

### ७८५१ क्रियावधों के प्रकार

क्रियावधों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है—रचना के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर।

#### ७८५२ रचना की दृष्टि से क्रियावध

रचना की दृष्टि से क्रियावध दो प्रकार के हैं—क्रियात्मक (जिसमें समस्त क्रियापद होते हैं) तथा क्रियेतर (जिसमें एक क्रियापद रहता है तथा दूसरे अर्थ पद रहते हैं)। क्रियावध का अंतिम पद तो सदैव क्रिया रहता है अतः उक्त वर्गीकरण का आधार, अंतिम पद पर न होकर इतर पदों पर है।

#### क्रियात्मक वध

(१) धातु मुक्त (उठ जाना, मार डालना)

- ( २ ) भूतकालिक कृत युक्त ( चला जाना, उठा रना )  
 ( ३ ) वर्तमानकालिक कृत युक्त ( उठता रहना, लता जाना )  
 ( ४ ) मनाथक कृत युक्त ( रोने लगना मारने दौडना )

### क्रियेतर वध

- ( १ ) सना युक्त ( लान खाना, भूख लगना )  
 ( २ ) विशेषण युक्त ( मुक्त होना, बुरा लगना )  
 ( ३ ) सवनाम युक्त ( अपना बनाना )  
 ( ४ ) क्रियाविशेषण युक्त ( नीचे दवाना ऊपर उठना )

यह पहले ही बताया जा चुका है कि ऐसे क्रियावचो में केवल दो ही नहीं तीन चार पाँच पद भी हो सकते हैं। उदाहरणार्थ 'उठाकर ले आना' में चार क्रियापद हैं तथा 'नीचे ऊपर करना' में तीन पद हैं। पहले दो क्रियाविशेषण एवं तीसरा क्रिया।

### ७८५३ अर्थ की दृष्टि से क्रियावच

क्रियावचों का मुख्य कार्य अभिव्यक्ति की स्पष्टता एवं सूक्ष्मता प्राप्त करना है अतः अर्थ की दृष्टि से क्रियावचों के अनेक प्रकार हो सकते हैं। उदाहरणार्थ 'मुक्त' क्रिया युक्त वध प्रायः पूर्णता सूचक ( मर चुका मर चुका ) 'चाहना' क्रिया युक्त वध इच्छा सूचक ( पढ़ना चाहना, जाना चाहना ), 'सकना' क्रिया युक्त वध सामर्थ्य सूचक ( कर सकना उठा सकना ) 'लगना' क्रिया युक्त वध आरंभ सूचक ( जाने लगना, करने लगना ) 'पडना' क्रिया युक्त वध आकस्मिकता सूचक ( गिर पना, बोल पडा ) होते हैं।

यहाँ यह बतलाना आवश्यक है कि मात्र अर्थ के आधार पर क्रिया वचों का वर्गीकरण बहुत अधिक सुनिश्चित नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ 'वाग पडना' में 'वाग पडना' में आकस्मिकता का बोध होता है वहाँ 'गले पडना' में 'पडना' से वाग्पता की अभिव्यक्ति होती है। वास्तव में इस प्रकार की रचनाएँ एक प्रकार के महावर हैं इसलिए इनका विवेचन केवल अर्थ के आधार पर नहीं अपितु अर्थ-रचना ( Semantic Structure ) के आधार पर होना चाहिए।

विकास की दृष्टि से देखा जाय तो क्रियावचों का मन्वृत्त में साधा एवं स्पष्ट मन्वृत्त नहीं है। इनका विकास एक प्रकार से स्वतंत्र रूप में हुआ है। क्रियावच द्विती ( एवं अन्य आधुनिक भाषाओं ) की अपनी निजी विशेषता है।

## ७ ९ अव्यय

व्याकरण में अपरिवर्तनशील शब्दों अथवा शब्दों को 'अव्यय' कहते हैं। इन शब्दों के रूप में लिंग, वचन अथवा कालानुसार परिवर्तन नहीं होता है। अव्ययों के चार भेद हैं—(१) क्रियाविशेषण (२) समुच्चयबोधक (३) सवधबोधक तथा (४) विम्मयादिबोधक। कुछ क्रिया विशेषणों के रूप परिवर्तित होते हैं (यथा—खाता हुआ गया, खाते हुए गए)। इन क्रियाविशेषणों को अव्यय के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए।

### ७ ९ १ क्रियाविशेषण

अथ की दृष्टि से क्रियाविशेषण के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं।

**कालवाचक**—जय, सय, कय आदि। इन सभी क्रियाविशेषणों में समयसूचक 'य' के विकास के धारे में विभिन्न मत हैं। योम्स, वेल्स आदि इसका विकास से बेला (समय) से मानते हैं। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति से एव से मानते हैं।

**स्थानवाचक**—यहा, वहा, कहा, जहा आदि। इनमें स्थानसूचक '-हा' की व्युत्पत्ति में भी शकाए हैं। कुछ से 'स्थाने (यत्स्थाने) > गहा आदि), कुछ से 'ह' (>यहा), म कुह (>कहा) आदि के '-ह' प्रत्यय से इसकी व्युत्पत्ति संभव मानते हैं। इनके अतिरिक्त भीतर (स अम्यतर > अवभतर > अप भिनर > भीतर), बाहर (स वहि > गहर) जादि भी स्थानवाचक क्रियाविशेषण हैं। स्थानवाचक का ही एक भेद दिशावाचक माना जा सकता है। इधर, उधर आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जिनका विकास निश्चित नहीं है।

**सतिवाचक**—या, ज्यों, त्यो आदि। इनकी व्युत्पत्ति के संबंध में भी विभिन्न मत हैं। कुछ से इत्थ, कथ आदि से, कुछ बधिक से एव आदि से इनका विकास संभव मानते हैं। जानो, मानो जादि का विकास है जानना, मानना आदि में तथा सचमुच का सत्य में, ठीक का स सना से सबर जोडा जाता है।

**७ ९ २ समुच्चयबोधक**—'तथा', एव मस्कृत के तत्सम रूप हैं तथा ओर का विकास से अपरम से हुआ है (स अवरम > प्रा अवर > अवर > ओर)।

**७ ९ ३ सवधबोधक**—में, पर आदि। इनकी व्युत्पत्ति का वणन अधिकरण कारक के अंतर्गत किया जा चुका है।

### ७ ९ ४ विस्मयादिबोधक—एँ,

वाह (फा) शावाश (फा), हाय, हा—  
स आ से, जी,—स जीव स, अच्छा-  
प्रा अच्छअ > अच्छा ) आदि विस्मयादि

### ७ १० वाक्यात्मक सरचना

वाक्यात्मक सरचना, भाषा की अतगत वाक्य की गठन एवं वाक्य भेदों व वाक्यात्मक सरचना एवं रूपात्मक सरचना कि दोनों का अलग-अलग विवेचन करना सरचना में जो कुछ कहा गया है, उस सबघ है ।

### ७ १० १ वाक्यात्मक युक्तिया

वाक्यात्मक युक्तियों से तात्पर्य उन सहायक होते हैं । ये युक्तिया प्रत्येक भाषा में जिन वाक्यात्मक युक्तियों का प्रयोग क्रिय में पदों का स्थान, सत्ता के द्वारा संबंधित तथा कर्ता-कर्म-क्रिया की अविति अथवा र वाक्य रचना से हिंदी वाक्य रचना की तु विवेचन किया जा रहा है ।

### ७ १० २ सस्कृत एवं हिंदी वाक्य-रच

हिंदी की वाक्य रचना, प्राचीन आयभाषा अथ मे बहुत अधिक भिन्न हो गयी है । इसका मुख्य शिल्प प्रश्लिष्ट भाषा थी जब कि हिंदी अश्लिष्ट—अथ में सबध-तत्त्व अथतरव से पूर्ण रूप से जुड़ जाते थे, इससे एक शब्द सा लगता था लेकिन हिंदी वाक्य में विभिन्न प सत्ता वनी रहती है । सस्कृत में विभक्तिया शब्द का अग कारण वाक्य में शब्दों के स्थान एवं क्रम का कोई विचार

( यथा—राम रावण अमारयत, रावण राम अमारयत, अमारयत राम रावण )  
 किंतु हिंदी में विभक्तियों का स्थान परसर्गों ने ले लिया है, जो शब्द से अलग  
 रहते हैं, इसमें हिंदी वाक्य में शब्दों के स्थान एवं क्रम का महत्व है।  
 उदाहरणार्थ शेर आदमी पर झपटा 'आदमी शेर पर झपटा' वाक्यों में 'आदमी  
 एवं 'शेर' शब्दों का स्थान बदलने से न केवल वाक्य का अर्थ बदल गया है वरन्  
 इन शब्दों की 'याकरणत्मक' स्थिति भी बदल गयी है। पहले वाक्य में शेर  
 'कर्ता' है तथा आदमी 'कर्म' दूसरे वाक्य में आदमी 'कर्ता' है और शेर 'कर्म'।

अविति अथवा सगति की दृष्टि से देखा जाय तो संस्कृत में कर्ता के पुरुष  
 एवं वचन के साथ क्रिया की सगति रहती थी किंतु कर्ता का लिंग क्रिया को  
 प्रभावित नहीं करता था ( यथा—बालक गच्छति, बालिका गच्छति ) किंतु  
 हिंदी में कुछ स्थितियों का छोड़कर, क्रिया, कर्ता के लिंग के साथ भी सगति  
 रखती है ( यथा—बालक जाता है, बालिका जाती है )।

नियमन की दृष्टि से भी संस्कृत एवं हिंदी वाक्य रचना में अंतर पड़ गया  
 है। संस्कृत में विनोपण अपने विशेष्य ( सना ) से नियंत्रित रहता था, अर्थात्  
 विनोपण का लिंग-वचन संबंधित सना के अनुरूप रहता था ( यथा—सुंदर  
 बालक, सुंदरा बालिका सुंदर फल ) किंतु हिंदी में आकारान्त विशेष्यों को  
 छोड़कर अन्य किसी विनोपण का रूप नहीं बदलता ( यथा—सुंदर बालक,  
 सुंदर बालिका, सुंदर फल )।

संस्कृत में सधि-समास पद्धति का प्रचलन था जिससे शब्द संश्लिष्ट हो जाते  
 थे, हिंदी में प्रायः इस पद्धति का लोप ही चला है। संस्कृत में काल, वाच्य  
 आदि धाकरणिक कोटिया क्रिया के रूप से अभि यक्त होती थीं हिंदी में यह  
 कार्य मुख्य रूप से सहायक क्रियाओं के संयोग से किया जाता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक साधु हिंदी की वाक्य रचना संस्कृत  
 से बहुत सीमा तक भिन्न एवं स्वतंत्र बन गयी है।

### ७ १० ३ हिंदी की वाक्य रचना

पुनः के परिच्छेदा में हिंदी की रूपात्मक पद्धति के विषय में विवचन से  
 हिंदी वाक्य रचना के संक्षेप में पर्याप्त संवेत मिल जाते हैं। इस संक्षेप में हमें  
 और उल्लेख्य है कि हिंदी वाक्य में कर्ता ( जो प्रायः सना, सदानाम अथवा  
 नामवच्य ( Noun Phrase ) रहता है ) एवं क्रिया दो महत्वपूर्ण पद हैं।  
 वाक्य का आरंभ प्रायः कर्ता से होता है तथा अंत क्रिया से। इस प्रकार कर्ता

७ ९ ४ विस्मयादिवोधक—**ऐं, है—स** अइ से, ओहो—स अहो से,

वाह (फा) शाबाश (फा), हाय, हा—स हा से, दुहाई—(दो + हाय), आह—स आ से, जी—स जीव से, अच्छा—स अच्छ से (अच्छ > पा अच्छा > प्रा अच्छअ > अच्छा) आदि विस्मयादि बोधक अव्यय ह ।

### ७ १० वाक्यात्मक संरचना

वाक्यात्मक संरचना, भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना ह । इसके अनगत वाक्य की गठन एवं वाक्य भेदा का विवेचन किया जाता ह । वास्तव में वाक्यात्मक संरचना एवं रूपात्मक संरचना का आपस में इतना निकट संपर्क है कि दोनों का अलग अलग विवेचन करना संभव ही नहीं ह । हिंदी की रूपात्मक संरचना में जो कुछ कहा गया ह, उसका हिंदी की वाक्य रचना से अभिन्न संबंध ह ।

### ७ १० १ वाक्यात्मक युक्तियां

वाक्यात्मक युक्तियों से तात्पर्य उन उपायों से ह जो वाक्य की गठन में सहायक होते ह । ये युक्तियां प्रत्येक भाषा की अलग अलग हो सकती ह । हिंदी में जिन वाक्यात्मक युक्तियों का प्रयोग किया जाता ह उनमें से मुख्य ह वाक्य में पदों का स्थान, सत्ता के द्वारा संबंधित विशेषण के लिए—वचन का नियमन तथा कर्ता—कर्म—क्रिया की अविति अथवा संगति । आगामी परिच्छेद में संस्कृत वाक्य रचना से हिंदी वाक्य रचना की तुलना करते समय इन युक्तियों का विवेचन किया जा रहा ह ।

### ७ १० २ संस्कृत एवं हिंदी वाक्य-रचना

हिंदी की वाक्य रचना प्राचीन आयभाषा अर्थात् संस्कृत की वाक्य रचना में बहुत अधिक भिन्न हो गयी ह । इसका मुख्य कारण यह ह कि संस्कृत श्लिष्ट प्रश्लिष्ट भाषा थी जब कि हिंदी अश्लिष्ट—अयोगात्मक भाषा ह । संस्कृत में संबन्ध-सत्त्व अथवा संबंध से पूर्ण रूप से जुड़ जाते थे, इससे कभी-कभी पूरा वाक्य एक शब्द सा लगता था लेकिन हिंदी वाक्य में विभिन्न पदों की अलग अलग सत्ता बना रहती ह । संस्कृत में विभक्तिशास्त्र का अंग बन जाती थी इस कारण वाक्य में शब्दों का स्थान एवं क्रम का कोई विशेष महत्त्व नहीं था ।

( यथा—राम रावण अमारयत, रावण राम अमारयत, अमारयत राम रावण )  
 किंतु हिंदी में विभक्तियों का स्थान परसर्गों ने ले लिया है, जो शब्द से अलग  
 रहते हैं, इसमें हिंदी वाक्य में शब्दों के स्थान एवं क्रम का महत्व है।  
 उदाहरणार्थ 'घोर आदमी पर झपटा' 'आदमी घोर पर झपटा' वाक्यों में 'आदमी  
 एवं 'घोर' शब्दों का स्थान बदलने से न केवल वाक्य का अर्थ बदल गया है वरन्  
 इन शब्दों की 'याकरण' भी भिन्न भिन्न हो गई है। पहले वाक्य में घोर  
 'कर्ता' है तथा आदमी 'कर्म', दूसरे वाक्य में आदमी 'कर्ता' है और घोर 'कर्म'।

अथवा अथवा सगति की दृष्टि से देखा जाय तो संस्कृत में कर्ता के पुरुष  
 एवं वचन के साथ क्रिया की सगति रहती थी किंतु कर्ता का लिंग क्रिया को  
 प्रभावित नहीं करता था ( यथा—बालक गच्छति, बालिका गच्छति ) किंतु  
 हिंदी में कुछ स्थितियों का छोड़कर क्रिया कर्ता के लिंग के साथ भी सगति  
 रखती है ( यथा—बालक जाता है, बालिका जाती है )।

नियमन की दृष्टि से भी संस्कृत एवं हिंदी वाक्य रचना में अंतर पड़ गया  
 है। संस्कृत में विशेषण अपने विशेष्य ( सना ) से नियंत्रित रहता था, अर्थात्  
 विशेषण का लिंग-वचन संबंधित सना के अनुरूप रहता था ( यथा—सुंदर  
 बालक, सुंदरा बालिका सुंदर फल ) किंतु हिंदी में आकारान्त विशेषणों को  
 छोड़कर अन्य किसी विशेषण का रूप नहीं बदलता ( यथा—सुंदर बालक,  
 सुंदर बालिका, सुंदर फल )।

संस्कृत में सधि-समास पद्धति का प्रचलन था जिसमें शब्द सन्निहित हो जाते  
 थे, हिंदी में प्रायः इस पद्धति का लोप ही चला है। संस्कृत में काल, वाच्य  
 आदि याकरणिक कोटियाँ क्रिया के रूप से अभिव्यक्त होती थीं, हिंदी में यह  
 कार्य मुख्य रूप से सहायक क्रियाओं के सहयोग से किया जाता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक साधु हिंदी की वाक्य रचना संस्कृत  
 से बहुत सीमा तक भिन्न एवं स्वतंत्र बन गयी है।

## ७ १० ३ हिंदी की वाक्य रचना

पूर्व के परिच्छेदों में हिंदी की रूपात्मक पद्धति के विषय में विवरण से  
 हिंदी वाक्य रचना के संबंध में पर्याप्त संकेत मिल जाते हैं। इस संबंध में इतना  
 और उल्लेख है कि हिंदी वाक्य में कर्ता ( जो प्रायः सना, सर्वनाम अथवा  
 नामवाच्य ( Noun Phrase ) रहता है ) एवं क्रिया दो महत्वपूर्ण पद हैं।  
 वाक्य का आरंभ प्रायः कर्ता से होता है तथा अंत क्रिया से। इस प्रकार कर्ता



एव क्रिया हिंदी की सीमाएँ ह, जिनके अंतगत अत्यं समस्त पद नियोजित किये जाते ह । नामवच में विशेषण प्रायः सना के पूव रहता ह । क्रिया विशेषण शब्दा का स्थान क्रिया के पूव ह । वाक्य मूल ( अर्थात् एक क्रियावाची ) एव यौगिक ( अनेक क्रियावाची ) हात ह । मूल एव यौगिक वाक्या के कई भेद उपभेद ह ।

वास्तव में हिंदी वाक्य रचना एव वाक्य विकास का विवचन विस्तार सापेक्ष ह जिसकी यहा गुणाइश नही ह ।

### स्मरण-सकेत

- ७ १ हिंदी की व्याकरणात्मक संरचना में हिंदी के शब्द रूपों एवं वाक्य रचना का विवेचन होगा।
- ७ २ हिंदी का रूपात्मक संरचना के अंतर्गत हिंदी के शब्द निर्माण एवं शब्द-रूपांतर की पद्धतियों का उल्लेख होगा।
- ७ ३ हिंदी-शब्द-निर्माण की मुख्य तीन पद्धतियाँ हैं—समास पद्धति, सर्ग पद्धति एवं पुनरावृत्ति पद्धति। इनमें से सर्ग पद्धति मुख्य है। सर्ग दो प्रकार के हैं पूर्व सर्ग ( उपसर्ग ) एवं परसर्ग ( प्रत्यय )। श्रोत की दृष्टि से सर्ग तीन प्रकार के हैं परपरागत, निर्मित एवं विदेशी।
- ७ ४ रूपांतर की दृष्टि से हिंदी में दो प्रकार के शब्द हैं विकारी एवं अविकारी।
- ७ ५ सज्ञा का रूपांतर लिंग, वचन एवं कारक ( विकारक ) के आधार पर होता है। हिंदी में दो लिंग एवं दो वचन हैं। अर्थ की दृष्टि से ६ कारक हैं किंतु मुख्य कस ( Case ) दो ही हैं। कर्म को विकारक कहना चाहिए। कारक चिह्नों को परसर्ग एवं विकारक चिह्नों को विभक्ति कहा जाता है। परसर्गों एवं विभक्तियों का विकास संस्कृत के विभिन्न श ३ रूपों से हुआ है।
- ७ ६ सर्वनाम का रूपांतर वचन एवं विकारक के आधार पर होता है। हिंदी में सात प्रकार के सर्वनाम माने जाते हैं। सर्वनाम के विभिन्न रूपों का विकास मुख्य रूप से संस्कृत के सर्वनाम रूपों से हुआ है।
- ७ ७ रूपांतर की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के हैं ( विकारी एवं अविकारी ) तथा अर्थ की दृष्टि से विशेषण चार प्रकार के हैं ( गुणवाचक, संख्या वाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामक )। विशेषण की तीन अवस्थाएँ हैं। विकास की दृष्टि से संख्यावाचक विशेषण ही महत्वपूर्ण है। इन विशेषणों का श्रोत मुख्य रूप से संस्कृत के संख्यावाचक विशेषण है।
- ७ ८ संस्कृत की अपेक्षा हिंदी के क्रिया रूप सरल हैं। क्रिया के अध्ययन के तीन भाग हैं धातु, स्तम एवं क्रिया रूप। धातुओं का विवेचन प्रकृति, निर्माण, रचना एवं श्रोत की दृष्टि से किया जा सकता है। धातु से स्तम का निर्माण होता है। रचना की दृष्टि से स्तम के कई भेद हैं। मुख्य क्रिया के भाव, समय, स्थिति को स्पष्ट करने वाली सहायक क्रिया। क्रिया द्वारा लिंग, वचन, पुरुष, अर्थ, वाच्य प्रयोग

एव काल की अभिव्यक्ति । हिंदी में पांच अर्थ, तीन वाच्य, तीन प्रयोग पूर्व कई काल । एक से अधिक क्रियापद शब्दों का नाम क्रियापद (सयुक्त क्रिया) । रचना एव अर्थ की दृष्टि से क्रियापदों के अनेक भेद ।

- ७ ९ अपरिवर्तित शब्दांशों को अव्यय कहते हैं । हिंदी में अव्ययों के मुख्य भेद हैं क्रिया विशेषण, संधिसूचक, समुच्चय बोधक, रिस्मयादि बोधक ।
- ७ १० वाक्यात्मक संरचना भाषा की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है । वाक्यात्मक संरचना का मुख्य युक्तिपद है पदों का वाक्य में स्थान अन्विति एव नियमन । हिंदी वाक्य रचना संस्कृत वाक्य रचना से भिन्न हो गयी है ।



# ८ लिपि एवं देवनागरी लिपि

- 
- लिपि
- भाषा एवं लिपि का संबंध
- लिपि की उत्पत्ति
- लिपि के विकास की अवस्थाएँ
  - चित्रात्मक लिपि
  - सकेतात्मक लिपि
  - ध्वन्यात्मक लिपि
- ध्वन्यात्मक लिपि के भेद
  - अक्षरात्मक लिपि
  - वर्णात्मक लिपि
- ससार की प्रमुख लिपियाँ
  - ब्रह्मी
  - हीरोग्लिफिक
  - चीनी
  - अरबी
  - यूनानी
  - रोमन
- भारत की प्राचीन लिपियाँ
  - सँघव
  - खरोष्ठी
  - ब्राह्मी
- देवनागरी लिपि
  - विकास
  - गुण-दोष
  - सुधार





## ८१ लिपि

लिपि से तात्पर्य लिखित चिह्नों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषा को स्थापित किया जाता है ।

लिपि मनुष्य की एक महत्वपूर्ण रचना है । लिपि के माध्यम से मनुष्य ने अपनी भाषा ( अथवा भाषाओं में भाषा ) को स्थायित्व प्रदान किया है । लिपि के कारण एक पीढ़ी को अपनी दूसरी पीढ़ी तक अपने विचार-अनुभव पहुँचाने में बड़ी सुविधा हुई है । मानव संस्कृति के विकास में लिपि का महत्वपूर्ण योगदान है ।

## ८२ भाषा एवं लिपि का संबंध

भाषा एवं लिपि परस्पर संबंधित होने पर भी एक वस्तु नहीं हैं । भाषा ध्वनि प्रतीका की व्यवस्था है जबकि लिपि लिखित चिह्नों की संरचना है । इस प्रकार भाषा में प्रयुक्त ध्वनि चिह्ना का आधार भाव अथवा धारणा है लेकिन लिपि चिह्नों का आधार भाव अथवा धारणा न होकर ध्वनियाँ होती हैं । अतः लिपि भाषा की भी भाषा है । भाव एवं भाषा में सीधा संबंध होता है किंतु लिपि एवं भाव में भाषा के माध्यम से ही संबंध स्थापित होता है । भाव, भाषा एवं लिपि के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है—

भाव ← → भाषा ← → लिपि

भाषा एवं लिपि में कोई तात्त्विक एवं अनिवार्य संबंध नहीं है । कोई भी भाषा किसी भी लिपि का प्रयोग कर सकती है । यह एक ऐतिहासिक आकस्मिकता है कि किसी एक विशेष भाषा के लिये किसी एक विशेष लिपि का प्रयोग होता है ।

लिपि का न तो भाषा की समझी मानना चाहिए और न ही उसकी पोशाक । समझी शरीर का अनिवार्य अंग है । समझी के बिना शरीर का अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती । लिपि एवं भाषा में ऐसा कोई संबंध नहीं है । पोशाक शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि करती है एवं शरीर को ढकने का कार्य करती है । लिपि भाषा के सौंदर्य में वृद्धि नहीं करती । लिपि भाषा की अभिव्यक्ति प्रदान करती है । यदि तुलना ही करनी हो तो लिपि और भाषा की तुलना चित्र एवं वास्तविक पदार्थ के साथ की जा सकती है । चित्र एवं लिपि दोनों ही रेखावद्ध आकृतियाँ हैं । दोनों में मुख्य अंतर यह है कि चित्र, दृश्यात्मकता ( द्रष्टव्य पदार्थ ) की अभिव्यक्ति करता है जबकि लिपि ध्वन्यात्मक ( ध्वनियों )

को आकृति प्रदान करती है। स्थानांतर (एक से दूसरे स्थान तक प्रसार) एवं समयांतर (एक समय से दूसरे समय तक प्रसार) का गुण चित्र एवं लिपि दाना में है इसलिए लिपि को भाषा का चित्रारमक रूपान्तर कहा जा सकता है।

यह बात सही है कि भाषा एवं लिपि में कोई अनिश्चय सम्बन्ध नहीं होता किन्तु एक बार यदि भाषा किसी लिपि का प्रयोग करना शुरू कर देती है तो वह उस लिपि का सरलता एवं शीघ्रता से छाड़ गमना बाल नहीं सकती। इसका मुख्य कारण कारण यह है कि लिपि के बदलने से नयी पीढ़ियाँ अपने प्राचीन वाक्य में व्यथित रह जाती हैं। जिस जाति की अपना प्राचीन वाक्य नहीं रहना वह जाति सांस्कृतिक दृष्टि से अनाथ समझी जाता है। किसी जाति का यह स्वीकार नहीं होता कि उसकी सत्ता सांस्कृतिक दृष्टि से अनाथ समझी जाय। इस लिए लिपि में निचे जाते जाते किसी भाँ मध्यम परिवर्तन का स्वर बना

है। यही कारण है कि जो भाषाएँ लिपिबद्ध नहीं हो सकी हैं वे साहित्य के चरदान से प्रायः वंचित रह गयी हैं। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि मौखिक साहित्य की परंपरा न तो इतनी व्यापक हो सकती है और न ही दीर्घकालीन।


## ८३ लिपि की उत्पत्ति

लिपि की उत्पत्ति संबंधी दो मत प्रचलित हैं। एक मत यह है कि लिपि का जन्म भाषा से पूर्व अथवा समानांतर हुआ। इस मत के माननेवाला का विचार है कि भाषा का प्रयोग करने से पूर्व मनुष्य हाथ, पाद आदि सकेतों द्वारा विचार अभिव्यक्त करता था। उन्हीं सकेतों के चित्रण से लिपि का जन्म हुआ है। इस प्रकार आरंभ में लिपि भाषाभिव्यक्ति का साधन थी, भाषा भिव्यक्ति का नहीं। ज्यो-ज्या लिपि विकसित होती गई, उसका भाषा से सीधा सम्पर्क छूटता गया एवं भाषा से उसका सम्बन्ध जुड़ता गया। आज पूर्ण विकसित लिपि (वर्णात्मक) का भाषा से कोई सीधा सम्पर्क नहीं रहा है, उसका सम्पर्क केवल भाषा (ध्वनियाँ) से रह गया है।

दूसरे मत के माननेवाला का विचार है कि लिपि का जन्म भाषा के पश्चात् ही हुआ है। इस विचार की पुष्टि इस बात से होती है कि मनुष्य समाज की ऐसी किसी अवस्था का पता नहीं चलता जिस अवस्था में मनुष्य भाषा का प्रयोग न करता हो। समय की जिस सीमा रेखा तक मनुष्य के सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है, उसी सीमा रेखा तक भाषा के अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है। अतः लिपि को भाषा से पूर्व अथवा समकालीन मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। लिपि का जन्म भाषा के पश्चात् हुआ है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि आज भी ससार में ऐसी अनेक जातियाँ हैं जो भाषा का प्रयोग करती हैं किन्तु जो लिपि ज्ञान से वंचित हैं। इन विद्वानों की यह भी धारणा है कि स्वयं विचारात्मक प्रक्रिया के लिए भाषा की आवश्यकता है। भाषा के अभाव में विचार कर सकना भी संभव नहीं है। इस प्रकार भाषा की प्राचीनता, विचारात्मक प्रक्रिया के समान ही प्राचीन है। जहाँ तक लिपि का सम्बन्ध है उसका इतिहास ६-७ हजार वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। इन सब बातों के कारण अधिक विद्वानों यही मानते हैं कि लिपि, भाषा की परवर्ती एवं अनुगामी है।

उपयुक्त दोनों मतों को नीचे के दो रेखाचित्रों के द्वारा दर्शाया गया है—





## ८४ लिपि के विकास की अवस्थाएँ

संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं, उन सब के विकास की प्रवृत्ति स्पूल से सूक्ष्म एवं सरल से जटिल की ओर रही है। लिपि का विकास इसका अपवाद नहीं है।

लिपि के विकास की मुख्य तीन अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं —

- (क) चित्रात्मक अवस्था
- (ख) संवेदात्मक अवस्था
- (ग) ध्वन्यात्मक अवस्था

### ८४१ चित्रात्मक अवस्था (चित्रलिपि)

लिपि की आरंभिक अवस्था चित्रात्मक थी। इस अवस्था में लिपि चित्रों के रूप में चित्रों का प्रयोग होता था। चित्रों के प्रयोग के कारण इन अवस्था की लिपि को 'चित्रात्मक लिपि' अथवा 'चित्रलिपि' कहा जाता है।

इस अवस्था में जिन चित्रों का प्रयोग होता था वे सरल एवं स्पूल थे। इन चित्रों में 'जसा पदार्थ वसा चित्र' की प्रवृत्ति विद्यमान थी। इस कारण ये चित्र सवग्राही थे। चित्रों में प्रतीकारमकता बहुत कम थी। प्रात की अभिव्यक्ति के लिए उगले सूय का चित्र खींच दिया जाता था। आसू बहाती आँखों के चित्र में दुःख की अभिव्यक्ति कर ली जाती थी। 'पदार्थ के समान चित्र' की प्रवृत्ति के कारण विभिन्न देशों की चित्रलिपियों में पर्याप्त समानता पायी जाती है।

यद्यपि चित्रलिपि सरल एवं सवग्राही थी किंतु वह अत्यंत सीमित थी। चित्रों के माध्यम से स्पूल पदार्थों एवं क्रियाओं का चित्रण करना तो संभव था किंतु सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति इन चित्रों से नहीं हो पाती थी। फिर नित्र ध्रम एवं योग्यता साध्य थे। हरेक व्यक्ति चित्र नहीं बना सकता था। चित्रलिपि की सीमाओं ने ही लिपि के विकास के अगले चरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

## ८४२ सकेतात्मक अवस्था ( सकेतलिपि )

विकास की दूसरी अवस्था में लिपि सकेतात्मक बन गई । इस अवस्था में चित्रलिपि की कठिनाइयाँ किसी सीमा तक दूर हो गई । इस अवस्था में जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता था वे पदार्थ के अनुरूप न होकर पदार्थों का मात्र सकेत करने वाले रहते थे । मूर्ध के लिए मूय का पूरा चित्र न खींचकर मात्र कुछ तिरछी रेखाएँ खींच ली जाती या पवत का सकेत करने हेतु एक सही ( + ) का चित्रण होता ।

सकेत प्रधान होने के कारण, इस अवस्था की लिपि सकेत लिपि कहो जाती है । चित्रों की अपेक्षा सकेत खींचना सरल था, इस दृष्टि से सकेत लिपि, चित्रलिपि की अपेक्षा सरल बन गई किंतु सकेतों के फलस्वरूप लिपि का सवग्राही गुण समाप्त हो गया । देखने मात्र से सक्ता का अर्थ लगाना सरल नहीं था । सकेतात्मकता के कारण लिपि सामान्य से विशिष्ट एवं सरल सजटिल हो गयी ।

## ८४३ ध्वन्यात्मक अवस्था ( ध्वन्यात्मक लिपि )

लिपि विकास की तीसरी अवस्था तक आती है जब लिपि चिह्नों का सवध ध्वनि स जुड़ जाता है । चित्रलिपि के चित्र तथा सकेत लिपि के सकेत अथपूण हुआ करते थे । इसके विपरीत, ध्व-यात्मक लिपि के चिह्न किसी अथपूण इकाई की अभिव्यक्ति न कर, उन ध्वनियों की अभिव्यक्ति करते हैं जो अपने आप में अथपूण नहीं होती किंतु एक विशेष क्रम में प्रयुक्त होने पर ही उनस अर्थ की अभिव्यक्ति हाती है। उदाहरणार्थ देवनागरी में 'पवत' लिखने से एक पदार्थ विशेष ( पवत ) का बोध न हाकर एक विशेष ध्वनि समूह ( प + व + र् + व् + अ + त ) का बोध होता है । इस समूह की प्रत्येक ध्वनि अपने आप में निरर्थक है । जैसे 'प' का कोई अर्थ नहीं है । एक विशेष क्रम में प्रयुक्त होने के कारण उनमें अथवक्ता उत्पन्न हुई है । पदार्थों एवं भावों ( अथपूण इकाइयों ) के बधन न मुक्त हो जाने के कारण, लिपि की सीमाएँ समाप्त हो गई और भाषा के समान ही लिपि की अभिव्यक्ति—क्षमता असीम हो गयी ।

ध्वनि सवद्ध होने के कारण इस अवस्था की लिपि ध्व-यात्मक कहलायी ।

ध्व-यात्मक लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भाषा की किसी भी ध्वनि का ठीक-ठीक अंकन करने की क्षमता रहती है । इस कारण

भाषा के माध्यम से जिन सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, लिपि के द्वारा उनका अन्तन संभव होता है।

## ८.५ ध्वन्यात्मक लिपि के भेद

विकास की दृष्टि से ध्वन्यात्मक लिपि के दो भेद हैं—

(क) अक्षरात्मक लिपि ( Syllabic )

(ख) वर्णात्मक लिपि ( Alphabetic )

### ८.५.१ अक्षरात्मक लिपि

अक्षर ध्वनियों ( एक या एक से अधिक ) की उस इकाई को कहते हैं, जिसका उच्चारण बिना किसी व्यवधान के, सात के एक ही षटके से होता है। मोटे रूप से प्रत्येक स्वर ( यजन सहित अथवा व्यजन रहित ) अक्षर की रचना करता है।

अक्षरात्मक लिपि वह है जिसमें प्रत्येक लिपि चिह्न एक अक्षर की अभिव्यक्ति करता है अर्थात् प्रत्येक लिपि चिह्न से किसी स्वर अथवा व्यजन युक्त स्वर की अभिव्यक्ति हानी है। उदाहरणार्थ देवनागरी लिपि का 'ऋ' चिह्न 'र' यजन युक्त इ ( ऋ = र + इ ) की अभिव्यक्ति करता है अतः 'ऋ' अक्षरात्मक चिह्न है। वैसे ही देवनागरी के मात्रारहित व्यजन चिह्न ( क, च, ट, त, प आदि ) अक्षरात्मक चिह्न हैं क्योंकि प्रत्येक चिह्न 'यजन युक्त स्वर ( क = क + अ ) की अभिव्यक्ति करता है।

### ८.५.२ वर्णात्मक लिपि

वर्णात्मक लिपि से तात्पर्य ऐसी लिपि से है जिसमें प्रत्येक लिपि चिह्न ( अर्थात् वर्ण ) एक ही ध्वनि ( स्वर अथवा 'प्राण' ) की अभिव्यक्ति करता है अर्थात् एक लिपि चिह्न से सदैव अकेली ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है ध्वनि योग ( स्वर युक्त यजन ) की नहीं। उदाहरणार्थ रोमन लिपि ( जिसमें अंग्रेजी लिखी जाती है ) के प्रत्येक वर्ण ( K, P, T, A आदि ) से एक अकेली ध्वनि का ही बोध होता है। अतः रामन वर्णात्मक लिपि है। देवनागरी के ऋ, ॠ तथा अ स्वर युक्त यजनो ( क, च, ट, त, प आदि ) को यदि अपवाद मानकर छोड़ दिया जाय तो देवनागरी भी वर्णात्मक लिपि ही दिखेगी। जैसे 'काली'

श द में चार जिह्व ह और ये चार ध्वनियो का प्रतिनिधित्व करते ह ( क=क्  
I=आ ल=ल, ी=इ ) ।

सरचनात्मक दृष्टि से दखा जाय तो लिपि का वर्णात्मक रूप उसका चरम विकसित रूप ह । चित्रलिपि एक प्रकार स भावात्मक लिपि थी । प्रत्येक चित्र एक पूरे विचार अथवा धारणा का बोध कराता था । सकेतात्मक लिपि एक प्रकार से रूपात्मक लिपि थी जिसमें प्रत्येक लिपि चिह्न किसी अथपूण इकाई का अभि-यक्ति प्रदान करता था । अक्षरात्मक लिपि के चिह्न ध्वनि सयोगों ( स्वर युक्त यजन ) को अभि-यक्त करते थे । वर्णात्मक लिपि का प्रत्येक चिह्न अकेली ध्वनि को रूपायित करता ह ।

वर्णात्मक लिपि की सबसे बडी विशेषता यह ह कि उसमे प्रत्येक ध्वनि के लिये स्वतंत्र लिपि चिह्न हाता ह । इस कारण भाषा ( ध्वनिया ) एव लिपि के परस्पर संबध का विश्लेषण अधिक सही ढग से किया जा सकता ह ।

## ८ ६ ससार की प्रमुख लिपिया

प्राचीन काल से अब तक ससार में अनेक लिपियो का प्रयोग हुआ ह । उन में से कुछ मुख्य लिपिया ( भारतीय लिपिया को छोडकर ) का परिचय यहा दिया जा रहा है ।

### ८ ६ १ ब्यूनीफार्म लिपि

यह सम्भवत ससार की प्राचीनतम लिपि ह । ऐसा समझा जाता है कि इसका आविष्कार सुमेरियन ने किया था । ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म आज से लगभग ६००० वष पूव हुआ था । इस लिपि के चित्र तिकोनी रेखाया से निर्मित होते थे जो गोली मिट्टी की इटों पर खीचे जाते थे । यह प्राचीन बेबिलोनिया की लिपि थी ।

### ८ ६ २ हीरोग्लाइफिक लिपि

हीरोग्लाइफिक, प्राचीन मिस्र की लिपि थी । ससार की प्राचीनतम लिपियों में इस लिपि का महत्वपूण स्थान है । ईसा पूव ४००० वष इस लिपि का प्रयोग होता था ।

यह लिपि भी मूल रूप से चित्रात्मक थी । इस लिपि के प्राचीनतम लेख मंदिरों की दीवारों पर सीलों से खुदे हुए हैं ।

### ८ ६ ३ चीनी लिपि

संसार की प्राचीन लिपियाँ में चीनी लिपि का मुख्य स्थान है। यह एक ऐसी प्राचीन लिपि है जिसका प्रयोग आज भी हो रहा है (कुछ सुधार सहित)। चीनी भी मूल रूप में चित्रात्मक लिपि है। इन रूपात्मक लिपि कहा जाता है क्योंकि इस लिपि का प्रत्येक चित्र किसी न किसी अर्थपूर्ण इकाई (शब्द) को अभिव्यक्त करता है।

चीनी लिपि लगभग ५००० वर्ष पुरानी है। चीनी लिपि में हजारों चित्रों का प्रयोग करना पड़ता है इस कारण यह अत्यंत कठिन लिपि है।

### ८ ६ ४ अरबी लिपि

संसार का प्रसिद्ध लिपियाँ में अरबी लिपि की भी गणना की जाती है। संसार के अनेक देशों में इस लिपि का प्रचलन है। भारत की उड़ु कश्मीरी तथा सिंधी लिपियाँ का आधार भी अरबी लिपि है। तुर्कों (प्राचीन) फारसी एवं पर्सियों के लिए इस लिपि का प्रयोग होता है।

यह लिपि प्राचीन सामी लिपि से संबंधित है। अरबी लिपि के जन्म के संबंध में निश्चयपूर्वक कहना कठिन है किंतु इतना निश्चित है कि ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक इसका जन्म हो चुका था।

यह लिपि ध्वन्यात्मक है। इस लिपि में व्यंजनों की प्रधानता है। स्वरों की अभिव्यक्ति के लिए इस लिपि में समुचित व्यवस्था नहीं है। यह लिपि दाएँ से बाएँ लिखी जाती है।

### ८ ६ ५ यूनानी लिपि

प्राचीन सामी लिपि से विकसित आर्माइक लिपि से यूनानी लिपि का संबंध है। आज से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व यूनानी लिपि का जन्म हुआ था। यह बाएँ से दाएँ लिखी जाती थी।

### ८ ६ ६ रोमन लिपि

रोमन लिपि को लटिन लिपि भी कहा जाता है। रोमन संसार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रचलित लिपि है।

इस लिपि का संबंध भी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से है। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व ७वीं शताब्दी तक इस लिपि का विकास हो चुका था।

इस लिपि का प्रयोग अग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी, जर्मन, पुर्तगाली आदि अनेक भाषाओं के लिए होता है।

रोमन लिपि वर्णात्मक है। इस कारण ससार की श्रेष्ठ लिपियों में इसका मुख्य स्थान है। रोमन लिपि में इस समय २६ वर्ण हैं तथा यह वाए में दाएँ लिखी जाती है।

## ८७ भारत की प्राचीन लिपियाँ

यह बात अब निर्विवाद रूप से मानी जाने लगी है कि बहुत प्राचीन काल से ही भारत में लेखन का प्रयोग होता था। यों तो विदेशी यात्रियों के वर्णनाएँ एवं जन तथा बौद्ध धर्मग्रन्थों में भारत की अनेक प्राचीन लिपियों का उल्लेख मिलता है किन्तु उन समस्त लिपियों के अस्तित्व के पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होने।

प्राचीन काल की जिन मुख्य लिपियों के अधिकाधिक प्रमाण प्राप्त होते हैं वे हैं—संघव लिपि, खरोष्ठी लिपि एवं ब्राह्मी लिपि।

### ८७१ संघव लिपि

सिंध के 'मोहन जो दडा' एवं पंजाब के 'हड़प्पा' स्थानों की खुदाई से प्राप्त मुहरों एवं अन्य पदार्थों पर प्राप्त लिपि चिह्नों को संघव लिपि अथवा सिंधु घाटी की लिपि कहा जाता है। इस लिपि को भारत की प्राचीनतम लिपि माना जा सकता है। इस लिपि का समय ईसा पूर्व ३५०० वर्ष के आस पास माना जाता है।

इस लिपि की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसे द्रविड मूलक मानते हैं, कुछ अन्य विद्वान इसका संबंध सुमेरिया से जोड़ते हैं। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो इसे आर्य जाति का आविष्कार स्वीकार करते हैं। वास्तव में इस लिपि को निश्चित रूप से अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। इस कारण इस लिपि के संबंध में कुछ भी निश्चित रूप से कह सकना कठिन है।

### ८७२ खरोष्ठी लिपि

जिन दो लिपियों में प्राचीन शिलालेख मिलते हैं, वे हैं खरोष्ठी एवं ब्राह्मी। खरोष्ठी के शिलालेख ईसा पूर्व ४थी शताब्दी के आसपास प्राप्त होते हैं। इस लिपि के प्राचीनतम लेख राहबाजगढ़ी एवं मनसेरा में प्राप्त हुए हैं।

## खरोष्ठी नाम

'खरोष्ठी' नाम के संबंध में बहुत-सी अटकलें लगायी जाती हैं। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति खरओष्ट ( गधे के होठों जैसी वेढगी ) मानते हैं। कुछ अन्य विद्वानों के विचार से इसका मूल खर-मोस्त' अथवा 'खर पृष्ठी' ( गधे की खात्र पर लिखी जाने के कारण ) मानते हैं। कुछ खरोष्ठी' नामक व्यक्ति द्वारा इसका आविष्कार मानते हैं, तो दूसरा के विचार से 'खरोष्ठ' नामक सीमा प्रांत में इसका प्रयोग होता था। तत्कालीन मत दो हैं। एक मत यह है कि आर्माइक शब्द खराठ से इसका विकास हुआ है। दूसरा मत यह है कि हिब्रू के खरोगेय = लिखावट' से इसका संबंध है।

## खरोष्ठी की उत्पत्ति

खरोष्ठी की उत्पत्ति के संबंध में मुख्य दो मत हैं। बूलर डिरिजर, आषा आदि विद्वान इसका आधार आर्माइक लिपि मानते हैं। राजबली पाडेय इसे गुल भारतीय मानते हैं। बूलर ने आर्माइक 'ष' साथ खरोष्ठी के आठ वर्णों की तुलना कर अपने मत का ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया है।

ऐसा समझा जाता है कि आरंभ में खरोष्ठी दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी फिर ब्राह्मी लिपि के प्रभाव के कारण बाएँ से दाएँ भी लिखी जाने लगी। ईसा की ६-४थी शताब्दी के पश्चात् इस लिपि का प्रयोग नहीं मिलता।

## ८ ७ ३ ब्राह्मी लिपि

ब्राह्मी लिपि भारत की प्रसिद्ध प्राचीन लिपि थी। इसका प्राचीनतम रूप ईसा पूर्व ५वीं शताब्दी का माना जाता है। अपने प्राचीन रूप में इस लिपि का प्रयोग ईसा की ४थी शताब्दी तक होता रहा। कुछ को छोड़कर भारत का धार्मिक लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है।

## ब्राह्मी नाम

'ब्राह्मी' नाम के संबंध में अनेक विचार हैं। कुछ के विचार से ब्राह्मणों द्वारा मुख्य रूप से प्रयुक्त हान के कारण यह ब्राह्मी कहलायी। दूसरे विद्वान मानते हैं कि 'ब्रह्म' (गान) की रत्ना का साधन हान के कारण इसका यह नाम पड़ा। धानी विश्वनाथ में 'ब्रह्म' अथवा 'ब्रह्मा' नामक व्यक्ति इसका आविष्कारक माना गया है। अधिक मात्रा में धारणा यह है कि धार्मिक भावना के कारण मूर्च्छित ब्रह्म से इसके निमाण का संबंध जोड़कर इसका यह नाम रखा गया है।

## ब्राह्मी की उत्पत्ति

ब्राह्मी की उत्पत्ति के सबंध में बड़ा विवाद है। बहुत से विदेशी विद्वान इन्से विदेशी मूल का मानकर इसका सबंध चीनी, आर्माइक, फोनीशियन, सामी, अरबी आदि लिपियों से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इनमें से केवल उत्तरी सामी से इसका सबंध जोड़ने का थोड़ा-बहुत आधार प्राप्त हो सका है। उत्तरी सामी से ब्राह्मी का सबंध जोड़ने वालों में बूलर का नाम मुख्य है। अपने मत के समयन में बूलर ने सामी लिपि के वर्णों की रेखाओं को घुमा फिरा कर उनकी ब्राह्मी लिपि के वर्णों से साम्यता दिखाने का प्रयत्न किया है। साथ ही बूलर का कथन है कि भारत में ईसा पूर्व ५वीं शताब्दी से पहले लिपि का प्रचलन नहीं था। बूलर ने अपने मत के समर्थन में यह भी दिखाया है कि गिलालेखों में ब्राह्मी के ऐसे नमूने भी मिलते हैं जिनमें वह सामी लिपि के समान दाए से बाए लिखी गयी है।

बूलर के समस्त तर्कों का उत्तर देकर भारतीय विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ब्राह्मी पूर्ण रूप से भारतीय लिपि है। यह प्रमाणों द्वारा पुष्ट हो चुका है कि भारत में लेखन कला का प्रचलन बहुत प्राचीन काल में था। सामी एवं ब्राह्मी के वर्णों में जो समानता बूलर ने दिखायी है वह तक की अपेक्षा आग्रह पर आधारित है। दाए से बाए लिखने के उदाहरणों का अपना बाए से दाए लिखने के उदाहरण बहुत अधिक हैं। दाए से बाए लिख हुए कुछ अक्षर ही मिलते हैं, पूरा लेख नहीं। इसका कारण लिखनेवाले का नवीन प्रयोग प्रवृत्ति भी हो सकती है।

अतः में इतना कहना ही उचित होगा कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का सबंध में निश्चित प्रमाणों का अब भी अभाव है। जो प्रमाण मिलते हैं वे सब विदेशी होने का ही समयन करते हैं।

## ब्राह्मी लिपि का विकास

ब्राह्मी लिपि के विकास के तीन सोपान माने जा सकते हैं।

प्रथम सोपान—( ईसा पूर्व ५०० से ईसा ३५० तक )

द्वितीय सोपान—( ईसा पूर्व ३५० से ईसा १००० तक )

तृतीय सोपान—( ईसा १००० के पश्चात् )

ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम लेख ईसा पूर्व ५०० के आसपास का है। तब से लेकर ईसा की ४वीं शताब्दी तक इस लिपि का प्रयोग ब्राह्मी के नाम से होता रहा। इस अवस्था में इसका प्रयोग-स्थल उत्तर भारत ही था।



इस लिपि के विकास का दूसरा चरण ईसा की ४वां शताब्दी से आरम्भ होता है, जब इस लिपि की उत्तरी एवं दक्षिणी दो शाखाएँ हो जाती हैं। उत्तरी शाखा की लिपि ४-५वीं शताब्दी में गुप्त सम्राटों के प्रभाव के कारण 'गुप्त लिपि' कहलायी तथा इसी लिपि के विकसित रूप को (६-७वीं शताब्दी) 'कुटिल लिपि' की संज्ञा दी गयी। ९वीं शताब्दी के आसपास, इस लिपि से प्राचीन नागरी एवं १०वीं शताब्दी में निकट इससे कश्मीर की लिपि शारदा का विकास हुआ।

इस अवधि में दक्षिणी शाखा से प्राचीन तेलुगु, प्राचीन संथी, प्राचीन तमिल एवं नई नागरी लिपियों का विकास हुआ।

ब्राह्मी लिपि में विकास का तीसरा चरण १०वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है जब आधुनिक लिपियों का विकास होता है।

इस अवस्था में इसकी उत्तरी शाखा से टिकरी, डोगरी (कश्मीर), लडा मुल्तानी, बाणिकी, गुरुमुखी (सिंध-मजाब), गुजराती (गुजरात), महाजनी (राजस्थान), मोडी (महाराष्ट्र) बधी (बिहार), बगला (बंगाल), असमिया (असम), मथिली (प्राचीन मिथिला प्रदेश), उडिया (उड़ीसा), मणोपुरी (मणीपुर), नागरी (मध्य देश) आदि लिपियों का विकास होता है। इसकी दक्षिणी शाखा से वर्तमान तमिल, तेलुगु, एवं प्रथी आदि लिपियों का जन्म होता है।

## ८८ देवनागरी लिपि

इस लिपि का नागरी अथवा देवनागरी नाम कैसे पड़ा, इस संबंध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। हाँ, इस नाम के संबंध में अनेक अनुमान लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम 'नागरी' पड़ा।

नगरों में प्रयुक्त होने के कारण यह 'नागरी' कहलायी।

देवनागरा में प्रयुक्त होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा गया।

देवनागरी काशी में इसके प्रयोग के कारण इसे 'देवनागरी' कहा गया।

जसा कि ऊपर कहा गया है देवनागरी संथी उपयुक्त समस्त मत अनुमान पर ही आधारित है, इनके लिए कोई तार्किक आधार नहीं है।

## ८८१ देवनागरी लिपि का विकास

आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास १२वीं शताब्दी के निकट प्राचीन नागरी लिपि से हुआ। इस लिपि का प्रयोग हिन्दी के अतिरिक्त आधुनिक मराठी तथा नेपाली के लिए भी होना है। प्राचीन भाषाओं, संस्कृत पालि प्राकृत के लिए भी इसी लिपि का प्रयोग होता था। गुजराती, महाजनी एवं राजस्थानी लिपियाँ एक प्रकार से देवनागरी का ही रूप हैं। देवनागरी स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है।

१२वीं शताब्दी से आज तक देवनागरी के रूप में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। फारसी एवं अंग्रेजी के प्रभाव से कुछ नवीन ध्वनियाँ हिन्दी में आ जाने से देवनागरी लिपि में भी कुछ परिवर्तन हुआ है।

## ८८२ देवनागरी के गुण-दोष

इसमें कोई संदेह नहीं कि देवनागरी सप्तार की श्रेष्ठ लिपियाँ में से एक है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जिसमें अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपियाँ का विशेषताएँ पाई जाती हैं। नीचे देवनागरी लिपि के गुणाएँ एवं दोषों का वर्णन किया जा रहा है।

### ८८२१ देवनागरी के गुण (विशेषताएँ अथवा वैज्ञानिकता)

- (क) यह एक व्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है।
- (ख) ध्वनियाँ का क्रम वैज्ञानिक है। स्पष्ट ध्वनियों के वर्णन में प्रथम वर्ग कठोर ध्वनियों का है एवं अंतिम वर्ग आच्छन्न ध्वनियाँ का है। प्रत्येक वर्ग में अल्पप्राण ध्वनि के पश्चात् महाप्राण ध्वनि सूचक चिह्न है (यथा क, ख) तथा प्रत्येक वर्ग की ध्वनियों में पहले अघोष ध्वनियाँ एवं उसके पश्चात् सघोष ध्वनियाँ का उल्लेख है (प्रत्येक वर्ग की प्रथम दो ध्वनियाँ अघोष तथा अंतिम तीन ध्वनियाँ सघोष हैं)। प्रत्येक वर्ग का नासिक्य ध्वनि (ङ, न, म आदि), उस वर्ग के अंत में है।
- (ग) अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग-अलग लिपि चिह्न हैं (यथा—क, ख)।
- (घ) छपाई एवं लिखाई के लिए एक ही रूप है।
- (ङ) स्वरों में ह्रस्व-दीर्घ का भेद है। स्वरों की मात्राएँ निश्चित हैं।
- (च) प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिह्न है।

इससे छपाई में तो सुविधा हाथी थी किन्तु लिपि की कलात्मकता नष्ट होती थी तथा कुछ अक्षरों में समानता होने के कारण उन्हें पढ़ना कठिन होता था।

५) साबरकर वधुओं ने 'अ' की धारहरवडी का उपयोग में आने का सुझाव दिया किन्तु वह भी अमान्य रहा।

संस्थागत प्रयत्नों का सदर्भ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति-वधा और नागरी प्रचारिणी सभा-काशी का नाम उल्लेखनीय है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर में १०३५ में महात्मा गांधी के सभापतित्व तथा कावा कालेलकर के सयोजकत्व में जो सभा हुई उसके मुद्दाव थे— शिरो रेखा विहीनता मात्राओं का पक्ति में पथक लगाना ( उपमांग ) सय कानरा के उच्चारणक्रम से लिखना ( पदग = प्रत्येग ) 'अ' की धारहरवडी ( अ आ अि, जी अु अू आदि), पूग अनुस्वार के लिए '०' तथा अनुनासिकता के लिए विदी '—' का प्रयोग। नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रयत्न तो किया किन्तु विद्वानों के सहयोग के अभाव में कुछ न हो सका। तत्पश्चात्प इम समिति ने श्रीनिवास जी के सुझावा स सहमत होकर उनकी पुष्टि की। इसी प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित सुझावों की पुष्टि तथा प्रचार किया।

प्रशासकीय रूप से तीन प्रयत्न हुए—हिंदुस्तानी शीघ्रलिपि तथा लेखन यंत्र-समिति ( १९४८ ) का प्रयत्न उत्तर प्रत्येग सरकार का प्रयत्न तथा आचार्य नरेंद्रप्रथेव समिति का प्रयत्न। इनमें ठोस रूप में किए गए प्रयत्न केवल नरेंद्रप्रथेव समिति के थे। इस समिति ने लिपि को जटिल विवृत तथा अबैनासिक रूप प्रदान करनेवाले सुझावा—'अ' की धारहरवडी, शिरोरेखा विहीनता को अमान्य कर दिया। निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किए गए—

- ( १ ) मात्राओं की पक्ति में पथक लगाना ( प्रवेश )।
- ( २ ) अनुस्वार के लिए शून्य '०', तथा अनुनासिकता के लिए '—'। अनुनासिक वर्णों को अपने वर्ग के यजन के पूर्ववर्ती होने पर उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग।
- ( ३ ) सयुक्त रूप में वर्णों की खडीप ई को हटा देना, क, फ के अतिरिक्त सबको हलन्त रूप में लिखना ( विद्वान )।
- ( ४ ) अ के स्थान पर अ, भ के स्थान पर भ, घ के स्थान पर घ, ङ के स्थान पर ङ तथा ञ के स्थान पर ञ, का प्रयोग हो।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनमें से कुछ सुधारों को स्वीकार कर अपनी पुस्तकों द्वारा उनका प्रचार कराना चाहा किंतु बहुत कुछ जनता द्वारा मान्य नहीं हुआ। अभी तक प्रायः प्राचीन रूप ही प्रचलित है।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि लिपि में परिवर्तन करना सरल नहीं है, क्योंकि लिपि के माध्यम से साहित्य का संरक्षण एक प्रसारण होता है। लिपि-परिवर्तन से साहित्य की अविच्छिन्न परंपरा विच्छिन्न अथवा खंडित हो जाती है। इस प्रकार की साहित्यिक विच्छिन्नता किसी को सरलता से स्वीकार नहीं होती। अतः बलपूर्वक अथवा हठपूर्वक देवनागरी में सुधार नहीं लाया जा सकता। ज्यों-ज्यों देवनागरी के प्रयोग की व्यापकता बढ़ेगी, उसकी एकरूपता एवं स्थिरीकरण की आवश्यकता भी बढ़ेगी और आवश्यकता, कबल आविष्कार की ही जननी नहीं हाती, सुधारों की भी जननी होती है।

इससे छपाई में तो सुविधा होती थी किन्तु लिपि की कलात्मकता नष्ट होती थी, तथा कुछ अक्षरों में समानता हान के कारण उन्हें पढ़ना कठिन होता था। भावरकर वधुआ ने 'अ' की धारहरवडी का उपयोग में लाने का सुझाव दिया किन्तु यह भी अभाय रहा।

सत्यागत प्रयत्नों के मर्म में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति-वधा और नागरी प्रचारिणी सभा-कागा व नाम उल्लेखनीय है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर में १०३५ में महात्मा गांधी के सभापतित्व तथा काका कालेलकर के संयोजकत्व में जो सभा हुई उसका सुझाव ये— गिरो रेखा बिहीनता मात्राओं का पक्ति में पथक लगाना (उपयोग) मय-काक्षरा के उच्चारणक्रम से लिखना (उदाहरण = प्रयोग) 'अ' की धारहरवडी (अ जा बि जी झू झू आदि), पण धनुस्वार के लिए '०' तथा अनुनासिकता के लिए बिंदी '-' का प्रयोग। नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रयत्न तो किया किन्तु विद्वानों के सहयोग के अभाव में कुछ न हो सका। तत्पश्चात् इस समिति ने श्रीनिवास जी के सुझावों से सहमत होकर उनकी पुष्टि की। इसी प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित सुझावों की पुष्टि तथा प्रचार किया।

प्रशासकीय रूप से तीन प्रयत्न हुए—हिंदुस्तानी शीघ्रलिपि तथा लेखन यंत्र-समिति (१९४८) का प्रयत्न उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयत्न तथा आचार्य नरेंद्रदेव समिति का प्रयत्न। इनमें ठोस रूप में किए गए प्रयत्न केवल नरेंद्रदेव समिति के थे। इस समिति ने लिपि को जटिल विवृत तथा अवैज्ञानिक रूप प्रदान करनेवाले सुझावों—'अ' की धारहरवडी गिरोरेखा बिहीनता को अभाय कर दिया। निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किए गए—

- (१) मात्राओं का पक्ति में पथक लगाना (प्रदेश)।
- (२) अनुस्वार के लिए '०', तथा अनुनासिकता के लिए '-'। अनुनासिक वर्णों को अपने वर्ण के व्यंजन के पूर्ववर्ती होने पर उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग।
- (३) समुक्त रूप में वर्णों की खड़ीप ई को हटा देना, क, फ, के अतिरिक्त सबको हल्त रूप में लिखना (विद्वान)।
- (४) अ के स्थान पर अ, भ के स्थान पर भ, घ के स्थान पर घ, क्ष के स्थान पर क्य तथा ञ के स्थान पर ञ, का प्रयोग है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनमें से कुछ सुधारों को स्वीकार कर अपनी पुस्तकों द्वारा उनका प्रचार कराना चाहा किंतु बहुत कुछ जनता द्वारा मान्य नहीं हुआ। अभी तक प्रायः प्राचीन रूप ही प्रचलित है।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि लिपि में परिवर्तन करना सरल नहीं है, क्योंकि लिपि के माध्यम से साहित्य का संरक्षण एवं प्रसारण होता है। लिपि-परिवर्तन से, साहित्य की अविच्छिन्न परंपरा विच्छिन्न अथवा खंडित हो जाती है। इस प्रकार की साहित्यिक विच्छिन्नता किसी को सरलता से स्वीकार नहीं होती। अतः बल्पूवक अथवा हठपूवक, देवनागरी में सुधार नहीं लाया जा सकता। ज्यों-ज्यों देवनागरी के प्रयोग की व्यापकता बढ़ेगी, उसकी एकरूपता एवं स्थिरीकरण की आवश्यकता भी बढ़ेगी और आवश्यकता, केवल आविष्कार की ही जननी नहीं होती, सुधारों की भी जननी होती है।

इससे छपाई में तो सुविधा होती थी किन्तु लिपि की बन्ध्यामकता नष्ट होती या तथा कुछ अक्षरों में समानता हान के कारण उन्हें पढ़ना कठिन होता था।

(५) सावरकर वधुआ ने 'अ' की धारहरवडी का उपयोग में लाने का सुझाव किया किन्तु वह भी अमान्य रहा।

संस्थागत प्रयत्न के मदर्भ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति-वधा और नागरी प्रचारिणी सभा-वधा के नाम उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर में १९३७ में महात्मा गांधी के समापनित्व तथा काका कालेलकर के समोजकत्व में जो सभा हुई उसका मुनावा था— शिरो रेखा बिहीनता मात्राया का पक्ति में पथक लगाना (उपयोग), सय-त्ताक्षरों के उच्चारणक्रम से लिखना (एदग = प्रथेग) 'अ' की धारहरवडी (अ जा बि, जी झू अू आदि), पण अनुस्वार के लिए '०' तथा अनुनासिकता के लिए बिंदी '-' का प्रयोग। नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रयत्न तो किया किन्तु विद्वानों के सहयोग के अभाव में कुछ न हो सका। तत्पश्चात् इस समिति ने श्रीनिवास जी के सुझावात् सहमत होकर उनकी पुष्टि की। इसी प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित मुनावों की पुष्टि तथा प्रचार किया।

प्रशासकीय रूप से तीन प्रयत्न हुए—हिन्दुस्तानी शीघ्रलिपि तथा लेखन यंत्र-समिति (१९४८) का प्रयत्न उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयत्न तथा आचार्य नरेंद्रदेव समिति का प्रयत्न। इनमें ठोस रूप में किए गए प्रयत्न केवल नरेंद्रदेव समिति के थे। इस समिति ने लिपि को अटिल विकृत तथा अव्यक्त रूप प्रदान करनेवाले मुनावों—अ' की धारहरवडी शिरोरेखा बिहीनता का आमान्य कर दिया। निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किए गए—

- (१) मात्राओं को पक्ति में पथक लगाना (प्रदेश)।
- (२) अनुस्वार के लिए '०', तथा अनुनासिकता के लिए '-'। अनुनासिक वर्णों का अपने वर्ग के व्यंजन के पूर्ववर्ती होने पर उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग।
- (३) समुक्त रूप में वर्णों की खड़ीप ई को हटा देना क, फ, के अतिरिक्त सबको हलन्त रूप में लिखना (विद्वान)।
- (४) अ के स्थान पर अ, भ के स्थान पर भ, घ के स्थान पर घ, क्ष के स्थान पर क्य तथा ञ के स्थान पर ञ, का प्रयोग हो।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनमें से कुछ सुधारों को स्वीकार कर अपनी पुस्तकों द्वारा उनका प्रचार कराना चाहा किंतु बहुत कुछ जनता द्वारा मान्य नहीं हुआ। अभी तक प्रायः प्राचीन रूप ही प्रचलित है।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि लिपि में परिवर्तन करना सरल नहीं है क्योंकि लिपि के माध्यम से साहित्य का संरक्षण एवं प्रसारण होता है। लिपि-परिवर्तन से साहित्य की अविच्छिन्न परंपरा विच्छिन्न अथवा खंडित हो जाती है। इस प्रकार की साहित्यिक विच्छिन्नता किसी को सरलता से स्वीकार नहीं होती। अतः दल्पूवक अथवा हठपूवक देवनागरी में सुधार नहीं लाया जा सकता। ज्यों-ज्यों देवनागरी के प्रयोग की व्यापकता बढ़ेगी, उसकी एकरूपता एवं स्थिरीकरण की आवश्यकता भी बढ़ेगी और आवश्यकता, कवल आविष्कार की ही जननी नहीं हाती, सुधारों की भी जननी होती है।





## स्मरण-सकेत

- १ लिपि, लिखित चिह्नों की व्यवस्था है। इससे भाषा को रूपायित किया जाता है।
- २ भाव एवं लिपि में भाषा के माध्यम से संपर्क स्थापित होता है। लिपि भाषा का चित्र अथवा भाषा की भाषा है। भाषाएँ लिपि में ऐतिहासिक सन्ध रहता है, अनिवार्य नहीं। लिपि भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है, इसलिए लिपि का बदलना सरल नहीं है।
- ३ लिपि का विकास भाषा के पश्चात् हुआ है।
- ४ लिपि के विकास की तीन अवस्थाएँ हैं —  
चित्रात्मक सकेतात्मक ध्वन्यात्मक।
- ५ ध्वन्यात्मक लिपि के दो रूप हैं—अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक। वर्णात्मक लिपि चरम विकसित लिपि है।
- ६ सस्यार की मुख्य लिपियाँ हैं—  
ब्रह्मी, फारसी, हीरोग्लिफिक, चीनी, अरबी, यूनानी रोमन।
- ७ भारत की प्राचीन लिपियाँ हैं—सँध, खरोष्ठा, ब्राह्मी। सँध लिपि का अभी तक पूर्ण विवेचन नहीं हो पाया है। खरोष्ठी के नाम एवं उत्पत्ति के सन्ध में मतभेद हैं। समस्त वह विदेशी लिपि थी। ई० पू० ४ थी शताब्दी के आस पास ब्राह्मी के साथ उसका प्रचार था। ब्राह्मी की उत्पत्ति के सन्ध में भी भेद विवाद हैं। अधिक विद्वान उस भारतीय मानते हैं। ब्राह्मी के ही विकसित रूपों का नाम कुटिल लिपि एवं गुप्त लिपि था। ब्राह्मी से आधुनिक उत्तर अथवा दक्षिण भारत की लिपियों का विकास हुआ है।
- ८ देवनागरी का विकास १२वीं शताब्दी के आस पास हुआ। इसका मूल स्रोत ब्राह्मी ही है। देवनागरी सस्यार की श्रेष्ठ लिपियों में से एक है। वैज्ञानिकता का दृष्टि से उसमें कई गुण हैं। वैज्ञानिकता एवं युग की आवश्यकता का दृष्टि से उसमें कुछ घुटियाँ भी हैं। देवनागरी के सुधार के लिए कई प्रयत्न किये गए हैं किन्तु उनका कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला है।

